सीटू अधिवेशन विशेषांक

वर्ष 9 अंक 6 जून 1987 पांच रुपये

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सूची

अध्यक्षीय भाषण	3
महासचिव की रिपोर्ट	16
छठे सम्मेलन की रिपोर्ट	63
केडेंशियल कमेटी की रिपर्ट	71
सीटू-ए यू सी सी टी यू संयुक्त विज्ञप्ति	72
नये पदाधिकारियों की सूची	73
जनरल काउंसिल सदस्यों की सूची	75
संविधान में संशोधन	78
एस. वाई. कोल्हात्कर का भाषण	79
बिरादराना संगठनों के नेताओं का भाषण	81
सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावें	88
विदेशी प्रतिनिधियों के भाषण	107
बिरादराना संगठनों से बधाई संदेश	119

मुख्य पृष्ठ—22 मई को शिवाजी पार्क में आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए का. बी. टी. रणदिवे

ई. के. नयनार रैली को सम्बोधित करते हुए

रैली को सम्बोधित करते हुए समर मुखर्जी

रैली को सम्बोधित करते हुए ज्योति बसु

अध्यक्षीय भाषण

बी. टी. रणदिवे

साथियो,

कानपुर में आयोजित हमारे पिछले सम्मेलन से अब तक हमारे देश और विश्व में बहुत तेज परिवर्तन हुए हैं. इस बीच अंतर्राष्ट्रीय आँदोलन के हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथी और नेता दिवंगत हो चुके हैं. अपने उन साथियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और जिन्होंने जीवन भर मेहनतकश वर्ग के आँदोलन में अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए इस दुनिया को छोड़ गए.

मैं अपने देश के और दूसरे देशों के उन साथियों की याद को सम्मान देता हूँ जो इस बीच उत्पीड़कों की गोलियों के शिकार हुए.

साथियो, हम सभी को साथी पी० सुन्दरैया की मृत्यु से हुए साझा आँदोलन की क्षति का पूरा अहसास है. साथी सुन्दरैया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता थे और तेलंगाना के किसान आंदोलन के एक अग्रणी व्यक्तित्व थे.

साथियो, इस सम्मेलन में आपको साथी पी० के० कुर्णे के प्रभावशाली व्यक्तित्व की अनुपस्थिति भी खलेगी. हम जब यहाँ 1975 में मिले थे तो उस सम्मेलन की व्यवस्था का भार उन्हीं के मजबूत कंधों पर था। साथी कुर्णे की मृत्यु से महाराष्ट्र में सीटू को गहरी क्षति पहुँची है। यह क्षति अखिल भारतीय सीटू आँदोलन के लिए भी उतनी ही बड़ी है, जितनी महाराष्ट्र सीटू के लिए क्योंकि साथी कुर्णे सीटू के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक थे.

आपकी तरफ से मैं यहाँ उपस्थित सोवियत रूस, जनवादी, चीन, बुल्गारिया, चकोलोवाकिया, अफगानिस्तान की बिरादराना ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों और कोसाटू तथा डब्ल्यू एफ टी० यू० के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं. उनकी उपस्थिति से अंतर्राष्ट्रीय बिरादराना एकजुटता मजबूत होगी और हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को कहीं अधिक शक्ति के साथ पूरी कर सकेंगे.

यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधियों की तरफ से मैं महाराष्ट्र सीटू की प्रांतीय इकाई और इसके अवलान्त नेता साथी सांझगिरि को बधाई देने की इजाजत चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे कठिन समय में इस अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन का कठिन काम अपने ऊपर लिया है.

विश्व में होने वाले तीव्र परिवर्तन

साथियों, कानपुर में आयोजित हमारे पिछले सम्मेलन से आज तक अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत तीव्र परिवर्तन आये हैं. इन वर्षों का प्रमुख विशिष्टता है सोवियत रूस और दूसरे समाजवादी देशों द्वारा शांति के लिए चलाया जाने वाला लगातार संघर्ष और साम्राज्यवादी अमेरिका द्वारा पूरी दुनियाँ पर हावी होने की योजना के खिलाफ सभी महाद्वीपों की जनता द्वारा किया गया अप्रतिहत संवर्ष, दक्षिण अफ्रीका से निकरागुआ तक, चिली से अंगोला तक, स्वाधीनता की जो आग धधक रही है उसे साम्राज्यवादी अमेरिका बुझा नहीं पाया है.

आप सभी की ओर से मैं रंगभेद के खिलाफ चलाये जाने वाले संघर्ष के हीरो महान योद्धा नेलसन मँडेला को अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ, जो नस्लवाद के खिलाफ जनता की घृणा और अफ्रीकी स्वाधीनता के प्रतीक बन गये हैं.

सोवियत रूस के शांति प्रस्तावों को लगातार अस्वीकार करने और ईरान के माध्यम से चोरी-चोरी निकंरागुआ के प्रतिक्रांतिकारियों को सैनिक साज-सामान भिजवाने के षड्यन्त्र के पर्दाफास होने से रीगन प्रशासन और उसके नीति-निर्माताओं की साख बहुत गिर गयी है. सोवियत रूस के शांति प्रस्तावों ने दुनियां को प्रभावित किया है और विश्व शांति आंदोलन इससे मजबूत हुआ है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 27वीं कांग्रेस में यह प्रश्न उठाया है कि क्या हमें दो समाज-व्यवस्थाओं के बीच युद्ध की अनिवार्यता को मान लेना चाहिए. अगर ऐसा मान लिया जाय तो इसका मतलब होगा कि बिना अणु-युद्ध के प्रगति करने की कोई संभावना नहीं है अर्थात् विश्व के विनाश से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इससे वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर सभी देश मिलकर सुरक्षा के लिए कोशिश करें तो दुनिया को नष्ट होने से बचाया जा सकता है. अब सोवियत संघ की विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की सर्व व्यापी व्यवस्था की नीव पर खड़ी है। इसका केंद्रीय विचार है अणु बम तथा दूसरे सामूहिक विनाश के अस्त्रों को नष्ट कर. देना अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी देश अगर इस प्रस्ताव को मान लें तो विश्व परिस्थिति में आमूल बदलाव आ सकता है, पर अमेरिका अपने "अन्तरिक्ष युद्ध पर योजना की तैयारियों में लगा हुआ है.

इसके बावजूद विश्व को परमाणु निःशस्त्रीकरण के रास्ते पर ले जाने के जोरदार कोशिशें जारी हैं। गत फरवरी में सोवियत रूस द्वारा यूरोप में दोनों पक्षों के मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को हटाने के प्रस्ताव को सारी दुनिया ने सराहा है। इन प्रस्तावों में यूरोप की जनता को यह आस्वासन दिया गया है कि शांति और सुरक्षा वास्तव में सुनिश्चित की जा सकती है। इसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों एशिया में भी अनुपातिक रूप से कम किया जा सकेगा और एशिया-प्रसान्त सागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मान ले तो परमाणु-हथियारों की कमी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और आगे प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने वर्ष 1986 को अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष घोषित किया था और इसके तत्वाधान में उस वर्ष बहुत से युद्ध विरोधी कार्यक्रम किए गए थे। स्वभावतः उक्त वर्ष की शांति चेतना और शांति आन्दोलन को सोवियत रूस द्वारा परमाणु परिक्षणों पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप बल मिला था और इससे यह पता चला था कि समाजवादी देश अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के आह्वान को कितनी गंभीरता से लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस आह्वान पर किसी साम्राज्यवादी सरकार ने कान न दिया और अमरीका अंतरिक्ष युद्ध की योजना बनाता रहा। करीब एक साल पहले सोवियत रूस ने एक योजना सामने रखी थी जिसके तहत मौजूदा परमाणु जखीरों को धीरे-धीरे नष्ट करने और नये परमाणु बम न बनाने का सुझाव दिया गया था। यह एक ठोस कदम था, जिसकी दुनिया भर के लोगों ने सराहना की, पर साम्राज्यवादियों ने इस पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी।

महत्वपूर्ण शांति पहल

शांति के लिए संघर्ष की दिशा में इस वर्ष के तीन महत्वपूर्ण घटनायें थीं : (1) परमाणु विहीन विश्व का सोवियत रूस का प्रस्ताव, (2) रेक्याविक शिखर वार्ता और (3) संयुक्त सोवियत-भारत दिल्ली घोषणा इनसे परमाणु-युद्ध को रोकने की सोवियत रूस की नई पहल, अमेरिका द्वारा किसी भी परमाणु युद्ध विरोधी ईमानदार कोशिश का विरोध और शांति के मुद्दे पर गुटनिरपेक्ष देश भारत और समाजवादी देश सोवियत रूस के बीच गहरी समझ का पता चलता है। दिल्ली घोषणा शांति और आजादी को बचाये रखने तथा हमलों और युद्ध पर रोक लगाने के काम में सोवियत रूस के साथ गुटनिरपेक्ष देशों के सहयोग का पता चलता है।

शांति के लिये किए जाने वाले इस अनवरत संघर्ष से, साम्राज्यवादियों की युद्धोंन्मादी मनसूबों के पर्दाफाश होने से कुछ नतीजे सामने आये हैं, कुछ लोगों के बिचार बदले हैं, नये संगठनों, और नये लोगों ने इस बारे में अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पर पुनर्विचार किया है और सोवियत रूस के शांति प्रस्तावों को समर्थन देने में अपनी झिझक पर उन्होंने विजय पायी है।

समाजवादी देशों में परिवर्तन

इन परिवर्तनों के साथ-साथ समाजवादी देशों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए है. ये देश विकास के एक नये स्तर पर पहुँच रहे हैं और समाजवादी जनतांत्रिक व्यवस्था में ध्यानाकर्षक परिवर्तन सामने आ रहे हैं. सोवियत अर्थ व्यवस्था में सक्रियता बढ़ी है और औद्योगिक तथा तकनीकी क्रांति के लाभ उठाते हुए समाजवादी उत्पादन प्रणाली का पूरा फायदा उठाने के लिए व्यवस्था और योजना में क्रांतिकारी शरिवर्तन किये गए हैं. सोवियत, कम्युनिस्ट पार्टी की 27वीं कांग्रेस और इसके बाद आयोजित फरवरी प्लेनम ने सोवियत समाज के विकास और समाजवादी व्यवस्था में उपलब्ध विकास की अभूतपूर्व संभावनाओं को उद्घाटित किया है।

समाजवादी चीन के नये आर्थिक सुधारों ने उत्पादक शक्तियों के तेज विकास का रास्ता खोल दिया है, जो अभी तक कठोर और परिवर्तन विहीन दृष्टिकोण के कारण अवरुद्ध था. यह जनसाधारण के जनतांत्रिक अधिकारों के दायरे को विस्तार दे रहा है और अपनी योजनाबद्ध प्रयासों की सफलता के समानान्तर समाजवादी जनतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. समाजवादी चीन इसके साथ-साथ बुर्जुआ उदारतावादी प्रवृत्तियों के प्रतिभा जागरूक है, जो जनतांत्रिक अधिकारों के विस्तार की आड़ में चीन की अर्थव्यवस्था और सर्वहारा जनतांत्रिक व्यवस्था को सही रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही है.

शांति आन्दोलन को मजबूत करो

युध्द के लगातार बढ़ते हुए खतरे, सोवियत रूस द्वारा इसके विरोध की महान कोशिशों और विश्व में बढ़ते हुए विराट शांति आन्दोलनों की भारत के मजदूर वर्ग से आशा है कि वे इस विश्व व्यापी, शांति आंदोलन में हिस्सा लेंगे और भारत में शांति आंदोलनों को मजबूत करेंगे. पिछले दिनों हमारी ट्रेड यूनियनें शांति के संदेश को प्रसारित करने की दिशा में काम किया है, पर अभी हमें बहुत कुछ करना है. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संरक्षण प्राप्त हमारे देश का शांति आंदोलन इतना कमजोर है कि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का काफी बड़ा हिस्सा और भारतीय मजदूर वर्ग पर परमाणु युद्ध के खतरों को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाये हैं. यह बड़े संतोष की बात है कि शांति आंदोलन को गहरा और व्यापक बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं और मजदूर किसान तथा दूसरे तवकों को इन कार्यक्रमों में शामिल किये जाने

की दिशा में सक्रियता बढ़ रही है. शांति के संदेश को मजदूरों, किसानों तथा दूसरे तबकों के सामूहिक संगठनों तक पहुँचाने के काम में सीटू निश्चय ही अपनी ही भूमिका अदा करेगी. हमारा यह सम्मेलन निश्चय ही सभी ट्रेड यूनियनों से यह मांग करेगा कि वे इस शांति आंदोलनों के महत्वपूर्ण काम को एक शक्तिशाली, संघर्षशील और सर्वव्यापी आंदोलन के रूप में पूरे भारत में फैलाने में जुट जायेंगे.

सूखे के खिलाफ संघर्ष करो

साथियों, इसके पहले कि मैं अपने सामने खड़ी समस्याओं पर बात करूं, मुझे निश्चय ही महाराष्ट्र में व्याप्त सूखे की परिस्थितियों की ओर अपना ध्यान आकर्शित करना उचित लगता है. लाखों-लाख किसान सूखे और अकाल से पीड़ित होकर अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. सूखा और अकाल इस प्रदेश की एक समस्या बन गये हैं, जिनसे ग्रामीण जनता को भुखमरी का शिकार होना पड़ रहा है. खबर मिली है कि किसान अपने बच्चों तक को थोड़े से रुपयों के एवज में बेच रहे हैं. उड़ीसा से भी भुखमरी से हुई मौतों के समाचार मिले हैं.

महाराष्ट्र में सूखा और अकाल आंशिक रूप से वर्गीय कारनामा है । जनता को पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि पूँजीवादी गन्ना सेठ जीतहार, जो तथाकथित सहकारी चीनी मिलों के भी मालिक हैं, बड़े पैमाने पर लगातार पानी की डकैती करते आ रहे हैं । यहां न केवल धन और पूँजी का एकाधिकार है, बल्कि भूगत जल संसाधनों का भी एकाधिकार है.

आप सभी की ओर से मैं सूखे तथा अकाल से प्रभावित किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति तथा एक जुटता प्रकट करता हूँ. हमारे सम्मेलन को केंद्र तथा राज्य सरकारों से अकाल पीड़ित किसानों के लिए पर्याप्त सहायता की निश्चय ही माँग करनी चाहिए. कांग्रेस (आई) सरकार के उन झूठे दानों का यह सूखा और अकाल पूरी पर्दाफाँस कर देते हैं. जिनका कुछ विदेशी पत्रकार जानकारी के अभाव में ढिंढोरा पीटते रहते हैं.

प्रगति के झूठे दावे

भारत सरकार द्वारा किए गए माल के आर्थिक सर्वेक्षण में स्वस्थ औद्योगिक प्रगति के दावे किये गए हैं, पर सचाई पर पर्दा डालने में ये दावे असमर्थ हैं. औद्योगिक बीमारी अब एक अंतहीन प्रक्रिया बन गयी है, जिससे परंपरागत बड़े उद्योग और आधुनिक कम्पनियां दोनों प्रभावित हो रही हैं. सर्वेक्षण के अनुसार बीमार उद्योग चिंता का सबसे बड़ा विषय है. कोई आश्चर्य नहीं कि दिसम्बर 1985 के अंततक वाणिज्य बैंकों के कर्जदार बीमार औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1 लाख 19 हजार 6 सौ 6 थी, जिनको 4207,93 करोड़ रुपयों का कर्ज दिया जा चुका था. मार्च से नबम्बर 1986 के बीच औद्योगिक मजदूरों के मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 7.8% थी. मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त 1986 में घट कर 4% हो गयी थी, जो अक्टूबर 1986 तक 7.1% हो गई और जनवरी 1987 में 6.1% सर्वेक्षण में मूल्य दर की स्थिति को विशेष चिंता का विषय माना गया है. सर्वेक्षण में इस तथ्य की ओर भी विशेष ध्यान दिलाया गया है कि पुराने ऋणों पर ऋण-सेवा-भार बढ़ता जा रहा है.

सर्वेक्षण के अनुसार 1986-87 में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि पर उससे पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 0.6% अधिक है. यद्यपि 1986-87 में खाद्यान्न उत्पादन 1515 लाख टन अर्थात् 1985-86 की तुलना में 10 लाख टन ज्यादा है, यह 1983-84 के 1523.7 लाख टन की अपेक्षा कम है.

आम आदमी पर नये हमले

राजीव गांधी के हाल के बजट में आम आदमी के जीवन स्तर पर नये हमलों के आसार साफ हैं. 8000 करोड़ के घाटे के प्रावधान से तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण आम आदमी की तबाही बढ़ेगी. आयात शर्तों को उदार बनाने की नीति और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुले प्रवेश से कई भारतीय उद्योग जिनमें पूँजी माल उद्योग (कैपिटल गुडस इंडस्ट्री) भी शामिल हैं, चौपट होने वाले हैं. इस वर्ष बेरोजगारी की समस्या बहुत भयंकर रूप धारण करने वाली है और भारत सरकार की इस घोषणा के बावजूद कि उसने करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है, ग्रामीण जनसंख्या के बड़े से बड़े हिस्से भयानक गरीबी और दरिद्रता की चपेट में आने वाले हैं.

विश्व बैंक की दादागीरी

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अस्थिर करने की राजीव गांधी की नयी आर्थिक नीति, विदेशों से खुली स्पर्धा और आयात नीतियों को उदार बनाने के कारण न केवल जनसाधारण की दुर्दशा का अन्त नहीं है, बल्कि अर्थ व्यवस्था तथा राष्ट्रीय योजना की आत्मनिर्भता कमजोर हो रही है और अर्थ व्यवस्था का निजी एकाधिकारी पूँजी द्वारा लगातार शोषण का रास्ता खोला जा रहा है. पर विश्व बैंक अभी भी सन्तुष्ट नहीं है और अर्थ-व्यवस्था के पूरापूरी अनियमन, नियंत्रण की समाप्ति, एकाधिकारी पूँजी के लिए खुली छूट, छोटे उद्यमों के विनाश और मजदूरों की छंटनी आदि की माँग कर रहा है. दिसम्बर 1986 में प्रकाशित औद्योगिक नियमन अध्ययन सम्बन्धी इसकी रिपोर्ट में निम्नलिखित मांगे की गई हैं : "क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस की

बाधाओं की तुरन्त समाप्ति, क्षमता लाइसेंस-प्रदान के तहत उद्योगों की संख्या को सीमित करना, विदेशी लाइसेंस और विदेशी प्रौद्योगिकी का लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया का सारलीकरण फर्म व्यवहार और सीमित व्यापार पद्धति पर ध्यान केंद्रित करना और व्यक्तिगत कंपनियों के आकार के बारे में कमतर चिंता—औद्योगिक बाजार की ये कुछ ढाँचागत विशेषताएं हैं. लघु उद्योगों को आरक्षण देने की नीति से में बदलाव छोटी कंपनियों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार में मदद देना. छटनी की कारवाईयों अतिरिक्त तीव्रता प्रदान करना, ऋण देने के अपेक्षाकृत अधिक कठोर दिशा-निर्देश के सदर्भ में परिसंपति के स्थानान्तरण और श्रमिकों के पुनर्नियोग (अनिवार्य क्षतिपूर्ति के साथ), बीमार इकाइयों के अधिग्रहण से बचने के सरकारी वचन बद्धता को पूरी तौर पर लागू करना, औद्योगिक मूल्यों को क्रमशः नियंत्रण के बाहर करना निवेश की नमी परिकल्पनाओं और स्पर्द्धात्मक व्यवहार पर मूल्यों के नियंत्रण के प्रभाव पर दृष्टि केन्द्रित करना. इसके साथ ही आयात के क्षेत्र में और अधिक स्पर्द्धा को बढावा देना और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और आर्थिक नीति में सुधार की भी आवश्यकता है.'

इससे जाहिर है कि राजीव सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ विश्वबैंक में उपरोक्त मांगों के साथ तालमेल रखकर विकसित की जा रही हैं. इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह पश्चिमी देशों की मदद पर निर्भर कर देना और निजी एकाधिकारी पूंजीपतियों की जंजीरों में बाँध कर इसे परवश कर देना.

गत फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीपतियों की एक सभा में दिये गये राजीव गाँधी के वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिकी के आयात से सम्बन्धित जो सावधानी पहले बरती जा रही थी उसे अब धीरे-धीरे छोड़ा जा रहा है और उन्नत प्रयोद्यिगिकी ने व्यवहार के नाम पर विदेशी इक्विटी पूंजी का स्वागत किया जा रहा है.

नयी आर्थिक नीतियों का विरोध करो

सीटू तथा मजदूर वर्ग को अपनी आर्थिक लड़ाई चलाते रहना है और हमारी अर्थ व्यवस्था की आत्मनिर्भरता पर कुठाराघात करने वाली नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है. सभी को मालूम है कि यह सीटू ही थी जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में राजीव गांधी की नीतियों का पर्दाफाश करने की दिशा में पहल कदमी की थी. इस प्रभावी भंडाफोड़ से सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की 21 जनवरी की हड़ताल हुई जिसमें बीस लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया और सरकार की इन प्रतिक्रियावादी नीतियों की वापसी की मांग की. इस हड़ताल द्वारा मजदूर वर्ग ने नयी आर्थिक नीति के खतरनाक चरित्र के बारे में जनता को अगाह किया और भारत की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की आत्मनिर्भरता की सुरक्षा के लिए उनका आह्वान किया.

हमारे मजदूर वर्ग ने अपनी रोजी-रोटी पर हुए हमलों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी। कम्प्यूटरीकरण के खतरे के खिलाफ हमारे मध्यवर्ग के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी है. अनेक प्रान्तों के लाखों सरकारी कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़वाने के लिए सफल हड़तालें और संघर्ष किये हैं. गत तीन वर्षों में हमारे देश के औद्योगिक मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भारी उत्पीड़न, जेल लाठी और गोली का मिला सहना पड़ा है. बहुत से मामलों में छटनी के हमले के हशकार हमारी महिला श्रमिक हुई हैं. कोयला उत्खन तम्बाकू उद्योग तथा दूसरे उद्योगों में सैकड़ों-हजारों महिला श्रमिकों की छंटनी हुई है. कारखाना मजदूरों ने महीनों चलने वाली तालाबन्दी का सामना किया है. अकेले बम्बई शहर मे पिछली हड़ताल के बाद बेरोजगार हुए पचास हजार कपड़ा मिल मजदूर सड़कों पर घूम रहे हैं. इस काल में ट्रेड यूनियन संघर्ष ने अत्यन्त कठोर लड़ाई का रूप ले लिया है और मजदूर वर्ग तथा उनके परिवारों को भयानक कठिनाइयाँ सहनी जड़ रही हैं.

बेरोजगारी की भयानक समस्या

साथियो, गत तीन वर्षों में बेरोजगारी की समस्या ने बहुत भयानक रूप धारण कर लिया है. और अगर ट्रेड यूनियन आंदोलन इस स्थिति को गंभीरता से नहीं लेता तथा ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रों के बेरोजगारों को संगठित नहीं करता तो मजदूर वर्ग की एकता भंग हो जायेगी और उसे इतना नुकसान उठाना पड़ेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज शहरों के रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या तकरीबन तीन करोड़ हो गई है. किसी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के परिमाण का लेखा जोखा लेने की कोशिश नहीं की है जो अनुमानतः पांच से सात करोड़ की बीच होगी, सरकार द्वारा चलायी गयी ग्रामीण रोजगारी गारन्टी स्कीम तथा अन्य कदमों के बावजूद. भारत एक ऐसा देश है जहाँ दस करोड़ से अधिक जनता की उत्पादन क्षमता का उपयोग जनता की प्रगति और अर्थ व्यवस्था की प्रगति के हित में नहीं किया जा रहा है. और ये दस करोड़ लोग साफ-सुथरी जिन्दगी से मेहरूम होकर समाज के कचड़े के समान उठाकर फेंक दिए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना मे बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए और घटाने के लिए कोई व्यावहारिक नीति नहीं अपनाई

गयी हैं इसमें वही कार्य नीति अपनायी गयी हैं इसमें वही कार्य नीति अपनायी गयी है जिसका गुणगान छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है अर्थात् किसी क्षेत्र में अधिक रोजगार पाने पर निर्भर करना और पारम्परिक उद्योगों पर निर्भर करना, जो नष्ट हो रहे हैं एक बार फिर रोजगार का मुख्य श्रोत कृषि को माना गया है जिसमें पहले से ही भीड़ भाड़ है. यह और कुछ नहा जनता को धोखा देना है. सभी को मालूम है कि श्रमिक वर्ग के बड़े हिस्सों को कृषि से उद्योग में खींच लाना जरूरी है और औद्योगिक विकास की गति को तेज करना अत्यन्त आवश्यक है पर वर्तमान योजना में यह संभव नहीं है. ग्रामीण बेरोजगारी की यातना को कम करने की दिशा में तथा कथित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार-कार्यक्रम की उपलब्धियाँ कुछ भी नहीं हैं.

हमारे नियोजकों का दावा है कि न केवल वे मजदूर बाजार में आने वाले हर नये हाथ को काम देंगे बल्कि पहले से बेरोजगार लोगों को भी, जिनकी संख्या 93 लाख रहते हैं, रोजगार देंगे. हालाँकि शहरों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब तीन करोड़ तक पहुंच गयी है. उनका दावा है कि वे मजदूर बाजार में आने वाले 3.8 करोड़ मजदूरों को काम देंगे और छठी पंचवर्षीय योजना से बचे हुए नब्बे लाख बेरोजगारों को भी काम देंगे. यह तखमीना उन्होंने अगले पाँच वर्षों तक पाँच प्रतिशत जी. डी. पी. के विकास दर के अनमान के आधार पर किया है, जबकि पहले कभी यह विकासदर वे प्राप्त कर सके. उनका यह वादा और कुछ नहीं आंकड़ों की फैंटेसी है. इस वादे की अयथार्थता गत दो वर्षों में ही साबित हो चुकी है जबकि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में इजाफा हुआ है.

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है और योजना-काल में और अधिक बढ़ेगी. एक परिमित अनुमान के अनुसार "शिक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों में 1985-90 के बीच 1.06 करोड़ की वृद्धि होगी. 1985 के आरम्भ में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 47 लाख भी जिसमें 35 लाख मैट्रिक और हायरसेकेंडरी पास थे जबकि 12 लाख ग्रेजुएट और उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त थे. कमीशन की टिप्पणी है कि अगर शिक्षित बेरोजगारी स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकना है तो इस योजना के दौरान 94 लाख नई नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी. क्या बेरोजगारी की इस दर को नियंत्रित करने के सीमित उद्देश्य को प्राप्त करने की कोई संभावना है? हमारे नियोजक नौकरियों के संदेहास्पद स्रोतों पर निर्भर करते हैं. आयोग का कहना है कि "मैट्रिक और हायर सेकेंडरी पास लोगोंऔर इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त लोगो के लिए नौकरियां संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों से प्राप्त होगी जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए मुख्यतः उद्योगों बैंक सेवाओं यातायात संचार तथा सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त होगी. देखने की बात है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के मुख्य स्रोत हैं—पुराने उद्योग जो नष्ट हो रहे हैं, नये उद्योग जिनमें नौकरियों की संख्या पुराने उद्योगों की तुलना में हजारों की संख्या में कम हैं, बक-सेवा और संचार सेवा, जहां कम्प्यूटरों के लगाये जाने से हजारों की संख्या में नौकरियाँ समाप्त कर दी गई हैं. उन्हें नब्बे लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुहैया करने हैं. इसके अलावा नई शिक्षा-नीति द्वारा, जिसके अनौपचारिक रूप से तथा शिक्षा को रोजगार के अवसरों से विच्छिन करने की नीति से और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन न देने से हजारों नौकरियों से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा.

गंभीर परिस्थिति

परिस्थिति की गंभीरता का पता एक इसी तथ्य से चल जायेगा कि 1975 से 1981 के बीच जब आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की वार्षिक विकास पर 2.3% थी. इसके विपरीत अगस्त 1981 से अगस्त 1982 1 वर्ष के दौरान पंजीकृत बेरोजगारी थी दर 14% थी. एक वर्ष में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1.72 करोड़ से बढ़ कर 1.9 करोड़ हो गयी थी. तब से विकास-दरों और बेरोजगारी-दरों का अनुपात और ज्यादा बहतर हुआ है.

चुनौती स्वीकार करो

साथियों, अभी भी हमारी ट्रेड यूनियनें बेरोजगारी की भयानकता की चुनौती को ठीक-ठीक नहीं परखा है. वे अकसर मिल बंदी और छंटनी से उत्पन्न बेरोजगारी तक ही अपनी समझ को सीमित रखते हैं. जो बात हम नहीं देख पाते वह यह है कि मजदूर बाजार में जो नये मजदूर आ रहे हैं उनको कोई भी उत्पादन-कार्य उपलब्ध नहीं हैं। इन नये मजदूरों ने अभी भी किसी फैक्ट्री या कारखाने का मुंह नहीं देखा है. उनमें मजदूर वर्ग की एक जुटता और संगठन का भी अभाव है. इस परिस्थिति में ट्रेड यूनियन आंदोलन इनके साथ अपने को नहीं जोड़ता है तो संघर्ष के दौरान इन नये मजदूरों का इस्तेमाल करके मजदूर-वर्ग की एकता को भंग किया जा सकता है.

जो लोग बारोजगार हैं वे मजदूर, किसान अथवा मध्यम-वर्ग के नौजवानों के सामने बेरोजगारी की जो भयानक परिस्थिति है उसका अन्दाजा नहीं लगा पाते. समाज के लिए उत्पादन कार्य में जुड़ने की उन युवकों में जो लालसा होती है उसकी हत्या कर दी जाती है और उससे कह दिया जाता है कि

वह समाज के किसी काम का नहीं है. उसे अपने बूढ़े माता-पिता द्वारा कमाये हुए वेतन के सहारे अपनी यातनाप्रद जिन्दगी काटनी पड़ती है, जहां प्राय: भुखमरी की-सी परिस्थिति बनी रहती हैं. यह सोचना कितना भयावह है कि ये नौजवान साम्प्रदायिक और फिरकापरस्त ताकतों के शिकार बनें या अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए तरह-तरह के जुर्म करें. शासक-वर्ग इस परिस्थिति का फायदा उठा रहा है और मजदूर-वर्ग के एक हिस्से के अन्दर क्षेत्रीयतावादी तथा फिरकापरस्त भावनाएं उभार रहा है। बेरोजगारी की गंभीर समस्या की तरफ से ध्यान हटाने का सबसे आसान तरीका आरक्षण का खेल खेलना और गलत उम्मीदें जगाते जाना. अगर मजदूर वर्ग का आन्दोलन बेरोजगारी की समस्या के प्रति लापरवाह रहेगा तो यह स्थायी रूप से बेरोजगार मजदूरों का आन्दोलन बनकर रह जायेगा और मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता खो देगा और मजदूर वर्ग की एकता को भंग करने की शासक वर्गों की साजिश को मदद पहुंचायेगा.

बेरोजगारी के खिलाफ आगे बढ़ो

हमारा यह सम्मेलन अपनी ट्रेड यूनियनों का आह्वान करता है कि वे बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और बेरोजगारों के साथ मिलकर काम करें और एकता सभाएं संगठित करें। समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन को निश्चित रूप से यह मांग करनी चाहिए कि औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को बेरोजगारी राहत दी जाय और रोजगार के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों में सबसे ऊपर रखा जाय. मतभेदों के बावजूद देश के समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को रोजगार के अधिकार तथा राहत के अधिकार के पक्ष में एकजुट किया जा सकता है. मैं समझता हूं कि सीटू को चाहिए कि वह अपनी वर्किंग कमेटी के साथ कृषि-मजदूर संगठनों की वर्किंग कमेटियों की एक संयुक्त बैठक करे और प्रत्येक राज्य की राजधानी से बहुत बड़ी संख्या में भारत की राजधानी दिल्ली तक बेरोजगारी I मार्च कराने पर विचार करें. इसके लिए नेशनल कम्पेन कमेटी तथा इसमें रुचि लेने वाले संगठनों द्वारा संयुक्त आह्वान जारी किया जाना चाहिए जिससे कि रोजगार के अधिकार तथा फौरन राहत देने के अधिकार की मांग करने वाले इस मार्च में समूचे मजदूर-वर्ग तथा ग्रामीण मजदूर-वर्ग चाहे वे बेरोजगार हों अथवा बारोजगार सभी की इसमें शिरकत हो.

नयी परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी

साथियो, कानपुर सम्मेलन से अब तक के अपने कार्यकलापों और गतिविधियों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए. न केवल हमने जिन संघर्षों की अगुआयी की उनके परिप्रेक्ष में बल्कि इस बात के लिए भी कि क्या हमारी राज्य कमेटियों ने और हमारे ट्रेड-यूनियन नेताओं ने हमारे आन्दोलन के लिए जरूरी पूर्णमूल्यांकन करके नयी समझ बनायी है। यह एक सचाई है कि मजदूर वर्ग के महान उभार और प्रतिरोध तथा हमारे नेतृत्व में हुए बड़े संघर्षों के बावजूद हमने जो बलिदान किए हैं और हमारा जो असर है उसके अनुरूप न तो हमारे संगठनों की सदस्यता बढ़ी है और न हम संकट के तले पिसते मजदूरों की भयानक स्थिति में कोई खास राहत ही ला सके हैं. इसके विपरीत ऐसे उदाहरण मिले हैं कि कमजोर इलाकों में सुधारवादी नेताओं ने बहुत बड़े जन-कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है और हम अकेले पड़ गये हैं. ये सब इसलिए हो रहा है कि हम ट्रेड यूनियनों के काम को करने के अपने परम्परागत तौर-तरीकों को नहीं छोड़ पाये हैं. हमारी इन कमजोरियों की तरफ बार-बार इशारा किया गया है पर अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने का हमारा रवैया काफी ढीला ढाला और धीमा है. ये कमजोरियां यूनियनों के भीतर प्रर्याप्त जनवादी तरीके से काम करने की कमी के रूप में सामने आती हैं जिससे आम मजदूर को नीति-निर्धारण के काम में पूरी सजगता और ताकत के साथ भाग लेने में बाधा पहुंचती है. नतीजा यह होता है कि हमारी यूनियन हर समय आम मजदूरों के सम्पर्क में नहीं रह पाती और उनकी सदस्यता सीमित हो जाती है. हमारी दूसरी कमजोरी यह है कि हम अस्थायी और महिला मजदूरों की मांगों और तकलीफों को पूरी तरह ध्यान में रखने में असमर्थ होते हैं और अपने को स्थायी मजदूरों के हितों की रक्षा की कार्रवाइयों में ही अपने को सीमित कर देते हैं. हमारी कार्यप्रणाली की एक सबसे खतरनाक कमजोरी यह है कि हम अल्पसंख्यक मुस्लिम और दबी हुई जातियों के मजदूरों के हितों का एकदम ध्यान नहीं करते. हम सभी जानते हैं कि उन पर बिना विशेष ध्यान दिए और साझा संघर्षों में इन तबकों को खींचे बिना फिरकापरस्त ताकतों को हम असली चोट नहीं पहुंचा सकते हैं. फिर भी हम अपनी रिपोर्ट में इस गतिविधि का कोई जिक्र नही पाते.

इसी प्रकार असंगठित उद्योगों के मजदूरों और कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने की हम उपेक्षा कर रहे हैं. यही कारण है कि इस सम्मेलन में हम कामकाजी महिलाओं से संबंधित सवालों और समस्याओं पर आधे दिन की एक बैठक करेंगे मुझे उम्मीद है कि सभी प्रतिनिधि इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और इस बारे में असरदार कार्रवाई करेंगे.

ट्रेड-यूनियनों पर नये हमले

साथियो, ऐसा लगता है कि शासक-वर्ग और उनकी सरकार

को ट्रेड-यूनियन आन्दोलन को दबाये रखने के लिए उनके पास जो भी दमनकारी हथियार हैं उनसे उन्हें संतोष नहीं है. केन्द्रीय सरकार एक नया कानून बनाकर एक नए हमले की योजना बना रही है. इस कानून में लड़ाकू ट्रेड-यूनियनों के विकास को रोक देने या सीमित करने, मालिकों के पक्षवाली यूनियनों को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त परिस्थितियाँ तैयार करना हड़ताल करने के मजदूर के अधिकार पर रोक लगाना और अपना प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन चुनने के मजदूर के अधिकार को समाप्त करना आदि शामिल हैं. सीटू की इस माँग को कि फैक्टरियों में मजदूरों के गुप्त मतदान द्वारा ट्रेड-यूनियनों को मान्यता दी जाये, सरकार ने नामंजूर कर दिया है. कारण स्पष्ट है, प्रबंधकों द्वारा पोषित यूनियन पर ज्यादातर मजदूरों का विश्वास नहीं होगा. ट्रेड-यूनियनों और नेशनल कंपेन कमेटी ने उपरोक्त प्रस्तावित कानून के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है, हमारी हरचंद कोशिश होनी चाहिए कि इस सरकार पर दवाव डाल कर इस काले कानून को पास करने की उसकी कोशिश को नाकाम कर दे.

मजदूरों की हिस्सेदारी की झूठी स्कीम

साथिय, अक्सर ट्रेड यूनियन आंदोलन और मजदूर वर्ग पर आरोप लगाया जाता है कि अपने अधिकारों और जीवनस्तर पर हमलों से अपनी सुरक्षा करते समय वे केवल अपना स्वार्थ—साधन करते हैं? मजदूरों के हौसले पस्त करने और दूसरे तबकों के लोगों को उनके खिलाफ करने का यह एक प्रचार है। कारण यह है कि सिर्फ मजदूर वर्ग और उनका ट्रेड यूनियन आंदोलन ही मालिकान और सरकार के हमलों का कड़ा प्रतिरोध करने में सक्षम होते हैं। उनके संघर्षों और संगठनों ने ही जनवादी जनता में पहले से अधिक आत्मविश्वास भरा है। जहां तक मजदूर वर्ग का सवाल है इसने हमेशा उत्पादन के प्रति अपने सामाजिक कर्त्तव्य का पालन करने के लिए प्रस्तुत रहाहै। सीटू ने बराबर उत्पादन को संगठित करने और उत्पादन प्रबंधक की जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी इच्छा और रजामंदी का इजहार किया है, बशर्ते कि मजदूरों को प्रबंधकों के बराबर का दर्जा दिया जाय, और कच्चे माल की खरीद, वित्त व्यवस्था ऋण आदि से संबंधित कागजात उनके सामने पेश किये जाय। न तो सरकार ने और न ही मालिकान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई रजामंदी दिखाई है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी की एक झूठी स्कीम पेश की है जिसे सीटू ने नामजूर कर दिया है।

साथियों, ट्रेड यूनियन एकता के लिए किये जाने वाले लगातार संघर्षों के लिए, अक्सर बहुत ही कठिन तथा उकसाने की परिस्थितियों में, मैं हमारी सभी राज्य कमेटियों और यूनियनों को बधाई देता हूं। विभिन्न राज्यों और यूनियनों से हमारे केंद्रीय कार्यालय में प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि किस तरह अनेक स्थानों पर अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी एकता बनाये रखी है। पर कुल मिलाकर गत तीन वर्षों में हमारी लगातार कोशिशों से, हमारे भागीदारों और मजदूरों में बढ़ती हुई एकता की भावना से ट्रेड यूनियन एकता बढ़ी है, शक्ति शाली हुई है और दूसरे तबको तक फैल रही है।

साथियो, यह जानकर हमें संतोष हुआ है कि एकता की भावना बढ़ी है और शक्तिशाली हुई है, पर हमारे पास आत्म-मुग्ध होने का कोई कारण नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कोशिशो और हमारे साथियो और भागीदारो की सहयोगिता के बावजूद मजदूर वर्ग की मिली-जुली ताकत भी आर्थिक हमलो का मुँह नहीं मोड़ पाई है। हमारी तमाम कार्रवाइयो से जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरो की हड़ताल सबसे महत्वपूर्ण है—और दूसरों विरोध की कार्रवाइयों से भी सरकार की नीतियों पर कोई असर नही पड़ रहा है। हमारी साझा कार्रवाइयो से ही हम वह शक्ति तथा सामर्थ्य अर्जित कर सकते हैं जिसका आदर सरकार को करना पड़ेगा पर इस तरह की शक्ति के निर्माण से हम अभी कोसों दूर हैं। अतएव हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कुछ भी उठा न रखना चाहिए और हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए।

अतएव पिछले कुछ बर्षो में हुए परिबर्तनों का हमें अध्ययन करना चाहिए और एकता की बढ़ती हुई भावना के अनुरूप संगठनात्मक कदम उठाने चाहिए।

ट्रेड यूनियन एकता की समस्या

नेशनल कम्पेन कम्पेटी ने अपने गत कई वर्षों के अस्त्वि में ट्रेड यूनियन आंदोलन को संगठित करके और मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है पर इसकी एकता मुख्यतः छः केन्द्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्रों की अगुवाई और नेतृत्व पर निर्भर है। बड़े फेडरेशन जिनमें तो कुछ नेशनल कम्पेन कमेटी के घटकों से काफी बड़े हैं उन्हें नेशनल कम्पेन कमेटी की गतिविधियों में विशेष आमंत्रित कादजी प्राप्त है। वे हमारे पूर्ण सदस्य नहीं है। यही कारण है कि पिछले दिनों किये गये कुछ बड़े संघर्ष नेशनल कम्पेन कमेटी से स्वतन्त्र रूप में आयोजित हुए और नेशनल कम्पेन कमेटी की इसमें कोई खास भूमिका न थी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार के अराजपत्रित कर्मचारियों ने बड़ी हड़ताल की जिनमें लाखो कर्मचारियो ने हिस्सा लिया, नेशनल कम्पेन कमेटी से पूरी तरह स्वतंत्र रूप में

संगठन हुआ और जोरदार संघर्ष हुए। जिन साझा संगठनों के ये कर्मचारी सदस्य है वे भी नेशनल कम्पेन कमेटी की बैठको में आमंत्रित की हैसियत से हिस्सा लेते है। इसका मतलब यह है कि नेशनल कम्पेन कमेटी लाखों मजदूरों और कर्मचारियो की सामूहिक गतिबिधियो को संगठित करने, समन्वित करने, समन्वित सामूहिक गतिधियो को संगठित करने की क्षमता नहीं रखती। अब समय आ गया है कि हम एक ऐसे संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करें जो बढ़ते हुए संघर्षों का नेतृत्व करने की क्षमता इस कमेटी को प्रदान कर सके.

ऐसा सोचना यथार्थ से आंखें चुराना होगी, कि, जो बड़े सामूहिक संगठन इस समय हमारी कमेटी में आमंत्रित की हैसियत रखते हैं, हमेशा इसने संतुष्ट रहेंगे। इनमें से कुछ संगठनो में हमारी कमेटी में, उनकी इस अपत्तिजनक हैसियत के बारे में आवज उठ रही है और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब नेशनल कम्पेन कमेटी के निर्णय में उनकी भागीदारी नहीं है, तो वे उसके आह्वान पर आगे क्यो आये? जो भी हो, मुख्य निर्णय लेने की क्षमता थोड़े से संगठनो के हाथो में रहना ट्रेड यूनियन एकता की बढ़ती हुई भावना के लिए नुकसानदेह ही साबित होगा. अतएव यह आवश्यक है कि नेशनल कम्पेन कमेटी संगठन को स्थिति की आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाय.

आज भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने वास्तविक समस्या यह है कि कैसे उन सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रो और फेडरेशनो को एक साथ लाया जाय. जिनके राजनीतिक दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि अलग अलग हैं. जिनके अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाएं और खुद ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं. यह हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन पर पूंजीवादी प्रभाव और हमारी पुरानी ओपनिवेशिक काल का असर है जो इसे आर्थिक सवालो तक ही सीमित रखना चाहता है। यह एक ध्यान देने लायक तथ्य है कि फैक्ट्री मजदूरो और मध्यवित्र कर्मचारियो का कोई साझा संगठन आज भी नहीं बन पाया है. यह भी ध्यान देने की बात है कि मध्यवित्त वर्ग कर्मचारियो के विभिन्न हिस्सो का भी कोई साझा संगठन नहीं है.

महासंघ (कनफेडरेशन) बनाने की मांग

ट्रेड यूनियन आंदोलन की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और कुछ मामलों में अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोणों को मद्दे-नजर रखते हुए बहुत पहले सीटू ने सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्रों ओर फैडरेशनों के महासंघ के निर्माण का सुझाव किया था, जिसमें श्रम तथा आर्थिक नीतियों के बारे में खुल कर बातचीत की जा सके और सर्वसम्मत निर्णय लिये जा सके। इस समय उक्त महासंघ बनाने के अपने प्रस्ताव को हमें फिर से दुहराने चाहिये और पूरी ताकत के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति का निर्णय लेना चाहिए। नेशनल कम्पेन कमेटी के तुरन्त पुनर्गठन तथा विस्तार का कदम उठाने के लिए तथा सभी ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों को एक महासंघ में शामिल करने के दृढ़ उद्देश्य के लिए हमें कदम उठाना चाहिये जो मजदूर वर्ग के फोरी हितों के लिए पूर्णतया आवश्यक है। बल्कि भारतीय अर्थ व्यवस्था और इसकी स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता की रक्षा तथा इसे विपरीत जाने वाली और इसको नष्ट करने वाली कांग्रेस (आई) सरकार की आर्थिक नीतियों से इसकी रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है. इस बात के प्रमाणों की कोई कमी नहीं है कि कर्मचारियों और मजदूरों की तरफ से बड़े से बड़े सामूहिक प्रतिरोध सामने आ रहे हैं. अगर ट्रेड यूनियन आन्दोलन बढ़ते हुए असन्तोष को एक जुट करने की अपनी प्रारम्भिक जिम्मेदारी को पूरी कर ले, तो भारत का समूचा मजदूर वर्ग एकजुट सामूहिक कार्यवाही की दिशा में आगे बढ़ जायेगा। मजदूर वर्ग की इस महान एकता के लिए सीटू को पूरी ताकत से काम करना चाहिए। मजदूर वर्ग की यह महान एकता ही राष्ट्रविरोधी फिरकापरस्त ताकतों तथा भारत सरकार की नयी आर्थिक नीतियों की चुनौती का सामना करने और हमारे देश की जनता के हितों व राष्ट्रीय एकता के हित में काम करने में सक्षम है.

किसानों के साथ एकजुटता

साथियों, सीटू और इसकी यूनियनों को हमारे ट्रेड यूनियन आन्दोलन की बड़ी कमजोरी पर भी दुबारा ध्यान देना चाहिए. वह यह है कि न केवल यह किसानों तथा कृषि-मजदूरों के प्रति उदासीनता बरतती हैं, बल्कि उनके प्रति पूरी तरह लापरवाह हैं. एक या दो राज्यों को छोड़कर किसान वर्ग का सवाल और कार्रबाई के समय उनके साथ एक जुटता की ओर मुश्किल से ही कोई यूनियन ध्यान देती है. यह ऐसा भटकाव है जो ट्रेड यूनियनों को किसानों की आधारभूत सहायना काट देता है और शासक वर्गो को इन दोनों के बीच दरार पैदा करने में सक्षम बनाता है. किसानों अछूतों तथा आदिवासियों के बड़े हिस्सों पर ढाए जाते अनमिनत जुल्मों की तरफ शायद ही कभी संगठित मजदूरों का ध्यान जाता है. शायद ही कभी इन जुल्मों के विरोध में मजदूर लोग हड़ताल करते हैं. इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर मजदूर वर्ग का आंदोलन किसानों के साथ नजदीकी रिश्ता जोड़कर काम नहीं करता और इन्हें कुचलने वाले हमलों से इनकी रक्षा नहीं करता तो समाजवाद, जनवाद और मजदूर वर्ग की प्रगति की बाते सिर्फ बाते ही रह जायेगी.

अल्पमत की रक्षा करो

साथियो, अनेक स्थानों पर मुस्लिम अल्प संख्यकों की रक्षा से संबंधित हमारी कमजोरियाँ सामने आई हैं। महाराष्ट्र में तथा दूसरे राज्य में श्रीमती गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिक्ख विरोधी-दंगो में मजदूर वर्ग हस्तक्षेप नहीं कर सका था. प्रति क्रांतिकारियो को खुली छूट मिली हुईथी.केवल पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा में मजदूर वर्ग का आंदोलन हस्तक्षेप कर सका था और साम्प्रदायिक शक्तियों को रोक सका था। हमारी कमजोरियों के कारण ही साम्प्रदायिक ताकतें सिर उठा सकी है, जैसे बम्बई की शिव-सेना, जिसकी गतिविधियों के खिलाफ राज्य-विधान सभा में सभी दलों ने विरोध प्रकट किया था। साम्प्रदायिक आधार पर मजदूर वर्ग तथा जनता का विभाजन साम्राज्यवादियों के हितों का पोषण करता है. हमारी ट्रेड यूनियन आंदोलन का यह न्यूनतम कर्त्तव्य है कि वह सांप्रदायिकता के इस जहर से संघर्ष करे और कथनी तथा करनी दोनों में यह आश्वासन दे कि मजदूरवर्ग का आंदोलन अपने पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण अल्पसंख्यको के अधिकारो की गारंटी करता है और यह भी गारंटी करता है कि सभी प्रकार के अन्याय से उनकी रक्षा करेगा.

विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करों

साथियों, कानपुर सम्मेलन के बाद के तीन वर्षों में हमने हमारे देश में साम्राज्यवादियों के साजिशपूर्ण गतिविधियों मेंभारी तेजी देखा गया है. इंदिरा गाँधीकी हत्या और उसके बाद विघटन कारी, और सांप्रदायिक ताकतों के तेज हमलों को देखा है। अनेक मामलों में साम्राज्यवाद के एजेन्टो ने सीधें-सीधे इन हमलों को संगठित किया हैं और आर्थिक मदद पहुंचाई है। इस देश को टुकड़े-टुकड़े करके इसे गुलाम बना लेना, साम्राज्यवादी षडयन्त्र का एक हिस्सा है पंजाब, असम और मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की घटनायें भारतीय गणराज्य को विघटित करने के खतरनाक षडयन्त्र की दिशा में इशारा करती है. इस भयानक षडयन्त्र से उत्पन्न परिस्थिति का समना करने की शासक पार्टी की असमर्थता जग-जाहिर है। राजनीतिक संघर्षद्वारा विघटन कारियों को अलग-थलग करने में असमर्थ होकर शासक पार्टी इसे राष्ट्रीय एकता तथा शांति व्यवस्था का प्रश्न बना डालती है और अन्त में विघटन कारी ताकतों के सामने घुटने टेकती है जिससे भारत की एकता को खतरा पहुंचता है. हमारी अर्ध-सामन्ती, अर्ध पूंजीवादी सरकार को कोई और रास्ता नहीं सूझता क्योंकि इसकी नीतियों पिछड़ेपन, बेरोजगार और आर्थिक दुरवस्था की समस्याओं का कोई हल नही निकाल पाती. यह अब लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत के शासक-वर्गों द्वारा चुना गया पूजी वादी रास्ता न केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझने में असमर्थ है, बल्कि अंत तोगत्वा राष्ट्रीय एकता को भी खतरे में डालने वाला है.

इसी कारण राष्ट्रीय परिस्थिति की फौरी आवश्यकताओं की और ध्यान देते हुए मजदूर वर्ग को पूजीवादी रास्ते की समाप्ति और देश को वैकल्पिक रास्ते की और लेजाने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए.

गत तीन वर्षो में हमारे मजदूरवर्ग के कुछ वातों की चेतना को कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा है और हमें गर्व है कि जनता का साथ देने और राष्ट्रीय एकता के झंडे को बुलंद रखने की इस कठिन परीक्षा में वे पूरी तौर पर सफल हुए हैं. हैं। अपने पंजाब के साथियों और सीटू के मजदूरों द्वारा खालस्तानियों के विरुद्ध किए गये महान संघर्षों पर गर्व है. हमें अपने असम के साथियों और मजदूरों द्वारा राष्ट्र-विरोधी विघटन कारी तथा राष्ट्र-विरोधी छापामारों व कार्यकर्त्ताओं पर तथा गौरखालैण्ड के विघटनकारी आंदोलन के विरुद्ध लड़ने वाले नेपालीभाषी चाय-बागान मजदूरों पर गर्व है.

साथियों, उपरोक्त तीन राज्यों में हमारे बहुत से कामरेड़ों को अपने जीवन की बलि चढ़ानी पड़ी है और ढेर सारे लोग घायल हुए हैं, फिर भी हमारा संघर्ष जारी है. अकेले हुए है, फिर भी हमारा संघर्ष जारी है. अकेले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हमारे मजदूरों के दो सौ घर जला दिये गये पर वे साहस के साथ एकता का झंडा बुलंद किये हुए हैं. जिन्होंने इस संघर्ष में अपनी जानें दी है, हम उनको लाल सलाम देते हैं और जो नुकसान उठाकर भी इस लड़ाई को जारी किए हुए हैं उनके साहसपूर्ण कार्य की सराहना करते हैं.

सांप्रदायिकता तथा जातिवाद को परास्त करों

गत तीन वर्षों में मजदूर वर्ग तथा वामपंथी आंदोलन को न केवल विघटनकारी ताकतों से लड़ना पड़ा है बल्कि उन्हें सांप्रदायिक ताकतों, मुस्लिम तथा हिन्दू कठमुल्लों और रुढ़िबादियों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है. शाहवनों केस तथा बाबरी मस्जिद. राम जन्मभूमि आदि मसले पर राजीव गांधी सरकार की अवसरवादी नीतियो के कारण पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण तनावपूर्ण हुआ है और बहुत से शहर तथा इलाके विस्फोट के लिए तैयार के बारूद ढेर बन गए हैं. हमारे मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन को चाहिए कि इस परिस्थिति को गंभीरता से ले और बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ मुहिम शुरु करे.

अन्य राज्यों के विपरीत सीटू के उपाध्यक्ष और भारत की सीटू के उपाध्यक्ष और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

के नेसा कामरेड ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम-फ्रंट सरकार के अधीन पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों में सांप्रदायिक दंगे एक दम नही हुए। वहांपर मुस्लिम अल्प संख्यको के जनवादी अधिकारों की पूरी सुरक्षा तथा आश्वासन उन्हें दिया गया. मजदूर वर्ग तथा वामपंथी राजनीति की यह एक बेजोड़ सफलता है. पश्चिम बंगाल में सीटू की सबसे मजबूत इकाई है और यह जरा भी ताज्जुब की बात नही है कि वर्गीय सिद्धांतो के जिस स्तर पर वे पहुंच गये हैं वहां बहुसंख्यक मजदूर वर्ग रुढ़िवादी चुनौती का सामना करते हुए एकजुट रह सके.

वामपंथ की विजय का स्वागत करों

साथियों, गत तीन वर्षों में मजदूर वर्ग तथा वामपंथी पार्टियों ने विघटनकारी ताकतों की चुनौती के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है. जनता के आम असंतोष के मजदूर वर्ग तथा वामपंथी ताकतों के नेतृत्व में बढ़ते हुए दृढीकरण के साथ-साथ इस संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम है पश्चिम बंगाल और केरल में बाम फ्रंट की अभूतपूर्व विजय. इस बात में कोई संदेह नहीं कि पश्चिम बंगाल और केरल की इन दो बड़ी जीतों के पीछें वहाँ के मजदूर वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ी ही कठिन परिस्थिति में लड़ा गया, क्योंकि भारत सरकार की नीतियों के फल-स्वरूप कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में बहुतसी जूटमिले बंद हुई और अनगिनत मजदूर बेरोजगार हो गये. पर सीटू और इसके समर्थक जानते थे कि कि यह राजीव सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का दुष्परिणाम है और वे वामफ्रंट सरकार के पीछें दृढ़ता से खड़ें रहें। किसान और मजदूर वर्ग जानते थे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसवादी) के नेतृत्व वाली बामफ्रंट सरकार आम जनता के हितो की रक्षा के लिए सबकुछ कर रही है. इसलिए वे अपनी एकता बनाये रखने और कांग्रेस (इ) के निन्दा प्रचार के खिलाफ संघर्ष करने में सफल हुए. पश्चिम बंगाल और केरल-दोनों ही राज्यों में जनता के लिए गहरी चिंता वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर लड़ाई लड़ी-गयी थी. सीटू और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) लगातार सांप्रदायिक और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करती रही हैं और चुनाव संघर्ष में यह एक अहम मुद्दा था. खास कर केरल में बामपंथों जनवादी ताकतों, और कांग्रेस (इ) के सहयोग से साम्प्रदायिक ताकतों के बीच सीधी टक्कर थी. इसी कारण इन इन राज्यों में हमारी जीतका सभी राज्यों की जनता के सभी तबको द्वारा स्वागत किया गया. इन जीतों से कॉंग्रेस (इ) शासन के दिरोधी जनवादी पक्षको बहुत ताकत मिली है. गत वर्ष की तमाम उपलब्धियों के महत्व को मजदूर वर्ग और वामपंथी पार्टियों की इस जीत ने पीछे ढकेल दिया है. इससे पता चलता है कि सी-पी. आई. एम. के नेतृत्व बाले वामपंथी दलों और संगठित ट्रेड यूनियन दलों ने अपनी एकजुटकारँवाइयों और संघर्षों के दौरान कितना राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया है.

वामफ्रंट सरकार को समर्थन दो

सीटू की ट्रेडयूनियनों और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का यह कर्त्तव्य है कि वे ट्रेडयूनियन एकता को मजबूत करके इस-जीत की सबको की आम मजदूरों तक ले जाकर और तीसरी वामफ्रंट सरकार के समर्थन का संगठन करके इस उपलब्धि को और मजबूत बनाये. हमारी सभी यूनियन का यह कर्त्तव्य है कि एकता तथा प्रगति के लिए सी. पी.आइ एम. तथा वामपंथी पार्टियों के संघर्ष कों समर्थन दे.

पड़ोसी संबंधों में सुधार लाओ

साथियों, सीटू के इस सम्मेलन को हमारे पड़ोसी देशों में घटने वाली घटनाओं कों ध्यान में रखना चाहिए और भारत तथा उसके पड़ौसी देशों के बीच बिगड़ते हुए संबंधों पर भी गौर करना चाहिए. यह बड़े संतोष की बात है कि भारत और चीन दोनों ही देश सीमा-विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं पर दूसरे पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंध तेजी से बिगड़े हैं. श्रीलंका में होने वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं और तमिल लड़ाकुओं की हत्या से अलगाव की एक स्थिति पैदा ही गई हैं और श्री लंका सरकार तथा वहां भी जनता और भारत सरकार तथा यहाँ की जनता के बीच कटुता और और अलगाव बढ़े हैं. सीटू ने बार-बार घोषणा की हैं कि कि तमिल समस्या का समाधान श्री लंका की संप्रभुता तथा एकता के दायरे में तथा तमिल अल्प संख्यकों को न्याय देने से ही समाधान होगा. भारत सरकार की भी यही अभिमत है. पर राजनयिक वार्ता असफल ही गयी है और श्री लंका के युद्धोन्मादी तमिल प्रतिरोध को सैन्यबल से समाप्त करने पर तुले है. श्री लंका में इजराइल ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से भाड़े के सैनिक मंगाये जा चुके हैं. इन बातों से अमेरीकी साम्राज्यवाद के मंसूबे पूरे होने वाले हैं जिसकी नजर त्रिकोमाली बन्दरगाह पर है. अगर दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध फिर से स्थापित करने के लिए जल्दी कदम न उठाए गए तो इससे दोनों देशों का अलगाव बढ़ेगा और इस उपमहाद्वीप की स्वतन्त्रता के खिलाफ साम्राज्यवादी साजिशों को मदद मिलेंगी.

साथियो, भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थिति इससे भी बदतर है. पाकिस्तान द्वारा लगातार अमेरिका से हथियार इकठ्ठे करना, पाकिस्तान के पास अणुबम या उसे बनाने की क्षमता का होना और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के सैन्य शासकों से

'अवाक" विमान तथा दूसरे उन्नत हथियार देने के वादों से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है और इससे हमारे मजदूर वर्ग और हमारी जनता को चौकन्ना तथा जागरुक रहने की जरूरत है. गणतन्त्र दिवस के मौके पर दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर भारी संख्या में सेनाओं की तैनाती परिस्थिति की बढ़ती हुई गम्भीरता की एक चेतावनी है। यह गम्भीरता और चुनौती और भी मजबूत होती है जब हम याद करते हैं कि गणतन्त्र दिवस पर मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी गणतन्त्र-दिवस का बहिष्कार करने वाले थे और उसी दिन स्वर्णमंदिर के अहाते से खालिस्तान की स्थापना की घोषणा होने वाली थी. यह इस बात की चेतावनी है कि हमारे शत्रु हमारे देश की सुरक्षा और एकता को खतरे में डालने के लिए भीतर और बाहर से लगातार संगठित प्रयास कर रहे हैं. इन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव तथा टकराव से दोनों देशों की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी और इस खतरे का मुकाबला पाकिस्तान के मजदूर वर्ग तथा जनता को भारत के मजदूर वर्ग तथा जनता के साथ मिल कर करना चाहिए. हमारे सम्मेलन की ओर से मैं पाकिस्तान के मजदूर वर्ग और ट्रेडयूनियनों को और वहां की शानदार जनता को जो उस देश में जनतन्त्र की वापसी के लिए दृढ़ता पूर्वक संघर्ष कर रहे हैं. अपनी शुभकामनाएँ भेजते हैं. हम फौजी शासन को समाप्त करने की उनकी कोशिशों की सफलता की कामना करते हैं जिससे दोनों देशों की जनता एक जुट होकर दोनों देशों को गुलाम बनाने की अमरीकी साम्राज्यवाद की कोशिश के खिलाफ लड़ सकें. पाकिस्तान और उसकी अर्थ व्यवस्था पर बढ़ते हुए अमरीकी शिकंजे के खिलाफ लड़ने वाली पाकिस्तान की प्रगतिशील ताकतों के संघर्षों को सीटू गर्म जोशी के साथ समर्थन देती है.

साम्राज्यवादी साजिशों को नाकाम करो

साथियो, इस बीच हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम साम्राज्यवादी साजिशों के प्रति जागरुक रहें और तनाव टकराहट तथा युद्ध का खतरा पैदा करने वाले साम्राज्यवादी औजारों के खिलाफ लड़ सकें. बाहरी हमले के खिलाफ अपने देश की रक्षा के तमाम सच्चे प्रयासों को समर्थन देना हमारा कर्त्तव्य है. हम इस संदर्भ में भारत-सोवियत मैत्री तथा सहयोग संधि भी याद किए बिना नहीं रह सकते जिससे हमारे देश की सुरक्षा मजबूत हुई है और जो इस उप महाद्वीप में परिस्थिति को सामान्य बनाने का प्रमुख उपकरण है. सीटू और उसकी यूनियनों को चाहिए कि वे भारत सोवियत मैत्री को मजबूत करने के लिए लगातार काम करें, जो मैत्री पिछले चार दशकों से लगातार गाढ़ी होती गयी है.

कामरेड गोर्वाचेव की गत नवम्बर-यात्रा और गाँधी गोर्वाचेव संयुक्त घोषणा से आपसी सद्भाव और सहयोग पर आधारित मैत्री को बल मिला है.

गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करो

साथियो, आप सभी को पता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति, जिसके प्रति स्वाधीनता प्राप्ति से ही हमारा देश प्रतिबद्ध रहा है, अपनी स्वतन्त्र विदेश-नीति के निर्माण में, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने में और अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए लोगों को समर्थन देने के लिए अपनी मर्जी से आगे अपने के काम में हमारी शक्ति का एक महान स्रोत रही है. सभी मामलों में अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए इससे हमें मदद मिली है और किसी बड़ी ताकत का पिछलग्गू बनने से हमारे देश को बचाये रखा है. जिन देशों में गुट निरपेक्षता छोड़ दी है और साम्राज्यवादियों के साथ गठबंधन कर लिया है, वे दूसरी ताकतों के पिछलग्गू बन गये है जैसा कि हम अपने पड़ोसी देशों के मामले में देखते हैं. सीटू और इसकी ट्रेड यूनियनों और समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को अपने देश की गुट निरपेक्षता का बचाव करना और इसे मजबूत करना चाहिए और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दलों के भीतरी हमलों से इसकी रक्षा करनी चाहिए. अभी तक आम मजदूर को अपनी आत्म निर्भरता बनाये रखने के गुटनिरपेक्षता के महत्व के बारे में बताया नहीं गया है, सोवियत रूस और दूसरे समाजवादी देशों के साथ हमारी मैत्री के महत्व के बारे में नहीं बताया गया है. अब वक्त आ गया है हमारा मजदूर वर्ग गुटनिरपेक्षता की नीति को मजबूत बनाने में सक्रिय रुचि ले और सरकार के ढुलमुलपने के खिलाफ संघर्ष करे, और प्रतिक्रियावादी दलों के हमलों का विरोध करे, जो दो महाशक्तियों और असली गुट निरपेक्षता की बातें करके दर-असल अमेरिका के प्रति झुकाव की माँग करते हैं.

वामपंथी ताकतों के पीछे लामबंद हो

साथियो, कानपुर सम्मेलन के बाद के वर्षों में मजदूर वर्ग द्वारा समर्पित वामपंथी एकता की ताकतें तेजी से आगे बढ़ी हैं। इन ताकतों की जड़ें मजबूत करना और इन्हें सभी राज्यों में और अधिक विस्तृत करना सीटू और इसकी ट्रेड यूनियनों का एक महत्वपूर्ण काम है. इस सम्मेलन को हमारी सभी यूनियनों को वामपंथी एकता की ताकतों के पीछे और ज्यादा ताकत से लामबंद, होने का आह्वान करना चाहिए और शासक दल को और पीछे हटने के काम को सुनिश्चित करना चाहिए.

मजदूर वर्ग की एकजुटता की जड़ें मजबूत होने से, और साझा सामूहिक कार्रवाइयों से पैदा राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास से शासक पार्टी के स्थायित्व और आत्मविश्वास को हिला दिया है. पिछले वर्षों में शासक पार्टी ने जनता के जनवादी, अधिकारों की जरा भी पर्वाह नहीं की है और जनता से विच्छिन्न हुई है.

प्रशासन के सर्वसत्तावादी तरीकों के निचले-स्तर के सभी जनवादी तौर-तरीके नष्ट हो गये हैं. इससे कांग्रेस (इ) की विच्छिन्नता की प्रक्रिया तेज हुई है कांग्रेस (इ) के किसी भी पूर्व नेता को लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है जितना राजीव गाँधी को मिला है. श्री जवाहरलाल नेहरू को भी स्वतन्त्र भारत के पहले आम चुनाव में इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला था पर दो-तीन वर्षों के अन्दर राजीव गाँधी ने धीरे-धीरे जनता का समर्थन खो दिया है और लोकसभा में इनका बहुमत बहुत तेजी से आम जनता का समर्थन खो रहा है. शासक दल द्वारा पंजाब, असम, मिजोरम और गोरखालैंड के मसलों को हल करने में प्रदर्शित दिवालियापन तथा विघटनकारी ताकतों के सामने घुटना टेकने की नीति में जनसाधारण की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता की उनकी तीव्र इच्छा व कांग्रेस (इ) की अवसरवादी घुटना टेक नीति के बीच की खाई को बढ़ाया है. राम जन्म भूमि. बाबरी मस्जिद और शाहबानो केस के मामलों में शासक दल के घृणित अवसरवाद और केरल में साम्प्रदायिक ताकतों के साथ इनके द्वारा किये गये गठबधन से लोकसभा में इनका बहुमत जनता से विच्छिन्न हुआ है.

सीमाहीन भ्रष्टाचार

राजीव सरकार आज एक के बाद एक अनेक घोटालों के भंडाफोड़ से जर्जर हो रही है. पूंजीवादी पार्टियों पूंजीवादी प्रशासन में भ्रष्टाचार और घोटाले आम बात है. सभी पूंजीवादी प्रशासन इस मर्ज में मुबतिला होते हैं. पर शासक दल में संकट की स्थिति, मंत्रियों का पदत्याग आदि तभी शुरू होते हैं जब लोक सभाई बहुमत और उसका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार जनता से पूरी तरह विच्छिन्न हो जाती है और अपनी विश्वसनीयता खो देती है. आज राजीव गाँधी की सरकार का यही हाल है. फेयर फैक्स. जर्मन पनडुब्बियाँ तथा बोफोर्स कम्पनी की तोपों के घोटालों ने सरकार के लिए बड़ी भयानक परिस्थिति पैदा कर दी है और सरकार विश्वसनीयता के साथ अपनी सफाई नहीं दे पा रही है. सचाई से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने गढ़ रही है. यह केवल भ्रष्टाचार और घोटालों का ही नतीजा नहीं है बल्कि संसदीय व्यवस्था में संकट की स्थिति की अभिव्यक्ति करती है.

व्यवस्था का बढ़ता हुआ संकट

यह संकट प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के बीच पैदा हुए मतभेदों में भी व्यक्त हो रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि प्रधान मन्त्री द्वारा सरकार की गतिविधियों के बारे में राष्ट्रपति को पूरी सूचना न देना संवैधानिक आचार संहिता का उल्लंघन है इतना ही नहीं, प्रधान मंत्री ने लोक सभा में गुमराह करने वाला व क्तव्य भी दिया कि वह राष्ट्रपति को उचित सूचनाएं देते रहे हैं। इससे इन दोनों के बीच के मतभेद खुले में आ गये. इस परिस्थिति ने तरह-तरह के अनुमानों और विवादों को जन्म दिया। यह सोचना गलत होगा कि यह मतभेद दो व्यक्तियों के बीच तालमेल न होने का फल है. वास्तव में संसदीय व्यवस्था के अन्दर बढ़ते हुए संकट का यह एक हिस्सा है. कांग्रेस (इ) अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण संविधान के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पा रही है और उनके साथ मनमाना व्यवहार कर रही है. राष्ट्रपति के प्रति लापरवाही दिखाना, उन्हें सरकार की गतिविधियों के बारे में पूरी सूचना देने से इन्कार करना संवैधानिक नियमों को अपनी जरूरतों के मातहत रखने की नीति का यह हिस्सा है।

यह भी ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री दोनों को इन नियमों का पालन करना चाहिए और संविधान तथा लोक सभा की सर्वश्रेष्ठता का इन्हें उल्लंघन नहीं करना चाहिए. एक खतरनाक खबर यह भी सुनने में आयी कि राष्ट्रपति को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे हस्तक्षेप करें और लोकसभा को बर्खास्त कर दें. देश के अनेक बड़े समाचार पत्रों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और इस तरह की कार्यवाई के बुरे परिणामों के बारे में चेतावनी दी. अगर ऐसा होता तो यह संविधान के खिलाफ एक प्रकार का राज्य-विद्रोह होगा.

अस्थिरीकरण के खिलाफ मोर्चाबंद हो

आज की परिस्थिति के इस महत्वपूर्ण स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए मजदूर वर्ग यह भी देख रहा है कि उसकी संगठनात्मक चेतना बढ़ रही हैं और शासक दल बिखर रहा है। मजदूर वर्ग यह भी देख रहा है कि दूसरी ताकतें इस संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं. जनता से कांग्रेस (इ) की विच्छिन्नता का फायदा अक्सर प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक ताकतें उठाती हैं और शासक दल के संकट का स्वतः लाभ वामपंथी ताकतों को मिलता है ऐसा नहीं है मजदूर वर्ग यह भी देख रहा है कि भ्रष्टाचार और घोटालों से उत्पन्न परिस्थिति में न केवल जनवादी तथा वामपंथी ताकतें सक्रिय हैं बल्कि कुछ विदेशी और प्रतिक्रियावादी ताकतें भी सक्रिय हैं. मजदूर वर्ग हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत रहता है कि देश में उत्पन्न हर संकट की परिस्थिति का फायदा उठाकर साम्राज्यवादी ताकतें भारत की एकता को भंग करने और जनतंत्र तथा जनतांत्रिक प्रगति में जनता के विश्वास को भंग करने का प्रयास करती है. यही कारण है कि अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें के हमले के हमले के खिलाफ

मजदूर वर्ग बहुत चौकस है. मजदूर वर्ग को यह भी पता है कि भ्रष्ट तत्वों को, जो जनता का धन चुराकर यहाँ तक कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचाकर अपनी धनलिप्सा शांत करते हैं, पूरी तरह बेनकाब करके जन-जीवन से खदेड़कर बाहर कर देना चाहिए। राष्ट्रीयहितों की सुरक्षा के मामले में इन तत्वों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. ज्यादा संभव यह है कि देश के हितों से दुश्मनी रखने वाली ताकतें ही इनका उपयोग करेंगी.

अतएव अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ कांग्रेस (इ) की कार्यकारिणी द्वारा की गयी अपील और चेतावनी को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जा सकता जब तक शासकदल उसकी सरकार प्रत्येक भ्रष्टाचारी तत्व को बेनकाब करके जनवादी ताकतों का विश्वास न हासिल करलें. वर्तमान परिस्थिति में बहुसंख्यक ईमानदार लोग सोचते हैं और ठीक ही सोचते हैं कि स्थिरता पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ कांग्रेस (इ) कार्यकारिणी की अपील और चेतावनी दर असल भ्रष्ट तत्वों के बचाव का ही एक औजार है. कुछ अन्य पार्टियों की तरह विदेशी खतरे के विचार का मजदूर वर्ग मजाक नहीं उड़ाता. ये पूजीवादी पार्टियां हमारे देश के विरुद्ध साम्राज्यवादी साजिशों को बहुत कम करके आंकते हैं और इसे सत्ता में अपने को बनाये रखने इजाद किया एक झूठ मानते हैं. यह दृष्टिकोण देश के लिए अत्यन्त खतरनाक है और हमें पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करना चाहिए.

साथियों, मैं आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप हमारे देश की वर्तमान उलझन पूर्ण राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखें और ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस तरह संचालित करें ताकि वह देश की जनता की जरूरतों तथा फौरी जरूरतों को पूरी कर सके.

सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

छठा सम्मेलन का समर मुखर्जी द्वारा महा सचिव को रिपोर्ट

का अध्यक्ष, बिरादराना अतिथि तथा प्रतिनिधि साथियो,

अप्रेल 1983 से इस सम्मेलन तक के काम की रिपोर्ट आपके सामने पेश करते समय, मैं उन सभी साथियों को श्रद्धाजलि देता हूं जो मानव द्वारा मानव के शोषण से रहित एक बेहतर विश्व के संघर्ष में शहीद हो गए.

सबसे पहले मैं प. बंगाल तथा केरल के साथियों को बधाई दूंगा जिन्होंने कांग्रेस (इ) तथा उसके नेतृत्व में साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतों को करारी शिकस्त दी. का अध्यक्ष ने इस प्रभावशाली जीत के महत्व को उजागर करा है। फिर भी, मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगा कि केरल में सी. पी. आई (एम) तथा वामपंथी व लोकतांत्रिक मोर्चे द्वारा कांग्रेस (इ) के नेतृत्व वाले साम्प्रदायिक व जातिवादी संयुक्त लोकतात्रिक मोर्चे की हार से देश की एकता मजबूत हुई है। पहली बार केरल में साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतों की संभावना सामने आई है। मुझे विश्वास है कि हमारे सीटू के साथियों ने इस जीत के लिए पूरी मेहनत से काम किया.

पं० बंगाल के सीटू के साथियों को अनेक झूठों का सामना करना पड़ा जैसे 10 लाख नौकरियों का वायदा, 2 रुपए प्रति कि. ग्रा. के हिसाब से चावल या एक हजार सात करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता आदि. गोस्बेल्स की भांति झूठ और फरेब लगातार दोहराया गया. केन्द्र द्वारा राजनैतिक भेदभाव के असर में न आते हुए, मजदूर वर्ग और आम जनता ने जनतंत्र के इस दुर्ग की पूरी तरह रक्षा करी। इस शानदार जीत का आधार, जनता के अपने अनुभव तथा उनके द्वारा सी. पी. आई. (एम) के नेतृत्व वालों नाम मार्चा सरकार तथा का० ज्योति बसु के अथक काम की सराहना है. इन दो जीतों से देश भर की वामपंथी, लोकतांत्रिक, तथा धर्मनिर्पेक्ष ताकतों के मजबूत होने की प्रक्रिया में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, ट्रेड यूनियन एकता की समस्या को पूरी गम्भीरता से लेने की हमारी जिम्मेदारी भी पढ़ जाती है। इस विषय पर मैं बाद में भी बोलूगा, इस रिपोर्ट में पिछले सम्मेलन के फैसलों के आधार पर सीटू सामुहिक काम की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है.

शांति के लिए संघर्ष

कानपुर सम्मेलन में कहा गया था कि: "कार्ल मार्क्स ने मजदूर वर्ग से आह्वान किया था कि वह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय ताकत को एकजुट करके सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयवाद का झण्डा बुलन्द करे और पूंजीवादी शासक वर्गों द्वारा चलाए जा रहे युद्ध अभियानों के खिलाफ लड़े.

सर्वहारा अन्तर्ष्ट्रीयवाद की विरासल का महत्व आज और भी ज्यादा है जबकि विश्व के सामने अमरीका द्वारा सोवियत संघ और तमाम दुनिया के विरुद्ध एटमी जंग छेड़ने का खतरा है। मगर यह मानना पड़ेगा कि विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित भारत का ट्रेड यूनियन आन्दोलन, मानव संहार के खिलाफ चल रहे विहार संघर्ष में बहुत कम भूमिका अदाकर पा रहा है. हम लोग भी इस काम में प्रायः पीछे पड़ गए हैं। मगर ट्रेड यूनियन आन्दोलन के हमारे कुछ अन्य साथियों की स्थिति तो और भी खराब है। राष्ट्रीय अभियान समिति के सभी घटक युद्ध के खतरे और उसके स्रोत के बारे में एकमत नहीं है' कुछ का तो मानना है कि साम्राज्यवाद है ही नहीं। युद्ध विरोधी प्रचार में हमारे साथ एटक और यू. टी. यू. सी ही सामिल होते हैं. संक्षेप में कहा जाए तो-अन्तर्राष्ट्रीयवाद और युद्ध के खतरे के बारे में चेतना बहुत कमजोर है. हमारी यह जिम्मेदारी है कि अपनी यूनियनों और उनके तहत तमाम मजदूरों को सक्रिय करे. युद्ध विरोधी अभियान के अगुवा दस्ते के रूप में काम करते हुए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि अन्य केन्द्रीय संगठनों के मेहनतकश आवाम को भी इसमें शामिल करे. हमें, मजदूरों को बताना चाहिए की युद्ध भड़क उठने पर भारत की घर-गृहस्थियां अछूती नहीं रह जाएगीं और इस खतरे के प्रति उदासीनता का नतीजा दासता या विध्वस ही हो सकता है.'

सीटू की ओर से हर वर्ष, 1 सितम्बर शाँति दिवस के रूप में मनाया जाता है.

मगर आम जनता को लामबद्ध करके शांति के संघर्ष में शामिल करने का सतत अभियान नहीं हो सका. मगर प्रचार द्वारा इतनी चेतना तो जागृत हो गई है कि यूनियन की सालाना मीटिंगों में युद्ध के खतरे पर विचार विमर्श होता है. सीटू के आमंत्रण पर, आल यूनियन सेन्ट्रल काउसिल आफ ट्रेड यूनियन्स के प्रतिनिधिमंडल के भारत आने और एक संयुक्त विज्ञप्ति पर दोनों संगठनों की ओर से, का. वी, वी. कुलिक (सचिव, ए.यू. सी. सी, ती. यु., यूक्रेनियन परिषद्) तथा हमारे अध्यक्ष का. बी. टी. रणदिवे द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के बाद शांति के लिए संघर्ष को तेज करने का मौका मिला। संयुक्त विज्ञप्ति ने नोट करा कि 'अगले मई में, संपूर्ण प्रगतिशील मानवता एक स्मरणीय दिवस मनाएगा—जर्मन फासीवाद और जापानी सैन्यवाद के उपर विजय की 40 वी वर्षगांठ। मानव इतिहास की सबसे खूनी जग, दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोगों की जाने गई थी. इसका सबक दुनिया के आगाम के सामने स्पष्ट है—साम्राज्यवाद के हमलावर खेंए के खिलाफ लड़ने की जरुरत इस संदर्भ मे, दोनों ट्रेड यूनियन केन्द्रों ने धरती पर अमन कायम करने के लिए मजदूर वर्ग के एकजुट सघर्षो को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग की इच्छा जाहिर की.

दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने हिन्द महासागर में अमरीका द्वारा सैनिक सरगर्मियों को तेज करने पर चिन्ता व्यक्त करी. दोनों ने एशियाई देशों के मजदूरों की इस माँग का पूरा समर्थन किया कि इस क्षेत्रसे सभी विदेशी अड्डे हटाए जाएं और हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाया जाए."

1986 में कलकत्ता में हुई सीटू जनरल काउंसिल ने नोट करा कि "अमरीका की इन युद्ध योजनाओं के विपरीत, सोवियत संघ और गोर्बाचोव ने युद्ध को रोकने और नाभिकीय हथियारों को खत्म करने की दिशा में अनेक प्रस्ताव रखे हैं. मगर अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इन्हें नामंजूर कर दिया।

इस संदर्भ में, मजदूर वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता का तकाजा है कि युद्ध का लगातार विरोध किया जाए और गोर्बाचोव के शांति प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन किया जाए. मई दिवस के अवसर पर हमारा प्रयास होना चाहिए शांति का संदेश तमाम मजदूरों तक पहुंचाया जाय और अमरीकी युद्ध प्रयासों का भण्डाफोड़ किया जाए। साम्राज्यवादी युद्ध की साजिशों के खिलाफ समाजवादी खेमे की प्रतिरक्षा अन्तर्राष्ट्रीयवाद का सारतत्व है।"

यह ए. यू. सी. सी. टी. यू. द्वारा का गोर्वाचेव के सन् 2000 तक विश्वभर में नाभिकीय हथियारों को खत्म करने के प्रस्ताव समर्थन करने की अपील की प्रतिक्रिया के रूप में भी था। इस अपील में कहा गया था कि:" ए. यू. सी. सी. टी. यू. के 13 करोड़ 70 लाख ट्रेड यूनियन सदस्यों की ओर से हम सभी देशों के मजदूरों, और सभी ट्रेड यूनियन संगठनों से आह्वान करते हैं कि सोवियत संघ के उस कार्यक्रम का समर्थन करें जिसके द्वारा तमाम नाभिकीय हथियारों को खत्म कर दिया जाएगा."

मई दिवस शताब्दी के कार्यक्रम

शिकागो में मई दिवस पर हुए हत्याकांड के सौ वर्ष बाद, इस शताब्दी को उचित ढंग से मनाने का फैसला लिया गया। एक पुरजोर अपील जारी की गई—"मई दिवस शताब्दी वर्ष में, जनरल काउंसिल, सोवियत संघ तथा अन्य देशों के मजदूर वर्ग को आश्वासन देती है कि हमारा संगठन और यहां का मजदूर वर्ग दुनिया के लोगों के खिलाफ साम्राज्यवादी युद्ध की साजिशों को नाकाम करने और शांति व समाजवाद की उपलब्धियों को बरकरार रखने के पूरे प्रयास करेगा. हम ए.यू.सी.सी.टी.यू. को पुन: आश्वासन देते हैं कि उनके आह्वान के प्रति सीटू की यूनियनें तथा भारत के मजदूर गर्मजोशी से समर्थन करेंगे."

मई दिवस शताब्दी को उचित ढंग से मनाने के लिए देश भर में हमारे साथियों ने गम्भीर रूप से तैयारी करी. हमारी पत्रिकाओं, 'वर्किंग क्लास' और 'सीटू मजदूर' के विशेष अंक छापे गए जिसमें अनेक महत्वपूर्ण लेख थे. का अध्यक्ष के मुख्य लेख "मई दिवस की क्रांतिकारी परम्परा" को बड़ी संख्या में देश की सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया. हमारे पंजाब के साथियों ने इस मौके पर सीटू साहित्य का विशेष बिक्री अभियान चलाकर रु. 40,000 का साहित्य पूरे राज्य में बेचा. इससे, मजदूर वर्ग की एकता बनाए रखने में उन्हें काफी मदद मिली. हालांकि सिख आतंकवादियों और हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा साम्प्रदायिक आग भड़काने की पूरी कोशिश रही. यहां यह जिक्र करा जा सकता है कि फरवरी 1986 में इन्टक की पहल पर सभी 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने मिलकर संयुक्त घोषणा पत्र अपनाए जिसमें (1) शांति के लिए संघर्ष (2) राष्ट्रीय एकता के लिए और साम्प्रदायिकता के खिलाफ और (3) रंगभेद के विरुद्ध घोषणाएं शामिल थी. इस अच्छे कदम का सीटू जनरल काउंसिल ने स्वागत किया. मगर शांति के सवाल पर, प्रस्ताव आदि पारित करने के अलावा हम ज्यादा कुछ नही कर पाए,

यह भी नोट करने की बात है कि भारत सरकार की विदेश नीति जोकि हरारे गुटनिर्पेक्ष सम्मेलन में स्पष्ट हुई, का भी सीटू ने पूर्ण समर्थन किया. हमारा मानना है कि गुट निर्पेक्ष आन्दोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे शाँति के संघर्ष को भी मदद मिलती है.

1986 में एटक के साथ एक संयुक्त मई दिवस घोषणापत्र भी जारी करा गया और हमारी सभी संबद्ध यूनियनों तथा राज्य समितियों को निर्देश दिया गया कि शताब्दी समारोह संयुक्त रूप से मनाए जाए. विभिन्न राज्यों से इस विषय में मिली रिपोर्ट हम नीचे दे रहे हैं.

प० बंगाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष एक सितम्बर को शांति दिवस के रूप में मनाने के अलावा निम्न लिखित कार्यक्रम हुए: "1985 में फासीवाद की शिकस्त की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई और युद्ध विरोधी अभियान तथा शांति के संघर्ष में यह प्रमुख आयोजन रहा. सीटू की प० बंगाल राज्य समिति ने यह वर्षगांठ अन्य जन संगठनों के साथ संयुक्त रूप से मनाई. कलकत्ता के आयोजित केन्द्रीय कार्यक्रम में सभाएं, विचार गोष्ठियां, जुलूस, तथा पोस्टर प्रदर्शनियां करी गई और इसी प्रकार का कार्यक्रम जिला स्तर पर तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आयोजित किया गया. कुल मिलाकर इस कार्यक्रम द्वारा मजदूरों को युद्ध के खतरे के बारे में शिक्षित करने तथा शांति के लिए अभियान तेज करने के लिए चेतना जागृत करने में सहायक रहा."

"28 अप्रैल 1986 को कलकत्ता स्थित अमरीकी सूचना सेवा के दफ्तर पर, अमरीका द्वारा लीबिया पर बम्बारी करने के प्रतिरोध में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया. दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी सरकार द्वारा संलग्न देशों में हस्तक्षेप के विरुद्ध भी विरोध अभियान चलाया गया.

अमरीकी साम्राज्यवाद के सैनिक हस्तक्षेप के विरुद्ध लड़ रही निकारागुवा की जनता के समर्थन में एक विशाल एकजुटता अभियान भी चलाया गया. निकारागुवा की संघर्षरत जनता को आर्थिक सहायता देने के लिए प० बंगाल का मजदूर वर्ग बड़ी संख्या में आगे आया. उन्होंने रु० 5.44 लाख नकद और उतनी ही कीमत की सहायता सामग्री, जैसे कम्बल, दवाइयां आनि जमा करी. सोवियत संघ की सहायता से यह सब निकारागुवा पहुंचाया गया.

महाराष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया—"1 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में पिछले चार सालों से मनाया जाता रहा है। 1984, 1985 में बम्बई स्थित अमरीकी सांस्कृतिक केन्द्र पर प्रदर्शन किए गए। इस वर्ष एक संयुक्त आम सभा आयोजित की गई जिसमें एटक, यू० टी० यू० सी०, सर्व श्रमिक संघ तथा सामन्त के नेतृत्ववाली यूनियनों ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, एक जुलूस निकाल कर मनाया गया। इसके अलावा, शांति दिवस तथा हिरोशिमा दिवस, नागपुर, इचलकरंजी, उरन, माधव नगर, नासिक, भांडुप, बीड़, वर्धा, औरंगाबाद, कोल्हापुर आदि स्थानों में भी सभाएं या प्रदर्शन करके मनाए गए। नागपुर में एटक भी शामिल हुई। प्राय: सभी स्थानों में छात्र तथा नौजवान संगठनों ने भी कार्यक्रमों में शिरकत की.

"1986 में मई दिवस शताब्दी पूरे महाराष्ट्र में मनाई गई। इन कार्यक्रमों में शांति के संघर्ष को प्राथमिक महत्व दिया गया और कई केन्द्रों में एक पूरा दिन विशेष रूप से इस मुद्दे के लिए रखा गया। अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अवसरों को अनेक केन्द्रों में मनाया गया जैसे गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, अक्टूबर क्रांति दिवस, चीनी मुक्ति दिवस आदि। उनमें शान्ति के सवाल पर जोर दिया गया। संक्षेप में, शान्ति की प्रतिरक्षा, युद्ध का विरोध और साम्राज्यवादी हथकंडों का भण्डा-फोड़-इन सभी पहलुओं को हमारे अभियानों में पहले से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इन्हें ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और अन्य संगठनों को भी अधिक तादाद में शामिल करा जा रहा है।"

तामिलनाडु की रिपोर्ट में कहा गया— "हमारे अभियानों में सुधार हुआ है। 1 सितम्बर को नियमित रूप से मनाना, विरोध प्रदर्शनों, और मजदूरों की मीटिंगों में इस विषय पर हमारे भाषणों के कारण नए तबके भी हमारी ओर आकर्षित हुए हैं।

हमारी यूनियनों, नेआम तौर पर, हिरोशिमा दिवस, बिकारागुवा से एकजुटता और लिब्या पर हमले का विरोध आदि कार्यक्रम आयोजित किये।

नाभिकीय निरस्त्रीकरण के हाल के अभियान में हमारी कई यूनियनों ने गेट मीटिंगें करी तथा अमरीकी दूतावास को विरोध के पत्र भेजे। 16 मार्च 1987 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कये और 18 मार्च को मद्रास में अमरीकी कौन्सलेट पर प्रदर्शन किया गया. हम अधिक संख्या में मजदूरों को इसमे शामिल कर सके. हमारी पत्रिकाओं में, हरेक अंक में इस अभियान पर अनेक पेज सामग्री होती है. इसके अलावा कुछ यूनियनों द्वारा इलाकों में पोस्टर तथा पेंटिंग प्रदर्शनियां लगाई गई और बिरादरना संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियों में भी मजदूरों ने हिस्सा लिया."

कर्नाटक, हरियाणा तथा उड़ीसा की रिपोर्टों ने आत्मालोचना रखी कि शांति दिवस मनाने के अलावा वे अन्य कुछ नहीं कर पाए। कर्नाटक की रिपोर्ट में कहा गया है– "1983 से अब तक, हमारी कुछ यूनियनें, 1 सितम्बर को शांति दिवस मनाती रही हैं तीन या चार जगहों पर प्रदर्शन करे गए और अन्य जगहों

में हॉल-मीटिंग हुईं। शांति दिवस मनाने वाली प्रायः सभी यूनियनें पर्चों द्वारा युद्ध के खतरे, सोवियत संघ के शांति प्रस्तावों तथा शांति आन्दोलन में जनता की शिरकत की जरूरत पर जोर देती हैं। शांति प्रदर्शनों व मीटिंगों में हमारे सदस्यों की भागीदारी कम रहती है। हमारे सदस्यों में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना के अभाव को खत्म करने के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। हरियाणा की रिपोर्ट में कहा गया—"मजदूरों की मीटिंगों में, नेतृत्वकारी साथी अपने भाषणों द्वारा साम्राज्यवाद समर्पित विघटनकारी शक्तियों के खतरे को उजागर करते हैं। हरियाणा सीटू विश्व शांति तथा राष्ट्रीय एकता पर काफी जोर देती है। हर वर्ष, 1 सितम्बर, शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है।"

असम की रिपोर्ट में कहा गया है—"हमारे राज्य में शान्ति आन्दोलन, आमतौर पर बहुत कमजोर है हालांकि अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ कोशिशें जारी हैं, और मजदूरों व कर्मचारियों को शिक्षित करने के हर अवसर का लाभ उठाया जाता है। युद्ध के खतरे के खिलाफ अभियान संतोषजनक नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि मजदूरों में शांति आन्दोलन विकसित करने में हिचकिचाहट है। शायद नेतृत्व भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता।" उड़ीसा की रिपोर्ट में कहा गया है—"मई 1983 के आखिरी हफ्ते में हमारी कुछ यूनियनों द्वारा शांति के लिए अभियानो चलाया गया। 13 अप्रैल 1984 शांति दिवस के रूप में अनेक स्थानों पर मनाया गया। 16 जून 1985 को रंगभेद विरोधी दिवस को मनाने में राज्य कोई भी पहल नहीं कर सका। 9 अगस्त 1985, हिरोशिमा-नागासाकी दिवस के रूप में सभी यूनियनों द्वारा मनाया गया। 6 अगस्त को राज्य क्लास होने के कारण वह दिवस नहीं मनाया जा सका।"

"1985 का मई दिवस पूरे राज्य में फासीवाद के ऊपर विजय की 40वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। प्रमुख आयाजन भुवनेश्वर, कटक राउरकेला, झारसुगुदा, पारादीप, सम्भलपुर भद्रक तथा बारबिल आदि में हुए। कई स्थानों में एटक और कुछ में तो एच. एम. एस. तक हमारे साथ शामिल हुए। मई दिवस शताब्दी के अवसर पर युद्ध के खतरे और शांति के लिए संघर्ष की जरूरत को भी उजागर करा गया. विभिन्न स्थानों पर सेमिनार तथा अन्य प्रोग्राम आयोजित किए गए. दिल्ली राज्य समिति की रिपोर्ट में कहा गया है—"सीटू केन्द्र के आह्वान पर 6 अगस्त 1985, हिरोशिमा तथा नागासाकी दिवस के रूप में मनाया गया. फासीवाद के ऊपर बिजय की 40 वीं वर्ष गाँठ मनाई गई और इसके पूर्व सभी जिलों में मीटिंगें करके इसके महत्व पर जोर डाला गया. नियमित रूप से, हर यूनियन सम्मेलन, जनरल बाडी या कार्यकर्ताओं की मीटिंग में युद्ध के खतरे के खिलाफ शांति आन्दोलन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।

1986 में, डब्लू एफ० टी० यू० के आह्वान पर 6 अगस्त, हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया गया। त्रिपुरा में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसको का० बी० टी० रणदिवे ने सम्बोधित किया। कुछ अन्य राज्यों ने भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। ए० यू० सी० सी० टी० यू० की अपील का समर्थन करते हुए सीटू सेक्रेटेरियट ने सभी यूनियनों को निर्देश दिया कि सोवियत संघ ने 18 महीने तक एकतरफा रूप से नाभिकीय प्रयोगों को रोक देने के बावजूद अमरीका द्वारा इनको जारी रखने के खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया जाए। अगर अमरीकी प्रशासन इन प्रयोगो को जारी रखता है तो सोवियत संघ, अपनी सुरक्षा तैयारी कायम रखने के लिए दुबारा प्रयोग शुरू करने पर मजबूर हो जाएगा।

सैक्रेटेरियट ने निर्देश दिया दिया कि जहाँ भी सम्भव हो, विरोध प्रदर्शन किए जाने चाहिए। अमरीकी दूतावास को, तार तथा प्रस्ताव भेजे जाने चाहिएँ और सैकड़ो तार भेजे गए। मगइन रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा अभियान अभी भी बहुत कमजोर है। हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि भारत का मजदूर वर्ग विश्व के शांतिप्रिय ताकतों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ सके और इस शताब्दी के अन्त तक दुनिया से नाभिकीय हथियारों को खत्म करने की मंजिल तक पहुंचे।

रंगभेद के खिलाफ संघर्ष

वोर्स्टर और बोथा की नस्लवादी सरकार की भर्त्सना करते हुए सीटू ने लगातार दक्षिणी अफ्रीकी जनता के संघर्ष का समर्थन किया है और उनके साथ एकजुटता प्रकट की है। 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा अपनाया गया संयुक्त घोषणा पत्र और 16 जून 1986 को रंगभेद बिरोधी दिवस मनाया जाना भारत के मजदूर वर्ग की एकजुटता का एक प्रदर्शन था। यह निर्णय लिया गया है कि 16 जून को देश भर में एकजुटता मनाई जाए ताकि बाद में सहायता सामग्री इकट्ठी करी जा सके। हमारी कर्नाटक राज्य समिति ने बताया कि अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की राज्य इकाइयों ने हिस्सेदारी नहीं करी। इस मामले पर अन्य संगठनों से बातचीत की गई। केन्द्रीय स्तर पर, सहायता राशि इकट्ठा करने की योजना बनाई जा रही है और हर संगठन से दो प्रतिनिधि लेकर एक कमेटी भी गठित करी गई है, कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी में फैसला लिया गया कि प्रति मजदूर रु० 10 के हिसाब से वो चन्दा देंगे जो उनके बेतन बिल में से कट जाएगा। अधिकारी इस राशि को सीधे प्रधानमंत्री कोष में जमा करने की योजना बना रहे हैं। इस चाल का विरोध किया जा रहा है। हमारी कुछ यूनियनों ने इस कमेटी को चन्दा भेजना शुरू कर दिया है। हमारा सुझाव

है कि वे चेक-ड्राफ्ट केन्द्रीय दफ्तर में भेजें ताकि यह पता रहे कि किस यूनियन से पैसा आ चुका है। राज्य समितियों को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

इस वर्ष भी 21 मार्च को रंगभेद विरोधी दिवस मनाया गया। तमिल नाडु की रिपोर्ट उत्साहजनक है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है—"राज्य के विभिन्न केन्द्रों में 21 मार्च को रंगभेद विरोधी दिवस मनाया गया। कई जगह सीटू और एटक ने संयुक्त रूप से मनाया। नेयवेली मे सीटू, एटक तथा एच० एम० एस० ने संयुक्त रूप से दिन मनाया। कोइमबत्तूर में सीटू, एटक इन्टक, एच० एम० एस० तथा एन० एल० ओ० ने संयुक्त कार्यक्रम किया। मदुरई में सीटू, एटक व इन्टक ने संयुक्त रूप से दिन मनाया। काम पर जाते समय मजदूरों ने बिल्ले पहने (जिन पर द० अफ्रीकी जनता के संघर्ष के साथ एकजुटता के नारे लिखे थे। कुछ अन्य जिलों में भी बिल्ले बनाकर बांटे गए। विभिन्न केन्द्रों में हुए कार्यक्रमों की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।"

यह रिपोर्ट किया जा चुका है कि मई 1987 में कोसाटू का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल भारत आएगा। इस मौके पर हमें उनके संघर्ष के साथ अपनी पूरी एकजुटता प्रकट करनी चाहिए।

फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष

इस दौरान, राष्ट्रीय पैमाने पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर आया वह है फूटपरस्त ताकतों की बढ़ोतरी और उनके द्वारा देश को टुकड़े-टुकड़े कर देने की कोशिशें। कानपुर सम्मेलन के दौरान, असम में अलगाववादी चुनौती चरम सीमा पर थी। उस सम्मेलन में कहा गया था कि—"असम की रक्त रंजित दास्तान का सबक हमारी सभी ट्रेड यूनियनों को सीखना चाहिए अगर देश की एकता को कायम रखना है। हालांकि भारत की जनता इसे समझ नहीं रही है, मगर यह भारत के प्रति एक स्पष्ट अलगाववादी खतरा है। पूँजीवादी अखबार, झूठ और फरेब फैला रहे हैं और अनेक पूंजीवादी विरोधी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। अलग-अलग भाषा बोलने वालों के बीच, मेहनतकशों के बीच आपसी दुश्मनी पैदा की जा रही है।" अमरीकी सूचना सेवा के दस्तावेज 'प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीकी दूत जीन कर्क पैट्रिक द्वारा प्रचारित कुख्यात दस्तावेज से उद्धरण देते हुए सम्मेलन ने चेतावनी दी थी कि इस आन्दोलन के पीछे अमरीकी समर्थन है मगर पूंजीपतियों भूस्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत सरकार इस पर गम्भीरता से नहीं सोच रही है। यहाँ तक कि चुनावी फायदों के लिये अवसरवादी समझौते का रुझान सामने आ रहा है।

जयपुर में हुई जनरल काउंसिल की मीटिंग में, समीक्षा करते हुए चेतावनी दी गई थी—"पूंजीपतियों—भूस्वामियों का गठजोड़, पुराने भू-संबंधों को जड़ से उखाड़ना नहीं चाहता और, इसलिये, राष्ट्र विरोधी तथा फूटपरस्त रुझानों के खिलाफ संघर्ष करने में भी असमर्थ है। सभी नव-स्वतंत्र देशों का यही अनुभव है। यही कारण है कि जनता और राष्ट्रों की एकता के लिए तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिये संघर्ष में मजदूर वर्ग और संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन को अहम भूमिका अदा करनी पड़ेगी। एसा न होने पर इस देश की एकता तेजी से खत्म होती जाएगी।" तमाम सीटू कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण राजनैतिक जिम्मेदारी दी गई थी। तभी पंजाब में स्थिति और भी गंभीर हो गई। भिंदरावाले के नेतृत्व में खालिस्तानी ताकतों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को हथियारों का अड्डा बनाकर वहां से खालिस्तान के लिए प्रचार और गैर-सिख जनता पर हमले और हत्या उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। अगले चार दिनों में दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तथा अन्य स्थानों में सिख जनता पर हमला हुआ। सबसे भीषण कांड दिल्ली में हुआ। यह सराहनीय बात है कि सीटू तथा अन्य जनवादी ताकतों ने सिख मजदूरों को बचाया और उन फैक्टरियों आदि को भी आगजनी या लूट से बचाया जिसके मालिक सिख थे। मगर, यह याद रहे कि हमले शुरु होने से पहले हमारे मजदूर सड़कों पर नहीं उतर सके। 31 मई से 8 जून 1985 तक त्रिवेंद्रम में हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पूरी स्थिति पर विचार किया और आगे के लिए सबक लिए। 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा अपनाए गए। राष्ट्रीय एकता के लिए और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध संयुक्त घोषणापत्र में एक ऐसा मौका दिया जिससे इस सवाल पर पूरे देश को जागृत करा जा सके। 11 मई 1985 को दिल्ली में एक कन्वेन्शन हुआ जिसमें उपस्थिति अच्छी थी। देशभर से सीटू के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वहा फैसला हुआ कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल पंजाब भेजा जाएगा। यह भी निर्णय हुआ कि 9 अगस्त 1986 को राष्ट्रीय एकता के लिए और साम्प्रदायिकता, फूटपरस्त ताकतों के विरुद्ध विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए.

यह अत्यन्त प्रशंसनीय है कि इस मुद्दे को सीटू के साथियों ने गंभीरता से लिया। सितम्बर 1986 में हुई वर्किंग कमेटी मीटिंग में इस प्रश्न पर गहरी चर्चा हुई। मीटिंग में यह दर्ज किया गया कि "पिछले 4-5 सालों से संकीर्णतावाद के खिलाफ लड़ रहे हमारे असम के साथियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि" हमारी पहल पर एक राज्य स्तरीय कन्वेशन हुआ। 3अगस्त को, इन्टक, एटक, एच:एम.एस. तथा यू.टी.यू.सी (लेनिन सारणी) की हिस्सेदारी के साथ यह कन्वेशन सफल हुआ। दिल्ली कन्वेशन के प्रस्ताव को क्षेत्रीय भाषामें अनुवाद करके उसपर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से पास किया गया। राज्य

भर में संयुक्त रैलियां व सभाएं करने की तैयारी चल रही है। राज्य की राजनैतिक परिस्थितियों में यह कार्यक्रम बहुत महत्व रखता है। हालांकि कन्वेंशन सफल रहा मगर किसी भी स्थानीय अखबार ने इसका समाचार नहीं छापा। अतः प्रेस काउंसिल के सामने शिकायत दर्ज करी गई है।"

त्रिपुरा में हमारे साथियों को टी.एन.वी. के खूनी हमलों का सामना करना पड़ रहा है जो कि बंगाली और त्रिपुरी लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश में लगा है। राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम वहां मनाया गया (ब्यौरा उनकी रिपोर्ट में है)। इन हमलों के खिलाफ जनता को जागृत करना हमारे साथियों का प्रमुख उद्देश्य है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि "टी.सी.के. एस के सक्रिय सदस्य तथा सीटू कार्यकर्ता का. अमीया चक्रवर्ती की 28 जून 1986 को निर्मम हत्या के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया गया।"

असम के साथियों की भाँति, पंजाब सीटू ने भी लगातार साम्प्रदायिक सद्भाव के हक में मजदूरों को लामबन्द किया है. आम तौर पर मजदूरों की एकता बनाए रखने में वे सफल रहे हैं आम तौर पर मजदूरों की एकता बनाए रखने में वे सफल रहे हैं। उनकी रिपोर्ट पर आने से पहले, दिल्ली राज्य समिति की रिपोर्ट देखें—"दिल्ली पर पंजाब की घटनाओं का सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा, सभी सम्प्रदायों के कट्टरपंथी तत्व, साम्प्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं। चाहे वह राम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद का सवाल हो या कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार हो, भा.ज.पा. तथा उसके संगठन शिव शक्ति दल, हिन्दू शिव सेना, हिन्दू मंच, बाल्मीकि सेना, बजरंग दल आदि लगातार पर्चे व पोस्टर निकाल रहे हैं। हिन्दू समुदाय को भड़काने के लिए, पुनर्वास कालोनियों में त्रिसूल बांटे जा रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने दशमेश सेना का गठन किया है.

11 मई को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिल्ली में आयोजित संयुक्त कन्वेशन में दिल्ली से करीब 200 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया.

साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर राज्य समिति ने अभियान छेड़ने का फैसला लिया। इसके पहले चरण में (15 से 21 मई तक) कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने का फैसला हुआ तथा दूसरे चरण में (1 से 15 जून तक) नुक्कड़ मीटिंगे, आम सभाएं आदि करने का। इस फैसले को अमल में लाते हुए गाजियाबाद में 11 मीटिंगे तथा दिल्ली में 22 मीटिंगे व एक प्रदर्शन किया गया। राज्य समिति ने 10 हजार पर्चे भी निकाले जो तमाम राज्य में बांटे गए।

पंजाब समझौते के खिलाफ लोकदल द्वारा हरियाणा में चलाये जा रहे आन्दोलन के कारण फरीदाबाद में साम्प्रदायिक तनाव भड़क उठा.

18 दिसम्बर 1986 को साम्प्रदायिक सद्भाव समिति द्वारा आवामी मार्च का आयोजन किया गया. इस समिति में विभिन्न प्रमुख व्यक्ति, अध्यापक, वकील, न्यायाधीश, कलाकार आदि शामिल थे. आवामी मार्च के पहले विशाल प्रचार अभियान में सीटू ने अपनी पूरी क्षमता से हिस्सेदारी की और कई हजार पर्चे बांटे, बिल्ले बेचे, गेट मीटिंगे तथा इलाके में मीटिंगे करी. राज्य समिति ने निर्णय लिया कि इस मार्च के लिए कुल सदस्यता का 50% को लामबंद किया जाएगा. इस निर्णय को अमल में लाने के लिए राज्य समिति से लेकर फैक्टरी स्तर तक का पूरा संगठन हरकत में लाया गया. मार्च में, गाजियाबाद फरीदाबाद तथा दिल्ली से कुल 10,000 सीटू के साथियों ने शिरकत करके इसे अभूतपूर्व सफलता प्रदान करी.

आम तौर पर यह देखा गया है कि अपनी आर्थिक माँगों के लिए मजदूरों में उत्साहजनक प्रतिक्रिया होती है मगर इस अनुभव से पता चला कि निर्णय लेकर, योजनाबद्ध तरीके से उसे मजदूरों के बीच ले जाया जाए और उसके महत्व को समझाया जाए तो वे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी गम्भीरता से सोचते हैं। आवामी मार्च में मजदूरों की शिरकत हमारी आकाक्षाओं से कहीं ज्यादा रही। यहाँ तक कि बी.एम.एस. जैसे संगठनों द्वारा उन्हें इस मार्च में जाने से रोकने के प्रयासों को भी मजदूरों ने नाकाम कर दिया।"

पंजाब राज्य समिति की रिपोर्ट में कहा गया है: 1 मार्च 1983 में अबोहर में हुई कांग्रेस के बाद पंजाब में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। अमरीकी साम्राज्यवाद तथा पाकिस्तानी सैनिक शासन से समर्थित धार्मिक कट्टरपंथी अपनी आतंकवादी गतिविधियां जारी रखे हैं और साम्प्रदायिक झगड़े शुरु करवाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। हिन्दू-सिख के बीच दरार बढ़ती जा रही है और घृणा की शक्ल ले रही है। अतः सीटू राज्य समिति तथा संबद्ध यूनियनों की, इस दौरान, मुख्य जिम्मेवारी साम्प्रदायिक सद्भाव और देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना रहा. आतंकवादियों-अलगाववादियों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष में संगठन, स्वतंत्र रूप से, या अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से, व्यस्त रहा.

1983,84,85 और 86 के मई दिवस इस वैचारिक संघर्ष की मुख्य जिम्मेवारी को ध्यान में रख कर मनाये गये। मई दिवस

के आयोजनों में मजदूरों व अन्य मेहनतकशों की ओर से विशेष प्रयास इस ओर किया गया कि आतंकवादियों-अलगाववादियों को अलग-अलग किया जाए और देश की एकता व अखंडता तथा साम्प्रदायिक सदभाव की प्रतिरक्षा करी जाए। 1983 और 1984 में पंजाब में मई दिवस सीटू द्वारा स्वतन्त्र रूप से या कुछ जगह एटक के साथ मिलकर, बड़े जोर-शोर से मनाए गए। इन कार्यक्रमों की तैयारी में, पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर गेट मीटिगें, पोस्टर व दिवार पर नारे लिखना आदि करा गया। मई दिवस पर अमृतसर, राजपुड़ा, चण्डीगढ़, मोहाली, खराड़, नांगल, बटाला, पठानकोट, असरों, संगरुर, जालन्धर, अबोहर, लुधियाना तथा तलवाड़ा आदि में बड़े शांति मार्च तथा सभाएं की गई। 12 मार्च 1984 को 'खालिस्तानियों' ने धमकी दी कि अमृतसर के सीटू दफ्तर को बन्द कर दिया जाए और अगले ही दिन यानि बैसाखी पर, दफ्तर पर हमले का असफल प्रयास किया गया। शहर के मजदूरों को सीटू ने संगठित किया और पारम्परिक हथियारों से लैस 5000 मजदूरों का जुलूस निकाला गया जिससे न केवल आतंकवादी हतोत्साहित हुए बल्कि शहर की आम जनता को प्रोत्साहन मिला। यह कार्यक्रम सीटू तथा एटक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित करा गया। 1985 का मई दिवस भी बड़े पैमाने पर बनाया गया और इसके लिए सराहनीय तैयारीकी गई। इन दिनों पंजाब के ट्रेड यूनियन काम में पुलिस, सी. आर. पी. एफ. तथा बी. एस. एफ. का हस्तक्षेप सीमा पर था। इस कारण, मजदूरों को मौका मिला दमन तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के हनन के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने का. यही कारण था कि मई दिवस पर मजदूरों ने अभूतपूर्व ढंग से शिरकत करी.

जनवरी 1984 का दूसरा सप्ताह, अमृतसर शहर को सीटू व एटक कमेटियों द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया गया जिसके तहत इलाकों में मीटिंगें की गई व मशाल जुलूस निकाले गये। 16 मई 1984 के छेहारता में एक रैली करने की घोषणा करी गई तो आतंकवादियों ने घोषणा की कि इसे कामयाब नहीं होने देंगे और पुलिस ने भी रैली न करने के लिए दबाव डाला. भिंडरांवाले का प्रभाव जब चरम सीमा पर था तब उसके जहरीले प्रचार के खिलाफ हुई इस रैली में 5000 मजदूरों ने पारम्परिक हथियारों के साथ रैली करी और पुलिस के भाग जाने के बावजूद स्वयं रक्षा का प्रबन्ध करा। इस वर्ष भी मई दिवस पर शहर में मजदूरों ने पारम्परिक हथियारों के साथ जुलूस नकाले. साँप्रदायिक सद्भाव के संघर्ष के अलावा आर्थिक संघर्षों के अलावा आर्थिक संघर्षों की मुख्य धार भी साम्प्रदायिक और फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष की रही. 31 मई को न्यूनतम वेतन की मांग पर 30 हजार मजदूरों ने सफल हड़ताल करी हालांकि आतंकवादियों ने घोषणा करी थी कि इसे तोड़ने के लिए वे पूरा जोर लगाएँगे आतंकवादियों-अलगाववादियों के खिलाफ नारे लगाता हुआ जुलूस पुतलीघर में शुरू हुआ. 10 हजार मजदूरों का यह जुलूस अमृतसर के ट्रेड यूनियन इतिहास में शानदार घटना बन गया है. क्योंकि उस समय सरकार बेअसर और निठल्ली बन गई थी और भिंडरांवाले के चेलों की हिंसात्मक कार्यवाही तेजी पर थी.

भटिंडा और मलौत में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और पंजाब समझौते को लागू कराने के लिये सीटू ने कन्वेन्शन करे जहां मजदूरों ने क्रमश: रु० 23 हजार और रु० 11 हजार चन्दा दिया।

11 मई को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय कन्वेन्शन के निर्णयानुसार अमृतसर और जालन्धर में जून 12 और 13 को दो बड़े, संयुक्त कन्वेन्शन किए गए जिनको ट्रेड यूनियनों के अखिल भारतीय नेताओं ने संबोधित किया. सीटू जनरल सेक्रेट्री का० समर मुखर्जी ने आतंकवादियों के पीछे साम्राज्यवादी साजिश को पहचानने की अपील करते हुए मजदूर वर्ग से आग्रह किया कि इन राष्ट्रविरोधी ताकतों को जनता से अलग-अलग करें और गाँव तथा मोहल्ले के स्तर पर अपनी रक्षा कमेटियाँ बनाए". मजदूरों और कर्मचारियों में काम करने वाली राज्य की ट्रेड यूनियनों को बड़ी संख्या में उस कन्वेशन में इकट्ठा किया और राज्य के लोगों को भारी उत्साह प्रदान किया. इन कन्वेन्शनों में सीटू तथा एटक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा.

भारत की एकता और अखण्डता दिवस के रूप में 9 मई 1986 मनाया गया। मगर कुछ केन्द्रों को छोड़कर एटक ने संयुक्त आयोजन से इन्कार कर दिया. जनता तक साम्प्रदायिक सद्भाव का संदेश पहुँचाने और अलगाववादियों तथा आतंकवादियों के खिलाफ उन्हें जागृत करने के लिए एक पखवाड़े तक जत्थे निकाले गए। इनमें सीटू के साथियों ने अच्छी तादाद में हिस्सेदारी करी. असरों तथा शेला खुर्द में झंडा मार्च में मजदूरों ने बड़ी संख्या में शिरकत की. 12 मार्च को जिला स्तर पर प्रदर्शन किए गए जिसमें भी सीटू के मजदूरों ने अच्छी संख्या में हिस्सेदारी की. 5 अप्रेल को राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब बचाओ दिवस, पूरे राज्य में गेट मीटिंगें करके मनाया गया।"

राज्य समिति ने आगे बताया है कि कम से कम 400 मजदूरों का राज्य स्तरीय जत्था, एक हफ्ते या 15 दिन के लिए निकाला जाएगा जो कि अमृतसर में एक बड़ी रैली में खत्म होगा. सीटू की पंजाब राज्य समिति द्वारा चलाए गये वैचारिक संघर्ष तथा साम्प्रदायिक सदभाव के अभियान के अच्छे फल मिले हालांकि आर्थिक परिस्थिति अस्त-व्यस्त रही और कई औद्योगिक संस्थानों को बन्द करना पड़ा लेकिन उन्होंने अपना काम और संगठन बरकरार रखा तथा मजदूरों के हक के लिये और

बेहतर जीवन के लिए संघर्ष तेज करा. अनेक रैलियां, प्रदर्शन तथा हड़तालें हुई । इसी कारण वे अपनी सदस्यता को बढ़ा पाए हैं.

असम की रिपोर्ट में कहा गया है कि—"सीटू यूनियनों के तहत संगठित तमाम मजदूरों व कर्मचारियों ने सात साल लम्बे विघटनकारी आन्दोलन के खिलाफ बहादुरी से लड़ा. कड़ी मुसीबतों के बावजूद इन विघटनकारी ताकतों के सभी आन्दोलनात्मक गतिविधियों का डट कर मुकाबला करा गया । सीटू के परचम, यानि एकता के परचम को ऊँचा रखने के लिए 8 कामरेडों व एक हमदर्द ने अपनी जान गंवाई. इसी तरह खालिस्तान तथा जी एन. एल. एफ. के आन्दोलन को समझाने के लिये अभियान चलाए गए. इस सम्बन्ध में सीटू के सभी निर्णयों को अमल में लाया गया।"

उड़िसा राज्य समिति ने बहुत ब्यौरेवार रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि "मई 1983 के आखिरी सप्ताह में विभिन्न यूनियनों द्वारा आम सभाएँ, गेट मीटिंग तथा जी. बी. करके असम दिवस मनाया गया । असम की स्थिति के विषय में पुस्तिकाएँ मजदूरों में बेची गई.

इसी तरह पंजाब पर जो साहित्य उपलब्ध था वह मजदूरों में बेचा गया. पंजाब के मसले पर का० सुरजीत के जो कार्यक्रम भुवनेश्वर तथा कटक में हुये उनमें मजदूरों तथा कर्मचारियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया ।

श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई । हमारे साथियों तथा कुछ यूनियनों ने साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में सक्रिय हिस्सा लिया । राउर केला में हमारे साथियों ने पुलिस के साथ विशेष दस्ते के रूप में काम करते हुये साम्प्रदायिक हिंसा को रोका जिसके कारण वहाँ के सिख निवासियों का हमारे प्रति लगाव बना है. झरसुगुदा में भी हमारे साथियों ने सामान्य परिस्थिति बनाने में मदद करी. भुवनेश्वर तथा कटक में हमारे साथियों ने सिख लोगों को आश्रय दिया और सुरक्षा दी. जनवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ संयुक्त रूप से जलूस व मीटिंगें आयोजित करी गई । बारबिल जिला केंवझर में भी हमारी यूनियन ने सिख समुदाय की रक्षा के उपाय किये.

मयूरभंज, सुन्दरगढ़, केवझर तथा सम्बलपुर जिलों के पहाड़ी क्षेत्र में झारखण्ड आन्दोलन सर उठा रहा है । मयूरभंज में वे अब खुले रूप में सामने आ गए हैं तथा सशस्त्र जुलूस निकालते हैं. उन्होंने 26 जनवरी के बहिष्कार का नारा दिया था रायरंगपुर में जुलूस निकाला. सुन्दरगढ़ खान इलाके में भूमिगत मीटिंगे शुरु की गई हैं । इस प्रकार की एक मीटिंग को तुड़वा दिया गया और इसाई धार्मिक नेता के भेष में आए हुए आयोजको को उसी गिरजे के अनुयायी मजदूरों ने भगा दिया तथा झारखण्ड की मांग की निंदा करी । हमारी यूनाइटेड माइन मजदूर यूनियन ने इसमें पहल करी है । आदिवासी मजदूरों के बीच काम की योजना हमारी राज्य समित ने बनाई है । उनके जीवन से संबंधित आर्थिक व सामाजिक मुद्दों को झारखण्ड आन्दोलन वाले गलत दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं.

हाल ही में हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई साम्प्रदायों के कट्टरपंथियों ने पूरे राज्य में अपनी गतिविधियाँ शुरु कर दी हैं । राज्य का वातावरण तनावपूर्ण बनाने में कई घटनाओं का योगदान है-पूरे राज्य में असामयिक जगन्नाथ रथ यात्रा, धामनगर, जिला बालासोर में एक मुस्लिम त्यौहार जिसमें राज्यपाल को जाना था वहां राष्ट्रगान गाने से इन्कार करना, फुलबनी जिले में गाय का कटा हुआ सिर पाया जाना, जारी, जिला कटक में अन्तरजातीय विवाह को लेकर उच्च जाति तथा हरिजनों के बीच झगड़ा, हिन्दू, मुस्लिम तथा इसाई कट्टरपंथियो एवं हरिजन नेताओं द्वारा अनेक जगहों पर मीटिंगे जिसमें कांग्रेस (इ) व जनता पार्टी के नेताओं तथा सरकारी अफसरो की उपस्थिति, जुलूस तथा उत्तेजक चेतावनियां आदि. 3 और 4मार्च 1987 को सीटू राज्य कमेटी की मीटिंग में यह नोट किया गया कि हमारा यूनियने इस तनाव को रोकने में कमजोरी दिखा रही है । मार्च व अप्रैल-इन दो महीनों के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने तथा अन्य कार्यक्रमों के बारे में फैसला लिया गया. बेरहामपुर में सीटू तथा अन्य जन संगठनों द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए आयोजित एक आम सभा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने बम फेंके.

9 अगस्त 1986 को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस, एटक के साथ मनाया गया । एक आम सभा हुई जिसमें बैंक एम प्लाईज फेडरेशन, एल.आई.सी, जी.आइ.सी तथा राज्य सरकार कर्मचारी कोआर्डिनेशन कमेटी भी शामिल हुए । सीटू द्वारा यह दिवस बालासोर, झरसुगुदा, बोलानी, पारादीप, राउरकेला, कटक, जोडा आदि स्थानों पर भी मनाया गया । राज्य समिति के सदस्य इन मीटिंगों में उपस्थित थे । आखिरी पल तक इन्टक ने टालमटोल करा और फिर 2-3 जगहों पर अलग से कार्यक्रम करे । एच.एम.एस., बी.एम.एस. तथा यू.टी.यू.सी. (लेनिनसारणी) द्वारा इन आयोजनों में न कोई रुचि दिखाई गई न ही वे शामिल हुए । इस मौके पर आयोजित आमसभा के लिये जब यूनाइटेड माइन मजदूर यूनियन (सीटू) के साथी आ रहे थे तब उच्च पुलिस अधिकारियों तथा एस.डी.ओ. के सामने सेल मैनेजमेन्ट के गुण्डों ने घातक हथियारों से उनपर हमला करा । यह घटना बारसौन रेलवे स्टेशन, जिला सुन्दरगढ़ में हुई और महि-

लाशों सहित 20 साथयों को गम्भीर चोटें आई। इससे पहले 11 मई 1986 को दिल्ली में हुए कन्वेशन में हमारी राज्य समिति के 2 सदस्य शामिल हुए.

इन सभी अभियानों में, साम्राज्यवादी ताकतों की भूमिका को नंगा करा गया। विशेषकर पंजाब की घटनाओं से आम आदमी को यह समझ में आ रहा है कि किस तरह अमरीकी साम्राज्यवाद भारत में अस्थिरता पैदा करने की नापाक साजिश में लगा हुआ है.

तामिल नाडु की रिपोर्ट में कहा गया हैं कि" अन्य अखिल भारतीय मुद्दों के अलावा, इस राज्य में श्री लंका तथा भाषा का सवाल इस दौरान गंभीर रूप से उभरा है। संकीर्णतावादी तबको द्वारा जनता को भड़काने की कोशिश के चलते सीटू ने मजदूरों को सही समझ देने की भूमिका अदा करी है जिसका असर भी पड़ा. (इस प्रश्न पर ब्यौरा आगे देखिए)

जब हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतों ने धर्मपरिवर्तन तथा अन्य मुद्दे उठाए तो हमारी यूनियन ने विशेषकर कन्याकुमारी जिले में अपनी भूमिका अदाकी और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए प्रचार किया.

असम, गोरखालैण्ड, पंजाब, राम जन्म भूमि। बाबरी मस्जिद आदि सवालों पर अभियान चलाए गए, पर्चे निकाले गए तथा मीटिंगे की गई। अन्य बिरादराना संगठनों के साथ संयुक्त प्रयास भी किए गए. अक्टूबर1984 में श्रीमती गाँधी की हत्या के बाद कोइमाबतूर में कुछअसामाजिक तत्वों ने सिख व्यापारियों पर हमले की कोशिश की जिसे हमारे मजदूरों के हस्तक्षेप के कारण रोका गया। इस मामले में हमारी यूनियनों ने पहल करी। मुस्लिम महिला बिल का सवाल भी हमने उठाया। कुछ अन्य फूटपरस्त ताकते जो स्वयंसेवी संस्थाओं के भेष में कुछ इलाको में सक्रिय है, वहां ट्रेड यूनियने गठित करने के प्रयास करे. कुछ अति वामपंथी गुटों तथा एस.यू.सी.आई. ने भी यूनियन बनाने की कोशिशे करी हैं। इन्हें आम तौर पर सफलता नही मिल पाई है। हालाँकि वे बड़ी शक्ति नहीं है मगर यह अति वामपंथी गुट कुछ फैक्टरियों में सक्रिय हैं और इनके हमले का मुख्य निशाना सीटू तथा उसके कार्यकर्त्ता ही रहते हैं."

कर्नाटक राज्य समिति की रिपोर्ट में कहा गया है—" मजदूरों की मीटिंगों में भाषण देते समय साम्राज्यवादी समर्थन प्राप्त फूटपरस्त ताकतों के खतरों को समझाया जाता है। कुछ यूनियनों की जनरल बाडी मीटिंगों में खालिस्तानी आतंतवादियों, गोरखालैण्ड आन्दोलन, श्री लंका की परिस्थिति तथा धार्मिक कट्टरतावाद पर चर्चा होती है.

सीटू राज्य समिति ने 2 से 8 नमम्बर 1986 को गोरखालैंड, विरोध सप्ताह मनाने का आह्वान किया. कुछ यूनियनों ने मीटिंगें करी तथा पर्चे बाँटे. बैंगलोर में सीटू द्वारा आयोजित, एक सभा को पं० बंगाल वाम मोर्चा सरकार के लैन्ड रेवेन्यू मंत्री का बिनोय कृष्ण चौधरी ने संबोधित किया."

पंजाब की प्रतिक्रिया में जब हरियाणा में भावनाओं को भड़काने, के प्रयास चल रहे थे तब हमारे हरियाणा के साथियों ने सराहनीय काम किया. एक समय तो ऐसा था उन्हें बिल्कुल अकेले ही लड़ना पड़ा मगर इससे वे विचलित नहीं हुए। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि- "यह बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा, संघर्ष समिति द्वारा 'धर्मयुद्ध' व 'न्याय युद्ध' के नाम पर पंजाब विरोधी आन्दोलन के दौरान, हरियाणा के मजदूर वर्ग की एकता बरकरार रही. संघर्ष समिति के नेता, हरियाणा के मजदूरों को शामिल न कर सके. ऐसा सिर्फ इसलिये हुआ क्यों कि सीटू ने लगातार राष्ट्रीय एकता पर बल दिया. सिर्फ संगठित मजदूर वर्ग ही धर्मनिर्पेक्षता को संजोकर रख सकता है. हरियाणा, सरकार के तानासाहीपूर्ण रवैये के बावजूद, हरियाणा की सीटू मजदूरों को संगठित करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं.

इस बीच पं० बगाल में एक नया हमला शुरु हुआ. गोरखा लैंड, का नारा लेकर, साम्राज्यवादी मदद पाने वाली तोड़-फोड़ और अलगाववादी ताकतों ने अपना सिर उठाया. उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों तथा जलपाइगुड़ी के तराई क्षेत्रों में जी. एन. एल. एफ. सक्रिय हो गया. साँसद तथा वर्किंग कमेटी सदस्य का आनन्द पाठक ने गृहमंत्री को एक पत्र में लिखा- "अप्रेल 1986 में जी. एन. एल. एफ. ने अपनी हिंसात्मक कार्यवाही, शुरु करी और उसके गुन्डों ने तब से 600 से अधिक घर जला डाले, 30 से ज्यादा लोगों को मार डाला, दर्जन से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया तथा 3000 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया है. पहाड़ी इलाके की अर्थ-व्यवस्था तहस नहस हो गई है. अनिश्चित परिस्थिति के कारण पर्यटन जो इस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है, प्रायः खत्म हो गया है. इस इलाके का प्रमुख आर्थिक आधार चाय है जिसे भारी क्षति हुई और रु० 6 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है. चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को, आन्दोलन के कारण रु० 1 करोड़ का वेतन खोना पड़ा है."

प० बंगाल की रिपोर्ट में यह डर व्यक्त करा गया हैं कि कांग्रेस (इ) पार्टी तथा उनकी केन्द्र सरकार के कमजोर और समझौता परस्त रवैये के कारण अलगाववादी ताकतें प्रोत्साहित हो रही हैं और उत्तराखण्ड, कामतापुरी, झारखण्ड आदि की माँग करने वाली अन्य फूटपरस्त ताकत उभर कर आई हैं.

दार्जिलिंग क्षेत्रों तथा जलपाइगुड़ी में हमारी नेपाली भाषी साथियों तथा अन्य मजदूरों द्वारा शानदार संघर्ष को बयान करना आवश्यक है. जी. एन. एल. एफ. का आतंक इस हद तक था प्रायः सभी 70 चाय बागान अलग थलग टापुओं की तरह बन गये थे जहाँ केवल सीटू का लाल झंडा फहराता था। सीटू के झंडों को गिराने के लिए अनेक हमले हुए. अपनी जान की बाजी लगाकर मजदूरों ने झंडे की रक्षा करी। जी. एन. एल. एफ. के हमलों के प्रति इस बीरतापूर्ण संघर्ष के लिए हम अपना साथियों को गर्मजोशी से बधाई देते हैं. खूनी हमलों के बावजूद, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिये संघर्षरत, उड़ीसा के खदानों, पंजाब तथा अन्य स्थानों के साथियों को भी हम गर्मजोशी से बधाई दृतु हैं.

श्री लंका

भारत और श्री लंका की सरकारों का ध्यान, श्री लंका के तमित मूल के निवासियों की जातीय समस्या के प्रति लगा रहा है. पहले कुछ समझौता भी हुआ जिसे अमल में नहीं लाया गया. पिछले 4-5 सालों में स्थिति ने गम्भीर मोड़ ले लिया है जबकि तमिल जनता पर श्री लंका सेना द्वारा हमले तेज कर दिये गए हैं. भारतीय सेना के हस्तक्षेप की माँग उठाने में संकीर्णतावादी ताकतें आपस में स्पर्धा कर रही हैं. वामपंथी ताकतों का एक तबका भी भावनात्मक रूप से शामिल हो गया.

इसके अलावा, तमिल नाडु की जनता पर केन्द्र से हिन्दी थोपे जाने के कारण भी गंभीर परिस्थिति उठ खड़ी हुई. इस मुद्दे का, अपने निहित स्वार्थों के लिये प्रायः सभी पार्टियों ने फायदा उठाकर कांग्रेस (इ) के खिलाफ गुस्सा पैदा करने का प्रयास किया । इन कठिन हालत में, सीटू कार्यकर्ताओं को अन्य जनवादी ताकतों के साथ मिलकर काम करना पड़ा. तमिलनाडु राज्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—" जब श्री लंका में तमिलों का कत्ले आम तेज हुआ और भारत में शरणार्थी बड़ी तादाद में आने लगे तो तमिलनाडु की जनता स्वाभाविक रूप से चिन्तित हुई और गुस्सा भी आया. द्र. मु. क. के नेतृत्व में संकीर्णतावादी ताकतो ने अपने फायदे के लिए इसका फायदा उठाया. भा. रु. पा. तथा एटक समेत सभी ने मांग करी कि भारतीय सेना को सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए । इस परिस्थिति का सामना करने के लिये सीटू तथा अन्य बिरादराना संगठनों को बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इस माँग का विरोध करना पड़ा और साथ ही तमिल जनता पर अमानवीय हमलों की भी निंदा करनी पड़ी.

कुछ समय बाद हम जनता के एक तबके को विश्वास दिला पाए कि भारत भरकार की तरफ से सैनिक हस्तक्षेप की माँग अव्यावहारिक है. इसी के साथ हमारी यूनियनों ने राज्य व्यापी बन्ध से भी हिस्सा लिया जिसे राज्य सरकार की पहल पर राजनैतिक दलों ने आयोजित किया. कुछ समय बाद हम सफल रूप से यह अभियान चला पाए कि अलग ईलम की मांग सही नहीं है और यह सवाल श्री लंका की एकता के ढांचे के तहत, तमिल जनता को स्वायत्तता देकर ही हल किया जा सकता है ।

अब यह कहा जा सकता है कि आम तौर पर जनता हमारी समझ से संतुष्ट हैं. द्र. मु. क. तथा अ. द्र. मु. क. का संकीर्णतावादी नेतृत्व, अब सैनिक हस्तक्षेप की माँग नहीं उठा रहा है । भा. क. पा. तथा एटक भी अब हमारी समझ के अनुरूप काम कर रहे हैं.

भाषा के सवाल पर हाल में राज्य व्यापी संघर्ष हुआ. हिन्दी सप्ताह के सम्बन्ध में जारी करे गये एक सर्कुलर के कारण यह विवाद खड़ा हुआ. द्र. मु. क. तथा भाषा के सवाल पर उसके समर्थकों ने इसका फायदा उठाकर, हिन्दी थोपने के खिलाफ बड़े पैमाने पर आन्दोलन छेड़ दिया जो कि अन्तत, हिन्दी भाषा तथा हिन्दी भाषी लोगों के खिलाफ घृणा पैदा करने तक पहुंच गया. इस संघर्ष में जनता का बड़ा समर्थन प्राप्त करने की आशा से द्र. मु. क. ने कई कार्यक्रमों की योजना बनाई जिसके अन्त में संविधान के एक अनुच्छेद की प्रतियाँ जलाई गई.

अपनी तरफ से हमने, हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा को थोपने का बिरोध करते हुए अपनी समझ का प्रचार किया. इस बार भाषा के सवाल "हमारे अभियान को लोगों ने बहुत सराहा."

पिछले चार वर्षों में साम्प्रदायिक तथा जातिवादी भावनाओं को भड़काने के प्रयास किए गए हैं. पहले की घटनाओं से ये कुछ भिन्न हैं. हाल में, जो बड़े स्तर पर यह हुआ है उसका कारण साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित कट्टरपंथियों द्वारा अपनी गतिविधियों को तेज करना है । कुछ का कारण देश में बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति है और उनको शासक वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हैं. उद्देश्य है जनता को, विशेषतः मजदूर वर्ग को बाँटकर रखना. अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित धार्मिक कट्टरपंथी जनता को साम्प्रदायिक और जातिवादी आधार पर बाँटना चाहते हैं. बाबरी मस्जिद/रामजन्मभूमि विवाद को फिर से भड़काया जा रहा है. कुछ ही दिन पहले राजधानी में, बाबरी मस्जिद की माँग पर मुस्लिम जनता का मजबूत प्रदर्शन हुआ जिसमें ऐसा जोश और भावुकता थी कि पहले कभी नहीं देखी गई.

महाराष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात का चित्रण है कि कैसे आर्थिक संकट से ध्यान हटा कर मजदूरों को आपस में लड़वाया

जा रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है—"आजादी के 35 वर्षों में पहली बार मई 1984 में बम्बई में साम्प्रदायिक दंगे हुए और साथ ही भिवंडी तथा थाणे में. 1986 के पहले 9 महीनों में महाराष्ट्र में 20 दंगे हो चुके हैं. पिछले दो सालों में अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य नगरों में साम्प्रदायिक दंगे होते रहे हैं. वहाँ आरक्षण के सवाल पर जातिवादी आग भी भड़क रही है. साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा अनुसूचित जातियों व जन जातियों पर अत्याचार की घटनाएं महाराष्ट्र में और पूरे देश में बढ़ रही हैं. साम्राज्यवादी देशों से मदद लेकर 'वामपंथी' पर्दे के पीछे काम करने वाले संगठन, आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं. दशहरे के दिन शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने बम्बई में एक आम सभा में कहा कि 'धर्म युद्ध' के लिए हथियार इकट्ठे करने शुरू करो और उसी दिन रा० स्व० संघ प्रमुख बालासाहेब देवरस ने एक अन्य सभा में माँग की कि संविधान से 'धर्मनिर्पेक्ष' तथा 'अल्पसंख्यक' शब्द हटा दिए जाने चाहिए."

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र में स्थिति अत्यन्त गम्भीर हैं. साम्प्रदायिक ताकतों में सबसे प्रमुख आज शिव सेना है. मराठी आदमी की शुभचिंतक के रूप में 20 साल पहले शिव सेना का उदय हुआ था. मजदूरों को बांटने और वामपंथी ट्रेड यूनियनों की हड़तालों को तुड़वाने के अपने काम में उसे पूंजीपतियों और वसन्तराव नायक की कांग्रेस सरकार का समर्थन मिलता था. भाषायी संकीर्णतावाद उसका प्रमुख आधार था हालांकि उस समय भी हिन्दू साम्प्रदायिक रुझान झलकता था. इमरजेन्सी के बाद, उसकी ताकत कमजोर होती गई और भाषाई संकीर्णतावाद का आकर्षण भी कम हो गया. मगर पिछले तीन सालों में अन्ध हिन्दू कट्टरता ही उसका प्रमुख प्रचार बिन्दु बन गया है. शिव सेना का हमलावर रुख अन्य सभी हिन्दू कट्टरपंथी ताकतों से ज्यादा है जैसे आर.एस.एस., भा. ज. पा., विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू एकता आन्दोलन तथा पतित पावन संगठन. 1984 के भिवंडी दंगों में शिव सेना सबसे आगे थी और उसके बाद से अनेकों साम्प्रदायिक दंगों में उसकी शिरकत रही है. महाराष्ट्र सरकार आंख बन्द करके बैठी है. 1985 में बम्बई नगर निगम चुनावों में कां० (इ) की अन्दरुनी गुटबाजी के कारण वसंतदादा गुट ने शिव सेना की मदद की और वे चुनाव जीत गए हालांकि सिर्फ 4 महीने पहले हुए विधान सभा चुनावों में शिव सेना का कोई असर नहीं पड़ा था. थाणे में भी नगर निगम में शिव सेना जीती. इन दो जीतों के बाद उसे काफी प्रोत्साहन मिला है, उनका प्रचार जोर-शोर से चल रहा है, आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं और हिन्दू कट्टरता का हथियार लेकर ग्रामीण महाराष्ट्र में फैलने की पूरी कोशिस है. इनकी साम्प्रदायिकता का दूसरा पहलू है दलितों पर अत्याचार जैसा कि नासिक, फलटण और औरंगाबाद की घटनाओं से पता चलता है.

मुस्लिम सम्प्रदाय की स्थिति और भी गंभीर है. देश में बढ़ते हुए दंगे, हिन्दू साम्प्रदायिकता का हमलावर रुख तथा सरकार की दोगली भूमिका के कारण मुस्लिम जनता यह समझने लगी है कि उनका धर्म खतरे में है और उनकी कौम पर खतरा है. अतः, कट्टरपंथियों का प्रभाव उनके बीच भी तेजी से बढ़ रहा है. शाहबानो के मामले में बम्बई में 1 लाख लोगों का प्रदर्शन तथा प्रगतिशील मुस्लिम कार्यकर्ताओं को तंग करना (कोल्हापुर का प्रोफेसर रहिमतपुरे का मामला) आदि इस बात को दर्शाते हैं आज मुस्लिम समुदाय पर मुस्लिम लीग, जमात-ए-इस्लामी, इत्तेहाद-ए-इस्लामी तथा ऐसे अन्य कट्टरपंथी संगठनों की पूरी पकड़ है.

एक और मुद्दा है जो जनता के बीच फूट डाल रहा है. यह है शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन में आरक्षण का सवाल. यह सभी जानते हैं कि बेरोजगारों तथा अन्य लोगों को बांटने के लिए 'धरती के पूत' का नारा उठाया जाता है. एक तरफ जहां ट्रेड यूनियन एकता मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं वहां मजदूर वर्ग को बांटने के लिए, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े समुदायों को मिली सुरक्षा को इस्तेमाल किया जा रहा है. गुजरात में आरक्षण के समर्थकों व विररोधियों के बीच लड़ाई, वहां की सरकार और पूंजपतियों द्वारा मजदूरों को बांटने में एक सफलता के रूप में सामने आती है. गुजरात की रिपोर्ट में लिखा गया है "विधान सभा चुनावों के पहले, राज्य सरकार ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा दिया. चुनाव के बाद आरक्षण विरोधी आन्दोलन भड़क उठा, जिसके कारण पूरे राज्य में सामान्य जीवन पर असर पड़ा विशेषकर अहमदाबाद, बड़ोदा और सूरत में कुछ समय बाद इसने साम्प्रदायिक और जातिवादी दंगों का रुख ले लिया. एक तरफ अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोग हैं और दूसरी तरफ हैं पटेल. आमतौर पर पटेल, जमींदार और बड़े किसान होते हैं तथा सरकार पर कब्जा रहता है. मगर माधवसिंह सोलंकी के मुख्यमंत्री बनने से पूरी पटेल लॉबी तथा भा० ज० पा० व जनता पार्टी का एक गुट-आरक्षण के खिलाफ उठ खड़ा हुआ. आरक्षण पूरी तरह खत्म करने की माँग लेकर आन्दोलन शुरू हो गया.

आरक्षण के समर्थन और विरोध में आन्दोलन चल ही रहा था कि रोस्टर के सवाल पर सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन की राह पकड़ी जिसने आग में घी डालने का काम किया (रोस्टर के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने 2 महीने तक हड़ताल की. उपर से नगर निगम और पंचायती कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए जिससे पूरी सरकार ठप पड़ गई. इससे सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों में फूट पड़ी. आरक्षण और रोस्टर के पक्ष और विपक्ष में पूरे गुजरात में 9-10 हजार लोगों की अनेक रैलियां हुई. अब आन्दोलन ने

माधवसिंह हटाओ का नारा उठा लिया जिसके फलस्वरूप पूरे राज्य के क्षेत्रीय समुदाय ने क्षत्रिय बचाओ का नारा दिया.

हालांकि हमारा संगठन कमजोर है, फिर भी सीटू की समझ को आगे रखते हुए हमारी यूनियनों ने पूरी कोशिश की. हमारी यूनियनों की कड़ी मेहनत के कारण मिलो, फैक्टरियों व उद्योगों में अन्य मजदूरों पर असर कम पड़ा.

आरक्षण के आन्दोलन के दौरान हरिजनों तथा गैर-हरिजनों, और क्षत्रीय तथा पटेल के बीच झगड़े हुए मगर बाद में उनका रूप साम्प्रदायिक हो गया. सबसे भारी असर अहमदाबाद तथा बड़ोदा में पड़ा. नदियाड़ पर भी प्रभाव पड़ा. दिल्ली के अखिल भारतीय कन्वेन्शन के बाद हमने इन्टक तथा एन०एल०ओ० समेत केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के स्थानीय नेताओं से सम्पर्क किया. एक राज्य कन्वेंशन करने का फैसला हुआ. इसके पहले अखिल भारतीय कन्वेंशन के प्रस्ताव का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया गया.

यह सम्मेलन सफल रहा. मुख्य मंत्री इसमें उपस्थित थे. सीटू के अलावा इसमें एटक, इन्टक, एच० एम० एस०, एच० एम० के० पी, एन० एल० ओ० तथा सेवा कामगार महिलाओं का एक संगठन) इसमें शामिल हुए.

विजयनगर (जिला साबरकांठा), मानागढ़ (जिला भावनगर), गारूडो (जिला सूरत) तथा गोलाना (जिला खेड़ा) में दो जातों के बीच दंगे हुए. कुछ जगहों पर हरिजनों व आदिवासियों पर हमले हुए और हत्याएं हुईं. हमारी स्थानीय यूनियनों ने फौरन वहाँ पहुंच कर उन्हें सहायता दी. मगर अन्य राजनैतिक पार्टियाँ व सरकारी तंत्र हमें पीड़ित लोगों से मिलने नही दे रहे थे. यहां तक कि पीड़ित लोग खुद हमसे दूर रहना चाहते थे."

त्रिवान्द्रम को वर्किंग कमेटी मीटिंग में कहा गया था कि "इसमें कोई शक नहीं कि आज कि परिस्थितियों में, जाति प्रथा के चालू रहते, सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों के लिये नौकरी का आरक्षण जरूरी है जैसा कि अनुसूचित जातियों व जन जातियों के लिए उपलब्ध है. ऐसी मांगें, अन्य तबकों से भी उठ रही हैं. और जो ये मांग उठाते उन्हें विश्वास होता है कि नौकरियों व शिक्षा संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से उनकी सभी समस्याएँ हल हो जाएं. इस परिस्थिति में आरक्षण की जरूरत को मानते हुए, ट्रेड यूनियन आन्दोलन को साथ ही साथ सभा तबकों को समझना पड़ेगा कि आरक्षण शोषण की मूल समस्याओं को हल नहीं कर सकता. इन समस्याओं की जड़ें, सामन्ती रीति रिवाजों तथा सामन्ती सम्पत्ति के रिश्तों में हैं. संविधान के तहत 30 वर्ष के आरक्षण के अनुभव से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ कुछ लोगों को नौकरियाँ मिली हैं वहीं आदिवासियों तथा हरिजनों का नरसंहार भी जारी है. आज जबकि जनता के बड़े हिस्से के उपर से शासक पार्टी का प्रभाव खत्म होता जा रहा है, तब, चूनाबी फायदों के लिए वह आरक्षण का मुद्दा उठा कर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती है. उनका उद्देश्य है कि वोटों का ध्रुवीकरण करके, आरक्षण के नाम पर कुछ ऐसे तबकों के वोटों पर अपना एकाधिकार बना लेना जिन्होंने सामान्यतः जनवादी या प्रगतिशील पार्टियों को वोट दिया होता. मध्य प्रदेश व गुजरात में यही हुआ. दोनों राज्य सरकारों ने अचानक आरक्षण के नए कोटों की घोषणा कर दी जिससे सामाजिक हलचल हो गई. गुजरात सरकार ने विरोधियों पर दमन चक्र शुरू करा और जनता तथा प्रेस पर पुलिस आतंक को खुली छूट दे दी."

उसी वर्किंग कमेटी मीटिंग में सीटू के सामने निम्नलिखित जिम्मेदारी रखी गई." आरक्षण के सवाल पर विवेक पूर्ण और व्यावहारिक समझ रखते हुए, देश की मौजूदा परिस्थितियों में सीटू तथा उसकी यूनियनों को मजदूरों की एकता बनाए रखने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और मजदूरों के हर तबके के हितों की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. समाज में जिन तबकों के साथ भेदभाव बरता जाता है जैसे हरिजन, आदिवासी या मुस्लिम, उनसे अलग थलग रहना खत्म होना चाहिए. यह तभी हो सकता है जबकि ट्रेड यूनियन आन्दोलन और सीटू यूनियनें याद करें कि इन तबकों के साथ समाज में भेदभाव होता है जिसके खिलाफ हमारी यूनियनें शायद ही कभी संघर्ष करती हैं। एकता तभी बनेगी जब ट्रेड यूनियनें, तमाम मजदूरों की माँगें उठाने के साथ-साथ इन तबकों की मांगें भी उठाएँ और उन्हें समान जनवादी संघर्षों में शामिल करने के प्रयास करें. केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के स्तर पर एकता खोखली लगेगी अगर नीचे, आधार में, मजदूर, आरक्षण जैसे सवाल पर बंटे हुए हैं."

उन राज्यों में जहाँ ट्रेड यूनियन, विशेषतः सीटू तथा वामपंथी, दिशा वाला जनवादी आन्दोलन मजबूत है, केवल वहाँ साम्प्रदायिकता का जहर ज्यादा हानि नहीं कर पाता. प० बंगाल कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि: "साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखकर, प० बंगाल के लोगों ने एक उदाहरण पेश किया है. मगर हाल में यह देखा गया है कि मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन काफी सक्रिय हो गए हैं तथा गैर बंगाली मुस्लिमों पर इन संगठनों, का प्रभाव बढ़ रहा है. ये संगठन, शाहबानो के मामले और राम जन्मभूमि. बाबरी मस्जिद विवाद का फायदा उठा कर, मुस्लिम लोगों के बीच साम्प्रदायिक भावनाएँ भड़का रहे हैं.

4 अक्टूबर 1985 को शरियत के मूल कानूनों के समर्थन में हड़ताल का आहवान किया गया था और उस दिन गैर बंगाली

मुस्लिम मजदूरों के काफी बड़े हिस्से ने फैक्टरियों से छुट्टी करी.

1984 में, पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ के बाद कलकत्ता के मेटियाबुरुज इलाके में साम्प्रदायिक दंगा करने की कोशिश हुई. मगर वाम मोर्चा सरकार और इलाके के हमारे साथियों के सामयिक हस्तक्षेप के कारण स्थिति संभल गई. मेटियाबुरुज इलाके की प्रभावित जनता का पुनर्वास करवाने में इलाके की सीटू यूनियनों ने प्रशंसनीय भूमिका अदा करी.

पिछले दो सालों से ईद, मोहर्रम तथा दुर्गा पूजा के त्यौहार पास-पास पड़े और हिन्दू तथा मुस्लिम कट्टरपंथियों ने औद्योगिक, क्षेत्रों में, साम्प्रदायिक सदभाव को तोड़ने के लिए अनेक उत्तेजनक कार्यवाही करीं. वाममोर्चा सरकार की सामयिक कार्यवाही तथा हमारे सचेत साथियों की मदद से सद्भाव कायम रहा.

20 और 21 फरवरी 1986 को कलकत्ता शहर में साम्प्रदायिक, दंगे भड़काने की कोशिश करी गई. हमारे साथियों ने सिख लोगों की रक्षा करी और उन्हे शहर में अनेक जगहों पर शरण भी दी.

प० बंगाल में साम्प्रदायिक दंगो के कारण कोई भी जान नहीं गई है मगर साम्प्रदायिक ताकतें अभी भी सक्रिय हैं. ऐसे में सतर्कता कम करने की कोई जगह नहीं है और हम इस खतरे के प्रति जागरूक है."

केरल में साम्प्रदायिक और जातिवादी ताकतें कई दशकों से राज्य की राजनीति पर छाई रही है. अब हमारे साथियों ने नई शुरुआत करी है तथा आगे बढ़ने की संभावनाएँ कायम हुई हैं.

हमें याद रखना चाहिए कि फूट परस्त साम्प्रदायिक व जातिवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के दो उद्देश्य हैं. पहला है साम्राज्यवादियों की उस चाल को शिकस्त देना जिसके द्वारा वे देश को बाँटकर आर्थिक रूप से आधीन करना चाहते हैं. दूसरा है मजदूर वर्ग की एकता बनाना जिससे न केवल काम और जीवन की परिस्थितियाँ बनी रहें बल्कि मानव द्वारा मानव के शोषण को खत्म करके एक नई सामाजिक व्यवस्था करने के लिए भी हम आगे बढ़ सकें. इस संघर्ष की सफलता इस बात पर निर्भर है कि कितनी एकता बन पाती है और संघर्ष की क्षमता कितनी है.

अत: पिछले फरवरी कलकत्ता में हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग ने निर्देश दिया था कि अल्पसंख्यकों तथा हरिजन जनता को हमारी यूनियनों में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं इस विषय पर विशेष रूप से विचार विमर्श होना चाहिए. सभी कामरेडों को अपनी रिपोर्ट भेजनी थी मगर कुछ ही राज्य समितियों ने ऐसा किया है जो नीचे दी जा रही है :

"असम की रिपोर्ट : जहाँ तक ट्रेड यूनियन संगठन का प्रश्न है, असम में हरिजन तथा अन्य अल्पसंख्यकों की उतनी समस्या नहीं है जितनी अन्य राज्यों में है. हरिजन तथा अल्पसंख्यक समुदाय के मजदूर बिना किसी भेदभाव के नेतृत्व में चुने जाते हैं. मगर भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ असम आन्दोलन, के कारण वहाँ के मजदूर तथा कर्मचारी मुख्यधारा से कट गये हैं विशेषकर उन जगहों में जहाँ सीटू का संगठन नहीं है.

तमिलनाडु की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें कुछ विशेष रिपोर्ट करने को रिपोर्ट करने को नहीं है क्योंकि राज्य समिति व यूनियनों द्वारा न तो उचित अध्ययन किया गया है और न ही नियोजित प्रयास किये गए हैं. अरुणा जिला कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि वहाँ सफाई कर्मचारी और टैनरी मजदूर ज्यादातर हरिजन हैं और हमारी यूनियनों में संगठित है. इस तबके में से पदाधिकारी तथा अन्य सक्रिय कार्यकर्ता भी आते हैं.

डिन्डिगुल में हमारी यूनियन में मुस्लिम पदाधिकारी हैं. इस इलाके में काफी मुस्लिम जनसंख्या है तथा हिन्दू साम्प्रदायिक ताकतें तनाव पैदा करने के प्रयास करती रहती हैं. इन सवालों पर हमारे मजदूरों ने हमेशा मजबूती दिखाई है. नीलगिरी से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि बागान मजदूरों (जो कि हरिजन हैं) को संगठित करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. साथियों को विशेष जिम्मेदारी देकर हर घर में प्रचार के लिए भेजा जाता है."

कर्नाटक रिपोर्ट- "कोलार सोना खानों, बागानों, आइ. टी. सी. तथा स्थानीय संस्थाओं के सफाई कर्मचारी हरिजन हैं और हमारी यूनियनों में हैं 1985 की कुल सदस्यता में से 7000 से 8000 तक सदस्य हरिजन थे. इन्टक तथा एटक इन्हें अपनी यूनियनों में खींचने के बड़े प्रयास करती है. इन मजदूरों के बीच अपने काम को बढ़ाने का कोई सचेत योजनाबद्ध प्रयास नहीं किया गया है.

कुनिगल, सीरा और टुमकुर (जिला टुमकुर), कोलार तथा मुलबगाल (जिला कोलार), हरिहर (जिला चित्रदुर्गा) तथा धागवार व हुबली में बीड़ी उद्योग की हमारी यूनियनों में मुस्लिम सदस्य हैं. प्राय: वे सभी महिलाएं हैं. सीटू यूनियनों में हरिजनों तथा अन्य सदस्यों या मुस्लिम तथा अन्य सदस्यों में संबन्ध प्रेमपूर्ण हैं."

दिल्ली की रिपोर्ट मे कहा गया है कि इस सवाल पर कुछ विचार विमर्श राज्य समिति मे हुआ तथा कुछ कदम भी उठाए गये हैं :

नगर निगम के सफाई कर्मचारी, जो हरिजन हैं, उनको संगठन में लाने के उद्देश्य से समान मांगों पर लड़ने के लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई. गाजियाबाद में नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों तथा मालिकों की यूनियन बनाई गई. यह प्रयास अभी छोटे हैं मगर जारी हैं.

अत: यह स्पष्ट है कि हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों के बीच विशेषरूप से काम करके उन्हें जनवादी मुख्यधार में शामिल करने

के महत्व को हमारे कामरेड अभी ठीक से समझे नहीं हैं. हम आशा करते हैं कि जिन राज्यों से निर्देशानुसार रिपोर्ट नहीं आई है या जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस विषय का जिक्र नहीं करा है उनके रिपोर्ट से तथा इस सम्मेलन की बहस से हमें अपना रवैया बदलने में मदद मिलेगी अन्यथा शोषितों की यह बड़ी संख्या पूँजीवादी विचारधारा या अलगाववादी रुझानों की गिरफ्त में जकड़ी रहेगी आजकल जैसे नारे उठ रहे हैं उससे यह खतरा और भी बढ़ जाता है.

अन्य मुद्दों पर जाने से पहले हम सार्वजनिक क्षेत्र में हुए प्रतिक्रियावादी बदल पर विचार करते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध साम्राज्यवाद, आइ. एम. एफ. तथा उनके द्वारा अपनी बेरोजगारी को विकासशील देशों में निर्यात कर देने से है.

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों का संघर्ष

सरकारी नीतियों ने जो नई दिशा ली है उसका असर सार्वजनिक क्षेत्र पर पड़ा है. पिछले कुछ समय से बीमार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मुनाफे की क्षमता पर चर्चा होती रही है. सरकार ने इस विषय का अध्ययन करने के लिए एक एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष डा. अर्जुन सेन गुप्ता बने. हालांकि यह मसला मजदूरों के नौकरियों तथा रोजगार अवसरों पर सीधा असर डालता है मगर इस कमेटी के साथ ट्रेड यूनियन संगठनों को कोई संबंध नहीं रखा गया—उस तरह भी नहीं जैसे रिजर्व बैंक द्वारा बनाई तिवारी कमेटी के साथ था. इस कमेटी के सुझाव 'क्लासिफाइड' दस्तावेज बनाए गए यानि वे गुप्त रखे गए. यह एक षडयन्त्र था सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने का और उद्योग में आत्मनिर्भरता के लिए स्वतंत्र शोध तथा विकास कार्यक्रम खत्म करने का. सीटू सेक्रेटेरियट ने फैसला लिया कि अपनी ताकत लाभ बन करके इस निंदनीय नीति के खिलाफ आन्दोलन छेड़ा जाए. यह फैसला लिया गया कि बेंगलोर में 27,28 मई 1985 को सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की एक कान्फ्रेंस करी जाएगी. यह सफलता से संपन्न हुई जिसमें पूरी समीक्षा के बाद आन्दोलन की रूपरेखा तैयार की गई. तुरंत बाद हुई बकिंग कमेटी मीटिंग ने मजदूर वर्ग को चेतावनी दी कि जो गलत रुझान झलक रहा है उसे छोड़ना पड़ेगा. उसमें कहा गया" मजदूरों के बड़े तबकों और ट्रेड यूनियनों ने ऐसे काम करा है जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में कैसे काम होता है और सरकार उसके साथ क्या करती है यह सब मजदूरों के मतलब की बात नहीं है. लेकिन नव स्वतंत्र देश के मजदूर वर्ग के लिए यह एक गलत रवैया होगा. भारत और ब्रिटन के सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना नहीं की जा सकती. उदाहरणार्थ वहाँ के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही साम्राज्यवाद के हथियार है तथा राज्य एकाधिकारी पूंजीवाद के तहत काम करते हैं.

मगर नव स्वतंत्र देशों में महत्वपूर्ण उद्योगों पर आधारित सुप्रबंधित सार्वजनिक क्षेत्र साम्राज्यवादी लूट और उस पर आश्रित रहने से बचने का एक हथियार है. स्थानीय पूंजीवाद को यह जरूर मदद करता है मगर यह अर्थ व्यवस्था में साम्राज्यवादी घुसपैठ को भी रोकता है. यही कारण है कि जब महत्वपूर्ण उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र ने अपना काम शुरू करा तो उन्नत ट्रेड यूनियन आन्दोलन तथा सभी प्रगतिशील ताकतों ने इसका समर्थन किया. काफी कुप्रबंध के बावजूद अर्थव्यवस्था की स्वाधीनता को बरकरार रखने में सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई स्थानों पर इसे सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों द्वारा मदद मिली. वास्तविकता तो यह है बिना समाजवादी देशों की मदद के हम कई महत्वपूर्ण उद्योगों का विकास नहीं कर पाते.

सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहलू ढंग से मजदूरों के सामने ट्रेड यूनियनों द्वारा कभी नहीं रखा गया. आज यह और भी जरुरी है क्योंकि साम्राज्यवाद, विश्व बैंक तथा आई. एम. एफ. के दबाव के तहत सरकारी नीति सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है. लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता. सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा गिराने का मकसद यह भी है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में आकर तकनीकी उन्नति में सहायता करने का न्यौता दिया जाए.

कामरेड, राजीव गांधी की नई नीति सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा गिराने तक सीमित नहीं है. अन्तत: यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों का तकनीकी और प्रबंध का नियंत्रण विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप दिया जाए. अगर प्रेस में आई खबरें सही है तो यह घुसपैठ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह घुसपैठ उस प्रवासी भारतीय पूंजी के साथ तकनीकी समझौतों के नाम पर हो रही है जो विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के साइन बोर्ड का काम देते हैं."

इन दिशा निर्देशों को अमल में रखकर सारे आन्दोलन को संगठित किया गया. अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को संयुक्त मंच पर लाकर संघर्ष चलाने की प्रक्रिया में हमें एक साल लगा. 13 मार्च 1986 को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया गया मगर आन्दोलन ने जोर नहीं पकड़ा. इस कारण, सीटू की गतिविधियों में तालमेल कमेटी गठित करी गयी; मार्च 1986 में इस कमेटी की पहली मीटिंग दुर्गापुर में हुई जिसमें स्थिति की समीक्षा की गई. इस बीच अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करके उसे प्रकाशित करा गया. साथ ही मई 85 में हुई सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों की कॉंफ्रेंस की रिपोर्ट भी छापी गई. इन दो दस्तावेजों की सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में बिक्री से जबरदस्त असर पड़ा. फिर दुर्गापुर मीटिंग की रिपोर्ट भी अंग्रेजी व हिन्दी में छापी गई. यह भी देखा गया कि मजदूरों में पिछले समझौतों को अमल में न लाए जाने पर काफी असंतोष था। यह फैसला लिया गया कि कोयला उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संघर्ष में हमेशा आगे रहा, उसमें हड़ताल करी जाएगी. 9 अप्रैल 1986 को शानदार हड़ताल हुई. इन सब गतिविधियों के कारण

सीटू द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों की एक स्टियरिंग कमेटी गठित करने में सफलता मिली जिसमें सीटू, एटक, एच. एम. एस तथा बी. एम. एस. के साथ बंगलोर व हैदराबाद के सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों की संयुक्त संघर्ष समिति और अफसरों की कान फेडरेशन भी शामिल हुई.

24 से 26 सितम्बर में हुई वर्किंग कमेटी मीटिंग में यह नटो करा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने में सरकार लगी हुई है हालांकि ब्यान बिलकुल उल्टे दिये जा रहे हैं. मीटिंग में कहा गया" राजीव गांधी जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता बरकरार रहेगी और उसे खत्म करने का कोई खतरा नहीं है. मगर वास्तविक सरकारी नीति इसे झुठलाती है. यह भी देखने वाली बात है कि एक कैबिनेट मंत्री को इस बात की छूट दे दी गई है क वे सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ वस्तुतः जंग छेड़ दे और उसकी वैसे ही निन्दा करे जैसे कोई निजी क्षेत्र का दलाल करेगा.

अब यह पता चल रहा है कि निजी क्षेत्र के नुमाइन्दों को सरकार के केन्द्रीय कार्यक्रमों के अमल पर निगरानी रखने का काम सौंपा जाएगा, योजना कार्यान्वयन मंत्री ने जून में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के गठन की घोषणा करी जिसकी अध्यक्षता रतन टाटा को सौंपी गई और जिसमें अन्य पूंजीपती शामिल थे. इसका काम था केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों पर निगरानी रखना, रुकावटें दूर करना तथा समय पर काम पूरा हो इसके लिए तरीके निकालना. इतने सालों से यह विचार था कि धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण निजी क्षेत्र पर भी हो जाए. अब एक शुरुआत करी गई है निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के हाथ में केन्द्रीय कार्यक्रमों की पूर्ति का काम सौंप कर.

इसके प्रति सीटू ने अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा कि यह निजीकरण की ओर एक कदम है. यह भी बताया गयाकि इस कमेटी का गठन करके मंत्रालय ने त्रिपक्षीय उसूलों का हनन किया है और प्रबंध में मजदूरों की शिरकत के सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ काम किया है. सीटू ने यह भी कहा कि "केन्द्रीय श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में बनी सार्वजनिक क्षेत्र की कमेटी का काम भी इससे निरर्थक हो जाता है."

वास्तव में, राजीव गांधी सरकार की नई आर्थिक नीति से भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के साथ भेदभाव बढ़ता है और जानबूझकर विदेशी पूंजी को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर दुतरफा हमला हो रहा है एक तो उसका निजीकरण करके भारतीय पूंजीपतियों के सुपुर्द करके और दूसरा उसे नपुंसक बना कर और विदेशी पूंजी को घुसने की छूट देकर ताकि वह उसे पराधीन करले. प्रेस की खबरों के अनुसार सचार विभाग रु.700 करोड़ कीमत के संचार यंत्र निर्यात करने की योजना बना रहा है जिससे उद्योग तबाह हो जाएंगे. भारतीय प्रेस अब यह नोट करने लगी है कि राजीव सरकार की आर्थिक नीति सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी बहुराष्ट्रीय पूंजी के पराधीन बना रही है. 5 मई का टाइम्स आफ इण्डियां लिखता है "कुछ अत्यन्त सुचारु ढंग से चलने वाले सरकारी संस्थानों में तथाकथित गैर-निवासी विशेषज्ञ तकनीक शामिल करके सरकार उनके प्रबंध को गहरी चोट देने की योजना बना रही है. हालांकि सामूहिक रूप से वे रु. 200 करोड़ की विशाल पूंजी लगाएंगे, प्रस्तावित योजना में नई कम्पनी पर उनका कोई नियन्त्रण न होगा. गैर निवासी भारतीयों के हाथ में बागडोर होगी क्योंकि 51 प्रतिशत पूंजी के मालिक वे होंगे. मगर इस पूरी योजना में सिर्फ यही निदनी पहलू नहीं है. राज्य नियन्त्रित संस्थानों के प्रबन्ध की एकाग्रता तथा उनके उत्साह की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी यह मुख्य मुद्दा है."

कन्वेन्शन के कई चरणों का कार्यक्रम बनाया जिसके अन्त में 21 जनवरी को एक दिन की हड़ताल हुई. यह दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि पहली बार, स्टेट बैंक को छोड़कर तमाम बैंक उद्योग बन्द रहे. जीवन रहे. जीवन बीमा निगम भी हालांकि टुन्टक हड़ताल में शामिल नहीं हुई मगर उसके स्थानीय नेताओं व सदस्यों ने हिस्सा लिया जिसके फल स्वरूप कई कम्पनियों में उत्पादन बिलकुल ठप पड़ा रहा. सरकार, इस हड़ताल के असर को कम करने के लिए उत्पादन के कुछ आंकड़े दिखा रही है जिन्हें चुनौती दी गई है.

हालांकि जन विरोध और हड़ताल के दबाव में सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ हैं, चालें अभी रुकी नहीं हैं. कई सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों को एक गुट में मिला कर होल्डिंग कम्पनियों का गठन किया गया है. कइयों को स्वायत अधिकार दे दिए गए हैं. डाक व संचार विभाग को अलग-अलग करके टेलिफोनों को स्वायत निगम के अन्तर्गत लाया गया है, आदि.

सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरो ने दिशानिर्देश दिया कि वेतन बढ़ोतरी की ऊपरी सीमा 10% या 15% होनी चाहिए. ब्यूरो के हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया गया है और 12 मार्च ब्यूरो विरोध दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया गया. ब्यूरो का पुतला या उसके सर्कुलर को प्रायः सभी केन्द्रों में जलाया गया.

सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों के अफसरों को अन्य औद्योगिक कर्मचारियों की भांति, रु० 1.30 या 1.65 प्रति सूचकांक की दर से मंहगाई भत्ता मिलता था. उनकी मांग थी कि केन्द्रीय वेतन आयोग की दर से उन्हें मंहगाई भत्ता मिले. हाल में सरकार ने मांग मान ली और वेतन में तदर्थ बढ़ोतरी कर दी. इस कारण असंतुलन हो गया है.

इस मसले को उठाना पड़ेगा क्योंकि वेतन बढ़ाने के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से अभी बातचीत तक शुरू नहीं की गई है. सार्वजनिक क्षेत्र से संसाधन इकट्ठे करने की योजना भी अभी छोड़ी नहीं गई है.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन का सवाल बेशक

महत्वपूर्ण है और उचित वेतन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा ताकि—बढ़ोतरी के कारण असली वेतन में आई गिरावट को संतुलित करा जा सके.

प्रबन्ध में मजदूरों की हिस्सेदारी

पिछले सम्मेलन में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करा गया था कि—"इन्दिरा गाँधी के उत्पादकता वर्ष में ही प्रबन्ध में मजदूरों की हिस्सेदारी के देहान्त की घोषणा करी गई. पहले 20-सूत्रीय कार्यक्रम में यह था. दूसरे 20-सूत्री कार्यक्रम में चुप चाप इसे हटा दिया गया ताकि उत्पादकता वर्ष सफल हो सके.

इस बात को भी रेखांकित किया गया था कि सीटू "यह पूरी तरह से जानते हुए कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में कुप्रबन्ध है, भीमकाय भ्रष्टाचार फैला हुआ है, घटिया स्तर का माल प्रयोग होता है और अनेक अफसरों के असामाजिक तत्वों से संबन्ध है, बराबरी की शर्त पर ही प्रबन्ध में हिस्सेदारी का प्रस्ताव पेश की थी. मजदूर, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार थे. मगर उनका सहयोग किसे चाहिए निहित स्वार्थ जब एक के बाद एक फैक्टरियों में लाक आउट करते रहे थे और भी नहीं जब सरकार निर्मम रूप से एक के बाद एक हड़तालों को कुचल रही थी।"

बाद में शायद सरकार को यह समझ में आया कि अति आधुनिक मशीनों के मौजूदा दौर में शामिल होना जरूरी है सरकार को यह भी समझ में आया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से तमाम प्रचार के बावजूद उत्पादकता बढ़ी नहीं. अपने वर्ग हितों के कारण और कुछ हद तक इसलिए भी कि सीटू सम्मेलन के विचार विमर्श का असर पड़ा होगा, सरकार ने दिसम्बर 1983 में एक प्रस्ताव द्वारा दुबारा मजदूरों की प्रबन्ध में हिस्सेदारी की योजना चालू करी. इस प्रस्ताव के अमल पर नजर रखने के लिए सरकार ने श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक शिखर स्तर पर कमेटी का गठन किया जिसमें सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा मालिकों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे. सीटू का प्रतिनिधित्व का० पी० के० गांगुली ने किया.

इस कमेटी में सीटू की ओर से समानता के विषय में अपनी समझ रखी गई. पिछले 4 सालों में यह कमेटी 3 या 4 बार ही मिल पाई. योजना कागजी बन कर रह गई हैं सिर्फ उन जगहों को छोड़ के जहाँ, प्लान्ट स्तर पर, हिस्सेदारी के साथ मजदूरों को अधिक उत्पादन करने के लिए मनाया जा सका. शुरू में, मजदूरों की प्रबन्ध में हिस्सेदारी की योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास पश्चिम जर्मनी की उस योजना पर आधारित थे जिस से 'सह निर्णय' कहते थे. मगर जैसे ही उद्योगों में संकट उत्पन्न हुआ, मजदूरों ने कड़ा संघर्ष करके, प्रबन्धकों को इस बात पर मजबूर किया कि काम के घंटे कम करें जाएँ और इस तरह अपनी नौकरी बचाई. प० जर्मनी के लौह उद्योग के मजदूरों ने 38.5 घंटे प्रति हफ्ते हासिल किए. गुणवत्ता (क्वालिटी) नियंत्रण सर्कल के नाम पर एक नया आराम दिया जा रहा है जो जापानी माडल पर आधारित है. कोशिश यह है कि यूनियनों को नजर अंदाज करके, बिना कानून और किसी औपचारिक संस्था के, सीधे मजदूरों से बातचीत करके उन्हें मशीनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में शामिल किया जाए. यह विचार विमर्श अनऔपचारिक रूप से किया जाता है और बाद में चाय, नाश्ता तथा अन्य प्रलोभन दिए जाते हैं. मजदूर वर्ग को धोखा देने का यह एक और तरीका है. निजी क्षेत्र में यह विशेष रूप से हो रहा है. चूँकि निजी क्षेत्र में इन क्वालिटी सर्कलों के फायदे देखे गए हैं सरकार मजदूरों की हिस्सेदारी पर एक नया कानून लाने का प्रस्ताव कर रही है जो सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा. इस मौजूदा स्थिति का अर्थ पूरी तरह से समझा जाना चाहिए. सरकारी योजना और सीटू की समझ में अन्तर दो मूल सवालों पर है—(1) समानता के आधार पर बराबरी यानि समान अधिकार हों जिसमें नौकरी पर रखने या निकालने का अधिकार शामिल है और (2) मजदूर प्रतिनिधियों का हर स्तर पर गुप्त मत द्वारा चुनाव जिसमें सारे मजदूर शामिल हो, ये वही सवाल हैं जिन्हें सरकार या निजी क्षेत्र कभी भी मन्जूर नहीं कर सकता. मगर, साथ ही सरकार मजदूरों की हिस्सेदारी की मौजूदा स्थिति के अनुरूप एक कानून भी ला रही है जिसका इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने के लिए होगा. जिन संस्थानों में यह योजना चल रही है वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं. इस सम्मेलन का ध्यान इस ओर दिलाया जा रहा है ताकि भविष्य में रिपोर्ट मिल जाएँ.

तालबन्दी, क्लोजर आदि के विरुद्ध बढ़ते संघर्ष

पिछले चार सालों में बढ़ते संकट के साथ-साथ मजदूरों का विरोध भी बढ़ता गया है. अनेक राज्य-स्तरीय संघर्ष और बन्ध हुए हैं, उद्योग-व्यापी संघर्ष भी हुए हैं और देश भर की हड़तालें भी हुई हैं. विशेषतः बिहार तथा उत्तर-प्रदेश के सरकारी कर्मचारी कई बार हड़ताल पर उतरे. जीवन के हर क्षेत्र से कर्मचारी शामिल हुए. अध्यापक, जूनियर डाक्टर, नर्सें आदि सभी संघर्ष में शामिल हुए.

सबसे कठिन संघर्ष तालाबन्दी, क्लोजर तथा छटनी के खिलाफ लड़े गए हैं. जे. के रेयोन, कानपुर के मजदूरों ने रसाल से भी ज्यादा तक शानदार संघर्ष किया. समझौता तभी हुआ जब प्रबन्धकों ने माना कि अगर उसी स्थान पर नई फैक्ट्री खोली जाएगी तो छटनी किए हुए मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी. भास्कर टेक्सटाइल मिल, सरसगुदा के मजदूर 3 साल तक लड़े और सरकार को मिल का अधिग्रहण करने तथा मजदूरों को काम पर वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया. जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा के मजदूरों पर बर्बर दमन हुआ मगर उन्होंने अपनी यूनियन की एकता और शक्ति कायम रखी और अब छटनी किये गए मजदूरों को वापस लेने के लिये प्रबन्धकों को धीरे-धीरे मजबूर किया जा रहा. कानपुर सम्मेलन में तमाम सीटू कार्य-

कर्ताओं को कहा गया था कि वे इस प्रश्न पर विचार करें कि किसी हद तक हम ऐसा जनमत तैयार कर पाग हैं जो क्लोजट, तलबन्दी तथा छटनी जिससे हजारों की नौकरी जाती है, इसे एक असामाजिक कार्यवाही माने। सभी कामरेडों को चेतावनी दी गई थी कि "जो साल शुरू हुआ है उसमें नौकरियों और वेतन पर हमला और तेज होगा। अर्थ व्यवस्था खतरनाक मोड़ पर है। आई. एम. एफ. का कर्जा, भुगतान सन्तुलन की कठिगाइयों के कारण निर्यात बढ़ाने की जरूरत आई. एम. एभ कर्जे के तहत वढ़ती आयात जिससे भारतीय कम्पनियों पर असर पड़ने लगा है, इन सभी के कारण कीमत घटाने के लिये नौकरियों पर हमला होगा। पहले क्लोजर और बड़े पैमाने छटनी ओर मशीनीकरण, अधुनिकीकरण औम आटोमेशन यह काले मण्डरा रहे हैं.

उस समय से स्थिति क्या रही है, निम्यलिखित आंकड़ों से पता चलता है. कानपुर सम्मेलन के समय 60,73 उद्योग बिमार थे और 31.12.82 तक उनपर रु० 2585.33 करोड़ बैंक कर्जा था दिसम्वर 1985 तक यह बढ़ कर 1,19,606 यूनिट हो गया और कर्जा रु० 4270.93 करोड़ बना। 1986 के अन्त तक यह और भी बढ़ गया होगा.

पूंजीवादी पय का यह सीधा नजतीज है। सरकार का इस बारे में कहना है. औद्योगीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ औद्योगिक बिमारी हमेशा होगी. जानदार और अच्छे प्रबंध वाले बढ़ते हैं और जो सुनियोजित नहीं हैं, काम ठीक से नहीं करते वे ठहर जाते हैं और धीरे-धीरे औद्योगिक नक्शे से गायब हो जन्ते हैं. औद्योगिक बिमारी, ओद्योगीकरण के साथ लगी ऐसी परेशानी है जो औद्योगिक देशों में भी उतनी व्यापक है जितनी औद्योगीकरण कर रहे देशों में.

तिवारी कमेटी के सामने अपनी बात रखते समय, सीटू ने सरकार की इस समझ को नामंजूट करा और मांग करी कि एकाधिकार वाले घटानो को खुली को छूट देने की बजाए, उद्योगपत्तियों की कार गुजारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. सीटू के ज्ञापन में कहा गया. ऐसे कागर कदम जरूरी हैं कि सरकार इर मामलों में हस्तक्षेव कर सके जहाँ पैसा हटा कर दूसरी ओर लगा कर या भ्रष्ट तरीके अपनाकर निजी क्षेत्र के प्रबंधक उद्योग को बिमार होने देते हैं तथा जनता के पैसे को रोक के रखते हैं. दोषी मालिकों को सजा देने और उनकी सम्पत्ति जप्त करने के लिए उचित कानून बनाकर सक्तो से लागू किए जाएँ.

बीमार उद्योगों को शुरु करने के सहायता के लिए सरकार को एसी नीति अपनानी चाहिए कि सीमित समय के लिये एक्साइज, ड्यूटी तधा अन्य करों मे छुट्टी दी जाए."

आर्थिक सर्वे में आगे कहा गया है कि करीव 1 लाख यूनिट अव्यावहारिक है और साथ ही

"4.40. कुल 1,19,606 विमार यूनिटों जिनमे बैंकों का कुल रु० 4,270,93 करोड़ लगा हुआ है, मे से व्यवहारिकता की की स्थिति इस प्रकार है :

तालिका न० 4.8

दिसम्बर 1983 के अन्त में विमार यूनिटो की व्यवहारिकता स्थिति

यूनिट	संख्या	राशि (करोड़ रु०)
1. व्यावहारिक	8,569	1987-ȷ3
3. अव्वावहारिक	99.062	1790-73
2. व्यावहारिकता की जानकारी नहीं	11,975	492-87
कुल	1,19,606	4270-93

4.41. 8,569 व्वहारिक यूनिटों में से 2751 यूनिटों को दिसम्बर 1985 तक बैंकों की विशेष सेवा दी जा रही है जिसके तहत उन्हें रु० 1581 35 करोड़ अग्रिम राशि दी जा चुकी है.

औद्योगिक बीमारी —

	बड़ी यूनिटें	मध्यम यूनिटें	लघु उद्योगों	कुल बीमार यूनिटें
दिसम्बर 1982	444	1178	58,551	60,173
दिसम्बर 1983	1491	1256	78,363	80,110
दिसम्बर 1984	1545	1287	91,450	93,282
जून 1985	597	1181	97,890	99,668
दिसम्बर 1985	637	1186	1,17,783	1,19,606

बैंक से कर्जा (करोड़ रुपए)

	बड़ी यूनिटें	सध्यम यूनिटै	लघु उद्योग	कुल
दिसम्बर 1982	1790.60	225.76	568.97	2585.33
,, 1983	2014.33	357.97	728.99	3101.29
,, 1984	233012	428.88	879.69	3638.39
जून 1985	2655.39	195.13	954.64	3805.17
दिसम्बर 1985	2980.24	220.12	1070.67	4270.93

(आर्थिक सर्वे, 1986-87)

औद्योगिक बिमारी से मजदूरों पर क्या असर पड़ता है यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होगा, जिसमें क्लोजर, ले-आफ की संख्या तथा छटनी किए गए मजदूरों की संख्या दी गई है :

III- क्लोजर, ले-आफ और छटनी से प्रभावित मजदूरों की संख्या

साल	क्लोजट	छटनी			ले आफ	
	संख्या	प्रभावित मजदूरों की संख्या (हजार में)	यूनिटें जिसमें छटनी	प्रभावित मजदूरों की संख्या (हजार में)	यूनिटें जिसमें ले आफ	प्रभावित मजदूरों की संख्या (हजार में)
1982	286	27	768	16	1521	306
1983	226	43	689	20	1314	245
1984	188	72	495	10	847	141
1985	203	31	383	9	665	99

4.42- 637 बड़ी औद्योगिक यूनिटें जो बिमार है, उनमे से दिसम्बर 85 तक 552 की व्यावहारिकता या अव्यवहारिकता की स्थिति निश्चित की जा चुकी थी. इसमें से 350 यूनिटें व्यवहारिक, पाई गई और उन्हें रु० 1737.13 करोड़ दिए गए यानि सभी बड़ी बिमार यूनिटो को दिये गए कुल बैंक कर्ज का 58.3 प्रतिशत. 221 यूनिटें जिन पर रु० 1125.06 करोड़ कर्ज है, उनको बैंकों की विशेष सेवा कार्यक्रम के तहत रखा गया है.

4.43- लघु उद्योग क्षेत्र में दिसम्बर 1985 तक 16,41,748 यूनिटों को रु० 7829.32 करोड़ का बैंक कर्जा दिया जा चुका था. इनमें से 1,17,783 यूनिटों (7.2 प्रतिशत) बिमार यूनिटें हैं जिन पर रु० 1070.67 करोड़ रुपए (11.7 प्रतिशत) बैंक कर्जा है. कुल बिमार यूनिटों में से, 7849 यूनिटें (6.7 प्रतिशत) को व्यवपारिक पाया गया और इन्हें रु० 244.98 करोड़ (22.9 प्रतिशत) का कर्जा दिया गया. दिसम्बर 1985 तक कुल 2188 यूनिटों को बैंकों की विशेष सेवा योजना में शामिल किया है. इन पर रु० 176.33 करोड़ का बैंक कर्जा है."

इनमें, वास्तविक परिस्थिति से बहुत कम करके आँका गया है. बम्बई कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के बाद, छटनी किये गए मजदूरों के सवाल पर कोतवाल कमेटी ने जाँच-पड़ताल करके पाया कि 1 लाख 6 हजार मजदूरों को इस संघर्ष के बाद अपनी नौकरी खोनी पड़ी. हड़ताल के पहले कुल मजदूरों की संख्या का तह 46 प्रतिशत है. 2634 लोगों की हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई. कोतवाल कमेटी इस बात का जबाव नहीं दे पाई कि हड़ताली, मजदूरो में मृत्यु दर इतनी ऊँची कैसे थी. मजदूरों की कैसी अमानवीय यंत्रणा सहनी पड़ी, इस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है जिसमें कहा गया है कि एक लाख से अधिक निकाले गए मजदूरों को कानूनी हिसाब से रु० 22.7 करोड़ रु० मिलने चाहिएँ, 3 बन्द पड़ी निजी मिलो को छोड़कर जिनके आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं. एक बार फिर सरकार ही सबसे बड़ी दोषी पाई जाती है क्यों कि सार्वजनिक क्षेत्र की 24 राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें और 1 महाराष्ट्र कपड़ा निगम की मिल को ही अपने मजदूरों को रु० 13.95 करोड़ देना है. कांग्रेस शासकों के ढोंग को देखकर आश्चर्य होता है. 10 फरवरी को एक सभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री चवाण ने कहा कि यह बात उन्हें हाल ही में पता चली है. एक अखबार ने समाचार दिया है—

"एक लाख से अधिक कपड़ा मजदूरों को वेतन नहीं

बम्बई, फरवरी, 10—मुख्य मन्त्री शंकर राव चवाण को यह जानकर धक्का लगा कि दो साल लम्बी कपड़ा मजदूरों नौकरियां खोदीं और मिल मालिकों द्वारा उन्हें अभी तक रु० 23 करोड़ के करीब देने बाकी हैं हालांकि हड़ताल खत्म हुए 4 साल गुजर चुके हैं."

(पेट्रियट, 11.2.87)

बेरोजगार छटनी और ले आफ के ऊपर दिए गए आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते हैं. सबसे पहली बात तो यह कि शिमला लेबर ब्यूरो द्वारा दिए गए आँकड़े, उनको जिन केसों की रिपोर्ट दी जाती है उसी पर आधारित होते हैं. तालाबन्दी, ले आफ तथा छटनी के हजारों केसों की रिपोर्ट उन तक पहुंचती ही नहीं है. एक लाख से अधिक बीमार उद्योगों का ही उदाहरण लीजिए, जिसमें से 99000 अव्यवहारिक मान कर यन्द कर दिए गए है. इनको रिपोर्ट नहीं कहा जाता.

पूंजीपतियो द्वारा वदले की कार्यवाही से उत्पन्न दुख, मजदूरों की नौकरियो तक ही सीमित नही रहता. प्राविडेन्ट फन्ड, ई एस आई आदि सामाजिक सुरक्षा की राशि संदेहास्पद रूप से बाहर लगा दी जाती है. साथ ही वह पूँजी और पैसा भी जी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं कर्ज के रूप में लिया गया. इसके अलावा मजदूरों के संघर्षों को कुचलने के लिए तालाबन्दी का हथियार इस्तेमाल किया जाता है. कुल मैनडेज की क्षति और कितने मजदूरों पर असर पड़ा इसके आकड़ो से यह स्पष्ट होता है.

हड़तालों, तालाबन्दियों, उसमें मजदूर जिनपर असर पड़ा और मैनडेज क्षति की संख्या.

साल	हड़ताल की संख्या	तालाबन्दी की संख्या	मैनडेज क्षति (10 लाख में)		मजदूरों की संख्या (हजार में)	
			हड़ताल के कारण	तालाबन्दी के कारण	हड़ताल	तालाबन्दी
1982	1970	454	10.71	22.50	1020	278
1983	1936	495	11.54	21.94	1507	294
1984	1984	405	34.96	16.07	1526	223
1985 (a)	1320	396	11.41	17.96	868	201

बम्बई कपड़ा हड़ताल को शामिल न करते हुए, '82 और '83 में तालाबन्दी और उसके कारण मैनडेज की हानि के आँकड़े हड़ताल के आँकड़ों से अधिक हैं और 1985 में फिर यही बात है. बम्बई कपड़ा हड़ताल को शामिल न करते हुए प्रतिविवाद औसत मैनडेज की हानि के आँकड़े इस प्रकार हैं.

विवादों की संख्या और मैनडेज क्षति की संख्या

(1981-85)

वर्ष	विवादों की संख्या	मैनडेज हानि की संख्या (दस लाख में)	प्रति विवाद मैनडेज की हानि (हजार में)
1682	2424	33.2	13.69
2983	2431	33.5	13.78
1984	2094	56	26.74
1985 (9)	1716	29.4	17.13

अ; प्रोविशनल; ब : बम्बई कपड़ा हड़ताल को छोड़कर जिसमें और जिसके कारण 1982 में 4 करोड़ 14 लाख मैनडेज तथा 1983 में 1 करोड़ 26 लाख मैनडेज की क्षति हुई.

स्त्रोत : लेबर ब्यूरो.

यह स्पष्ट है कि औसतन हर विवाद पर कम से कम 13,000 मैनडेज की क्षति हुई जबकि 1980 से पहले बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते थे कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हो.

इस समाजविरोधी कार्यवाही के खिलाफ दृढ़ संघर्ष

यह समझना जरूरी है कि मजदूरों ने इस समाज विरोधी कार्यवाही का कड़ा मुकाबला तो किया ही है, साथ में संघर्ष के नए तरीके भी अपनाए हैं, छटनी के खिलाफ कोटा के मजदूरों के वीरता पूर्ण संघर्ष का जिक्र पहले कर चुके हैं. पी० एन० ढाढा तथा उसके चेले अगर गद्दारी न करते तो सफलता अवश्य मिलती भास्कर कपड़ा मिल, झरसुगुडा के मजदूर दिल्ली तक आए और प्रबन्धकों की घिनौनी चालों का भण्डाफोड़ करते हुए एक ब्यौरेवार ज्ञापन बनाया जिससे पता चलाकि व्यवहारिक होने के बावजूद प्रबन्धकों ने फैक्टरी बन्द कर दी थी. उसके बाद से विभिन्न फैक्टरियों ने अनेक तरीके अपनाए हैं. केरल और तमिल नाडु में फैक्टरियों के आस पास के जनमत यानि तमाम जनवादी लोग, किसान तथा खेतिहर मजदूरों को लामबद्ध करा गया जिससे प्रबन्ध को फैक्टरी खोलने तथा मजदूरो की माँगें मानने पर मजबूर होना पड़ा. अनेक यूनियनों ने बताया है कि कैसे प्रबन्धको की आपसी कलह या बैंक तथा कम्पनी प्रबन्ध के बीच झगड़े के कारण व्यावहारिक कम्पनियां भी बन्द कर दी जाती हैं. उदाहरणार्थ—ओरिटिएण्टल पावर केबल. रे रोलएवन्स ताथ० वी० वी० एल० के उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति के प्रबन्ध में शामिल होने के बाद स्थिति बिगड़ी और आर्डर होने के बावजूद, कार्यरत पूँजी घटती गई और कम्पनी बीमार हो गई.

28 जनवरी 1984 को कन्वेन्शन करके एक कार्यक्रम अपनाने अलावा, सीटू ने, औद्योगिक बिमारी के सवाल पर लड़ने के लिए तमाम ट्रेड यूनियनों को भी लामबद्ध किया. यह मसला, 28वीं भारतीय लेबर कांग्रेस में भी उठाया गया तथा सरकार को मजबूरन, 1985 में, बीमार औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष प्रावधान) बिल लाना पड़ा. शुरू के बिल में गलत रास्ते पर चल रहे प्रबन्धकों को सजा, देने के लिए कोई अनुच्छेद न था. एक बार फिर, ट्रेड यूनियनों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर, गलत रास्ते पर चलने वाले उद्योगपतियों को सजा देने का संशोधन वित्त मंत्री को लाना पड़ा. यह पहले कहा जा चुका है कि सीटू ने इस प्रकार की कार्यवाही का सुझाव रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने और श्री एम० नरसिम्हन की अध्यक्षता में सरकार द्वारा बनाई गई नियंत्रण कमेटी के सामने रखा था.

बिल पास हो जाने के बाद, जो सरकार में हैं उन्होंने दावा किया कि गलती करने वाली कम्पनियों को बख्शा नहीं जाएगा

मगर आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो. वास्तव में, सरकार को नियम बनाने में ही एक वर्ष लग गया. आज भी यह कानून बाजार में आसानी से नहीं मिलता और 12 जनवरी 1987 को जाकर, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण का बोर्ड गठित करा गया है. जहां तक हमारी जानकारी है, इस बोर्ड में श्रम का कोई प्रतिनिधि नहीं है. मजदूरों को संतुष्ट रखने के लिए सरकार ने औद्योगिक बिमारी पर निगरानी रखने की कमेटी बनाई है जिसमें सीटू को एक स्थान प्राप्त है. उसके लिए सीटू ने का० नृसिंह चक्रवर्ती को मनोनीत किया है. हमारी कोशिश रहेगी कि प्रबंधकों की कमियों, भ्रष्टाचार आदि के सभी मामलों की पूरी जाँच करके दोषियों के प्रति सख्त कार्यवाही करवाई जाए.

1972 से 1977 के कांग्रेस शासन में, प० बंगाल में 28 यूनिटों का अधिग्रहण हुआ था. वाममोर्चा सरकार के समर्थन तथा इन्टक समेत सभी यूनियनों के संयुक्त संघर्ष के कारण 4 यूनिटों को छोड़ अन्य किसी को भी केन्द्रीय सरकार डीनोटिफाय नहीं कर पाई. इन यूनिटों ने साबित कर दिया है कि हालांकि अधिग्रहण के बाद उत्पादन बढ़ा था और कुछ में लाभ भी बढ़ा था मगर तोड़फोड़, कम पैसे मिलने और अन्य कदम इनके खिलाफ उठाए गए हैं. वाममोर्चा सरकार ने अन्य कई जगह हस्तक्षेप करा होता अगर केन्द्र सरकार पूरी जिम्मेदारी लेने पर जोर न देती जिसका अर्थ है कि सरकार की जिम्मेदारी कुप्रबन्ध तथा इजारेदार घरानों द्वारा वित्त को दूसरी जगह लगाने की भरपाई भी करने की बन जाती. इन कम्पनियों के मजदूरों का संघर्ष, तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है.

सरकारी कर्मचारियों का संघर्ष

इस दौरान, देश भर के सरकारी कर्मचारी, चाहे वे केन्द्र या राज्य सरकार के हो, अन्दोलन करते रहे हैं. संघर्ष की राह पकड़ने के लिए उन्हें 2 मुख्य कारणों ने मजबूत कहा. पहला कारण था जुलाई 1985 में उच्चतम न्यायालय का फैसला जिसमें हजार से अधिलोको रंदिग स्टाफ तथा सैकड़ों पुलिस यथा अर्ध सैनिक कर्मियों को, संविधान के अनुच्छेद 311 (8) (6) का फायदा उठाकर बिना आत्म रक्षा का अवसर दिए मुअत्तिल किए जाने को वैध ठहराया गया. इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों, सभी ट्रेड यूनियनों, तथा वकीलो, न्यायविदों व बुद्धिजीवियों के बड़े तबके ने जबरदस्त विरोध किया और साथ ही उच्चतम न्यायालय का एक पुराना फैसला भी पलट गया. अंग्रेज साम्राज्य वादी हुकूमत की जरुरतों के हिसाब से बने 1935 के गवर्मेंट आफ इण्डिया एक्ट को अक्षरशः दोहरा दिया गया था. केन्द्र सरकार कर्मचारियों को कही ज्यादा विशाल स्तर पर विरोध प्रकट करना चाहिए था मगर सुधारवादी नेतृत्व के एक तबके ने कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया. राज्य सरकार के कर्मचारियों एक मजबूत देशव्यापी अभियान चलाया. प० बंगाल और त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकारों ने सेवा नियमों में पहले ही संशोधन करके हड़ताल के अधिकार समेत, सारे ट्रेड यूनियन अधिकार कायम कर दिए थे. कांग्रेस शासन के दौरान जिन कर्मचारियों को विक्टिमाज करा गया था उन सबकी बहाली भी प० बंगाल सरकार ने करी. इस कारण अनुच्छेद 311 (2) (b) को खत्म करे जाने की मांग लेकर आन्दालन की पहल वहीं से कही गई. 26 फरवरी 1986 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आहवान किया गया जोकि सरकारी कर्मचारियों की एक विशाल विरोध कार्यवाही थी. यह खेद की बात है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी इस मांग के समर्थन में आन्दोलन नहीं खड़ा कर पाए. नैशनल कैम्पेन कमेटी ने इस विषय पर एक सेमिनार आयोजित करने का फैसला लिया मगर वह भी नही हो पाया.

दूसरे जिस मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी हरकत में आए वह था चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में. इस रिपोर्ट ने चालबाजी यह करी कि जिनके पास सरकारी घर है और जिनके पास नहीं हैं उनके बीच फूट पैदा कर दी. इसी तरह, मसंगाई भत्ते के लिए न्यूट्रलाइजेशन की दर एसी प्रस्तावित करी गई कि जिन्हें कम वेतन मिलता था और जिन्हें ज्यादा मिलता था उनके बीच फूट पड़ गई हालांकि दोनों के लिए वेतन कम रखने का स्रोत यही एक था. यह नोट करने की बात है कि हर वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकाक के चालू अंक के और सालाना औसत के बीच 10 से 30 अंको का अन्तर होता है जबकि महगाई भत्ता सालाना औसत के हिसाब से दिया जाता है. स्वाभाविक था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी एकमत नहीं हो सकते थे. जिनको सरकारी मकान नहीं मिले थे विशेषतः वेतन की ऊपरी श्रेणी वाले, वे वेतन आयोग के सुझावों को इक्का दुक्का सुधारों सहित मंजूर करना चाहते थे. मगर वेतन की निचली श्रेणी के कर्मचारी, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा था, वे वेतन बरालटी के लिए संघर्ष चाहते थे. केन्द्र सरकार कर्मचारियों के अग्रणी संगठनों ने यह नोट नहीं कहा कि थोड़ी सी वेतन बढ़ोतरी का सीधा रिश्ता उस रकम से था जो नौकरियां निरर्थक होने के बाद बचाई गई थी. वेतन आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया कि जिन महिला कर्मचारियों के दो से अधिक बच्चे हैं उनको मैटर्निटी के फायदे नहीं मिलने चाहिए. इस पर सरकारी कर्मचारिनों के संगठित तबकों से वस्तुतः कोई विरोध नहीं हुआ.

यह भी दर्ज करना जरूरी है कि वेतन आयोगता चाह था कि उच्च श्रेणी में वेतन पाने वाले लोगों के बीच संतोष की भावना बने. हर तो संगठन जो कम्प्यूटरीकरण लगाए जाते हैं. जहाँ तक केन्द्र सरकार का प्रश्न है, उन्होंने नई भर्ती पर पाबन्दी लगा दी, पहले बिना आम घोषणा करे हुए और फिर घोषणा करके. सुधारवादी नेतृत्व का एक तबका इसके खिलाफ की संघर्ष करके. सुधारवादी नेतृत्व का एक तबका इसके खिलाफ भी संघर्ष नही करना चाहता था. रेलवे अधिकारी और सरकार कम्प्यूटरीकरण की योजना को अमल में ऐसे ला रहे हैं जैसे कि मान्यता प्राप्त यूनियन नेतृत्व का एक तबका अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए, सबके साथ एकजुट हो कर अन्धाधुन्ध कम्प्यूटरकरण, नई भर्ती पर रोक तथा वेतन बराबरी न मिलने के खिलाफ लड़ने से इन्कार कर रहा है.

इस सबके चलते, एक नई परिस्थिति भी पैदा हो गई. चतुर्थ वेतन आयोग ने जो कुछ भी फायदा पहुंचाया उससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच वेतन में अन्तर बन गया इस कारण एक के बाद संघर्ष छिड़ गए. इसका के तहत गैर कानूनी घोषित किए जाने और नेताओं को एन. एस. ए. में गिरफ्तार करने के बावजूद मजबूती में संघर्ष चला और नेताओं को एन. एस. ए. में गिरफ्तार करने के बावजूद, मजबूती से संघर्ष चला ओर लाठियों

का सामना हुआ, तथा बिहार में, विशाल जेल भरो, आन्दोलन भी हुआ. यह संघर्ष तब तक चले जब तक राजस्थान, आन्ध्र देश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में काफी फायदे हासिल न हो ए. सरकारी कर्मचारियों में असंतोष को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन से बराबरी मांग मान ली.

इन संघर्षों से उत्साहित हो कर, दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने संघर्ष छेड़ा जिसे शुरू में सरकार नजर अंदाज करके दबा देना चाहती थी, मगर उनकी शानदार एकता, और सीनियर डाक्टरों तथा अन्य हस्पताल कर्मचारियों के कारण 3-4 दिन की हड़ताल के बाद ही सरकार को वेतन में बढ़ोतरी करनी पड़ी. अन्य जगहों पर भी जूनियर डाक्टरो ने संघर्ष करा. दिल्ली की नर्सें भी संघर्ष में उतरीं जन पहले दिए गए आश्वासनो को चतुर्थ वेतन आयोग में शामिल नहीं किया गया. उनकी काम थी सिफारिशों में संशोधन लाया जाए. अ. भा. आ. संस्थान से शुरु हुई यह हड़ताल दो दिन तक अन्य हस्तालो में फैलमती गई. गर सरकार ने नर्सों की एकता में दरार पैदा कर दी जिसके कारण आन्दोलन में फूट पड़ गई और भत्ते के कुछ सुधार के अलावा वे अपनी मांगें हासिल नहीं कर पाई.

सेवा क्षेत्र में अध्यापको तथा जनता के अन्य तबको ने की वेतन के सवालपर तथा अन्य मांगो के लिए हड़ताल करी. सेवाओं पर खर्चे में कटौती के विश्व बैंक फामूले के अनुरूप सरकार अपनी नीतियों को रोगी से लागू कर रही है जिसके कारण अनेक संघर्ष हो रहे हैं मगर उनमें एकता कायम करने करने मे ट्रेड यूनियन आन्दोलन अभी असक्षम है.

उद्योगवार गतिविधियां

1984 के चुनावों के पहले से ही देश में फूटपरस्त ताकतों के बढ़ने के कारण गभीर स्थिति पैदा हो गई थी. अप्रैल 1984 में 'सद पर मजदूरों' के प्रदर्शन के बाद से राष्ट्रीय अभियान समिति की गतिविधियों में ढील आ गई थी. अतः यह निर्णय लिया गया कि उद्योगकर गतिविधियों को तेज करा जाएगा.

बन्दरगाह और गोदी एक एसा क्षेत्र था जिसकी चाट मान्यता प्राप्त फेडरेशने, संयुक्त रूप से, 36 दिन की सबसे लम्बी हड़ताल कर सकी. अंत में अगर इन्टक द्वारा ढुलमुल खेद न दिखाया जाता तो मजदूर एक बेहतर समझौता हासिल कर पाते. फिर भी, इन्टक और सरकार ने कहा कि समझौते से इन मजदूरों को 20% वेतन बढ़ोतरी प्राप्त हुई.

इसके बाद आया कपड़ा मजदूरों का आन्दोलन. सरकार की कपड़ा नीति में इशारा मिला कि बीमार कपड़ा मिलों को बन्द करने और मजदूरों के रोजगार पर हमला करने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है. नई नीति ने निजी क्षेत्र की ओर अपना झुकाव स्पष्ट किया ताकि इस क्षेत्र को सरकारी नियंत्रणों से आजादी मिले. कपड़ा उद्योग, पूजीपतियों के हित में ही काम न करे, उसे देखने की जिम्मेदारी से भी अन्त में सरकार ने मुह मोड लिया. यहां तक कि जनता के हितों को नजर अन्दाज करके उन्हें इस बात की खुली छट दी गई कि इस उद्योग की उत्पादक क्षमता को बेच डाले. आई. एम. एफ. तथा विश्व के दबाव में, भारत सरकार ने एक कल्याणकारी सरकार होने की छवि को ही त्याग दिया. सरकार ने कपड़ा उद्योग पत्तियों को आर. डी. बी. आई. की आसान कर्जा योजना के तहत उचित फन्ड देने का आश्वासन दिया ताकि वे इस उद्योग में आधुनिकीकरण की रफ्तार को बढ़ा सकें. साथ ही यह भी वायदा किया कि आधुनिकीकरण के लिए आन्तरिक साधन जुटाने में मदद के लिए एक कपड़ा आधुनिकीकरण फन्ड भी बनाया जाएगा कपड़ा मजदूरों पर भीषण हमले की चतावनी था. त्रिवान्दरम जनरल काउंसिल में, उद्योगवार तालाबन्दी और ले-आफ का विश्लेशण करने पर यह नतीजा निकला था कि सबसे अधिक असर सूती कपड़ा उद्योग पर पड़ा था। 491 बीमार कम्पनियों में से 123 बड़ी यूनिटें कपड़ा उद्योग की पीर क्लोजर के कारण कल प्रभावित मजदूरों में से 1981 में 57% 1982 में 38%, 1983 में 57% और 1984 में 8%, कपड़ा मजदूर थे। बम्बई कपड़ा हड़ताल में विस्थापित। लाख से ज्यादा मजदूरों को भी अगर शामिल कर लें तो कपड़ा मजदूरों की भयंकर परिस्थिति की कल्पना कटी जा सकती है. सीटू ने यह पता लगाने का प्रयास करा कि बड़ी संख्या में कपड़ा मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों व फेडरेशनों को एकजुट किया जा सकता है क्या. शुरू में, इस विचार का कई ने समर्थन करा मगर सितम्बर 1985 में बुलाए गए कन्वेंशन में कुछ ने ही हिस्सा लिया. कई स्तरों के कार्यक्रम के बाद, एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हुए मगर आन्दोलन आगे न चल सका. हमारे तमिलनाडु और राजस्थान के साथियों ने कपड़ा मजदूरों के संघर्ष के लिए सभी यूनियनों को लामबद्ध किया. तमिलनाडु ने कुछ संघर्ष हुए और सरकार ने हस्तक्षेप करा जिस पर नेतृत्व के एक तबके ने बातचीत के बाद समझौते की राह पकड़ी और संयुक्त मीटिंगों में निर्धारित न्यूनतम को भी भंग कर दिया. राजस्थान में भी यही हुआ. इन्टक समेत बनी संयुक्त कमेटी ने कुछ प्रयास करे मगर जैसी राजस्थान में परम्परा रही है, बड़े भागीदार संगठनों ने सर्वसम्मत मांग से भी नीचे समझौता कर लिया. दिल्ली में कपड़ा मजदूरों का बहुत लम्बा संघर्ष चला जिसका संचालन कपड़ा उद्योग की सभी यूनियनों ने संयुक्त रूप से किया. यह देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट भी बिड़ला और चरतराम के दिखाए रास्ते पर चल रही थी और समझौते का विरोध कर रही थी सब तरफ से दबाव पड़ने के बाद ही एन० टी० सी० संचालित अयोध्या मिल में समझौता हुआ. अन्य यूनिटों में हड़ताल के समझौते का यही आधार बना हालांकि दोनों इजारेदार घरानों ने हड़ताल को लम्बा खिचवाया. मगर तमिल नाडु का अनुभव इसका बिलकुल उल्टा रहा. एस० आइ० एम० ए० (दक्षिण भारत उत्पादक संघ) की निजी मिलों ने बोनस का सवाल हल कर दिया, मगर एन० टी० सी० मिलों ने समान फायदे देने से इन्कार कर दिया हालांकि क्षेत्रीय आधार पर वेतनों में बराबरी बनाए रखना एन० टी० सी० की अपनी नीति थी पंजाब की एन० टी० सी० मिलों के मजदूरों की शिकायत रही है कि क्षेत्रीय यानि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के आधार पर उन्हें वेतन नहीं मिलता. उन्हें पंजाब में निर्धारित न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन दिया जाता हैं. यह उद्योग भीषण हमला झेल रहा है और एन० टी० सी० अपनी 28 बिमार यूनिटों को बन्द कर देना चाहता हैं. इस मकसद से उन्होने एक कपड़ा मजदूर पुनर्वास फन्ड स्थापित किया है जिसमें से कानूनी भुगतान के अलावा, तीन साल तक कम होते हुए स्केल के हिसाब से वेतन दिया जाएगा ताकि मजदूर रोजगार ढूंढ लें. इसमें केवल एक स्वामी हैं—सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त क्लोजर व छटनी कर चुकी हैं वे सब इसके तहत नहीं आएगी. अतः इस फन्ड का कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा, इसी कारण विभिन्न केन्द्रों में हमारे साथी पूछते हैं कि क्या हम अपनी ताकत को पुनर्गठित करके आगे आन्दोलन करें.

पटसन उद्योग में भी बर्बर हमला हो रहा है। यह सबसे पुराना उद्योग है जिससे अंग्रेजों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया था। उन्होंने एक संघ बनाया था जिसका नाम भारतीय पटसन उत्पादक एसोसिएशन. उसने देश के पटसन उगाने वालों और पटसन मजदूरों का निर्मम शोषण करा. हमारे साथियों ने विशेषत: प० बंगाल में, पटसन मालिकों के खिलाफ दृढ़ संघर्ष करा है. संकट की तीव्रता के कारण प० बंगाल में उन्होंने पटसन उद्योग के तमाम ट्रेड यूनियन संगठनों में एकता कायम करी और मजदूरों तथा पटसन उगाने वालों, दोनों के हितों की रक्षा के लिए कई बार हड़ताल करी (1983 में एक दिन, 1984 में एक दिन, 1985 में एक दिन की आम हड़ताल और फिर 1986 में एक दिन). अखिल भारतीय पटसन मजदूर फेडरेशन भी काम कर रही है मगर कृत्रिम थैले बनाने के लिए दाने निर्यात करने की सरकारी नीति में मौजूदा फेर बदल के कारण अत्यन्त गंभीर परिस्थिति बन गई है जबकि उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी. इतने सालों से पटसन मालिकों ने निर्दयता से मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाया है और उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए मजदूरों को भगवालों से काम और वेतन बांटने के लिए मजबूर किया है. नतीजा यह कि हालांकि प० बंगाल में 14 से 16 पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं या तालाबन्दी है, हेंशियन, दरी-बैंकिंग और बोटियों का सालाना उत्पादन बढ़ता जा रहा है. इससे यह बात भी गलत साबित होती है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मांग की वृद्धि हो गई थी. पटसन उद्योग की समस्या पर लगातार नजर रखी जा रही है.

भारत की स्टील मजदूर फेडरेशन, अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन, अखिल भारतीय बागान मजदूर फेडरैशन तथा भारत की जल परिवहन फेडरेशन जैसी मौजूदा फेडरेशनें सुचारु रूप से काम कर रही हैं उस दौरान अपनी सालाना कांफ्रेंसें करी है. जहाजियों के हितों की रक्षा के लिये, फारवर्ड सीमेन्स यूनियन आफ इण्डिया इस समय संघर्षरत है. श्रम बोर्डों में प्रतिनिधित्व के अलावा, जहाजरानी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलने से पता चलता है कि हमारे संगठनों की शक्ति के कारण हमें सम्मान मिला है और जहाजरानी उद्योग के प्रबन्धक, फारवर्ड सीमेन्स यूनियन से बातचीत करने पर मजबूर हुए हैं. सीटू की ओर से, सभी साथियों को सुसंगठित आन्दोलन चलाने और कुछ जगहों पर भीषण दमन तथा राउरकेला व खान क्षेत्रों में गुण्डों के हमलों का सामना करने के लिए मैं बधाई देता हूं. इसका ब्यौरा बाद में दिया गया है.

इस दौरान, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र, बिजली में हम अपनी यूनियनों को पुनर्गठित कर पाए हैं. त्रिवेन्दरम मे एक सफल सम्मेलन के बाद 'भारत का बिजली कर्मचारी फेडरेशन' गठित हुआ जिसके अध्यक्ष का०ई० बालानन्दन और महासचिव का०डी० जानकीरमण चुने गए. इसके साथ ही, 'भारत की उर्जा समस्या' पर एक विचार गोष्टी भी करी गई जिसका न केवल मजदूरों पर बल्कि उपभोक्ताओं, इन्जीनियरों तथा बुद्धिजीवियों पर भी अच्छा असर पड़ा. इस फेडरेशन ने 'वॉइस' नाम से एक पत्रिका भी निकाली है जो जीवन के हर पहलू से लोगों को आकृष्ट कर रही है. परिणामस्वरूप मजदूरों के इस तबके के बीच हमारा असर बढ़ रहा है.

चीनी उद्योग में अपनी शक्ति को संगठित करने के नए प्रयास किए गए हैं. वेतन बोर्ड बनाए जाने के कारण, देश भर में हमारे साथियों को इसके प्रति अपनी समझ स्पष्ट करनी पड़ी. दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, तमिलनाडु के हमारे साथियों ने उद्योग के वेतन अवार्ड से बेहतर वेतन हासिल कर लिया था. रु० 1065 प्रति सूचकांक की दर से न्यूट्रलाइसेशन भी उन्हें मिल गया था. इस कारण उन्होंने वेतन बोर्ड का बहिष्कार करने का फैसला लिया. मगर तमाम चीनी मजदूरों के हित में यह नहीं था जैसे महाराष्ट्र, जहां आमतौर पर चीनी मिलें सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं, जिन पर धनी किसानों का पूरा प्रभुत्व होता है. सामन्ती रिश्तों के चलते, वहां आन्दोलन खड़ा करना अत्यंत कठिन था. ऐसे सभी प्रयासों पर प्रबन्धकों के गुण्डों के खूनी हमले हुए और फिर भीषण पुलिस दमन. उनके लिए वेतन बोर्ड एक ऐसा अवसर था जिससे वेतन में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता था. सीटू द्वारा एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसमें खुली बहस के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वेतन बोर्ड की कार्यवाही में हमें शामिल होना चाहिए. इसके अनुसार एक ज्ञापन बनाया गया और मांग पत्र रखा गया. वेतन बोर्ड की कार्यवाही के दौरान यह देखा गया कि इन्टक और एच.एम.एस., किसी प्रकार के समझौते पर पहुंचने के लिये तैयार थे. हमारी दृढ़ता और तर्कों की मान्यता मिली और सभी भागीदार यूनियनों की तालमेल कमेटी बनाने तथा अन्तरिम राहत के रूप में दी जा रही छोटी राशि के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के प्रस्ताव भी सफल हुए. हमारे अलावा इन्टक, एटक और एच.एम.एस. की भागीदारी के साथ एक तालमेल कमेटी बनी. एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया. श्रम मंत्री ने तालमेल कमेटी के सचिव श्री किशोर पवार को बुलाकर प्रस्तावित हड़ताल के 48 घन्टे पहले, इसे वापस लेने की अपील करी और कहा कि सरकार मांगों पर विचार कर रही है. उस झांसे में आकर श्री पवार ने सभी संबद्ध लोगों को तार देकर हड़ताल स्थगित करने को कह दिया. हमारा मत था कि यह संयुक्त काम के सिद्धान्त के खिलाफ था और जिसने भी हमसे पूछा, उसे हमने बताया कि निर्णय बरकरार है. यह बहुत संतोषजनक बात है कि हमारी सीटू यूनियनों ने हड़ताल करी और इस तरह सभी की प्रशंसा पाई. आज चीनी उद्योग की गतिविधियों का तालमेल कर रहे हमारे साथी हरसहाय सिंह और पी०के० गांगुली इस उद्योग की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं.

काफी समय से सिमेन्ट उद्योग में अपनी ताकत को संगठित करने का हम प्रयास कर रहे हैं. पिछले वेतन बोर्ड की बातचीत में हमने कुछ प्रयास करे मगर हमारी ताकत कम होने के कारण अधिक सफलता नहीं मिली तथा इन्टक हावी रही. इस बार स्थिति बदल गई है. अपनी ताकत को संगठित करके और एटक के

साथ इसे जोड़कर हमने सरकार को इस बात पर मजबूर कर दिया कि सिमेन्ट आर्बिट्रेशन बोर्ड के फैसला लेने से पहले हमें सुनवाई का मौका दिया जाए. सीटू सेक्रेटेरियट मामले की देखरेख कर रहा है और इस उद्योग के काम की जिम्मेदारी का० एम० के पंधे की है.

राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा अगस्त 1983 में किए गए दूसरे कन्वेशन के फौरन बाद कन्स्ट्रक्शन मजदूरों की एक तालमेल कमेटी बनाने का फैसला हुआ. इनकी संख्या, जनगणना आंकड़ों के हिसाब से 3,278,124 है मगर हमारे साथियों की राय है कि यह करीब 60 लाख होगी.

आने वाले दिनों में हमारा उद्योगवार काम और तेज करने की जरूरत हो सकती है. राज्य स्तर पर कई उद्योगवार तालमेल समितियां हैं. इन पर उचित स्थान दिया जाना चाहिए.

दमन

कानपुर सम्मेलन मे कहा गया था कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर दमन बढ़ रहा है. उस समय जे.के. सिन्थेटिक्स कोटा के मजदूर छंटनी के खिलाफ लड़ रहे थे. उस हड़ताल को तोड़ने के लिए उन पर बर्बर दमन किया गया. मजदूरों को मजबूर किया गया कि वे या तो फैक्टरी में जाए या फिर जेल में. 150 मजदूरों ने हड़ताल तोड़ने की बजाय वीरता से जेल जाना ठीक समझा। जो मजदूर भूमिगत थे उनके परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा धमकाया गया. यह नोट करने की बात है कि यह सब इसके बावजूद हो रहा था कि छंटनी गैर कानूनी थी. हमारे वर्किंग कमेटी सदस्य और त्रिपुरा के श्रम मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के उत्तर में श्रम मंत्री ने यह माना. हालांकि मजदूरों को कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा मगर उन्होंने दुबारा मजदूरों की एकता बनाई है और अब आगे बढ़ रहे हैं.

राजस्थान में, लाठी चार्ज, गिरफ्तारियां ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ मुकदमें आम बात बन गई हैं. कानूनों का उल्लंघन करके इन्टक यूनियनों को बढ़ावा देना भी प्रायः होता है.

हिमाचल प्रदेश में हस्पताल मजदूरों तथा अन्य मजदूरों को औद्योगिक विवाद कानून के बाहर ले जाने के बाद से, अधिकारी उनकी यूनियनें रजिस्टर करने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि यह बिलकुल गैर कानूनी है मगर बेशर्मी से कानून तोड़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती. हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रान्त में सभी हड़तालों पर पूरा दमन चक्र चलाया जाता है. हर हड़ताल लम्बी खिंचती है। एक हड़ताल 63 दिन चली और 50 लोग गिरफ्तार किए गए. बी०पी०एल० में हड़ताल 93 दिन चली, 93 मजदूरों पर मुकद्दमें चले और महिलाओं समेत मजदूरों पर बर्बर लाठी चार्ज हुआ. परवानू की एक फैक्ट्री में 85 दिन तक हड़ताल चली और 6 महिलाओं समेत 50 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. 1985 की हस्पताल मजदूरों की हड़ताल भी बहुत लम्बी चली. चिटानी केमिकल्स के मजदूरों को 150 दिन तक हड़ताल करनी पड़ी. 6 मजदूर विक्टिमाइज हुए और 28 पर मुकदमे चले. 1986 में राज्य भर के मजदूरों ने यूनाइटेड डायमन्ड में हड़ताल का समर्थन किया और 11 दिनों में समझौता हुआ. दिसम्बर 1986 में हरियाणा-हिमाचल सीमा पर स्थित सचिरा पेपर मिल्स के मजदूरों पर दोनों राज्यों की ओर से दमन हुआ.

हरियाणा में भी स्थिति अत्यंत गंभीर है. राज्य कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि :

"पानीपत स्थित, सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट नेशनल फर्टिलाइजर में 500 ठेके के मजदूर काम करते हैं जो एन०एफ०एल० लाल झण्डा मजदूर यूनियन के तहत हैं. जुलाई 1983 को सभी 500 मजदूर फैक्टरी से निकाल दिए गए और उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया. का० पी० के० गांगुली द्वारा संबोधित की जा रही सभा पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज करा. मजदूरों को बेरहमी से पीटा गया. मुख्य निशाना सिख मजदूरों को बनाया गया. मजदूरों के खिलाफ झूठे केस बनाए गए. 31 अगस्त 1983 को एन०एफ० एल० मजदूरों के समर्थन में पानीपत में कई हजार मजदूरों की राज्य स्तरीय रैली हुई जिसे सीटू के महासचिव का. समर मुखर्जी ने संबोधित करा. मगर उन 500 मजदूरों को बहाल नहीं किया गया. हरियाणा का श्रम विभाग मूक दर्शक बना रहा या प्रबंधकों से मिली भगत करली. बी०के० आयरन, बकालगढ़, सोनीपत इस फैक्टरी में उड़ीसा से आए मजदूर ठेके पर काम करते थे. इन मजदूरों को एसी कोई भी सुविधा नहीं मिलती जो इन्टर स्टेट माइग्रन्ट एक्ट तथा अन्य श्रम कानूनों में दी गई हैं. उन्हें बन्धुआ मजदूरों की तरह रखा जाता है। सीटू की यूनियन बनाई गई. 3.11.83 को सभी मजदूरों को निकाल दिया गया. संघर्ष 10.1.85 तक चला. पुलिस की सांठ-गांठ के साथ गुण्डों ने तीन बार मजदूरों की झोपड़ियां जला डालीं. प्रबंधकों तथा उसके गुण्डों के खिलाफ कोई भी पुलिस का मामला नहीं बनाया गया.

1986 में सोनीपत स्थित मर्क्युरी रबर मिल के प्रबंधक ने फैक्टरी बन्द कर दी और पुलिस की मदद से मजदूरों को हिसाब लेने पर मजबूर किया. इस तरह 500 मजदूरों को जाना पड़ा सोनीपत में ही एटलस तथा मिल्टन फैक्टरियों पर हमारी यूनियन को गेट पर काम करने नहीं दिया जाता. सीटू कार्यकर्ताओं को अनेक प्रकार के हमलों का सामान करना पड़ता है.

हरियाणा में अगर आप किसी फैक्टरी में यूनियन बनाना चाहें तो फौरन पूरी वर्किंग कमेटी बरखास्त कर दी जाती है और फिर आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है. लेबर कोर्ट को मामले भेजे ही नहीं जाते. पुलिस की सहायता से प्रबन्ध, मजदूरों को फैक्टरी तक में घुसने नहीं देते। दीवानी कोर्ट तक प्रबन्धकों को स्थाई इन्जंक्शन दे देते हैं कि फैक्टरी के 500 मीटर के घेरे में मजदूर नहीं आ सकते. अगर कोई आ जाए तो पुलिस का मामला बनता है.

हिसार में प्रबंधकों के किराये के गुण्डों ने हमारे का० टेकचन्द गुप्ता का अपहरण कर लिया. उन्हें बुरी तरह से पीटा गया और

जान खतरे में पड़ गई. अगर इस पर सीटू की ओर से प्रतिरोध न होता और सांसद का०सुकोमलसेन वहां पहुंचकर कारगर हस्तक्षेप न करते तो शायद उसकी जान चली जाती."

गुजरात की रिपोर्ट में कहा गया है, कांडला के मुक्त व्यापार क्षेत्र में सीटू के झंडे तले मजदूर संघर्षरत हैं यूनियन मजबूत होती जा रही थी. पुलिस की सहायता से प्रबंधकों ने आन्दोलन और यूनियन पर दमन शुरू करा. सितम्बर 1983 में मजदूरों पर पुलिस ने गोली चलाई जिससे सुरेश पाण्ड्या और वाशा की मृत्यु हो गई और 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार करे गए. सीटू नेतृत्व ने फोरन पहुंचकर मजदूरों को संगठित किया और इस बर्बर पुलिस कार्य-वाही के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया. राज्य व्यापी विरोध का आह्वान किया गया. मगर हमारी सभी यूनियनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया.

बड़ोदा के पास, सकर्दा में प्रबंधकों ने एक फैक्टरी बन्द कर दी. 1 मई 1986 को मजदूरों ने 'रास्ता रोको' आयोजित करा. मुख्य मंत्री को उस रास्ते से जाना था। रास्ता खाली कराने के लिए पुलिस ने गोली चला दी. एक मजदूर मारा गया और तीन घायल हुए. हालांकि यह यूनियन, हमसे संबद्ध नहीं हैं मगर हम मजदूरों के पास तुरंत पहुंचे. मगर हमें हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया. हमारी यूनियन ने पुलिस द्वारा गोली चलने के खिलाफ धरना दिया."

उड़ीसा की रिपोर्ट से पता चलता है कि खान क्षेत्र और कुछ कपड़ा मिलों में भीषण दमनचक्र चलाया गया है. कुछ जगह तो यूनियनों की प्रतिस्पर्धा का पड़ता होता है मगर ज्यादातर मामलों में प्रबन्धकों के भाड़े के गुण्डे शामिल होते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है" 24 सितम्बर 1983 को रात के अन्धेरे में, सन्देहास्पद राजनैतिक संबंधों वाले कुछ भाड़े के हमलावारों ने का० आनन्द राउत के घर में गुप्त रूप से घुसकर उनके 5 साल के लड़के संजय को कायरता पूर्वक मार डाला. का० राउत ने अत्यन्त साहस दिखाया और संघर्ष से विचलित न होकर दुश्मन के सामने हार नहीं मानी. सीटू यूनियनों को वहां बार-बार असामाजिक तत्वों का सामाना करना पड़ा और कई बार खूनी संघर्षों से गुजरना पड़ा.

अन्तत: काल्टा खानों के मजदूरों और उनकी एकता को विजय हासिल हुई."

उड़ीसा में भी राज्य भर में दमन चक्र जारी है. बारीपदा में कपड़ा मजदूरों की एक यूनियन का रेजिस्ट्रेशन एक साल से टाला जा रहा है. जब मजदूरों ने एक मांग पत्र पेश किया तो मिल में तालाबन्दी हो गई, मजदूरों की पिटाई हुई और किराए के गुण्डों ने उनके घर जला डाले. विरोधी यूनियनों द्वारा हमले के कुछ खेद-जनक हमले भी हुए हैं. लेलैंड, हाउसुर के समारे साथी सक्थीवेल की छूरा घोंप कर हत्या कर दी गई. कुछ अन्य मामले भी हुए. मगर कुछ मामलों में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों तथा बच्चों पर हमले हुए और जाने गईं. ऐसी घटनाएं मोदीनगर, गाजियाबाद तथा काल्टा लौहखानों में घटी. जैसा बताया गया का० आनन्द राउत का पांच वर्षीय पुत्र मारा गया तथा उनकी पत्नी व साली मौत के मुंह से बचकर आई. इस तरह की घटनाएं सभी के द्वारा टाली जानी चाहिए.

असम में, असम गण परिषद के समर्थकों द्वारा ट्रेड यूनियनो पर कब्जा करने के प्रयासों के कारण स्थिति बिगड़ी है और झड़पें भी हुई हैं. त्रिपुरा में टी० एन० वी०, टी०यू०जे०एस० तथा उनके आकाओं द्वारा खूनी हमले जारी रख हैं.

सीटू उन सभी साथियों को गर्म जोशी से बधाई देती है जो अपना संघर्ष, सरकारी दमन और प्रबन्धकों के भाड़े के गुण्डों के हमलों के बावजूद जारी रहे हैं.

ट्रेड यूनियन व लोकतांत्रिक अधिकारों पर आक्रमण

"कानपुर कांग्रेस ने नोट किया" लोगों के विरुद्ध सतावादी शक्तियों का प्रहार जारी है. केन्द्र में अधिकाधिक सत्ता संकेंद्रण हो रहा है जिसके फलस्वरूप केन्द्र राज्यों के संबंधों के मध्य संकट उत्पन्न हो रहा है, श्रमिक विरोधी कानून बन रहे हैं और बहुत से बनने वाले हैं. सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि पुलिस अत्याचारों, महिलाओं पर बलात्कार, हिरासत में हुई हत्या आदि में अपील की गुंजाइश नहीं है. पुलिस का प्रत्येक कुकृत्य दबाया जा रहा है तथा कथित कानून के शासन का तो अस्तित्व ही नहीं रह गया है.

इस दौरान एसी चेतावनियों के प्रमाण बार-बार देखने को मिले इस संदर्भ से पहली घटना भी आन्ध्र प्रदेश के एन०टी०आर० मंत्री-मण्डल व जम्मू-काश्मीर के फारूख मंत्रीमंडल का गैर-कानूनी व अधिनायकीय बरखास्तगी. देश भर के श्रमिक वर्ग ने इस अधि-नायकवादी कार्यवाही के विरुद्ध दिये गये हड़ताल आह्वान समर्थन किया, जिसका वर्णन इसके बाद किया गया है.

इसके बाद ही सरकार ने मजदूर आन्दोलन के विरुद्ध योजनाबद्ध हमले जोर-शोर से करने शुरू कर दिये. एक तरफ उन्होंने जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में सुधार के बार में बातचीत करनी शुरू की व दूसरी तरफ 1980 में जांच-पड़ताल की गई सदस्य संख्या के आधार पर भारतीय श्रम सम्मेलन की बैठक बुला ली जबकि उन्हें पता था कि हमारी वास्तविक सदस्य संख्या बहुत घट गई है क्योंकि सीटू व एटक ने इस जांच-पड़ताल प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया था. इसका उद्देश्य था मजदूर यूनियन संगठनों में विकसित हो रही एकता में फूट उत्पन्न करना जो राष्ट्रीय प्रचार समिति के द्वारा बढ़ रही थी. एक बार फिर इसका सर्वसहमति से विरोध हुआ व 'एटक', 'सीटू', 'टक्क', 'उटूक' ने विरोध प्रकट किए और देश के चारों तरफ से सरकारी कार्यालयों में तारों व प्रस्तावों की बाढ़ सी आ गई.

तमिलनाडु समिति ने इस सम्बन्ध में कदम उठाने में पहल की. सेक्रेटेरिक ने स्थिति पर विचार करके एक बार फिर यह आदेश दिया कि कार्यक्रम को तीव्र गति दिया जाए और राज्य समि-

तियों तथा श्रमिक संगठनों ने इसे राष्ट्रीय स्तर लिया. सरकार के पास सैकड़ों की संख्या में तार आये और अन्ततः उसे इन चारों संगठनों को डेलीगेट रुतबा देने के लिए बाध्य होना पड़ा.

28वीं भारतीय श्रम सम्मेलन ने जाहिर किया कि सरकार ने संगठित श्रम से सलाह किये बिना औद्योगिक विवाद अधिनियम और मजदूर यूनियन अधिनियम में दूरगामी संशोधन करने का निश्चय व निर्णय किया है. उन्होंने जो सहारा लिया वह यह था कि 1982 में हुये त्रि-पक्षीय राष्ट्रीय सम्मेलन में इस पर बातचीत हुई थी जिसमें केवल 'इन्टक' व 'नलो' ने ही भाग लिया था व शेष ने इसका बहिष्कार किया था. इनमें से छः के दबाव पर सरकार ने यह स्वीकार किया कि वह स्थाई श्रम समिति के द्वारा कानून की प्रक्रिया के शुरुवात से पहले मजदूर यूनियन आंदोलन से बातचीत करेगी.

सितम्बर 1986 में हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक के समक्ष जो कागजात पेश किये गये उनमें सन्निहित कुछ प्रस्तावों के विषय में कार्यकारिणी समिति ने सितम्बर, 86 में ये बातें स्पष्ट की थी :

"संशोधन प्रावधान करता है कि कोई भी ट्रेड यूनियन विवाद, जिसमें समझौता न हो पा रहा हो, राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक संबंध आयोग को मध्यस्थता के लिये भेजा जा सकता है. औद्योगिक संबंध आयोग वह सरकारी स्थाई मध्यस्थता निकाय है जिसका उद्देश्य हड़तालों को रोकना व श्रमिक संघों को बाध्य करना है कि वे आयोग के समक्ष पेश हों. अनुभव बतलाता है कि सरकारी शक्ति हमेशा मजदूर हितों के विरुद्ध प्रयुक्त होती है जिसके द्वारा उनकी मान्यता प्राप्त व शक्ति प्रदर्शन के अधिकार लगभग छीन लिय जाते हैं. आयोग हमेशा श्रम संबंधी कार्यरत सरकारी नीति के अनुरूप कार्य करेगा. यह वह माध्यम है जो मजदूरों को बलात् मध्यस्थता या 'आर्बिट्रेसन' स्वीकार करने को मजबूर करता है और इस स्थिति में इसका प्रयोग हमेशा होगा जब मालिकों का कोई आधार न हो और मजदूर विजय प्राप्ति के नजदीक हों. 21वीं शताब्दि के औद्योगिक संबंधों के बारे में, संभवतः राजीव गांधी का यह पहला कदम है.

इस हड़ताल तोड़क अभिकरण को आदरयुक्त बनाने के लिए उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष एक अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगी. वह उच्च वेतन भोगी होगा जो स्थाई या दीर्घकाल तक अपने पद पर रहेगा जबकि किराये के हड़ताल तोड़क अल्पकालिक एवं अल्प राशि भोगी होते हैं. आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति इस उच्च वेतन भोगी हड़ताल तोड़क के परामर्श से होगी.

वे दिन अब लद गये है जब मजदूरों को न्यायाधीशों के चोगे पहने व अपने को निष्पक्ष दिखलाने वाले हड़ताल तोड़कों द्वारा गुमराह किया जा सके या धोखा दिया जा सके.

श्रम न्यायालयों के कार्य होंगे :

(i) व्यक्तिगत विवाद जो मुअत्तली, बर्खास्गी व छंटनी से संबद्ध हो.

(ii) संस्थानों के स्थाई आदेशों का कार्यान्वियन व व्याख्या और स्थाई आदेशों के अन्तर्गत पारित आदेशों की कानून संगतता.

(iii) सामूहिक समझौतावादी प्रतिनिधि/परिषद का प्रामाणीकरण. (अन्यायसंगत श्रम हथकंडों के आधार पर मान्यता छीनने की शक्ति समेत)

(iv) स्थाई करने, वरिष्ठता, पदोन्नति, पदावन्नति समय से पहले अवकाश ग्रहण, सेना निवृत्ति, छुट्टी, अनुशासन संबंधी मामले, वेतन व अवकाश ग्रहण की सुविधायें आदि से सबंद्ध, व्यक्तिगत विवाद.

एक वाक्य में, श्रम आयुक्तों के सभी कर्त्तव्य व अधिकार अब श्रम न्यायालयों को दे दिये गये हैं और इस तरह सरकार की जिम्मेदारी को कम करके यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि इस निष्पक्ष निकाय द्वारा मजदूरों को न्याय की प्राप्ति हो सकती है.

इसके बाद मजदूर यूनियन को मान्यता प्रदान करने के संबंध में घोर प्रतिक्रियावादी प्रावधान हैं. मान्यतायें जांच प्रणाली द्वारा अभ्यथित सदस्य संख्या के आधार पर दी जायेंगी. मान्यता प्राप्ति के लिये गुप्त मतदान के लोकतांत्रिक मांग को इसलिये रद्द कर दिया गया है ताकि 'इंटक' के हितों को बढ़ावा दिया जा सके व उसका पक्ष लिया जा सके. इस मजदूर वर्ग-विरोधी हड़ताल-विरोधी औद्योगिक संबंधों का उल्लेख और किसी के द्वारा नहीं बल्कि बसन्त साठे द्वारा किया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के घोर विरोधी व राजीव गांधी मंत्री-मंडलीय सहयोगी हैं.

"एक बड़ा और भयंकर उदाहरण बम्बई का कपड़ा उद्योग है जो लगभग दो वर्षों तक बंद रहा जिसके फलस्वरूप दो लाख मजदूर बेकार हो गये व अरबों रुपये का उत्पादन में नुकसान हुआ. इस शक्ति-परीक्षण का प्रमुख कारण था कि सरकार की यह नीति एक विशेष यूनियन 'इंटक' से संबद्ध लाल कांग्रेस (इ) ही एक मात्र मान्यता प्राप्त यूनियन है. ये यूनियन किसी भी लोकतांत्रिक मापदण्ड को मानने की इच्छुक नहीं हैं जिसके द्वारा इसकी सदस्य संख्या अथवा मजदूरों में उसकी विश्वसनीयता प्रामाणित हो सके और अपनी राजनीतिक निष्ठा के कारण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर सके किसी भी उस मापदण्ड द्वारा जिसे सरकारी समर्थन प्राप्त हो.

इस देश के समस्त मालिक-मजदूर संबंधों के लिये यह निश्चय ही एक अभिशाप है. जब तक मजदूरों में इस यूनियन की थोड़ी-बहुत विश्वसनीयता थी, मालिक-मजदूर संबंधों में संकट की स्थिति नहीं आई, परन्तु जब तथाकथित मान्यता प्राप्त यूनियन ने मजदूरों में विश्वसनीयता खो दी व किसी भी लोकतांत्रिक मापदण्ड को मानने में आनाकानी की, स्थिति गम्भीर हो गई.

परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक हड़ताल से उद्योग में खलबली मच गई. वर्तमान मालिक-मजदूर संबंधों के संदर्भ में यह अत्यावश्यक

है कि सौदेबाज प्रतिनिधि का समय-समय पर दो वर्षों की अवधि के लिये संबद्ध संस्थान के कर्मचारियों द्वारा गुप्तमतदान के माध्यम से चुनाव हो, जो विवेक संगत है. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम में बांछनीय संशोधन करने होंगे.

(साठे-सोशल रिवोल्युशन—पृष्ठ 182)

सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में साठे द्वारा व्यक्त तर्क विद्या का यद्यपि उनके सहयोगी गुप्तरूप से प्रशंसक हैं तथापि गुप्त मतदान के उनके अभिमत के विरोधी. प्रस्तावित संशोधन सदस्य संख्या के परीक्षण पर निर्भर है जिसकी नियति भारतीय संदर्भ में यह है कि अनुयायीगण के युनियन की वित्तीयपूर्ति मजदूर वर्ग की कीमत पर की जाए.

इसके अतिरिक्त एक और नृशंस प्रावधान है जो अनिच्छुक मजदूर को अनुग्रहीत युनियन की सदस्यता उसकी इच्छा के विरुद्ध लेने का आह्वान करता है. संशोधन में कहा गया है "जो मजदूर गैर मान्यता प्राप्त युनियन के सदस्य हैं उन्हें तीन महीने के भीतर किसी मान्यता प्राप्त युनियन का सदस्य बन जाना चाहिये यदि कोई मजदूर तीन महीने के भीतर मान्यता प्राप्त युनियन का सदस्य नहीं बनता तो उसकी ट्रेड युनियन राशि प्रमुख सौदेबाजी प्रतिनिधि अथवा परिषद के खाते में जमा करवा दी जायेगी." मजदूर को केवल यह अधिकार नहीं है कि वह अपने वोट के द्वारा युनियन के प्रतिनिधियात्मक स्वरूप का निर्धारण करे बल्कि उसे यह अधिकार भी है कि जिस युनियन में उसे विश्वास नहीं है, उससे अलग रहे. यह एक आसन्न प्रावधान है. फासीवादी युनियन की अनिवार्य सदस्यता का प्रावधान केवल हिटलर ने किया था. यही परीक्षण प्रणाली की नियति है. मजदूर को युनियन की सदस्यता लेने को बाध्य करो व उसे सौदेबाजी प्रतिनिधि की संज्ञा दे दो. परीक्षण प्रणाली मांग है कि मजदूर व्यवस्थापक मण्डल को अपनी युनियन संबद्धता से सूचित करे. मजदूर की आशंका स्वाभाविक है कि यदि उसने अनुग्रहीत युनियन से अपने को संबद्ध नहीं किया तो उसे उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ेगा. नये संशोधन के अन्तर्गत यदि मजदूरों ने अनुग्रहीत युनियन के प्रति प्राथमिकता व्यक्त नहीं की तो वे उसके सदस्य मान लिये जायेंगे.

परीक्षण प्रणाली के आधार पर सौदेबाजी प्रतिनिधि का निर्धारण लड़ाकू मजदूर संगठनों के स्थान पर अनुयायी गण के युनियनों को तरजीह देने का एक यन्त्र या साधन है.

इसके अतिरिक्त एक और प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि संस्थान के कम से कम 25 प्रतिशत मजदूर यदि युनियन के सदस्य नहीं हैं तो उस युनियन को मान्यता नहीं दी जा सकती. मान्यता प्राप्ति का कार्यरत मापदंड है कि 7 सदस्यों ने अपनी हस्ताक्षर युक्त सहमति दे दी हो नया संशोधन स्वतः विकास शील लड़ाकू युनियनों को मान्यता देने की मनाही करता है व सौदेबाजी तथा बातचीत में भाग लेने से उन्हें वंचित करता है. इसका उद्देश्य उन युनियनों में प्रतिनिधित्व का एकाधिकार समाहित करना है जो लड़ाकू रूझानों के प्रति सदैव उदासीन रही हैं. वास्तव में, नया संशोधन वह प्रावधान है जो भविष्य में लड़ाकू युनियन के उत्थान को सशक्त रूप से रोके.

मजदूर के हड़ताल के अधिकार पर और प्रतिबंध लगाया गया है. बहुमत द्वारा निर्णय लिये जाने पर भी हड़ताल नहीं हो सकती सदस्य संख्या के 75 प्रतिशत के सौदेबाज प्रतिनिधियों द्वारा समर्थन व्यक्त होने पर ही हड़ताल कनूनी मानी जायेगी जिसका अभिप्राय यह हुआ कि 25 प्रतिशत से कुछ ही अधिक सदस्य संख्या किसी भी हड़ताल को वीटो कर सकती है. मजदूर वर्ग के विरुद्ध इस प्रभुत्ववादी बाध्यता का स्पष्टीकरण इस नये संशोधन में है जिसकी निन्दा समस्त ट्रेड युनियनों के द्वारा की जानी चाहिए व इसे रद्द करने की जोरदार मांग होनी चाहिये. स्थायी श्रम समिति के समक्ष पुनः यह विवाद उठाया गया, झगड़े हुए व समिति की ओर से निर्देश भेजा गया कि इसके पास पुनः भेजने से पहले प्रस्ताव के सभी अनुभागों पर ट्रेड यूनियन आंदोलन से विचार विमर्श किया जाय क्योंकि 28वीं भारतीय श्रम सम्मेलन में जो आश्वासन दिये गये थे, उन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया. यह याद रखने योग्य है कि सरकारी संरक्षण प्राप्त 'इंटक ने जांच-पड़ताल की क्रिया के संशोधन में निर्णय लेने के लिये दो वर्ष से अधिक समय लिया जबकि मान्यता से संबद्ध परीक्षण प्रणाली व्यवस्था व सामूहिक समझौतावादी प्रतिनिधि की प्रक्रिया को ईर्ष्यालु ढंग से लागू किया गया यह नोट करने की बात है कि हालांकि परीक्षण प्रणाली में सुधार की बात पर युनियनों में समझौता हो गया है तथापि सरकार ने इस पर चुप्पी लगा रखी है और उसने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह इससे सहमत भी है अथवा नहीं. अखबारों में प्रकाशित खबरों से यह मान होता है कि ट्रेड युनियन (संशोधन) विधेयक के माध्यम से परीक्षण प्रणाली को अपनाया जाने वाला है. यदि यह पारित हो गया तो एक बार फिर जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पर विचार करना होगा.

यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों ने एटक के कुछ युनियनों की अपील को मानते हुए एक परिपत्र जारी किया है कि Payment of wages Act तहद राशि काटकर संबद्ध युनियन को सौंपने को राजी हो सकते हैं संगठित श्रम कार्य सम्पन्न करने का परीक्षण प्रणाली की यह व्यवस्था एक गुप्त तरीका है. राष्ट्रीय प्रचार समिति इससे भली भांति अवगत है व उसने निर्णय लिया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम व ट्रेड युनियन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का भरपूर विरोध करने के लिये 16 अप्रेल को विरोध दिवस के रूप में मनाया जाय.

तनख्वाहों पर प्रतिघात—मूल्य सूचनांक संख्याओं में परिवर्तन

पूर्वोक्त विधेयकों का उद्देश्य ट्रेड युनियन आंदोलन पर सीधे तौर पर आवरण डाल देना है. कानपुर सम्मेलन ने इस प्रतिघात को नोट करते हुये तनख्वाहों के संबंध श्रमिक वर्गों को यह चेतावनी दी :

तनख्वाह व कार्य की शर्तों पर किये गये इस आक्रमण को सुसाध्य बनाने के लिए—सरकार ऐसे ट्रेड यूनियन विरोधी कानून बनाने में विश्वास करती है जिनके द्वारा जुझारू यूनियनों का दम घोट दिया जाय, हड़ताल के अधिकार पर अवरोध लगा दिया जाय यूनियनों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाय व अन्तत: ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाली यूनियनों को मनमाने ढंग से मान्यता व संरक्षण दिया जाय जिनके भ्रष्ट व स्वार्थी नेतृत्व की दया पर निर्भर रहने को मजदूर बाध्य हो जाय.

इस बार तनख्वाहों पर हमला एक नये तरीके से विकसित हुआ है. बढ़ते हुए कार्य स्थलों व कार्यरत जनसंख्या को आधार मानकर नशनल सेम्पल सर्वे एण्ड वेटेज द्वारा संशोधित मानों को आधार मानकर सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में संशोधन करने को तरीका अपनाया. उन्होंने रथ समिति की रपट व सिफारिशों को ताक पर रख दिया, विशेषतया उन्हें जिनमें कार्य पद्धति व वास्तविक अंकों के रेखामान की प्रस्थापना में संगठित श्रम को संबद्ध करने की सिफारिशें थीं : रथ समिति ने यह सिफारिश भी की थी मूल्य के संचयन पद्धति में काले बाजार में प्रचलित मूल्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी माना है. इसे भी नजरन्दाज कर दिया गया व सील समिति की स्थापना हुई जिसके जिम्मे यह कार्य सौंपा गया समिति ने कहीं भी संगठित श्रम को प्रक्रिया से संबद्ध नहीं किया सिवाय इसके कि समिति जहाँ कहीं भी गई उसने मजदूर प्रतिनिधियों के विचार सुने यह सुनवाई भी ठीक ढंग से नहीं हुई क्योंकि न तो उन्हें रथ समिति की रपट से अवगत करवाया गया और न ही आगे उनके विचारों को जानने की चेष्टा की गई इस स्तर पर भी यह कोशिश की गई की सील समिति गलतियों को सुधारे. रपट में श्रमिकों के पक्ष के विचारों का उल्लेख नहीं है और न ही यह बतलाया गया है कि सम्पूर्ण श्रम की संबद्धत्ता की मांग को क्यों रद्द कर दिया गया यह उल्लेखनीय है कि संशोधित अंकों में ऐसी हेराफेरी हो गई है कि 4.75 (1960-82 के मध्य) के स्थिर परिवर्तन के मापदंड के आधार पर 1985 के ही एक वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के द्वारा मजदूरों को 200 बिन्दू के महगाई निष्प्रभाव का नुकसान होता है. यह याद रखने योग्य है कि 1960 की उपभोक्ता मूल्य सूचनांक से व्याप्त गलती के न सुधारने की वजह से, जिसे हरेक ने स्वीकार किया है, बिन्दुओं पर स्थिर रहा और इस तरह सरकार ने व्यवस्थापक मंडल को अनुमति दे दी कि वह प्रत्येक मजदूर के कानूनी महंगाई भत्ते में से 1985 तक प्रतिमाह 10 रु० की कटौती कर सके जो 1985 से 13 रु० प्रति माह हो गया है अब योजना यह है कि तनख्वाह को और कम किया जाए अर्थात् 220 बिन्दू या इससे अधिक प्रतिवर्ष इससे यह सारांश निकलना मुश्किल नहीं है कि संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचनांक में हुये क्रमबद्ध परिवर्तन के द्वारा सरकार श्रमिक वर्ग की तनख्वाहों में कमी करना चाहती है जो वह दमन द्वारा सीधे तौर पर नहीं कर सकती. उत्पादन में वृद्धि, राशि वृद्धि और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के विकास के बावजूद मजदूरों की वास्तविक तनख्वाह मुद्रास्फिति के कारण सिकुड़ता जा रहा है. मजदूर बी०पी०ई० (BPE) के निर्देशों व अन्तत: अपने प्रति अविश्वसनीय धोखाधड़ी के विरुद्ध लड़ते आ रहे हैं.

इस परिवर्तन की जानकारी केवल ट्रेड युनियन आंदोलन के सक्रिय नेताओं को है. अधिकांश मजदूरों को तो यह पता भी नहीं है कि उपभोक्ता मूल्य सूचनांक संख्याओं की गणना प्रक्रिया क्या है. सीटूने निर्णय लिया है. कि एक पर्चा छापा जाय जिसमें इन बातों की जान कारी देकर आंदोलन को मजबूत बनाया जाय.

साथियो हमें यह समझ लेना चाहिये कि बुर्जुआ कार्य पद्धति व प्रयुक्तवादी आक्रमणों, जो ट्रेड युनियन अधिकारों पर हो रहे हैं, के बिरुद्ध हमारा संघर्ष तीव्र से तीव्र होता जा रहा है. हमें यह याद रखना चाहिये कि सीटू का अपना क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन इतिहास है जो समझौते बादी युनियनों व उनके हमवारिसों से एक दम भिन्न है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से ही अपनी सुधारवादी नीतियों के लिये जाने जाते हैं. हमें अपने संगठनों की नीतियों के अनुसार कार्य करना होगा अन्यथा हम श्रमिक वर्ग के कानूनी हितों की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे. ट्रेड युनियन संगठनों के बारे में ऐंग्रेल्स द्वारा व्यक्त विचारों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिये कि ट्रेड युनियन की उपस्थिति के कारण ही मजदूरहितोन्मुख विधायनों का कार्यान्वियन हो सकता है यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक एवं सत्य है. भारत में समस्त मजदूर विधायनों सर्वथा ढह जाने की स्थिति में हैं. इससे पहले कि हम अपने संगठन का जायजा लें, ट्रेड युनियन एकता की समस्याओं व उसकी बुनियादी कमजोरियों को नोट कर लेना चाहिये.

ट्रेड यूनियन एकता की समस्या

कानपुर सम्मेलन में बतलाया गया कि सीटू ने ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता की दिशा में अथक रूप से कार्य किया. इसके अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि राष्ट्रीय प्रचार समिति की प्रस्थापना हुई. समिति के कार्यों में, 19 जनवरी की हड़ताल, तीन दिनों का कोयला खनिकों का हड़ताल जैसी महत्त्वपूर्ण कार्य हैं जो एकता को मजबूत करने में प्रवृत थे. हमारी सामूहिक गति विधियाँ, कहाँ तक एकता के परिणाम का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकी, इस पर विस्वस्त रूप से पुनर्विचार करना जरूरी है.

राष्ट्रीय प्रचार समिति का दूसरा सम्मेलन अगस्त 1983 में दिल्ली में हुआ जिसमें अधिकाधिक सहभागिता रही और (7) से भी अधिक महासंगों ने इसमें सिरकत की. यह निर्णय किया गया कि एक और सम्मेलन हो जिसमें विशेषतया बंदी, तालाबंदी व छटनी आदि के मुद्दों पर विचार हो.

जनवरी 1984 में हुये सम्मेलन में औद्योगिक रूग्णता, ताले बन्दी आदि पर हुये विचार काफी प्रभावकारी रहे और अप्रैल 1984 में आयोजित श्रमिकों का संसद चलो अभियान की जोर

शोर से तैयारी हुई. मजदूरों के इस संसद चलो अभियान के तुरन्त बाद पत्तन व गोदी श्रमिकों ने एकताबद्ध होकर हड़ताल की जिसमें इंटक के नेतृत्व वाले महासंघ न भी भाग लिया पहले हुये कोयला हड़ताल ने उन्हें सिखा दिया था कि एकताबद्ध संघर्ष की भावना उन्हें प्रभावहीन कर सकती है. यदि वे हड़ताल में भाग नहीं लेते 18 अप्रैल के संसद चलो अभियान के बाद ट्रेड युनियन की दिशा लगभग बिल्कुल ही भिन्न संदर्भ में थी. आंध्र प्रदेश में रामाराव सरकार, जिसके पास प्रबल बहुमत था, गैर कानूनी व गैर सांविधानिक ढंग से हटा दिया गया. लोकतंत्र की इस वीभत्स अवभावना के विरुद्ध रामाराव सरकार के समर्थन में आंध्रप्रदेश के लोगों व श्रमिक वर्ग ने जबरदस्त भाग. लिया राजनीतिक दलों ने भारत बंद हेतु राष्ट्रीय प्रचार समिति से परामर्श किया. राष्ट्रीय प्रचार समिति इसे अपना पूर्ण समर्थन नहीं दे सकीं। एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके द्वारा संबद्ध इकाइयों को यह स्वतन्त्रता दी गई कि वे बंद की दिशा में कार्य करें. बंद बेहद रूप से सफल रहा और अन्ततः सरकार को बाध्य होना पड़ा कि विधायिका में वह शक्ति परीक्षण करे जिसके परिणाम स्वरूप वह पुनः सत्तासीन हुये.

एकता आंदोलन में कुछ समय के लिये ठहराव आ गया जबकि सरकार जाँच पड़ताल की प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय प्रचार समिति में खाई उत्पन्न करने के असफल प्रयास में लगी हुई थी. श्रीमती इन्दरा गाँधी की हत्या व राजीव गाँधी के पहले से भी अधिक समर्थन से सत्ता में आने से स्थिति थोड़ी सी ढीली पड़ गई. ढीलेपन की तीव्रता व विघाटनकारी शक्तियों ने सभी को चिन्तित कर दिया था.

भोपाल में 2-3 दिसम्बर को अमेरिकी एम० एन० सी० की नियन्त्रित कम्पनी युनियन कार्बाइड में भयंकर दुर्घटना हुई जिसके फलस्वरूप हजारों की संख्या में लोग हताहत हुये व हजारों की संख्या में बुरी तरह प्रभावित हुये. राष्ट्रीय प्रचार समिति न तो इसमें हस्तक्षेप कर सकी और न ही कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा पाई. सीटू को इसमें पहल करनी पड़ी व दीर्घकालीन प्रयासों के बाद 24 मई 1985 को एक सेमिनार का आयोजन हो सका. एक समिति का गठन हुआ व 3 दिसम्बर 85 को मनाने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया. समिति ने भोपाल यात्रा की. दूसरों के हितों में क्योंकि अवनमन था. इसलिये 3 दिसम्बर 1986 पर ध्यान ही नहीं दिया गया भोपाल के स्थानीय संगठनों ने ही इसे मनाया इसी दौरान पं० बंगाल के जूट मजदूरों उत्पादकों व उद्यभोग के हितों की भी सुरक्षा के लिये प० बंगाल की विधान सभा में सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर एक सर्व समस्त प्रस्ताव पारित किया जिसमें केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया गया कि वह जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के श्रीमती गाँधी की हत्या से पहले एक सर्वदलीय शिष्ट मंडल उनसे मिला लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से रद कर दिया .

केन्द्र द्वारा क्योंकि जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की माँग को रद्द कर दिया गया था इसीलिये बंगाल के ट्रेड यूनियनों ने 12 सितम्बर 1985 को एक बंद का आयोजन किया जिसमें माँग की गई कि जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए. कांग्रेस इत्यादि इससे हिल गयी व और अपनी प. बंगाल इकाई पर दबाव डाला कि वह इस एकीकृत संघर्ष से सम्बन्ध विच्छेद कर ले दबाव हालांकि सफल रहा लेकिन वह हड़ताल का विरोध नहीं कर सकी और हड़ताल हर रूप में सफल रहा.

इसी दौरान सरकार ने टैक्सटाइल नीति की घोषणा की जिसमें स्पष्ट किया गया यदि कोई इकाई न्यायसंगत होने के प्रति आशावान नहीं है एक निर्धारित अवधि के भीतर तो ईकाई के बंद करने का विकल्प तब तक नहीं अपनाया जा सकता जब तक मजदूरों के हितों के संरक्षण का प्रावधान न हो सरकार द्वारा ऐसी इकाईयों को अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीय करण समस्या का समाधान नहीं है . इसीलिए सरकार ऐसे मामलों में नियमतः हस्तक्षेप नहीं करेगी . इन सभी का अभिप्रायः इस सच्चाई पर पर्दा डालना था कि सरकार निकट भविष्य में रूग्ण मिला विशेषतया नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन द्वारा संचालित मिलों, को बन्द करने के पक्ष में हैं जिसका वर्णन पहले विस्तृत रूप में किया जा चुका है . कपड़ा मजदूरों की एक संयुक्त आंदोलन की दिशा में कोशिश की गई और एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सीटू, एटक, एच०एन०एस० व यु० टी० यु० सी० के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें एक क्रमिक कार्य रणनीति तैयार की गई, जिसमें दो सितम्बर 1985 को सांकेतिक हड़ताल का भी फैसला था, जो पूरी तरह लागू हुई. यहां भी भाग लेने वाले कुछ यूनियनों ने गलत हथकंड़े अपनाए वे भ्रम भी फैलाया. परिणाम यह हुआ कि इसे अखिल भारतीय रूप नहीं दिया जा सका. परन्तु इस संयुक्त सम्मेलन से तमिलनाडु व दिल्ली तथा कुछ सीमा तक राजस्थान में भी, एकीकृत संघर्ष को मदद मिली.

केन्द्रीय ट्रेड युनियनों के इन तीन घोषाणाओं के पारित होने से जो उत्साहवर्धक परिणाम निकले, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये घोषणायें केवल कागज तक ही सीमित न रह जायें, गम्भीर प्रयास किये गये. साम्प्रदायिकता विरोधी व राष्ट्रीय एकीकरण का सम्मेलन 11 मई 1986 को हुआ जिसमें जनता के सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया व यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय नेता संयुक्त रूप से पंजाब यात्रा करें. जून 1986 के इस यात्रा से पंजाब के श्रमिक वर्ग व जनसाधारण पर उत्साह वर्धक प्रभाव पड़ा 14 जून को प्रजाति-पार्थक्य (Apartheid) विरोधी दिवस मनाने का निर्णय हुआ व राशि एकीकरण को रिपोर्ट किया गया.

यह उत्साहवर्धक है कि सीटू को कुछ इकाईयों ने पहले से ही राशि एकत्रित करने की शुरूवात करके समिति के पास चैक व राशि भेजना शुरू कर दिया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय एकता व साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष एक निरन्तर प्रक्रिया है. इसलिये राज्य व क्षेत्रीय स्तर पर मेरठ, भोपाल,

गुजरात, महाराष्ट्र में सम्मेलन किये जायेंगे व एक अलग टीम पंजाब यात्रा करेगी यह पूरा होना अभी बाकी है.

यह निर्णय किया गया है कि सार्वजनिक उद्योग के क्षेत्रों के कर्मचारियों विशेषतया कोयला उद्योग के मजदूरों जिनमें पहले से किये गये समझौते को लागू न होने से व्यापक असंतोष है, में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाये. सभी संगठनों ने 9 अप्रैल 1986 को एक दिन के सांकेतिक हड़ताल की सहमति दी जिसमें इंटक भी सम्मिलित थी, इस हड़ताल में 7 लाख से भी अधिक मजदूरों ने भाग लिया.

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सार्वजनिक क्षेत्र की निंदा इसके निजीकरण के विरुद्ध होने वाले संघर्ष के बारे में पहले बतलाया जा चुका है. प्रचार हालांकि चल रहा है. अधिकारियों, विशेषतया कोल इंडिया लि० ने निर्णय लिया है कि 8 दिन की तनख्वाह काट दी जाये जिसके विरुद्ध न्यायालय से निरोधाज्ञा प्राप्त की जा चुकी है. संघर्ष अनवरत रूप से चल रहा है.

यह ध्यान देने योग्य है कि देश स्तर पर किये जा रहे संयुक्त संघर्ष के विकास ने जनसाधारण के अन्यान्य भागों को आकर्षित किया है कि वे इससे सम्बद्ध हों. इन संघर्षों के संचालन के लिये उपयुक्त अभिकरणों की स्थापना अवश्य करनी चाहिये जो अब टूटने की स्थिति में है.

साथी अध्यक्ष ने पहले ही ट्रेड यूनियन एकता के महत्त्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और हमारी इस बात पर बल दिया है कि एक महासंघ की स्थापना क्यों जरूरी है. मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें व राष्ट्रीय संघ इस बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि संगठित श्रम इस पर बातचीत कर सके व पूर्ण सहमति के आधार पर यह फैसला हो कि श्रम सम्बन्धि वैकल्पित नीतियां क्या हो. इस नीति के आधार पर समस्त मजदूर वर्ग की संगठित शक्ति प्रस्थापित होगी जो सरकार को मजबूर करेगी कि वह अपनी श्रमिक विरोधी व एकाधिकारोन्मुख नीतियों को बदल दें.

सीटू की पहल—उत्तरदायित्व

यह प्रशंसनीय है कि राष्ट्रीय प्रचार समिति या सीटू केन्द्र द्वारा दिये गये आह्वान के कार्यान्वियन में हमारी राज्य समितियां व यूनियनें सक्रिय कोशिश कर रही हैं, यह भी अच्छी बात है कि हमारी कुछ राज्य समितियों ने हमारा ध्यान उन शक्तियों की ओर आकर्षित करवाया है जिन्होंने प्रचार कार्य में भाग नहीं लिया. हम आशा करते हैं कि हमारी समस्त कार्य समितियां दूसरी ट्रेड यूनियनों से बातचीत करने में पहल करती रहेंगी, संयुक्त कार्य प्रणाली के संघ समेत, ताकि ट्रेड यूनियन एकता की भावना को बल मिले अन्ततः ट्रेड यूनियनों के महासंघ की प्रस्थापना हो सके.

राज्य समितियों की रपटें निम्नलिखित खाका प्रस्तुत करती हैं:

आ० प्रदेश : "हम राष्ट्रीय प्रचार समिति को कार्यान्वित करने में पहल कर रहे हैं और जब भी कोई आह्वान आता है उसे लागू करने के लिये अन्य केन्द्रों से सम्पर्क करते हैं लेकिन एटक हमारी इस अगुवाई को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं. एच० एम० एस० बहुत ही छोटी शक्ति है व बी० एम० एस० छोटे-छोटे मामलों में भी समस्यायें उत्पन्न कर रही हैं. हालांकि वे समन्वय समिति की बैठकों में उपस्थित होती हैं। लेकिन उनकी स्थानीय इकाइयाँ सहयोग नहीं करती. राष्ट्रीय प्रचार समिति के आह्वानों पर बल केवल राज्य स्तर पर ही दिया जाता है. लेकिन विभिन्न घटकों द्वारा स्थानीय स्तर पर गम्भीर प्रयास नहीं किये जाते. हमारा केडर इस सन्दर्भ में दूसरों से अच्छा है."

असम : "एच० एम० एस० व बी० एम० एस० प्रारम्भ से ही भाग नहीं ले रही हैं. एटक व यु० टी० यु० सी० (एन०एस०) की सहभागिता भी मात्र औपचारिक है. सीटू के अतिरिक्त, किसी ने भी राष्ट्रीय प्रचार समिति के किसी भी कार्यक्रम को लागू करने में पहल नहीं करते. कभी-कभी तो सीटू को ही समस्त खर्च वहन करना पड़ता है.

राष्ट्रीय प्रचार समिति के साथ-साथ राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की संयुक्त परिषद् असम, का एक मंच है. जे० सी० टी० यू०, असम). किसानों से सम्पूर्ण एकता का मुद्दा व अन्य ट्रेड यूनियनों के संघर्ष में, जब कभी दूसरी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें असफल रहती हैं, इस मंच के माध्यम से संयुक्त कार्य किये जाते हैं. उदाहरणार्थ, मार्क्स मरन शताब्दी, मई दिवस शताब्दी व बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत व पुनर्वास कार्य, एल० आर० एस० ए० हड़ताल आदि मामलों में संयुक्त कार्य इस मंच के द्वारा किये गये.

जैसा कि ऊपर कहा गया है बी० एम० एस० व एच० एम० एस० संयुक्त कार्य पद्धति को इन्कार कर रहे हैं. एटक व यु० टी० यु० सी० (एल० एस०) की सहभागिता केवल औपचारिकता है. लेकिन कम से कम केन्द्र स्तर पर अखिल भारतीय कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में इंटक काफी गंभीर लगती है.

पंजाब : पंजाब में सीटू के अतिरिक्त मजदूरों पर एटक, बी. एम. एस., व इंटक का भी असर है. राज्य स्तर पर सभी यूनियनों की एक समन्वय समिति है. सीटू ने इस समिति के माध्यम से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कार्यों को लागू करते रहने का प्रयास किया है. इन संयुक्त प्रयासों व कार्यों का मजदूरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है. कुछ ही दिनों पहले न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर राज्य व स्थानीय स्तरों पर संयुक्त सम्मेलनों व संयुक्त रैलियों का आयोजन हुआ. अब समन्वय समिति ने न्यूनतम वेतन वृद्धि कि मांग के लिये 12 दिसम्बर 1986 को एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. संयुक्त संघर्षों का अनुभव बतलाता है कि जब कभी सीटू ने अपने स्वतन्त्र कार्य से अन्य ट्रेड यूनियनों को संघर्ष में भाग लेने को बाध्य किया है, उसके शानदार परिणाम निकले हैं व उपलब्धियाँ कम नहीं रहीं. अमृतसर में मजदूरों के मांगों व पंजाब में पंजाब

स्थिति पर हस्तक्षेप ने संयुक्त राजनीतिक संघर्ष का महत्त्व उजागर किया व यह भी आशा बंधी कि मुश्किल परिस्थितियों में भी आर्थिक जीवन संभव है. वर्तमान पी० आर० टी० सी० व पंजाब रोड़ परिवहन के कर्मचारियों का संघर्ष ट्रेड यूनियन एकता का प्रमाण है, हालांकि इस संयुक्त संघर्ष से एटक को सम्बद्ध करने के हमें लम्बे समय तक कोशिश करनी पड़ी. संयुक्त संघर्षों में एटक का रवैय्या प्रमुख अवरोधक है. वह या तो दूसरों पर अपना कट्टर पंथी रूख थोपने की कोशिश करती है या संयुक्त संघर्ष में भाग ही नहीं लेती उसकी नीतियों के कारण एटक प्रभावित मजदूर सीटू में आ रहे हैं. लेकिन एटक के साथी इन घटनाओं से दु:खी होते हैं व सीटू युनियनों के विरुद्ध निन्दात्मक प्रचार करना शुरू कर देते हैं. हमें यह भी समझना चाहिये कि संयुक्त संघर्षों के साथ-साथ सीटू अपनी बुनियादी विचारधारा का भी ध्यान रखे. ऐसे संघर्षों के द्वारा ही मजदूर वर्ग में शक्ति सन्तुलन को सीटू के पक्ष में ला पायेंगे व इसे क्रान्तिकारी विचारधारा से मजबूत कर सकेंगे."

गुजरात : "4 जनवरी 1983 को अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग एकता दिवस के रूप में सभी केन्द्रों में मनाया गया. सीटू युनियनों ने इसमें सक्रिय भाग लिया व नेतृत्व प्रदान की. 31 जुलाई 1983 को संयुक्त सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया गया ताकि इसे और अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके. एटक के साथ हमने अन्य केन्द्रीय संगठनों से सम्पर्क किया जैसे एच० एम० के० पी०, एल० आई० सी० बैंकस अन्य, सरकार, विश्व मालय जी० ई० बी० युनियन संघ हमने जब उनसे सम्पर्क किया तो उन्होंने बतलाया कि उन्हें अपने संगठनों से कोई रचना नहीं मिली है. उनके प्रतिक्रिया सकारात्मक थी लेकिन सम्मेलन में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ यहां तक की बी० एम० एस० की युनियन भी उपस्थित नहीं थी हालाकि हम संघर्ष को विस्तृत करने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन हमें वांचनीय प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई क्योंकि संगठनों ने या तो सूचना नहीं दी या उन्हें यह प्रामर्श दे दिया कि वे इस संघर्ष से अलग रहें.

आखिल भारतीय पत्तन व गोदी कर्मचारियों के हड़ताल के समय हमारी काण्डला इकाई ने संयुक्त कार्य के संगठन का प्रयास किया, लेकिन एटक ने हालांकि पहले हड़ताल की सूचना दी थी, बाद में वापिस ले लिया. एच० एम० एस० ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की. हमारी युनियन ने कठोर श्रम किया, सक्रिय भाग लिया जिसके कारण हड़ताल सम्पूर्ण रही.

कर्नाटक : राज्य प्रचार समिति की राज्य इकाई के कार्यों में विभिन्न राजनीतिक घटनाओं ने काफी व्यवधान डाला जिनमें प्रभाव है चुनाव. 1984 में लोक सभाई चुनाव, जुलाई व दिसम्बर 1983 में स्थानीय अंगों के चुनाव मार्च 1985 में विधान सभाई चुनाव उल्लेखनीय हैं.

बंगलूर में हुए एच० एम० एस० के सम्मेलन में जब जार्ज फर्नांडिस ने इसे तोड़कर एच० एम० के० पी की स्थापना की एच० एम० एस० का एक बड़ा भाग अध्यक्ष व सचिव समिति एच० एम० के० पी० के साथ चला गया. इससे हमारे राष्ट्रीय प्रचार समिति के कार्यों की युक्ति संचालन में प्रभाव पड़ा.

18-3-1984 को बंगलोर में कर्नाटक राज्य सम्मेलन नहीं, तालाबंदी ले-आफ छंटनी डीनोंठिफिकेशन के विरुद्ध हुआ.

बहुत समय के बाद 25-3-87 को राष्ट्रीय प्रचार समिति की एक बैठक होने वाली है जिसमें 16-4-87 को अखिल भारतीय प्रदर्शनों से सम्बद्ध कार्यालय पर बातचीत होगी जो संसद में प्रस्तावित मजदूर विरोधी विधेयकों के विरुद्ध व 1960 के स्थान पर 1982 को उपभोक्ता मूल्य सूचनांक के बदलने को लेकर वे गये हैं.

प्लाइबुड व बागान उद्योगों में समन्वय समितियां कार्यरत हैं प्लाइबुड उद्योग में बी० एम० एस० व इटक आदि संगठन भी हैं. बीड़ी उद्योग में राज्य व स्थानीय स्तरों पर संघ कायरित हैं. कुछ दिन पहले ही चीनी उद्योग मजदूर संगठन के महा सचिव पद पर एक सीटू साथी आये हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में सीटू हमदर्दों व सीटू युनियनों की समन्वय समिति हैं. इन समितियों की कार्यपद्धतियों के तौर-तरीकों में अभी काफी कुछ करना है.

दिल्ली : केन्द्रीय ट्रेड युनियनों के संगठन तत्वों समेत राष्ट्रीय प्रचार समिति ने सरकार की नई कपड़ा नीति के सम्बन्ध में एक सम्मेलन का संगठन किया उन्होंने एक और बड़ी बैठक की जिसमें राष्ट्र विरोधी और पृथकतावादी शक्तियों द्वारा निर्दोष लोगों पर कातिलाने हमले की भर्त्सना की इन बैठकों में और राष्ट्रीय प्रचार समिति के अन्य कार्यक्रमों में समय-समय पर हमारी राज्य समिति ने सिरकत थी.

अपनी नीतियों के अनुरूप दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित 414 रु. कुल न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिये सीटू ने अन्य केन्द्रीय ट्रेड ने अन्य केन्द्रीय ट्रेड युनियनों के साथ मिलकर संयुक्त कार्य समिति की स्थापना के लिये अथक प्रयास किया हम इसमें सफल हुये व इस निमित हमने एक सम्मेलन किया. अन्य केन्द्रीय यूनियनों के साथ मिलकर एक रपट तैयार की गई जिसके बारे में एटक ने आपतियां उठायी जिसके फलस्वरूप यह सम्मेलन के समक्ष पेश नहीं किया जा सका. सम्मेलन में इस रपट की प्रस्तुतिकरण के आभाव में एच० एम० एस० ने इसके महत्त्व को कम से कम करने की कोशिश की, हालांकि कार्य समिति ने कई निर्णय सामूहिक तौर पर लिये व संयुक्त संघर्ष भी किये वे एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया.

निरंतर अनुनय के फलस्वरूप संयुक्त कार्य समिति ने इस दिशा में बंसीलाला चौहान, कार्यकारी पार्षद (श्रम) के कार्यालय पर 29-12-84 को प्रदर्शन किया. संयुक्त समिति ने 16 जनवरी 1987 को औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया. यह हड़ताल बड़ी सफल रही व लगभग संपूर्ण थी हमारे सीटू के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह किया.

सीटू सहित छः राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने 16-1-87 को दिल्ली में सम्पूर्ण औद्योगिक हड़ताल की हमारी यूनियन के कपड़ा उद्योग के मजदूरों ने मिलों को हड़ताल की सूचना दी व डी० सी० एम० सिल्क मिल, जहां हम मजबूत हैं, में हड़ताल सफल रही. दूसरे मिलों में हमारी कोशिशों के कारण मजदूरों का एक बड़ा भाग काम पर नहीं गया व औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया. दूसरी यूनियनों ने न केवल हड़ताल के लिये कार्य नहीं किया अपितु अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया.

16 जनवरी को हड़ताल से पहले एक समिति बनी थी कि हड़ताल के बाद भी संघर्ष जारी रहना चाहिये व मजदूरों को इसके लिये लामबद करना चाहिये दुबारा कोशिशों के बाद हम इसमें सफल हुये कि एक बैठक हो जिसमें यह निर्णय हुआ 25 मार्च 1987 को व्यापक गिरफ्तारी कार्यक्रम किया जाये छः यूनियनों के इस आह्वान के फलस्वरूप तीन हजार से भी अधिक मजदूरों ने 144 की निषेधाज्ञा भंग की व गिरफ्तार हुये.

तमिलनाडु : राष्ट्रीय प्रचार समिति के साथ संबद्ध केन्द्रीय यूनियनों के घटकों में से एटक व सीटू ही इसके निर्णयों को लागू करने में सहायक रहते हैं. इसमें भी, कई बार राज्य स्तर के नेतृत्व के किन्ही मुद्दों पर वक्तव्य देने तक ही बात सीमित रहती है. एच० एम० एस० के सहयोग प्राप्त कर पाने में हमें सफलता नहीं मिली. बी० एम० एस० व यू० टी० यू० सी० राज्य में सक्रिय नहीं हैं.

ए० आई० बी० ई० ए० जैसे संगठनों के सहयोगी रवैये के कारण कई बार राष्ट्रीय प्रचार समिति की गतिविधियों सीटू व अन्य बन्धू सघों तक ही सीमित रहती है.

राष्ट्रीय प्रचार समिति में कार्यरत डी० एम० के० से सम्बद्ध एल० पी० एफ० की सम्पूर्ण असंबद्धता व असहयोग का रवैया संयुक्त कार्यों के लिये समस्या उत्पन्न करता है. हाल ही का उदाहरण 21 जनवरी को सार्वजनिक क्षेत्र व चीनी उद्योग के मजदूरों की हड़ताल है.

फिर भी राज्य स्तर पर हम संयुक्त कार्य संगठित करने में सफल रहे हैं जिसमें सीटू, एटक, एच. एम. एस. व टी० एन. टी. यु. सी. (जनता से सम्बद्ध यह संघ अब एन. एल. ओ. का भाग हो गया है) ने भाग लिया है.

कई मुद्दों पर, जैसे कपड़ा उद्योग वेतन व बोनस का मुद्दा, कपड़ा मिलों की बन्दी, परिवहन मजदूरों की तनख्वाह का मुद्दा, शिक्षकों से एकता आदि, हमने संयुक्त कार्य संगठित किये हैं जिसमें राज्य स्तर पर आम हड़ताल का आयोजन भी शामिल है.

राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध सीटू, एटक व एल. पी. एफ. संघर्ष व प्रचार का आयोजन निरन्तर करते रहते हैं. इस पर भी एल. पी. एफ. व एटक कभी-कभी असहयोगीय रवैय्या अपनाते हैं वे मुद्दों के चुनाव में मनमर्जी करते हैं.

जो दूसरी बात उल्लेखनीय है वह है फैक्टरी व उद्योग स्तरों पर किये जाने वाले संयुक्त संघर्षों का कार्य करना जो कई क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं. उद्योग की स्थिति आदि के अनुसार हमारे सहयोगी अलग-अलग विचार रखते हैं.

लेकिन संघर्ष की कमजोरियों पर पुर्नविचार का निरन्तर अभाव है. किसी भी संघर्ष के लाभ-हानियों का आंकलन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है.

महाराष्ट्र "मजदूर वर्ग के संघर्ष में गिरावट के कारण हम पहले ही देख चुके हैं. कार्य समिति पर इसका प्रभाव पड़ना लाजिमी था. दूसरे एच. एम. एस. में टूट ने के फलस्वरूप जार्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में हिन्द मजदूर किसान पंचायत का जन्म हुआ व इस नये संगठन को राष्ट्रीय प्रचार समिति में एच. एम. एस. से विरोध के कारण स्थान नहीं मिला जिसके फलस्वरूप पंचायत ने महाराष्ट्र में संयुक्त कार्य से सम्बद्ध होने से इन्कार कर दिया. वास्तव में, संयुक्त कार्य से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ जो घटक था, वह अब पंचायत के साथ हो गया है जिसके कारण एच. एम. एस. की सहयोगिता भी बहुत कम हो गई है. संयुक्त कार्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा. तीसरे, 1983-84 में बम्बई में 31 सामन्त का नेतृत्व सर्वाधिक प्रभावशाली था और संयुक्त कार्यों के प्रति उसका रवैय्या तिरस्कारपूर्ण था. इन कारक तत्त्वों के कारण संयुक्त कार्य समिति की पहली अपील कमजोर हो गई थी.

उदाहरण के लिये 1 अगस्त, 1984 को कार्य समिति ने कपड़ा उद्योग के मसले पर शिरोदकर सभागार में एक सम्मेलन आयोजित किया. इस बड़े सम्मेलन में अन्य संगठनों के साथ सामन्त के संगठनों ने भी भाग लिया. इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि अक्तूबर में एक सांकेतिक 'बन्द' का आयोजन किया जाय. इसके प्रति लगभग सभी यूनियनों के उदासीन रुख के कारण, बन्द का निर्णय लागू ही नहीं हुआ.

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का एक ताजा उदारण ट्रेड यूनियन राष्ट्रीय सम्मेलन के आह्वान पर 9 अगस्त, 1986 को राजा शिवाजी विद्यालय में इसका आयोजन हुआ. इसमें सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, इंटक, डा० सामन्त व सर्वश्रमिक संघ को सिरकत करनी थी. व्यवहारतः इंटक व एच. एम. एस. अनुपस्थित रहे व सीटू तथा एटक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संगठन ने मजदूरों को एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया. इन सभी संगठनों की संख्या लाखों में है लेकिन आधा सभागार खाली प [illegible] ा था.

शहरी किसानों पर हुये अमानुषिक गोली चालन के विरुद्ध एवं उनके संघर्षों के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिये 31 जनवरी, 1985 को आयोजित बम्बई बन्द में सभी यूनियनों ने भाग लिया था. उसी दिन बम्बई के बाहर के स्थानों पर भी बड़े-बड़े प्रदर्शन हुये. किसान प्रश्न पर इस तरह का मजदूर प्रदर्शन बहुत दिनों के बाद हुआ था, इसलिये इसका विशेष महत्त्व था. लेकिन यह याद रखने योग्य है कि विरोधी दलों ने इसका नेतृत्व किया था.

26 फरवरी 1986 को सत्ता विरोधी दलों व ट्रेड यूनियनों ने मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध भारत बन्द का आह्वान किया. महाराष्ट्र में यह

बंद अत्यन्त सफल रहा. ऐसा सफल बन्द 12 वर्षों के बाद हुआ था. जब केन्द्रीय निर्देश आया तब संयुक्त कार्य समिति में सन्देह व्यक्त किया गया था कि छः-सात दिनों की अवधि की तैयारी में क्या इसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है? लेकिन बन्द सफल रहा और वह भी अद्वितीय रूप में.

प० बंगाल : जिस दिन से सीटू की स्थापना हुई तब से मजदूर वर्ग की एकता व एकताबद्ध संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया गया. प० बंगाल में हमने आर्थिक मांगों व राजनीतिक समस्याओं पर एकताबद्ध संघर्ष के विकास की दिशा में अधिकाधिक कोशिशें कीं. और कुछ दिनों पहले ही हम इंटक को भी संयुक्त आन्दोलन से आबद्ध कर सके. इस सन्दर्भ में हम 12 सितम्बर 1985 को हुये राज्य स्तरीय आम हड़ताल का विशेष उल्लेख करना चाहेंगे जो अन्ततः सम्पूर्ण 'बन्द' में फलीभूत हुआ. प्रमुख मांग थी कि सभी बन्द मिलों, फैक्टरियों व संस्थानों को पुनः खोला जाय. इस मांग के समर्थन में हमने काफी दिनों तक निरन्तर प्रचार किया व एक निश्चित समय पर हम इंटक को एकता के पंथ पर लाने में सफल हुये और तब यह सम्भव हुआ कि 12 सितम्बर 1985 को हड़ताल का संयुक्त आह्वान किया जाय. इस हड़ताल में मांगों से जो बातें उजागर हुईं, उनमें कांग्रेस (इ) की केन्द्रीय सरकार की नीतियाँ भी थीं जो मजदूर वर्ग विरोधी हैं व जिनसे मजदूरों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उद्योगों में संकट तीव्रतर होते हैं, एकाधिकारियों को व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कीमत पर सहुलियतें दी जाती हैं व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यह मौका दिया जाता है कि वे भारत में अपनी पकड़ को मजबूत से मजबूत करें, जो अन्ततः हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये घातक सिद्ध होंगे अन्ततः इंटक ने आम हड़ताल के संयुक्त प्रवर्तक के रूप में अपना नाम वापस ले लिया लेकिन उन्होंने आम हड़ताल का विरोध नहीं किया और मांगों के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की.

राष्ट्रीय प्रचार समिति ने कई कार्यक्रम निर्धारित किये लेकिन ये यु० टी० यु० सी० (एल० एस०), जो एम० एस० व एच० एस० के प० पश्चिमी बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार विरोधी रुख के कारण, संयुक्त रूप से लागू नहीं किये जा सके. पश्चिमी बंगाल में हमने सीटू, एटक, यु० टी० यु० सी०, टी० यु० सी० सी०. 12 जुलाई समिति, बैंक कर्मचारी संघ व व्यापारिक कर्मचारियों का एक संयुक्त संघर्ष एकता मंच बनाया है, संयुक्त कार्य के सभी कार्यक्रम हम इस मंच से एकताबद्ध होकर लागू करते हैं. 21 जनवरी 1987 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सफलतापूर्वक हड़ताल हुई लेकिन हमारे यथासम्भव कोशिशों के बावजूद बी० एम० एस० व एच० एम० एस० इस संयुक्त कार्य से असम्बद्ध ही बने रहे.

उड़ीसा : सभी स्तरों पर हमारी सीटू युनियनें संयुक्त आन्दोलन के प्रति सजग रही हैं और कभी भी स्थिति को बिगड़ने नहीं देतीं.

राज्य की एटक केन्द्र व उसकी इकाइयां एकता की दिशा में हमेशा से समस्या बनी रही है व यु० टी० यु० सी० (एल० एस०) की विघटनकारी भूमिका का साथ देती हैं. एच० एम० एस० नेतृत्व ने भी राज्य स्तर पर कभी भी संयुक्त संघर्ष को गम्भीरता से नहीं लिया व इस कार्यक्रम को कमजोर बनाने का प्रयास किया. राज्य में बी० एम० एस० पूर्णरूप से दूसरों के माहोल पर निर्भर रहती है हालांकि वह विध्वंसक नहीं है. सीटू को छोड़कर, इन सभी संगठनों के मुख्यालय कटक में हैं. भुवनेश्वर से उनसे तालमेल करना हालांकि अत्यन्त कठिन है तथापि प्रत्येक मुद्दे पर हमने उनसे संयुक्त मंच में भाग लेने की प्रक्रिया में पहल की है.

उनमें से सभी मध्यवर्गीय संगठनों को संयुक्त मंच के निर्णय लेने की सीमा तक सम्बद्ध करने के अनिच्छुक हैं क्योंकि बहुमत संगठनों पर हमारा प्रभाव है. पिछले सार्वजनिक क्षेत्र के हड़ताल के दौरान तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियनों पर तैय्यारी समिति में शामिल होने तक पर प्रतिबंध लगा दिया था. जिसके जिम्मे राज्य स्तरीय सम्मेलन व हड़ताल का काम है यहां तक कि उन्हें निमन्त्रण तक देने से मना कर दिया.

दूसरा पक्ष एक यह है कि एटक राज्य पर उन्हीं मुद्दों पर पहल करती है जिनमें उसका हित सन्निहित हो, अन्य मामलों में उसका रुख नकारात्मक ही रहता है.

जहां तक राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रचार समिति के कार्यकलाप का सवाल है, तो वह प्रायः नगण्य ही है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, अखिल भारत स्तर के आह्वान पर भी वह फौरी तौर पर मिलती है, वह भी सभी मुद्दों पर नहीं राज्य स्तर के मुद्दों पर उसकी बैठक मात्र दो बार हुई है, 1984 और 1986 में.

इन समस्याओं के रहते हुए हमें संयुक्त कार्यवाही की दिशा में प्रयास करना पड़ता है. कई कठिनाइयों के बावजूद, संयुक्त मुद्दों पर हम उन्हें निरंतर रूप से मनाने की कोशिश करते हैं, कई मामलों में कार्यवाही नहीं की जा सकी, कारण, केन्द्र से आई विलम्ब से सूचना, अथवा मुख्यालयों पर हमारे नेताओं की अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य मसले पर हमारी पहले से व्यस्तता.

सभी को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि अभी संयुक्त कार्य पद्धति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि इसी के द्वारा पिछड़े जन समूह में उत्साह फूंका जा सकता है, विशेषतया असंगठित मजदूरों में कि वे संघर्ष में आगे आयें, सीटू की जिम्मेदारी को भी समझ लेना चाहिये. हमें सभी मुद्दों पर, ठंडे दिमाग से एकीकृत संघर्ष को बढ़ाना चाहिये, जो मेहनतकश लोगों को प्रभावित करें. इसी से हम वर्गीय शक्तियों के संतुलन को बदल सकते हैं.

असंगठित मजदूर

कानपुर सम्मेलन ने असंगठित मजदूर की दशा की ओर साथियों का ध्यान आकृष्ट किया. यह बतलाया गया, "संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन, सीटू यूनियनों सहित, में एक प्रवृत्ति विकसित हुई है जो समस्त आंदोलन के लिये घातक व हानिकर सिद्ध हो सकता है. ·······न्यूनतम वेतन विधायन जिससे दयनीय वेतन की गारंटी की अपेक्षा की जाती है, व्यवहार में नहीं लाया जा रहा.

निराशा की ओर अग्रसित इस भाग के प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा प्रयोग आसानी से हो सकता है. वास्तव में प्रयास शुरू हो चुके हैं कि इसका प्रयोग संगठित आंदोलन के विरुद्ध हो. यदि इस बड़े भाग की ओर ट्रेड यूनियनें ध्यान नहीं देतीं तो वे आंदोलन को नुकसान पहुंचायेंगी आंदोलन से एक ऐसे भाग को अलग रखकर जो लड़ाकू है, बहादुर है व सामान्य आंदोलन का एक शक्तिशाली सैन्य दल है."

राजीव गांधी व उनके सहयोगी इस दृष्टिकोण के हैं जैसे संगठित मजदूर असंगठित मजदूरों की दशा सुधार में व्यवधान उत्पन्न करते हों. असली मंशा यह है कि असंगठित मजदूरों को संगठित मजदूरों के खिलाफ कर दिया जाय ताकि सरकार के लिये श्रम-द्वारा बढ़े हुये मूल्यों में मजदूर का जो हिस्सा है, उसकी वृद्धि को रोका जा सके.

यह अच्छी बात है कि बहुत से राज्यों ने न्यूनतम वेतन के सवाल को गंभीरता से लिया है. न्यूनतम वेतनों व उनकी नौकरी सुरक्षा के सवाल पर बार-बार हड़तालें हुई हैं जैसा कि निम्न-लिखित से देखा जा सकता है.

उड़ीसा राज्य समिति ने एक विस्तृत रपट दी है जिसमें कहा गया है "असंगठित मजदूरों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पहले भेजे गये रपट के अतिरिक्त राज्य समिति अधिक बल देने के लिये प्रयत्नशील है. राज्य के असंगठित मजदूरों में से सर्वाधिक शोषित हैं प्रवासी मजदूर (दादन), वनों में काम करने वाले श्रमिक व भवन निर्माण कार्यों से संबद्ध मजदूर समय-समय पर राज्य कमेटी में इस समस्या पर विचार करते रहते हैं और अपनी मासिक ट्रेड यूनियन पत्रिका में भी इसे उजागर करते हैं.

जे० के० पेपर मिल के बांस काटने वाले मजदूरों में सीटू की गतिविधियों ने काफी ध्यान आकृष्ट किया है. सोरादा बाँस कर्त्तक मजदूर यूनियन पिछले 3-4 वर्षों से कई मांगों के लिये दबाव डालती आ रही है. व्यवस्थापकों को कई मांगों को मानने को मजबूर होना पड़ा हालांकि उसने यूनियन के साथ कोई लिखित समझौता नहीं किया. बोनस का मुद्दा न्यायाधिकरण को भेज दिया गया जिससे सिंहानिया समूह व अन्य कागज उद्योग के प्रभावशाली लोग नाराज हो गये जो न्यायालय में गये थे व स्थगन आदेश प्राप्त किया था।

राज्य भर में पांच हजार से अधिक मजदूरों को लामबद्ध किया गया है जो विभिन्न प्रकार के वन कार्यों में लगे हुए हैं जैसे बांस कत्तन, बीड़ी के पत्ते, शाल बीज, अन्य वन् उत्पादन, वृक्षों का गिरना परिवहन व वृक्षारोपण आदि. सोरादा बांस कत्तन मजदूर यूनियन के नाम में संशोधन करके अब उसे उड़ीसा वन मजदूर यूनियन का नाम दे दिया गया है ताकि जिलों में छितराये असंगठित मजदूरों को संगठित किया जा सके.

भवन निर्माण क्षेत्रों में भी सीटू के नेतृत्व में कुछ प्रगति हुई है, राउरकेला स्टील प्लांट, नेलको (दमनजोरी) उड़ीसा भवन निर्माण निगम आदि, भवन निर्माण से संबद्ध मजदूरों का राज्य स्तरीय समन्वयन भी है लेकिन यह बिल्कुल ही निर्बल स्थिति में है.

असंगठित मजदूरों में सर्वाधिक उपेक्षित प्रवासी मजदूर हैं. बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में कर्नाटक के बाद उड़ीसा ही दूसरा बड़ा राज्य है. कुछ स्थानों पर उन्हें खेती में काम मिल जाता है लेकिन अधिक स्थानों पर मजदूर को पांच रु० की अल्प राशि प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है. राज्य के सांख्यियकी विभाग ने जो सैंपल सर्वेक्षण किया है, उससे वीभत्स स्थिति उजागर हुई है. 322 गांवों के जिन 556 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ उनमें से 88 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे हैं. 27 प्रतिशत मकान विहीन हैं, 87 प्रतिशत खेतविहीन व 89.7 प्र०श० पर कर्ज का भार चढ़ा हुआ है. इसके अतिरिक्त, धान व अन्य फसलों को जो बाढ, अन्धड़, कीड़ों आदि से निरन्तर हानि होती है, उसने जीवन को अत्यन्त दयनीय बना दिया है."

महाराष्ट्र रपट में कहा गया है. "असंगठित उद्योगों से बढ़ती जागृति का उल्लेख हमने ऊपर किया है. मूल्य-वृद्धि व बेकारी के मुद्दों पर इन उद्योगों के मजदूर संघर्ष से संबद्ध किये जा रहे हैं. श्रमकारणों का लाभ इन मजदूरों को नहीं मिलता और न ही उनकी नौकरी सुरक्षित हो पाती है. आज उनकी प्रमुख समस्या है न्यूनतम वेतन का निर्धारण व उसे लागू करना. इस बढ़ती जागृति के कारण महाराष्ट्र के कई उद्योगों में न्यूनतम वेतन का निर्धारण हुआ है व इनमें से कुछ में मूल्य वृद्धि के खिलाफ विशेष सुविधायें भी प्राप्त हैं. लेकिन अधिकांश मामलों में इनके कार्यान्वयन में बहुत कमी है. इन मसलों में, कार्यान्वयन के लिए संघर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है. यह मात्र संयोग की बात नहीं है कि इस दौरान सीटू के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, उसमें एक प्रमुख हथकरघा मजदूरों के न्यूनतम वेतन की वृद्धि भी था.

इसी आधार पर ईंट भट्ठों, कोयला भट्ठों, नमक उद्योग, परियोजना निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरों को संगठित किया जा रहा है. इन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर समाज के सबसे निचले स्तर से, दलित व आदिवासी, आते हैं, वे वास्तव में खेतविहीन खेत मजदूर हैं, यह स्वागत योग्य है कि पिछले तीन वर्षों से ये मजदूर व इनके संगठन सीटू से संबद्ध हो रहे हैं व संघर्ष व प्रदर्शन कर रहे हैं. इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण व स्वागत योग्य मलेरिया स्प्रे मजदूर यूनियन है जिसका विस्तार कई जिलों में हो रहा है.

पंजाब राज्य कमेटी ने एक रपट भेजी है जिसमें यह बतलाया गया है कि पंजाब में असंगठित मजदूरों को किस प्रकार संगठित किया जा रहा है.

हरियाणा रपट में उत्पीड़क वर्ग के वीभत्स आक्रमणों का उल्लेख है इसमें कहा गया है "सिगमा रबड़ के मजदूरों ने जब न्यूनतम वेतन को लागू करने की मांग की तो उन्हें निकाल दिया गया व फैक्ट्री को बन्द कर दिया गया यह अभी तक बन्द है।

हरियाणा सीटू ने जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) के धारुहेड़ा में असंगठित मजदूरों को संगठित किया. सदस्य संख्या एक हजार

तक बढ़ गई. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए हरियाणा सीटू ने 21 जनवरी 1987 को हड़ताल का आह्वान किया. 22 जनवरी 1987 को मै. ओमेक्स ऑटो लि०, मै. के. जे. (प) लि०, भाजपुरा धारूहेड़ा एनसिलियरिज के मै. हीरो होंडा एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के तीन सौ मजदूरों को नौकरी पर नहीं जाने दिया गया.

हरियाणा सीटू ने हिसार में फार्म मजदूरों को संगठित किया. हिसार के समीप केन्द्रीय व राज्य सरकारों के फार्मों में कई हजार मजदूर कार्यरत हैं. जब मजदूरों ने न्यूनतम वेतन को लागू करने व सेवा के स्थायीकरण की मांग की तो उन्हें निकाल दिया गया. पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया व मजदूरों पर फर्जी पुलिस मुकदमे मढ़ दिये गये. हमारी यथासम्भव कोशिशों के बावजूद, हरियाणा श्रम विभाग ने न्यूनतम वेतन को लागू नहीं किया.

तमिलनाडु रपट में कहा गया है "तमिलनाडु में असंगठित मजदूरों को संगठित करते समय हमने हथकरघा, बीड़ी, चर्म उद्योग, स्थानीय निकायों विशेषतया सफाई कार्य, लदान-उतार मजदूरों के सम्बन्ध में काफी कुछ किया. हथकरघा व बीड़ी उद्योग व सफाई कार्यों के मजदूरों का राज्य स्तर का संघ है व चर्म उद्योग में एक समन्वय समिति कार्यरत है.

अन्य क्षेत्र जहां हमारी यूनियन ने काफी कार्य किया है और जहां हमारी सदस्य संख्या भी काफी अच्छी है, औद्योगिक संस्थानों व औद्योगिक क्षेत्रों में छोटी व अति छोटी इकाइयां असम्मिलित हैं. उदाहरण के लिए मद्रास में इस तरह की हमारी चार यूनियनें हैं जो शहर के चार क्षेत्रों व अन्य उपभागों में कार्यरत हैं. मद्रास शहर के तीस हजार मजदूरों में लगभग 5000 मजदूर हमारी इन यूनियनों के सदस्य हैं.

अभी-अभी हमारी यूनियनों ने ठेकों व आकस्मिक मजदूरों में ठोस कार्य करने शुरू किये हैं जिनमें हमारी रेलवे यूनियन व बिजली यूनियन ने ठोस कार्य किये हैं. राज्य परिवहन निगम में हमारे प्रयासों के परिणाम निकले हैं वह हाल ही के एक समझौते के द्वारा उन सभी आकस्मिक मजदूरों को पक्का कर दिया गया है जिन्होंने 240 दिनों तक लगातार कार्य किया हो. इनमें से एक अच्छी संख्या हमारी सदस्य बन गई है.

रेलवे में, एक मण्डलीय सम्मेलन अभी कुछ दिन पहले हुआ जिसमें ठेके व आकस्मिक मजदूरों को लामबन्द किया गया था. सम्मेलन ने निर्णय लिया है कि संघर्ष को चलाया जाता रहे व एक कार्ययोजना पर फैसला हो चुका है.

राज्य बिजली बोर्ड में हमारी यूनियन ने ठेका मजदूरों के मुद्दे को लिया है. क्रमबद्ध सम्मेलनों व धरनों का आयोजन हुआ है. ब्रांच स्तर पर उपसमितियों का गठन किया जा रहा है. नेवेली लिगनाइट निगम जैसी यूनियनें ठेके मजदूरों को संगठित कर रही हैं.

राज्य स्तर पर भवन निर्माण मजदूरों की समस्याओं को अभी लिया जाना है. कुल मिलाकर हमारी समितियां इस समस्या के प्रति जागरूक हैं.

गुजरात रपट में कहा गया है "बड़ोदा में हमने ठेके मजदूरों का एक सम्मेलन किया हमने इसे राज्य सम्मेलन घोषित किया. लेकिन बड़ोदा व खेड़ा के निकटवर्ती मजदूरों ने ही इसमें भाग लिया दूसरे केन्द्रों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया. का० समर मुखर्जी इसमें उपस्थित हुये".

गुजरात में लगभग सभी सरकारी व अर्ध-सरकारी परियोजनाओं में हजारों की संख्या में ठेका मजदूर कार्यरत हैं, उप-ठेकेदार इन्हें राज्य के बाहर से लाते हैं. वे अलग रहते हैं व अलग कार्य करते हैं. उनमें से कुछ को पेशगी राशि दी जाती है. भाषा व अन्य समस्याओं के कारण उन्हें संगठित करना दुरूह कार्य है. यदि वे संगठित होते हैं, तो तुरन्त उनके ठेके रद्द कर दिये जाते हैं, दूसरे ठेकेदार उन्हें नौकरी पर नहीं रखते जिससे यह भावना फैलती है कि क्योंकि वे संगठित हुये, इसलिए उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इस परिस्थिति में भी आई० पी० सी० एल० व फर्टीलाइजर में हमारी यूनियन ने ठेका मजदूरों को संगठित किया. गम्भीर लड़ाई लड़नी पड़ी, परिणाम सामने आया, लगभग 500 मजदूर स्थाई कर दिये गये इससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ, इस दौरान लगभग 2301 ठेकेदार पंजीकृत हुये.

असम रपट में कहा गया है, "राज्य भर में असंठित मजदूरों की हमारी लगभग 10 संगठन हैं जैसे ठेका मजदूर, फार्म मजदूर, साबुन व प्रतिष्ठान मजदूर, बीड़ी मजदूर आदि."

त्रिपुरा में भी असंगठित मजदूरों को संगठित करने के प्रयास किये जा रहे हैं. यदि हम पूरी स्थिति का जायजा लें तो साढ़े ग्यारह करोड़ असंगठित मजदूरों के हजारवें भाग को भी हम मुश्किल से छू पाये हैं. यह बात ध्यान रखने योग्य है. हमें यह याद रखना होगा कि यदि हम इस क्षेत्र में काम करने में सफल रहे तो सीटू कमजोर होगा व इन लड़ाकू मजदूरों के सहयोग से वंचित भी.

महिला श्रमजीवी

कानपुर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया "ट्रेड यूनियन आंदोलन पुरुषों का परिरक्षण नहीं है इसके बावजूद सामंती दृष्टिकोण के तहद पाखंडी बहाने प्रस्तुत किये जाते हैं कि श्रमजीवी महिलाओं की समस्याओं के प्रति उदासीनता की भावना जाहिर हो व उन्हें मजदूर वर्ग के सक्रिय भागों से सम्मिलित किया जाए. विश्व के दूसरे हिस्सों में इसके विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन भारतीय ट्रेड यूनियन इस क्षेत्र में अभी काफी पीछे है भारत में संगठित ट्रेड आंदोलन द्वारा इस दिशा में उदासीनता के रुख के अपनाये जाने के कारण प्रतिक्रियावादी शक्तियां व इस दिशा में काफी सक्रिय हो चुकी हैं, कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस समस्या की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया गया है जो सन्तोष की बात है सीटू ने अपने अन्तिम सम्मेलन से महिला श्रमजीवियों के लिए

लड़ना शुरू कर दिया है. एक पूरा आंकलन यह बतलायेगा कि हम किस दिशा में कितना आगे बढ़ पाये हैं.

श्रमजीवी महिलाओं में संगठन के लिए कार्य करने के बार-बार प्रयास हुये हैं. जिन राज्य कमेटियों ने जो रपट प्रस्तुत की है वह दर्शाता है कि स्थिति बहुत ही कमजोर है व यह सिद्ध करता है कि हमारी राज्य कमेटियाँ इस क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाई हैं व कुछ नुकसान भी हुये.

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव निर्विवाद रूप से कार्यरत हैं, इंडियन एक्सप्रेस 10-11-86 में प्रकाशित एक रपट में कहा गया है "सम्भवतः यह पहला उदाहरण है जब एक महिला ने प्रचलित कानून का प्रयोग करते हुए तीन महीने पहले बम्बई उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई जीती, इस मुकदमे में कार्यस्थल पर व्यवहारिक योगदान का एक नमूना सन्निहित था (ए. मैकेंजी लि० बनाम अदरे डीसूजा)

इस कम्पनी में 'विश्वस्थ महिला' आशुलिपिकों व सामान्य निकाय में बड़ी संख्या में पुरुष आशुलिपिकों की नियुक्ति हुई. पुरुष आशुलिपिक को जहां 1910 रु० तनख्वाह दी जाती थी वहां महिला आशुलिपिक की तनख्वाह 1180 रु० प्रतिमाह थी. महिला आशुलिपिकों में से एक आदरे ने इस भेदभाव को लिंग भेद के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी क्योंकि यह गैरकानूनी कार्य था.

श्रम उपायुक्त ने महिला के इस दावे को स्वीकार कर लिया लेकिन कम्पनी ने उच्च न्यायालत में अपील कर दी. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम० एल० पेंडसे ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों को रद्द कर दिया."

यह सर्वविदित है कि वेतन आयोग ने किस तरह प्रसूति-सुविधाओं को दो बच्चों तक सीमित करने की सिफारिश की है एक पिछली रपट में यह बतलाया जा चुका है कि बैंकों के. व्यवस्थापक भी सुविधाओं को दो बच्चों तक सीमित करने के इच्छुक हैं.

'वाईस आफ वर्किंग वूमेन' के हिन्दी रूपान्तर का प्रश्न उठाया गया था और यह पाया गया कि इसकी केवल 1200 प्रतियों की ही खपत है व हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इसकी मांग है. राज्य कमेटियों से किये गए प्रयास कि इस तरह की पत्रिका की हिन्दी क्षेत्रों में बिक्री की स्थिति हो सकती है, व्यर्थ रहे. कुछ ही दिन पहले हमारी हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने 200 हिन्दी प्रतियों की मांग की है जब तक राज्य कमेटियां अपने कार्यों को पुर्नस्थापित नहीं करतीं व किसी एक व्यक्ति के जिम्मे सीटू के सभी पत्रों के बिक्री की जिम्मेदारी नहीं डालती, विशेषतया 'वाइस आफ वर्किंग वूमेन' हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ सकता.

इसके बाद प्रश्न आता है महिला कार्यकर्ताओं, विशेषतया उनको विभिन्न असमर्थताओं को ध्यान में रखते हुये, को ट्रेड यूनियनों में आगे बढ़ाने का केन्द्रीय कार्यालय ने अब महिला सदस्यों की संख्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. 1985 तक के अंकों की स्थिति परिशिष्ट सं० 2 में दिखलाई गई है. 1986 में यह व्यवस्था की गई है कि शुरू से ही पदाधिकारियों अथवा कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों की संख्या का ब्यौरा रखा जाय. कुछ वार्षिक विवरणों, जो पहले ही कार्यालय में आ चुकी हैं, के विश्लेषणों से पता लगता है कि कुछ यूनियनें अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची नहीं भेज रहीं सम्भवतः विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न कार्य प्रणाली कार्यरत हैं.

राज्य कमेटियों के रपट के अंश नीचे दिये जा रहे हैं :

असम : इस दिशा में व्यवहारतः कुछ भी नहीं किया जा सका है. अखिल भारतीय चाह मजदूर संघ, रंगपाड़ा की ओर से पहला प्रयास हुआ है. लेकिन वह भी अब मृतप्राय है. इसका कारण प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव है जो श्रमजीवी महिलाओं को दिशा-निर्देश कर सके.

पंजाब : जहां तक श्रमजीवी महिलाओं का सम्बन्ध है, उन्हें संगठित करने में हमारी ट्रेड यूनियन के डर की आपराधिक प्रवृति है. बहुत से प्रयास हुये लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. हम राज्य स्तर पर श्रमजीवी महिलाओं का सम्मेलन बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं. कुछ स्थानों पर कुछ महिलायें सीटू की सदस्य हैं. लेकिन हमें विनम्र शुरुआत करनी होगी. कुछ साथियों ने अब इस मुद्दे पर सोचना शुरू कर दिया है.

तमिलनाडु : श्रमजीवी महिलाओं को संगठित करने के प्रश्न पर हमने पूरा ध्यान नहीं दिया है व इस कमजोरी को हमारी राज्य कमेटी ने नोट किया है.

पिछले एक वर्ष से श्रमजीवी महिलाओं की राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने कार्य नहीं किया है. 7 जिलों में जिला स्तरीय कमेटियां हैं लेकिन अभी-अभी बनी दो जिला कमेटियां ही सक्रिय हैं.

इस दौरान हमने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया है वह है राज्य सीटू सम्मेलन से पहले राज्य स्तर पर सम्मेलन का आयोजन इसके बाद असंगठित उद्योगों के महिला श्रमजीवियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन भी हुआ.

हालांकि बहुत से उद्योग हैं, जैसे हौजरी, बीड़ी, हथकरघा, माचिस, वस्त्र, जिनमें बड़ी संख्या में महिलायें कार्यरत हैं लेकिन हौजरी उद्योग को छोड़ कर जिसमें बहुत सी महिलायें हमारी सदस्य हैं, अन्य उद्योगों में हम प्राप्त अवसरों का पूरा लाभ न उठा सके.

अन्ना जिले व थिरूनेलवली में अभी बनी महिला श्रमजीवियों की समितियाँ सक्रिय हैं, यह हमारी राज्य कमेटी व जिला कमेटियों की कमी है कि ये समन्वय समितियाँ ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहीं.

श्रमजीवी महिलाओं के लिये कुछ समय तक एक अलग पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसे अब हमारी ए० आई० डी० डबल्यू ए० इकाई ने अपने जिम्मे ले लिया है, सीटू राज्य कमेटी ने इस

पत्रिका के संचालन में आर्थिक मदद की जब इसका संचालन महिला श्रमजीवियों के लिये हो रहा था.

महिला केडरों का आगे बढ़ाने के सवाल पर राज्य केन्द्र के पास अभी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है. युनियनों में, जहां महिला सदस्य हैं, हमारे समान्य निर्देशों के अनुरूप उन्हें कार्यकारणी में लिया जाता है. कुछ युनियनों में जैसे, बी० एच० ई० एल०, चमड़ी उद्योग मजदूर युनियन (मद्रास), औद्योगिक प्रतिष्ठान मजदूर युनियन (मद्रास) में हमारी युनियनों की महिला सदस्य पदाधिकारी हैं. पद पर कार्यरत हैं विस्तृत ब्यौरा एकत्रित हो रहा है."

कर्नाटक : "बीड़ी उद्योग में लगभग 80 प्रतिशत महिला मजदूर हैं. बागान उद्योग में महिला मजदूरों की संख्या आधी है. कौफी तराई, काजू व सुपारी (मंगलूर) उद्योगों में 75 प्रतिशत मजदूर महिला हैं. पिछले राज्य सम्मेलन में 11 महिलायें राज्य कमेटी में निर्वाचित हुई. जिन युनियनों में महिला सदस्य हैं, वे कार्यकारिणी में हैं. बीड़ी उद्योग राज्य संघ के पदाधिकारियों में चार सचिवों में से तीन महिलायें हैं. राज्य परिषद की महिला सदस्यायें महिला समन्वय समिति का गठन करती हैं व जब परिषद की बैठक होती है, इस समिति की बैठक भी होती है पिछले राज्य परिषद की बैठक में क्योंकि तीन ही उपस्थित थे. इसलिये समिति की बैठक नहीं हुई.

हालांकि नेतृत्वकारी समितियों में महिलाओं का चुनाव होता है, उन्हें बैठक में मामले ने व अपना कार्य करवाने की दिशा में बहुत सी कठिनाईयाँ हैं.

घरेलु कर्त्तव्य कई मामलों में पुरुषों का सामंती रुख व्यवधान उत्पन्न करता है. शिक्षित महिलाओं (न्यून भी) के अभाव के कारण महिला केडर को प्रशिक्षित करने में गंभीर समस्या है. राज्य कमेटी की ओर से इस दिशा में गम्भीर प्रयास नहीं किये जाते.

अखिल भारतीय श्रमजीवी महिला समन्वय समिति का अखिल भारतीय आहवान सकलेशपुर, हसान, चिकमंगलूर, मंगालूर व बंगलूर में लागू किया गया. पहले दो स्थानों पर बागान व कौफी तराई की महिला मजदूरों ने जोश के साथ भाग लिया.

महाराष्ट्र : यह रिपोर्ट किया गया है कि महाराष्ट्र राज्य कमेटी ने पिछले सम्मेलन में से एक समिति का चुनाव किया है.

हरियाणा : सीटू युनियनों को गठित करते समय महिला कार्यकर्त्ताओं को शीर्ष भाग दिया जाता है. हरियाणा में संगठित महिला श्रमजीवियों की संख्या लगभग 700 है. मुख्यतया यह कपड़ा उद्योग में है. हिसार जिला कमेटी में एक महिला सदस्य निर्वाचित हुई है. महिला श्रमजीवियों की प्रमुख संख्या, के० सी० कपड़ा मिल, जींद, गोपी चन्द कपड़ा मिल, सिरसा, हाँसी स्पिनिंग मिल, हाँसी व एम० एण्ड० एम० कुण्डली, सोनीपत में है.

हम खेत फार्मों व ईंट भट्ठों में श्रमजीवी महिलाओं को संगठित कर रहे हैं".

उड़ीसा : उड़ीसा राज्य समिति ने एक विस्तृत ब्यौरे की रपट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है, "श्रमजीवी महिलाओं की समस्यायें विविध हैं. सामान्य आर्थिक व दूसरी समस्याओं के अतिरिक्त उनकी अपनी समस्यायें भी हैं. शिशु सदनों के अभाव में, जो समस्त उड़ीसा की एक विशिष्टता है, महिलाओं को अगणित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वेतन व नौकरियों की प्राप्ति में उनके साथ भेदभाव होता है. सभी मामलों में प्रसूति सुविधायें प्राप्य नहीं हैं. अब सरकार इन सुविधाओं को दो बच्चों बच्चों तक ही सीमित कर देने में प्रवृत है.

महिला श्रमजीवियों की मार्यादा पर मालिकों द्वारा हमेशा आक्रमण होता है चाहे कार्यालय हो, खान हो अथवा फैक्टरी. कुछ ही दिनों पहले दो ऐसी घटनाएं हुई हैं कटक स्थित सुकिदा में एक खान महिला मजदूर पर ठेकेदार द्वारा बलात्कार हुआ. एक कमजोर सा विरोध हुआ लेकिन कुछ भी न हो सका. राउरकेला इस्पात प्लांट में 16-3-87 को एक आदिवासी महिला मजदूर के साथ एक अधिकारी ने बलात्कार की चेष्टा की. हमारी यूनियन ने इस घटना को लिया है. अधिकारी गिरफ्तार हुआ है लेकिन अभी निलम्बित नहीं किया गया है. मुख्य मंत्री के कार्यालय के निकट राज्य सचिवालय के एक कमरे में एक नेत्रविहीन लड़की के साथ बलात्कार हुआ जिसके विरुद्ध बैठकें व कार्यवाहियां चल रही हैं.

खान व कपड़ा उद्योग में कार्यरत माहिलाओं को निचोड़ा जाता है. सी० आर० आर० आई० में पुरुष मजदूरों को केवल अवस्थाबद्ध पक्का किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे पुरुष व महिला मजदूरों में भिड़न्त हो जाए. हमारी युनियन इस समस्या को लेने में असफल रही है. कानपुर सीटू सम्मेलन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि श्रमजीवी महिलाओं को संगठित किया जाय. व ट्रेड यूनियन नेतृत्व में उन्हें बढ़ावा दिया जाय. 8 मार्च 1984 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सभी यूनियनों द्वारा मनाया गया. 27 अप्रैल 1984 को भुवनेश्वर में राज्य स्तर पर श्रमजीवी महिला सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 100 महिला श्रमजीवियों ने भाग लिया इस सम्मेलन में कु० विमला रणदिवे उपस्थित हुई. दो संयोजक सहित एक महिला श्रमजीवी समन्वय समिति की स्थापना हुई. महिला साथियों की सिमित संख्या है जो इस कार्य को क्षेत्रों में लागू करे. अन्य परेशानियां भी हैं. महिला साथियों में एक भी ऐसी नहीं है जो क्षणिक तौर पर भी राज्य केन्द्र से कार्य कर सकें. यहां तक कि दो संयोजकों में से एक भी उपस्थित नहीं थी जो सूचना पर हस्ताक्षर तक कर सके अतः समन्वय कार्य व्यवहारतः लगभग नगण्य था.

17 अगस्त 1984 को खान व भवन निर्माण से संबद्ध लगभग 400 श्रमजीवी महिलायें दिल्ली में प्रदर्शन तथा सम्मेलन में भाग लेने गई लेकिन गाड़ी में बिलम्ब होने के कारण देरी से पहुँची. केवल एक साथी ने ही सिरकत की.

6 अगस्त 1985 को हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र राज्यपाल को दिया जाना था. लेकिन अति बरसात के कारण जलूस नहीं निकल सका. मांग पत्र दूसरे दिन भेज दिया गया.

27-9-85 को श्रमजीवी महिलाओं की एक बैठक, समन्वय समिति के सदस्यों सहित हुई. का० विमला रणदीवे इस बैठ में शामिल हुई. संगठन का कमजोरियों पर विचार-विमर्श हुये व उठाए जाने वाले कदम निर्धारित हुये लेकिन ये भी व्यावहारिक न हो सके.

मई दिवस शताब्दी के अवसर पर महिला दिवस मनाया गया कई स्थानों पर इसे भी महत्त्व नहीं दिया जा सका.

पिछले राज्य सम्मेलन के दौरान, 8 व 9 दिसम्बर 1986 को बारबिल में श्रमजीवी महिलाओं का दूसरा सम्मेलन हुआ जिसमें खानों, कपड़ा, चावल अनुसंधान केन्द्र, शिक्षक व अन्य मध्यवर्गीय संगठनों के लगभग 200 महिला साथियों ने भाग लिया. का० विमला रणदिवे ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. यथोचित तैय्यारियां कीं व श्रमजीवी महिलाओं ने अपनी कठिनाइयों व समस्याओं का खुले रूप में व्यक्त किया. का० बी० टी० आर० ने उस सम्मेलन को संबोधित किया था व श्रमजीवी महिलाओं के संगठित करने के महत्त्व पर बल दिया था. एक राज्य समिति का गठन हुआ व का० इन्दुमती नंदी व उषा रानी मिश्र क्रमशः सचिव व सहायक सचिव के पदों पर नियुक्त हुई. समिति के सदस्य हैं, प्रमोदिनी साहु, योग माया दे, पर्वती देवी, मालती नायक, कल्याणी दास, मासी समद, बेनादित संगमा, बेलामती मुण्डा, सुशीलासिंह, रीतिका नायक व ललिता ओराम. सम्मेलन के द्वारा महिला कार्यकर्त्ताओं में उत्साह की भावना जोर-शोर से जागृत हुई, सम्मेलन के बाद झरसुगुडा औद्योगिक मजदूर यूनियन, क्योंझर खदान मजदूर यूनियन, युनाइटिड खादान् मजदूर यूनियन, बाशिपद स्पिनिंग मिल मजदूर यूनियन व सी० आर० आई० श्रमिक संघ के द्वारा एक पृथक समन्वय समितियों का गठन किया गया, सीटू की राज्य समिति पिछले 2-3 वर्षों से इस बात पर बल दे रही थी. इसके बावजूद, सम्मेलन के बाद भी, समन्वयन की समस्या अभी बनी हुई है क्योंकि अभी तक हम राज्य केन्द्र में कार्य करने के लिये किसी महिला साथी की खोज नहीं कर पाये हैं.

केडर समस्या के अतिरिक्त दूसरी प्रमुख समस्या समझ की थी. श्रमजीवी महिला संगठन व लोकतांत्रिक महिला संगठन की आवश्यकता व कार्यक्षेत्र के विषय में बहुत-सी उलझनें थीं नेतृत्व स्तर पर यह उलझन अब भी बरकरार है. इस दिशा में दूसरी बाधा है कि पुरुष संगठन कर्त्ताओं की महिला संगठन कर्त्ताओं के विरुद्ध भावना जिसे समाप्त करने का प्रयास नेतृत्व द्वारा नहीं किया गया कि महिला कार्यकर्त्ताओं को आगे बढ़ाया जाय क्योंकि उनकी क्षमता के प्रति वह भी संदेह रखता है कि संघर्ष में वे कमजोर हैं, लेकिन हमारा अनुभव यह बतलाता है कि भास्कर टैक्सटाइल्स मिल्स, बारीपद स्पिनिंग मिल्स, कालरा खदान व रॉक्सी लोडिंग प्लांट, क्योंझर खदान व सी० आर० आर० आई० कई मामलों में महिला श्रमिकों ने पुरुष श्रमिकों की तुलना में अधिक बहादुरी का प्रदर्शन किया.

खानों, स्पिनिंग, भवन निर्माण व दूसरे क्षेत्रों में, यहां महिला मजदूरों की संख्या काफी है, उनका कमजोर ट्रेड यूनियन नेतृत्व स्पष्टतया परिलक्षित होता है, नव-निर्वाचित 51 सदस्यीय, सीटू राज्य समिति में 7 महिला प्रतिनिधि हैं लेकिन उनमें से कोई भी पदाधिकारी नहीं है. इस सम्मेलन में भी श्रमजीवी महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त है. "पं० बंगाल, जहां कहीं भी महिलायें कार्यरत हैं वे यूनियन की सदस्य हैं उनके लिए अलग संगठन नहीं है, इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि यूनियन के कार्यों में अधिक से अधिक महिलाओं को संबद्ध, किया जाय. कुछ दिन पहले आई० सी० डी० एस० के महिला श्रमजीवियों की यूनियन की स्थापना हुई है." आशा को जाती है कि विशेष रपट के आधार पर हुई बातचीत से हमें व्याप्त व्यतिक्रम को ठीक करने का मौका प्राप्त होगा.

किसान संघर्षों से पूर्ण एकता

कानपुर सम्मेलन, जो कार्ल मार्क्स के मरण शताब्दी के वर्ष में हुआ, मैं एक बार फिर श्रमिक वर्ग को उन निर्देशों के प्रति ध्यान आकर्षित करवाया गया कि वह अल्प व पूरी तरह से कम वेतन भोगियों के हितों का संवर्धन करे. यह रिकार्ड किया गया "भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की खतरानाक कमजोरी खेत मजदूरों व किसानों के एक बड़े भाग से उसका अलग-अलग रहना है. ऐसे देश में जहां खेत मजदूर व किसान बहुसंख्या में हों, इस तरह का दृष्टिकोण निश्चय ही घातक सिद्ध होगा.

इस वर्ष जबकि श्रमिक वर्ग तालाबंदी की समस्या से चार आंख हो रहा था, किसान व खेत मजदूर तबाही की अवस्था में था. इस बारे में जागरूकता लगभग नहीं के बराबर थी और न ही ट्रेड यूनियनों का उत्तरदायित्व दिखलाई दिया.

सभी ट्रेड यूनियनें, सीटू सहित, कमोवेश इस कमजोरी की जिम्मेदार व अपराधी हैं. निस्संदेह इस क्षेत्र में प्रयास किये जा रहे हैं कि इस कमजोरी को दूर किया जाय. परन्तु ट्रेड यूनियन चेतना में यह बुराई प्रारम्भिक दिनों से ही है जब इस पर बुजुर्वा नेताओं का प्रभाव था उन्होंने अपनी माँगों को छोड़कर अन्य किसी भी ट्रेड यूनियन गतिविधि का विरोध किया. शेष बातों के लिए वे बुजुर्वा नेताओं के संकेतों का इन्तजार करते थे. यह दृष्टिकोण आज भी ट्रेड यूनियन आंदोलन पर प्रभावी है—आंदोलन के विलगीकरण का दृष्टिकोण."

बैठक ने यह निर्देश दिया कि आंदोलन की व्याधियों को दूर करने के प्रयास कदमों से पहले सीटू को अपना दृढ़ निश्चय अवश्य स्पष्ट कर लेना चाहिये. यह आह्वान सीटू की विभिन्न बैठकों में बार-बार दुहराया गया. मजदूर वर्ग की आस्था इस आधार पर समझना चाहिये कि खेत मजदूरों के गंभीर उत्पीड़न के विरुद्ध या विरोध प्रकट नहीं होता जिन पर अत्याचार के लिए वर्ग अस्त्र-शस्त्रों से लैस झूठों का संगठन करता है जिनका काम बलात्कार, हत्या, व सभी खेत मजदूरों के न्यूनतम वेतन के मांग पर अत्याचार करना है अथवा निहित स्वार्थमय भूमि वितरण के विरुद्ध

अत्याचार करना है, एकताबद्ध होकर काम करने की बात तो अलग है. लेकिन शुरुआत बहुत ही कमजोर रही. पं० बंगाल में उत्पादकों का बंगाल आंदोलन अत्यन्त सशक्त था. जूट मजदूर व जूट उत्पादकों के संयुक्त आंदोलन के कारण सरकार नियंत्रित भारतीय जूट निगम को उचित दरों पर जूट खरीदना पड़ा व इस तरह जूट उत्पादकों की स्टॉक मार्केट के जूट नवाबों की धोखेबाजी से सुरक्षा हो सकी. इससे अधिक कुछ विशेष नहीं किया जा सका सिवा पं० बंगाल की वाम मोर्चे की सरकार के जिसका नेतृत्व हमारे का. ज्योति बसु करते हैं जिसके विषय में दोस्त-दुश्मन दोनों की खुली मान्यता है कि इस दिशा में रिकार्ड कार्य हुआ है जैसे मजदूरों के न्यूनतम वेतन की गारंटी व एन० आर० इ० जी० और आई० आर० डी० पी० के कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार की सुनिश्चितता आदि. इसका लाभ किसानों व खेत मजदूरों को मिला जिनके निमित यह था. यह एक बिन्दु है जो अन्य राज्यों की सरकारों, गैर कांग्रेसी सरकारों सहित, से भिन्न है.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीटू के सभी केडर इस सूचना के प्रयोग द्वारा किसानों व खेत मजदूरों को संगठित नहीं कर सके दूसरे राज्यों द्वारा प्रस्तुत रपटें, जिनका उल्लेखनीय है, उठाये गये कदमों की दयनीय उपयुक्तता को दर्शाती हैं. तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य कमेटियों द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन वे स्वयं यह स्वीकार करती हैं कि वे अपर्याप्त हैं.

कार्ल मार्क्स के कथन को हमें दोहरा लेना चाहिए उनका निर्देश था कि ट्रेड युनियनों को सारी दुनिया को कायल कर देना चाहिए उनके प्रयास संकुचित व स्वार्थी न होकर लाखों पददलितों की स्वतन्त्रता प्राप्ति से ओत-प्रोत हैं.

तमिलनाडु रपट में स्पष्ट किया गया है. किसान एकता फंड उगाहने इस निमित व प्रचार के विषय में हमारे निर्णय से हमारे कार्यकर्त्ता कुछ हद तक चैतन्य हुए.

कुछ ही समय पहले त्रिचि जिले के नेयकुपाइ गाँव में खेत मजदूर अपनी मजदूरी वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे थे व जमींदारों ने पूरे गाँव को जला डाला था. इसके विरोध में राज्यस्तर पर कार्यकर्त्ताओं को लामबन्द किया गया. जिले में स्थित हमारी सभी युनियनों ने प्रभावित लोगों की सहायतार्थ राशि व सामान उगाही में भाग लिया. दूसरे जिलों में भी कुछ युनियनों ने इस निमित राशि व सामान उगाहे.

हमारी एकता कार्यवाहीं का यह एक उदाहरण था. हमारी जिला समिति ने बतलाया है कि आस-पास के क्षेत्रों, विशेषतया बी० एच० ई० एल० व अन्य छोटे शस्त्र फैक्टरियों में कार्यरत अनुसूचित जाति के लोगों, नेयकुपाइ के प्रभावित लोग इसी श्रेणी के थे, हमारे साथियों द्वारा किये जाने वाले कार्य का खुलेतौर पर सराहा.

दूसरे उदाहरण में, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे राज्य बिजली बोर्ड के साथी पहाड़ी जनजातियों की सहायता के लिए गये वह पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध उन्हें लामबन्द किया. दूसरा क्षेत्र चीनी फैक्टरी क्षेत्र है, जहाँ हमारे साथी एकता प्रचार में संलग्न हैं : नेलिकुपम, मधुराधगम आदि क्षेत्रों में हमारी युनियनों ने ईख उत्पादकों के समर्थन में प्रचार किया. कर्नाटक रपट में कहा गया है "बंगलूर की सीटू युनियनों ने कर्नाटक प्रान्त रायठा संघ (AIKS) को 26000 रु० (मजदूरों से उगाही गई) की राशि सूखे पीड़ितों की सहायतार्थ दी. बंगलूर जिले के कुछ गांवों के सूखे पीड़ित किसानों में सीटू युनियनों ने प्रत्यक्ष रूप से खाद्य पदार्थ बाँटे. जिला किसान सम्मेलन के आयोजन के लिए दक्षिण कन्नड की कुछ सीटू युनियनों ने नकद राशि दी. एम० आई० सी० ओ० के कर्मचारियों ने 160000 रु० के खाद्य पदार्थ, रायचूर, बीजापुर, गुलबर्गा, कोलार व मण्डमा, जिलों के कुछ हिस्सों के सूखे से प्रभावित किसानों व खेत मजदूरों में वितरित किये. कुछ युनियनों ने मुख्य मंत्री राहत कोष में राशि दी.

29-9-86 को बंगलूर में विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन करने आये 50000 से अधिक किसानों को भोजन पैकेट सीटू युनियनों के द्वारा दिया गया. किसानों की मांगों व न्यूनतम वेतन की सूचना प्रकाशन की मांग के समर्थन में राज्य भर में सीटू युनियनों ने काम बन्द रखा व उस दिन 19 जिलों में से 18 जिलों में 25000 से अधिक गिरफ्तार हुए व प्रचार पंजाब रपट बतलाता है कि हमारी कुछ युनियनों ने श्रमिकवर्ग में किसानों की मांगों के समर्थन में एकबद्धता की कार्यवाहियों की शुरुवात कर दी है. यह अत्यधिक कम है. किसानों से संपर्क साधने व उन्हें संगठित करने की प्रक्रिया में हमें अपने प्रयासों को दुगना करना पड़ता है. दैनिक कार्यों के अतिरिक्त 24 दिसम्बर, 1986 को संगरूर में आयोजित राज्य किसान सभा प्रदर्शन में सीटू युनियनों के हजारों कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया.

गुजरात रपट : कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे. हमारी बड़ौदा इकाई ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया. हालांकि यह प्रभावशाली नहीं था.

पश्चिमी बंगाल रपट : ट्रेड युनियनों ने किसानों को उनके उत्पादों के उचित मूल्यों की मांग पर जोर दिया है व उसे स्पष्ट किया है. जूट मजदूरों ने जूट उत्पादकों के साथ संयुक्त सम्मेलन आयोजित किये हैं व मांग की है कि मोटे जूट की लाभकारी कीमत दी जाय व सभी मोटा जूट जे० सी० आई० एकाधिकार रूप में स्वयं खरीदे ये मांगें आम हड़ताल की मांगों में सम्मिलित था. 7 अगस्त, 1986 को पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग के मजदूरों ने हड़ताल की जिसमें मुख्य मांगें थीं. जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण, जे० सी० आई० द्वारा मोटे जूट की एकाधिकार रूप में खरीद. उत्पादकों का लाभकारी मूल्य आदि. उस दिन प० बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के जूट उत्पादन क्षेत्रों में भी हड़ताल रही.

इन सभी कार्यवाहियों के बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है ताकि किसानों की मांगों के प्रति मजदूर वर्ग चैतन्य हो व

मजदूर-किसान साझेदारी की बात और अधिक सशक्त हो. हम अभी तक प० बंगाल की वाम-मोर्चे की सरकार द्वारा किसानों व बटाईदारों के लाभार्थ उठाये गए कदमों से भी मजदूर वर्ग को शिक्षित नहीं कर पाये हैं जिनमें वर्गा कार्यक्रम, लगभग 8·03 लाख एकड़ निःशुल्क सरकारी भूमि का वितरण सम्मिलित है. जिससे 15·96 लाख गरीब, व भूमिहीन किसान व खेत मजदूरों का लाभ हुआ है वर्गा कार्यक्रम के द्वारा प० बंगाल के 13·12 लाख बटाईदार लाभान्वित हुये हैं. हम इन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.

बेरोजगार

कानपुर सम्मेलन ने कांग्रेस सरकार के द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के सम्बन्ध में किये गये झूठे दावों को अनावृत करते हुये आहवान किया कि समस्त ट्रेड युनियन आन्दोलन को सक्रिय रूप से यह प्रयास करना होगा कि बेरोजगारों को तुरन्त सहायता दी जाय तथा सरकार को मजबूर किया जाय कि वह ऐसी नीतियों का संचालन करे जो बढ़ती बेरोजगारी को नियन्त्रित करें. कलकत्ता में हुई 31 मार्च से 2 जून, 1986 तक सामान्य परिषद् की बैठक में सीटू से आह्वान किया गया कि वह मई दिवस शताब्दी समारोह के सप्ताह का एक दिन बेरोजगारी की समस्या पर लगाये व 'काम पाने के' अधिकार के निमित एक बड़ा आन्दोलन चलाये. 8 घण्टे प्रति दिन के कार्य के समान ही काम पाने का अधिकार के लिए भी मजदूर वर्ग को अवश्य खड़ा होना चाहिए क्योंकि वह भी एक बुनियादी अधिकार है यहाँ भी यह प्रकट होता है कि इस दिशा में कम ही प्रयास किये गये हैं. इसका एक अपवाद केरल रहा जहाँ युवाओं की बेरोजगारी दूर करने हेतु बड़ा आन्दोलन हुआ व बेरोजगारी भत्ते के पुर्नस्थापना की मांग की गई जिसे करुणाकरण सरकार ने खत्म कर दिया था. यह सर्वविदित है कि हमारी प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वियन की परिणति देश में बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हुई है. हालांकि 1986-87 का आर्थिक सर्वेक्षण यह बड़ा दावा करता है कि औद्योगिक नीति का बुनियादी आधार उत्पादन में उत्साहवर्धक वृद्धि व रोजगारी के अवसरों को बढ़ाना रहा है लेकिन मार्च 1983 में रोजगारों की संख्या जहां 62.6 लाख थी, वह मार्च 1985 तक घटकर 61.8 लाख ही रह गई.

इस पर भी परिकलन (Computerisation) की अन्धाधुन्ध नई नीति ने शिक्षित बेरोजगारों में गम्भीर स्थिति उत्पन्न की है. इस स्थिति में कांग्रेस (ई) शासकों ने बेरोजगारों के विभाजन का जबरदस्त प्रयास किया है, उनमें से स्वयं निर्धारित किंचित लोगों को 'ऋण मेलाओं' द्वारा पैसा दिलाकर ताकि वे इस तबके द्वारा भ्रम फैला सकें व बेरोजगारों के रोजगारों से भिड़ा दें.

फरवरी 87 में हुई कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि इस विषय पर विशेष विचार के लिये आयोजन किया जाय हमारे कार्य में बड़ी कमी को ठीक करने के विचार सहित जिन मांगों पर विचार होगा उनका ब्यौरा रपट में नीचे दिया जा रहा है :

1. असम रपट स्पष्ट करता है : व्याख्यात्मक प्रचार के अतिरिक्त विशेष कदम नहीं उठाये गये. राज्य सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 17-2-87 की अपनी बैठक में राज्य कमेटी ने निर्णय लिया कि राज्य स्तर पर श्रमिक आंदोलन इस वर्ष किया जाय जिसकी शुरूवात यूनियन की आम बैठक से हो, नमूना सर्वेक्षण हो व यह मंडलीय व राज्य स्तरीय लामबंदी में परिणत हो, यदि संभव हो तो दूसरी ट्रेड यूनियनों व जन संगठनों को भी इससे संबद्ध किया जाय.

2. पंजाब रपट : "दो या तीन सम्मेलनों को छोड़कर ट्रेड यूनियन में बेरोजगारों को संगठित करने की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है. बेरोजगारों के विषय में हमारी समझ बहुत ही त्रुटिपूर्ण है व इस दिशा में अवलोकन का अभाव है. उत्पीड़ित व निकाले गये मजदूरों को ही हम बेरोजगार समझते हैं जबकि ग्रामीणर व शहरी क्षेत्रों के युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगा है व कभी भी उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता, उन्हें संगठित करना जरूरी है. आने वाले दिनों में हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे."

3. तमिलनाडु रपट : "जैसा हमने पहले कहा है मई दिवस शताब्दी समारोहों के दौरान एक रोजगार विरोधी दिन मनायेंगे, मात्र विध्यात्मक होकर रह गया है. लेकिन अब हम इस दिशा में प्रयासरत हैं.

हमारी जिला समितियों ने सम्मेलनों का आयोजन किया है व मद्रास का सम्मेलन हो चुका है इस सम्मेलन में भी हम यह नहीं मान सकते कि हमने पूरा-पूरा काम किया है. बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में लामबंद करने के प्रयास नहीं हुये इस कमी को राज्य कमेटी ने अभी हाल ही की बैठक में नोट किया है.

राज्य भर की हमारी यूनियनों ने डी० आई० एफ० आई० के साथ पूरी एकता दिखाई है तथा प्रयासों में सम्मिलित हुई हैं जब उन्होंने राज्य स्तर पर बेरोजगारी की समस्या के विरुद्ध धरना दिया.

23060 पदों के वापस लेने पर राज्य बिजली बोर्ड की हमारी यूनियन ने लोगों में इसका प्रचार किया. पदों की पूर्ति के लिये भी हमारी यूनियन ने प्रचार का आयोजन किया जिसमें केवल कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया, बेरोजगार युवाओं ने नहीं."

4. कर्नाटक रपट : रपट में कहा गया है "बेरोजगार मजदूर सम्मेलन बंगलूर में 22-5-86 को हुआ जिसका उद्घाटन का० बी० टी० रणदिवे की. कुछ स्थानों पर स्थानीय सम्मेलन भी हुये. 8-8-86 को नौकरी दिलाऊ दफ्तरों (Employment Exchange) के सामने धरने दिये गये जिसमें मांग की गई कि काम का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार बनाया जाय, नौकरी अथवा बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाय. लामबंदी कमजोर था. का० सी०

नंगुनदप्पा द्वारा लिखित 'बेरोजगारी पेमफलेट की 5000 प्रतियाँ छपवाई व बेची गई.''

5. आँध्र प्रदेश रपट : रपट में कहा गया है बेरोजगारी की समस्या पर मई दिवस शताब्दी समारोह के दौरान 5 शहरों में संगोष्ठियाँ की गई. डी० वाई० एफ० आइ० व एस० एफ० आई० द्वारा संचालित राज्य स्तरीय प्रदर्शन में 25000 मजदूरों ने भाग लिया. प्रत्येक वर्ष हम युवाओं व छात्रों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में सम्मिलित होकर एकबद्धता का इजहार करते हैं. उड़ीसा रपट : रपट में कहा गया है, अपनी कमजोरी के बावजूद, राज्य कमेटी ने इस समस्या को कई बार उठाया है. लेकिन बहुत कम ही कुछ हो सका. मई दिवस शताब्दी के दौरान एक दिन 'बेरोजगारी दिवस' के रूप में मनाया गया. सीटू राज्य केन्द्र द्वारा बेरोजगारी के विरुद्ध एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ. हालांकि इस सम्मेलन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के 145 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथापि विभिन्न ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संघों व समुदायों तथा जन संगठन ने जो किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं से सम्बद्ध हैं, बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया सम्मेलन ने निर्णय किया कि 12-11-86 को एक उत्साहवर्धक रूप में बेरोजगारी दिवस मनाया जाय.

'बेरोजगारी दिवस राउरकेला, झरसगुवा, बरहामपुर, बारबिल, जोड़ा कालटा, भुवनेश्वर, बाला सोर, भदरक, पारादीप, कटक, सम्बलपुर, पुरानापानी व सोनपुर आदि स्थानों पर जलूसों प्रदर्शनों, आम जलसा, बेज बाँधने के विभिन्न रूपों में मनाया गया. राज्य केन्द्र ने 6000 पोस्टर व 25000 मांग बेज छापे का० बी० टी० आर० द्वारा लिखित बेरोजगारी पर पुस्तिका उड़ीसा भाषा में छपी व उसकी 1000 प्रतियों की बिक्री हुई.

3-4 मार्च 1987 की पिछली राज्य कमेटी की बैठक में बेरोजगारी कार्यक्रम निधारित हुआ. हमारी यूनियनों को कहा गया है कि वे मार्च-अप्रेल के दो महीनों के दौरान चौड़ी पट्टियों व ग्रुप बैठकों के माध्यम स प्रचार कार्य करें 11-5-87 को बेरोजगारी दिवस आम हड़ताल, लड़ाकू प्रदर्शन व नोकरी दिलाऊ दफ्तरों (Employment Exchange) उपमंडल कार्यालयों व अन्य सरकारी कार्यालयों के घेराव आदि के रूप मनाया जायेगा. हमारी यूनियनों को कहा गया है कि वे इसमें आम मजदूरों को बड़े पैमाने पर भाग लेने की तैयारियाँ करें.

राज्य कमेटी ने निर्णय किया है कि ऐसे कदम उठाये जायें जिनसे भविष्य में कमजोरी को दूर किया जा सके. प. बंगाल रपट : रपट में यह स्पष्ट किया गया है कि हालांकि सीटू प० बंगाल कमेटी ने 1973 में ही बेरोजगारी के विरुद्ध संयुक्त आंदोलन की शुरूआत की थी लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सीटू के केन्द्रीय कार्यक्रम के तहद हम बेरोजगारी के विरुद्ध बेरोजगारी युवाओं को लामबन्द नहीं कर पाये. फलस्वरूप प० बंगाल में यह आंदोलन छात्रों व युवाओं का आंदोलन बनकर रह गया है. 1984 के लोक सभाई चुनावों के दौरान कांग्रेस (इ) के नेताओं ने झूठे वायदे किये कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस वायदे के पक्ष में फार्म भी वितरित किये गये, व इस बात पर भी बल दिया गया था कि चुनावों के शीघ्र बाद बंद पड़ी फैक्टरियों व मिलों को खोल दिया जायेगा, इन वायदों का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ा. इस चुनाव के बाद जब कांग्रेस (इ) नेताओं के ये वायदे झांसापट्टी सिद्ध हो गये, तब हमने कांग्रेस (इ) की प्रकृति व नीतियों के भंडाफोड़ के लिये प्रचार अभियान चलाया. 28 मार्च 1985 को हमने सभी ट्रेड यूनियनों छात्रों, युवाओं व महिलाओं के संगठनों को एकताबद्ध किया तथा कलकत्ता में बेरोजगारी के विरुद्ध 24 घण्टे का धरना दिया. व दूसरे दिन 29 मार्च 1985 को अपने आंदोलन के भाग के रूप में एक जबरदस्त संयुक्त रैली की 29 मार्च 1985 को प० बंगाल विधान परिषद में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें सभी बंद मिलों, फैक्टरियों व संस्थानों के पुनः खोलने की मांग की गई. मई दिवस शताब्दी समारोह मनाने के कार्यक्रम में बेरोजगारी की समस्या विशेषतया लिया गया.

यह अपेक्षा की जाती है कि इस विषय पर विशेष बातचीत सीटू यूनियनों को उत्साहित करेंगी कि वे बेरोजगारों के आंदोलन के विकास में पहल करें. बेरोजगारों के लिये होने वाले संघर्षों में मजदूर वर्ग को नेतृत्ववादी भूमिका की प्रस्थापना करनी होगी. ताकि बुर्जुआजी इस लड़ाकू जन भाग को विघटनकारी नारों द्वारा विभाजित करके आम लोकतांत्रिक आंदोलन को कमजोर न कर सके.

हमारे संगठन की अवस्था

कानपुर सम्मेलन ने सीटू को शक्तिशाली बनाने का आह्वान किया है. इसमें कहा गया "यह एक निर्विवाद सच्चाई है कि निर्धारित लक्ष्य तब तक पूरे नहीं किये जा सकते जब तक सीटू को मजबूत नहीं कर लिया जाता. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है सीटू यूनियनों की सदस्य संख्या का विस्तार हो, वे लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करें व सीटू प्रमुख केन्द्रीय संगठन के रूप में आरूढ़ हो. आप सभी इस दिशा में प्रयास करें ताकि हमेशा देश का मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियनें अपनी तात्कालिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम सिद्ध हों.''

हमें अपने कार्यों का विश्लेषण इस आह्वान की पृष्ठभूमि में करना है मुद्दा यह है कि मजदूर वर्ग तक हमने यह आह्वान किस तरह पहुँचाया है ? क्या हमने यूनियन की लोकतांत्रिक पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये विशेष कदमों का वरण किया, सीटू को मजबूत बनाने की दिशा में घोर प्रयास किया, सदस्य संख्या में वृद्धि की है, जनता के महत्वपूर्ण भागों की समस्याओं को देखते हुये, उनमें सम्मिलित होकर ? अब तक प्राप्त रपटों के आधार पर हमें इस समस्या का अध्ययन करना होगा.

उदाहरणार्थ हम प्रश्न को लें कि क्या हमने सम्मेलन के संदेशों को आगे बढ़ाने की दिशा में विशेष कदम उठाये . रपटों से देखा जा

सकता है कि हमारी प्रत्येक राज्य कमेटी ने अपने-अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया. विशेष ट्रेड यूनियन कक्षाएं लगाई गई. आम सदस्यों में सम्मेलन रपटों की बिक्री की गई. कर्नाटक राज्य कमेटी ने कन्नड़ भाषा में एक सीटू पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की परन्तु इन प्रयासों से अपेक्षित परिवर्तन सामने नहीं आये. हम यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली के प्रश्न को लेते हैं—जिसका अभिप्राय: है निर्णय-निर्धारण में आम सदस्य की सहभागिता. राज्य कर्मचारियों द्वारा प्रेषित रपटें निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करती हैं.

दिल्ली : कानपुर से लौटने के बाद अप्रैल 1983 में राज्य कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें सदस्यों के सम्मेलन निर्णयों से अवगत करवाया गया. यह निर्णय हुआ कि जिला स्तर पर सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की बैठकें बुलाई जाएं व उन्हें केन्द्रीय स्तर पर निर्णयों से अवगत करवाया गया. इस तरह दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद में ये बैठकें हुई व निर्णयों के कार्यान्वियन पर जोर दिया गया. सक्रिय सदस्यों से आह्वान किया गया कि वे निर्णयों को लागू करने में विशेष प्रयास करें.

कानपुर सम्मेलन से पहले हमने राज्य सम्मेलन किया जिसमें लोकतांत्रिक पद्धति के कार्यान्वियन के विषय में कुछ निश्चित निर्णय लिये गये. इन निर्णयों में सम्मिलित थे, राज्य व जिला केन्द्रों को मजबूत किया जाय, यूनियन में लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ किया जाय, पर्याप्त फंड एकत्रित किया जाय, नये केडर का विकास किया जाय व ट्रेड यूनियन स्कूल चलाये जाएं, अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद एक-एक करके हमने सभी निर्णयों को लागू करने की दिशा में कदम उठाये. हमने विस्तृत रूप से समस्याओं व ट्रेड यूनियन की अवस्था पर विचार किया व ठोस रूप में एक नोट के द्वारा मार्गनिर्देश दिये गये.

हमारी राज्य कमेटी ने यूनियनों को ये निर्देश दिये—

1. मासिक बैठकों का आयोजन हो व सदस्यों को निर्णयों से अवगत करवाया जाय.

2. संघर्षों का विषय में उपयुक्त निर्णय लिये जाएं व उन्हें सदस्यों को बतलाया जाय व उनका सामयिक पुनरीक्षण हो.

3. वार्षिक सम्मेलन किये जाएं वर्ष भर कि गतिविधियों का पुनरीक्षण हो व भविष्य के कार्यों के बारे में निर्णय किया जाये.

4. यूनियन के हिसाब-किताब का उपयुक्त लेखा-जोखा रखा जाये व वार्षिक विवरण तथा संबद्धता राशि समय से भेजी जाय.

यह भी निर्णय हुआ कि राज्य सचिवालय यूनियनों के हिसाब-किताबों व रपटों की जाँच-पड़ताल करेगी. हम इस दिशा में काफी सीमा तक सफल हुये हैं. कार्यकारिणी कमेटियों की बैठकें उपयुक्त ढंग से होती हैं व सदस्यों को निर्णयों से नियमित रूप से अवगत करवाया जाता है. वार्षिक सम्मेलन व पदाधिकारियों के चुनाव नियमित रूप से हो रहे हैं. दैनिक समस्यायें, मांग-चार्टर्स, बातचीत के कारण-कौशल व संघर्षों पर कार्यकारिणी समितियों में उपयुक्त ढंग से विचार होते हैं व तब उन्हें आम सभाओं में ले जाया जाता है. इस दिशा में सन्तोषप्रद प्रगति हुई है व हिसाब-किताब की पुस्तिकाओं के अनुरक्षण में भी.

13-14 अप्रैल 1986 को हमने दिल्ली राज्य सम्मेलन किया जिसमें अखिल भारतीय सम्मेलन की समझ के आधार पर हमने कुछ तात्कालिक कार्यों के बारे में निर्णय किया. राज्य सम्मेलन में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से सम्बद्ध विषयों पर राज्य कमेटी में विचार हुआ. वर्षों से चले आ रहे निरन्तर गतिरोध जिसके फलस्वरूप सदस्य संख्या में गिरावट आई, पर गंभीरतापूर्वक विचार हुआ. इस स्थिति को तोड़ने के लिये पिछले वर्ष की अपेक्षा सदस्य संख्या में 30 प्रतिशत वृद्धि का संकल्प हुआ. इस निर्णय को लागू करने के लिये हमने तीनों जिलों में सक्रिय सदस्यों की बड़ी-बड़ी बैठकें आयोजित की जिनमें राज्य सचिवालय के सदस्यों ने सिरकत की. इसके सकारात्मक परिणाम सामने आये जब बहुत सी यूनियनों ने अपनी सदस्य संख्याओं में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की. गाजियाबाद जिले में 44 प्रतिशत, फरीदाबाद में 18 प्रतिशत व दिल्ली में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई. राज्य सदस्य संख्या में कुल 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई. अब हमारी सदस्य-संख्या 32000 से अधिक हो गई है. यह देखा गया है कि योजनाबद्ध गतिविधि के कारण हमें न केवल गिरावट को रोकने व सदस्य-संख्या की वृद्धि करने में सफलता प्राप्त की है बल्कि संघर्षों व गतिविधियों में भी पर्याप्त प्रगति की है. इससे राज्य कमेटी का उत्साहवर्धन हुआ है व उसने निर्णय किया है कि 1987 के दौरान 35 प्रतिशत की वृद्धि सदस्य संख्या में हो. फरवरी 1987 में एक बार फिर सक्रिय सदस्यों की बैठकें की गई जिसमें जिला स्तर पर विकास व गुणात्मक भाव स्पष्ट रूप में देखा गया.

पंजाब : कानपुर सम्मेलन के बाद अध्यक्षीय भाषण व महासचिव की रपट को एक हजार प्रतियाँ कार्यकर्त्ताओं में बिक्री की गई. कुछ केन्द्रों में यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं व विस्तारित कार्यकारिणी की बैठकें की गई जिनमें सीटू सम्मेलन के निर्णयों की जानकारी दी गई. लेकिन यह एक वास्तविकता है कि निर्णयों व सीटू के प्रस्तावों के प्रचार के लिये किये गये प्रयास यथेष्ट नहीं थे, जो हो सकते थे.

हमारी राज्य कमेटी ने लोकतांत्रिक कार्यपद्धति की प्रगति के लिये विभिन्न यूनियनों के द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों में कार्यकर्त्ताओं को सम्बद्ध करने का प्रयास किया है. विभिन्न केन्द्र मुख्य का० साथियों को सौंपे गये हैं जो यह जाँच-पड़ताल करते व देखते हैं कि संविधान के अनुरूप यूनियनों की वार्षिक प्रतिनिधि बैठकें हों, यूनियन के पदाधिकारियों का चुनाव नियमित व लोकतान्त्रिक पद्धति द्वारा हो, व कार्यकारिणी/कार्यकारी समितियों की बैठकें हों आदि. यह देखा गया है कि इस दिशा में कुछ सुधार हुये हैं. अधिकांश यूनियनें अपनी वार्षिक/अर्धवार्षिक अधिवेशन करती हैं जिसमें कार्यकर्त्ता अधिकाधिक संख्या में भाग लेते हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्यकर्त्ताओं का एक बड़ा भाग अब भी निष्क्रिय रहता है व हड़ताल जैसी कार्यवाहियों के दौरान ही सक्रिय

हो पाता है. प्रदर्शनों में होने वाली सहभागिता की अपेक्षाकृत कम है. वे अपेक्षित रूप से भाग नहीं लेते, यूनियन की नीति निर्माण व उपयुक्त निर्णयों के लिये इस दिशा में जबरदस्त प्रयास करने की जरूरत है ताकि भविष्य में यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्यपद्धति सुनिश्चित हो.

कर्नाटक : (1) राज्य के अधिकांश भागों में कार्यकर्त्ताओं की बैठकें हुईं जिनमें कानपुर सम्मेलन के निर्णय बतलाये गये. उनका प्रकाशन 'यकायाराग' साप्ताहिक में भी हुआ. इन निर्णयों के निष्पादन निमित फरवरी 1984 में उडेली में सीटू राज्य कमेटी की बैठक हुई जिसमें निर्णय किया गया कि सीटू मासिक पत्रिका 'सीटू सन्देश' का प्रकाशन हो. मई 1984 से इसका प्रकाशन शुरू हो गया.

(2) तथापि कानपुर सम्मेलन के निर्णय, जो सीटू के कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, सीटू के समस्त सदस्यों तक कमी के चलते नहीं पहुँचाये जा सके जिसपर भविष्य में काबू पाना जरूरी है सीटू राज्य कमेटियों पर राज्य परिषदों की लगभग प्रत्येक बैठक में ट्रेड यूनियनों के लोकतांत्रिक कार्यपद्धति व निर्णय-निर्धारण में आम सदस्यों की संबद्धता पर बल दिया जाता है. हमारी आधी यूनियनें संविधानिक दायित्व का पूरा निर्वाह करता है जैसे वार्षिक/अर्धवार्षिक आम सभाओं को बुलाना व कार्यकारिणी की सामयिक बैठकें करना आदि. यह कोशिश की जा रही है कि हमारी शेष यूनियनें भी इन संविधानिक दायित्वों का निर्वाह करें. बहुत सी यूनियनें आन्दोलन व हड़ताल व समझौता के लिये किये जाने वाले निर्णय आम बैठकों में करती हैं. लेकिन यूनियन की निर्णय-निर्धारण में आम सदस्यों की संबद्धता बहुत दूर की बात लगती है. इस दिशा में हमें अभी निष्पादित व मनाने के लिये बहुत कुछ करना बाकी है.

आंध्र प्रदेश : 1. कानपुर सम्मेलन के निर्णयों का प्रचार सीटू मासिक 'कार्मिका लोकम' में विभिन्न लेखों के द्वारा किया गया. अध्यक्षीय भाषण व सचिव की रपट तेलगु में प्रकाशित किये गये व इन दोनों की दो-दो हजार प्रतियां बेची गईं. कानपुर सीटू सम्मेलन पर का० एन० प्रसादराव द्वारा लिखित पुस्तिका बड़ी संख्या में बिकी.

2. प्रत्येक बैठक में लोकतांत्रिक कार्यपद्धति पर जोर दिया जा रहा है. यूनियनों की कार्यप्रणालियां राज्य नेतृत्व द्वारा अवलोकित होती हैं व जहां कहीं सिद्धांत का उल्लंघन होता है, इसे ठीक कर दिया जाता है. राज्य में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं है जहां आम सदस्यों की पूर्व सहमति के बिना समझौता किया गया हो. आम सभाओं के परामर्श पर ही हड़तालों आदि का आयोजन होता है. निश्चय ही इस दिशा में राज्य में सुधारात्मक प्रगति हुई है. कई बार यूनियनें इन समझौतों के बारे में राज्य सीटू केन्द्र से परामर्श लेती हैं व अन्तिम समझौते की प्रति केन्द्र को प्रेषित कर दी जाती है.

हमारी इस कार्यपद्धति के बारे में राज्य कमेटी विशेष ध्यान रखती है व इस लोकतांत्रिक कार्यपद्धति पर जोर देने के परिणामस्वरूप कई नेता हमें छोड़ भागे हैं. लेकिन समुचित कार्यकौशल द्वारा इन व्यवधानों के परिणाम प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम हैं.

असम : "कानपुर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी यूनियनों का सम्मेलन के निर्णयों से कार्यकारिणी समितियों व आम बैठकों को अवगत कराया. एक संक्षिप्त ब्यौरा साप्ताहिक गणशक्ति (असमिया) में भी प्रकाशित हुआ. साधारणतया सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये जाते हैं व बाद में आमसभा की बैठक में उनकी अभ्यर्थना होती है. महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य कमेटी से भी परामर्श लिया जाता है".

तमिलनाडु : "कानपुर सम्मेलन के निर्णयों की जानकारी जिला स्तर व कुछ प्रमुख और यौगिक केन्द्रों के नेतृत्वकारी केडरों की बैठकों में दी गई लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह हमारे सन्तोष की आवश्यकता के अनुरूप था.

सीटू स्थापना दिवस व ट्रेड यूनियन एकता दिवस जो राज्य भर में मनाया गया, की बैठकों का सदुपयोग भी कानपुर सम्मेलन के निर्णयों की व्याख्यार्थ हुआ.

इसके अतिरिक्त सम्मेलन के भाषणों, कार्यवाहियों व निर्णयों का प्रकाशन हमारी पत्रिकाओं, 'सीटू सैठी' (राज्य कमेटी), पोकुवाराथु थाझीलालाड (परिवहन) मिकाथिर (बिजली) में विस्तृत रूप से हुआ.

राज्य सम्मेलन में भविष्य के कार्यक्रमों के निर्णय-निर्धारण के समय हमने अखिल भारतीय सम्मेलन के निर्णयों व भावनाओं को पूर्णतः ध्यान में रखा.

1. राज्य में किसान आंदोलन हेतु फंड के लिये सीटू के प्रत्येक कार्य-कर्त्ता से एक रुपया उघाया जाय. हमने 1984 व 1985 में 40000—40000 रु० व 1986 में अब तक 30000 रु० राज्य किसान सभा को दिया है.

2. 19 जनवरी को बलिदान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाए ताकि मजदूर वर्ग के आंदोलन के बहादुराना अतीत व भविष्य के कार्यक्रम अपने कार्यकर्त्ताओं को बतलाया जा सके.

3. यह सोचते हुये कि राज्य की औद्योगिक संस्थानों में बाल मजदूरों की निरन्तर वृद्धि हो रही है, हमने निर्णय लिया कि 1 जून को (अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस) बाल-शोषण विरोधी दिन के रूप में मनाया जाए.

हालांकि अभी कमजोरियां हैं, तथापि उपरोक्त तीनों निर्णयों को हमारी यूनियनें इस तरह लागू कर रही हैं ताकि हम सत्ताधारी दलों की नीतियों का मजदूरों में पर्दाफाश कर सकें. इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है. साधारणतया लोकतांत्रिक कार्यपद्धति का

अभिप्राय लगाया जाता है. प्रमुख समितियों की नियमित बैठकें करना अथवा आम सभा का वार्षिक अधिवेशन अथवा यूनियन की उप-विधियों के अनुरूप कार्य करना. इन क्षेत्रों में भी अभी कई यूनियनों में कमियां व त्रुटियां हैं. लोकतांत्रिक कार्यपद्धति के सुनिश्चितीकरण तथा निर्णय निर्धारण में मजदूरों की संबद्धता के बारे में सभी यूनियनों को बतलाया गया व इस बारे में सामान्यतया केडरों को जोर देकर कहा जाता है यद्यपि इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है तथापि हमारी जिला समितियों ने इसके अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया है.

अभी हाल ही के एक उदाहरण, जिसमें मजदूरों की सम्बद्धता का प्रश्न सन्निहित था, सुनिश्चित परिणाम दिया है जो राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों से संबंधित है.

नई मांगपत्र के प्रस्तुत करने के समय, एक प्रारूप तैयार किया गया व हमसे सबद्ध राज्य संघ के सभी इकाइयों को भेजा गया. बातचीत आयोजित हुये. मांगपत्र को अंतिम रूप दिया गया व मजदूरों में उसका जोर-शोर से प्रसार हुआ. सरकार से जब बातचीत शुरू हुई तो बातचीत के परिणाम की सूचना सूचनापत्र द्वारा 24 घंटे के भीतर सभी मजदूरों को भेज दी गई. इससे हमारी यूनियनों की प्रतिष्ठा बढ़ी व दूसरी यूनियनों को समझौते के दौरान ठोस रुख अपनाने को बाध्य होना पड़ा. अन्ततः हम एक स्वीकार्य समझौता कर सके. इस समझौते के बाद सभी क्षेत्रों में यूनियन की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है व संघर्ष में मजदूरों की संबद्धता यूनियन के लिये सहायक सिद्ध हुई है.

उड़ीसा सम्मेलन के आह्वान की जानकारी मजदूरों की आमसभाओं व सीटू राज्य समिति के मुखपत्र 'श्रमिक एकता' में छपे लेखों के द्वारा दी गई. क्रमबद्ध कार्यक्रम तात्कालिक रूप में नहीं किये जा सके क्योंकि 9 अगस्त के राज्य स्तरीय बंद के कार्य सन्निकट था. बाद में कई मौकों पर आह्वान के कार्यान्वियन की बात की गई. निस्सदेह इस संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि चेतना में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है. बल्कि हमारी यूनियनें अपने को कार्य प्रणाली व संघर्षों की परम्परावादी रूझानों से स्वतन्त्र नहीं कर पाई.

आमसभाओं, प्रस्तावों, श्रमिक एकता, राज्य समिति की पत्रिका, में लेखों व तनसा में आयोजित 3.8.85 से 6.8.85 तक राजस्तरीय कक्षा के द्वारा प्रयास किये गये कि आगामी समय में नेताओं, संगठनकर्त्ताओं व कार्यकर्त्ताओं में चेतना का स्तर ऊपर उठाया जाय.

कानपुर सम्मेलन के दौरान, दो या तीन यूनियनों को छोड़कर जैसे झारसुगुडा औद्योगिक मजदूर यूनियन हवी वाटर प्रोजेक्ट कर्मचारी यूनियन आदि अन्य यूनियनों में गंभीर कमियां थी. इन यूनियनों के दैनिक कार्यों में मजदूरों की संबद्धता भी व्यावहारिक थी. बहुत सी यूनियनें तो कार्यकारिणी समिति की बैठक को बुलाने तक परवाह नहीं करती थी : मांग पत्रों का निर्धारण केवल नेतृत्व द्वारा ही होता था व समझौतों पर हस्ताक्षर मजदूरों की आज्ञा के बिना होते थे. अधिकांश यूनियनें तो राज्य केन्द्र को रपट तक नहीं भेजती थी.

कानपुर सम्मेलन से पहले हालांकि लोकतांत्रिक कार्य पद्धति के विषय में शिक्षा देने के प्रयास किये गये लेकिन वे फौरी रूप में ही होते थे और वे भी दो या तीन यूनियनों तक ही सीमित थे. लेकिन कानपुर सम्मेलन के द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देश के बाद इस दिशा में सतत् प्रयास किये जा रहे हैं. राज्य कमेटी ने अपनी बैठकों में कई बार इस विषय पर विचार किया, अपने सदस्यों को पहले समझाने-बुझाने की चेष्टा की जो प्रत्यक्षतः विभिन्न यूनियनों का नेतृत्व करते हैं. सम्मेलनों, आमसभा की बैठकों, सार्वजनिक मिटिंगों व कार्यकारिणी की बैठकों में जब मांग पत्रों व समझौतों आदि पर अंतिम निर्णय लिए जा रहे थे. सांविधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुये हमने जो समझाने-बुझाने की चेष्टा की वह है :

(i) मांग पत्रों पर अंतिम निर्णय व समझौतों पर हस्ताक्षर, साधारण सदस्यों की सहभागिता व सहमति के बिना नहीं होंगे.

(ii) यूनियन के असली पदाधिकारियों को पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का संस्थापन करना चाहिये.

(iii) यूनियनों को राज्य केन्द्र को निरंतर विवरण देना चाहिये व दूसरी ओर से यही दुहराया जाना चाहिये.

(iv) यूनियन के दैनिक निर्णय ,कार्यकारणी अथवा पदाधिकारियों की बैठक में होने चाहिये, दो या तीन अथवा व्यक्तिक नेताओं के गुणों द्वारा नहीं.

(v) कार्यकारिणी के समक्ष हिसाब-किताब नियमित रूप से रखा जाना व पारित होना चाहिये.

(vi) सम्मेलन का आयोजन पुरी तैय्यारी व प्रयासों के साथ होना चाहिये व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आम कार्यकर्त्ता इसमें भाग लें.

राज्य कमेटी के सदस्यों, यूनियन संगठनकर्त्ताओं व सामान्य कार्यकर्त्ताओं को लोकतांत्रिक कार्यपद्धति के महत्व व उसकी आवश्यकता निरतर रूप से बतलाये जाते रहे हैं जिसके फलस्वरूप कुछ यूनियनों में इसके परिणाम देखने को मिले हैं जबकि कुछ अन्य मामलों में इसे समझाना व लागू करना अभी बाकी है.

राज्य कमेटियों की जो कमजोरी थी वह यह कि नियमित ढंग से निगरानी और नियन्त्रण रखने की कोई कारगर तरीका वह निकाल नहीं पाई.

बहरहाल, अब ज्यादातर मामलों में समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मजदूरों की मंजूरी लेने के बारे में नेतागण सचेत हैं. हाल ही में, वेस्टर्न इण्डिया में, राउरकेला, इस्पात कारखाने में हुई समझौते में, बातचीत के दौरान मजदूरों को शामिल नहीं किया गया और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए एटक ने मजदूरों को हमारे खिलाफ करने में सफल हुए. जिससे बहुत सारे, समस्या

उठ खड़े हुए. खैर, इससे यह मतलब नहीं निकलता कि अन्य सारे मामले में समझौतों के दौरान बातचीत में आम मजदूरों को शामिल किया जा रहा है. विशेषकर, भुवनेश्वर, रायगडा एवं अन्य कई स्थानों में इसकी कमी देखने को मिली."

यह स्पष्ट हो जाता है कि इन बहुत सारे रिपोर्टों में, फैसला लेने के सिलसिले में आमतौर से मजदूरों को शामिल करने की विचारधारा का कोई जिक्र ही नहीं है. इसलिए, कार्यकारिणी की बैठकें रिवाजी बनकर रह जाता है. इस बात से मजदूरों को शामिल करने से उनकी जागरुकता बढ़ती है—हम अनदेखा करते हैं. हमें इस खामी को जल्द-से-जल्द दूर करना होगा.

दूसरा जो सवाल उठता है, वह विभिन्न तबके के मेहनतकश लोगों के प्रति एकजुटता का इजहार करने की हमारी सम्बद्ध यूनियनों की जिम्मेदारी निभाने के बारे में है. किसानों, खेत मजदूरों, बेरोजगारों आदि के बारे में रिपोर्ट पहले दी जा चुकि है. इस अवधि में विभिन्न संगठनों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए केन्द्र ने समय-समय पर आह्वान दिया. (परिशिष्ट I देखिए), इस परिशिष्ट से यह स्पष्ट हो जाता है. कि इस दिशा में आशानुरूप कार्रवाई नहीं हुई. इस कमी को भी हमें जल्द-से-जल्द सुधारना होगा।

यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि दमन, मिलबन्दी, तालाबंदी, छंटनी आदि जिसका यूनियनों की सदस्यता पर भारी प्रभाव पड़ा, के बावजूद सीटू को हम अधिक शक्तिशाली बना पाये हैं. हरियाणा की रिपोर्ट में बताया गया, "डी० सी० एम० ग्रुप के हिसार टेक्सटाइल मिल में 5000 मजदूर कार्यरत हैं. मालिकों ने त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने के बजाय मिल को बन्द कर दिया जिससे सारे मजदूर बेरोजगार हो गए. यद्यपि सीटू ने इस मिलबन्दी और छंटनी के खिलाफ संघर्ष किया पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ. इस जमीन को बेचकर मालिक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अन्ततः, 23-6-84 को मिल को बन्द कर दिया गया. सीटू की सदस्यता यहाँ 3000 थी पर मिलबन्दी के बाद भी सदस्यता शून्य हो गयी.

"हांसी स्पिनिंग मिल में 1600 मजदूर कार्यरत हैं. सिर्फ सीटू की ही यूनियनें वहां थीं. त्रिपक्षीय समझौते को लागू करने के स्थान पर 13-4-84 को व्यवस्थापकों ने यह कहकर फैक्टरी को बंदकर दिया कि फैक्टरी में घाटे हो रहे हैं. फैक्टरी सात महीनों तक बन्द रही सभी पुराने समझौते तोड़ दिये गये. फैक्टरी 13-1-85 को खोली गई. इस दौरान हजारों मजदूरों ने फैक्टरी छोड़ दी. नई भर्ती की गई व कम तनख्वाह दी गई लेकिन हम पुनः यूनियन की स्थापना में कामयाब हुये हैं व इसके 900 सदस्य हैं".

यह समझने की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रपट के मुताबिक यूनियनों की सदस्य संख्या में गिरावट आई है. 19-12-85 के फाइनान्शियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रपट के अनुसार "यूनियनों की सदस्य संख्या अलग-अलग देशों में अलग-अलग है. औद्योगीकृत समाजवादी देशों में यूनियनों की सदस्य संख्या जहां शत-प्रतिशत है, वहां कुछ विकासशील देशों में यह संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है. आई.एल.ओ. रपट के मुताबिक.

पिछले कुछ सालों में कई देशों में कुल सदस्य संख्या में जो गिरावट आई है, इसका कारण सामान्य आर्थिक मंदी व उत्पादन क्षेत्रों में संरचनात्मक है परिवर्तन है. उदाहरण के ब्रिटेन में यूनियन सदस्यता में जहां 1980 में 3.6 प्रतिशत की गिरावट थी, वहां 1981 में यह गिरावट 5.9 प्रतिशत हो गई. नेदरलैण्ड व स्वीडन, दोनों ही देशों में गिरावट लगभग 4 प्रतिशत थी. संघीय जर्मन गणराज्य में यह गिरावट 2.5 प्रतिशत रिकार्ड की गई. आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या से यूनियनीकरण की प्रवृति जहां कनाड़ा, ग्रीस, जापान, नेदरलैण्ड व स्विटजरलैण्ड में 30 से 40 प्रतिशत हैं वहां फ्रांस, पुर्तगाल व स्पेन में 15 से 30 प्रतिशत हैं. पिछले 10 वर्षों से भी कुछ अधिक अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट नोट की गई है. केवल नार्वे व डेनमार्क से ही ट्रेड यूनियन आंदोलनों में अभिवृद्धि हुई है".

यह उलेखनीय है कि हमारा संविधानिक प्रावधान चाहे जो भी हो, वार्षिक विवरण व संबंधन शुल्क के सम्मेलन से पूर्व ही प्रस्तुतीकरण की पुरानी प्रक्रिया अब भी कई यूनियनों द्वारा चलाई जा रही है. बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में स्थिति विशेषतया खराब है, जो परिशिष्ट-II से देखा जा सकता है. विशेष प्रयासों के फलस्वरूप 1985 का वार्षिक विवरण यूनियनों द्वारा प्रस्तुत किया गया लेकिन 1983 व 1984 का वार्षिक विवरण व संबंधन शुल्क की बकाया राशि का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया. यह आशा की जाती है कि बम्बई सम्मेलन के होने तक, इस समस्या पर अधिकार पा लिया जायेगा.

एक विशेष बिंदु पर हमें ध्यान देना होगा कि जब तक असंगठित मजदूरों को सुनियोजित ढंग से संगठित करने की दिशा में प्रयास नहीं होंगे, सीटू की सदस्य संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी. यह उल्लेखनीय है कि हमारी कुछ राज्य कमेटियों ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिये हैं. यह आशा की जाती है कि हरेक उस दिशा में और आगे बढ़ेगा.

दिल्ली में हुई हमारी कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह बतलाया गया कि: यूनियनों व राज्य कमेटी तथा केन्द्रीय कार्यालय के मध्य सम्पर्क व्यवस्था कमजोर हो रही है. यह कई मामलों में या तो पुरानी संशोधनवादी व्यवहारों के अवशेषों के कारण है या सीटू संगठन में भी 'संघवाद' के विकास होने के कारण है. अन्यथा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि ट्रेड यूनियनों के सामान्य वैधानिक प्रावधान अर्थात वर्ष के 30 अप्रैल तक वार्षिक विवरण का प्रावधान कठोर रूप से लागू क्यों नहीं हो रहा तथा 30 जून तक प्रत्येक वर्ष का संबंधन शुल्क का भुगतान क्यों नहीं होता जो उन्हें संविधान का स्पष्ट आदेश है.

विवरण प्रस्तुत करने में की जाने वाली उदासीनता में होने वाली बड़ी हानि का अंदाजा हमारी यूनियनें नहीं कर रही. सभी मंचों पर मजदूरों के बयान को सीटू का कार्य में इससे व्यवधान उत्पन्न होता है. जानी मानी अधिक सदस्य संख्या वाली, केन्द्रीय यूनियनों को महत्वपूर्ण समितियों में प्राथमिकता दी जाती है. इस उपेक्षा सहित यह उदासीनता संकीर्णता से उत्पन्न होती है व इस बात का प्रमाण है कि संबद्ध यूनियनें अभी तक वर्ग चेतना का विकास नहीं कर पाई हैं जो एक वर्ग के रूप में कार्य करने के लिये जरूरी है. इस असफलता की परिणति उन लोगों के प्रति विश्वासघात में होती है जिन्होंने सीटू की स्थापना के लिये अपने प्राणों की आहुति दी व उनके प्रति विश्वासघात में होती है जिन्होंने भारतीय संगठन का सशक्त बनाने के लिये नितप्रति कष्ट भोग रहे हैं."

यद्यपि यह सच है कि वार्षिक विवरण की प्रस्तुति की आवश्यकता की दिशा में महत्वपूर्ण अनुभूति का विकास हुआ है तथापि इसमें प्रभावशाली सुधार नहीं हो पाया है. कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों का ध्यान 31-12-84 की सदस्य संख्या की सन्निकट जांच पड़ताल के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि विवरण को स्पष्टरूप में रखने के उपयुक्त कदम उठाये जायें ताकि सीटू के न्यायसंगत अधिकारों, जिसका आधार उसकी सदस्य शक्ति है, के विरुद्ध किये जाने वाले किसी भी षडयन्त्र को असफल बनाया जा सके. कुछ यूनियनों ने प्रतिक्रियायें दी हैं, जो परिशिष्ट-II में दिये गये वक्तव्यों में देखे जा सकते हैं. यह आशा की जाती है कि बम्बई की बैठक के समय 1986 की हमारी सदस्य संख्या में अत्याधिक अभिवृद्धि हो जायेगी.

एक बिंदु जो हमारे कार्य की पुनः स्थिति निर्धारण से संबद्ध है, जिसका आह्वान कानपुर सम्मेलन द्वारा किया गया. रपट व संघर्षों के पुनर्विचार से संबंधित है. कार्यकारिणी समिति ने अपनी फरवरी 1987 की बैठक में राज्य कमेटियों को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त विषयों पर विशेष रपट दें. समय पर रपटें केवल तमिलनाडु, प० बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम व पंजाब से ही आई. गोवा राज्य कमेटी ने रपट भेजी, लेकिन इन विषयों पर नहीं, अतः उसका प्रयोग नहीं हो सका. महाराष्ट्र राज्य कमेटी ने राज्य सम्मेलन में क्योंकि अंग्रेजी में रपट दी थी, अतः उसका प्रयोग हुआ, हरियाणा, आंध्र प्रदेश व दिल्ली अपनी ने रपटें अप्रैल 1987 के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रस्तुत किये. रपटों का प्रस्तुत न किया जाना एक चिरकालिक असफलता बन गई. संघर्षों या कार्यों पर पुनर्विचार न करने की प्रवृत्ति सबसे बुरी बात है. तामिलनाडु व आंध्र प्रदेश रपटों में सामान्यतः यह दावा किया है कि वे कार्यों या संघर्षों पर पुनर्विचार करते हैं. कुछ मामलों में उन्होंने स्वीकार किया है कि वे किन्हीं विशेष संघर्षों पर पुनर्विचार नहीं कर सके. संघर्षों पर पुनर्विचार न करने से व केन्द्र के पास रपटों व पुनर्विचारों को न भेजने से सीटू को अनुभवों के आदान-प्रदान करने की पद्धति की शुरूवात करने में व सामूहिक कार्य-पद्धति की भावना के विकास करने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

सीटू को मजबूत बनाएं

आज सीटू एकता व राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना की दिशा में धीरे-धीरे एक लड़ाकू शक्ति ट्रेड यूनियन एकता की अनन्यतम लड़ाकू शक्ति के रूप में उभर रहा है. देश में पूंजवादी संकट के तीव्रीकरण व परिणामतः सत्तावादी परिमाण, मजदूरों की नौकरियों पर आक्रमण, तनख्वाह व ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों में वृद्धि होती है. जब तक यथाशीघ्र संभव हम अपने अवगुणों को दूर नहीं कर लेते व सीटू को मजबूत नहीं बनाते, असंगठित क्षेत्रों विशेषतया महिलाओं व अल्पसंख्यक लोगों को, इसके नजदीको लाकर मजदूर वर्ग अपने दायित्त्व का निर्वाह नहीं कर सकेगा ज उसके कंधों पर है इस कार्य के प्रति उदासीनता अपने को विनष्ट करना होगा. मुझे विश्वास है कि सभी साथी इस रपट पर तहेदिल से विचार करेंगे और अपने अनुभवों को उससे आबद्ध करने का प्रयास करेंगे.

समाप्त करने से पहले मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, विशेषतया राज्य कमेटियों व संबद्ध यूनियनों के प्रति जिन्होंने सीटू के आह्वान पर अविलम्ब प्रतिक्रिया व्यक्त की. मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में उनकी प्रतिक्रिया और अधिक ओजस्वी होगी.

आइये, ट्रेड यूनियन एकता के लिये हम अपनी लड़ाई को और अधिक तीव्र करें. विध्वंसकों के सभी हथकंडों से मजदूरों के हितों की रक्षा करें.

एकता व राष्ट्रीय एकीकरण के लिये उन सभी साम्प्रदायिक व विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध लड़ें जिन्हें साम्राज्यवाद द्वारा असफल कोशिश के तहद मदद दी जा रही है व उकसाया जा रहा है कि वे हमारे देश में अस्थिरता पैदा करें.

शांति के लिये व नाभिकीय युद्ध के विरुद्ध लड़ें व साम्राज्यवादी सार्वभौमिक प्रधानता के मनसूबे को नाकामयाब करें.

आइये, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को ऊँचा उठाये रखें और सब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ें व इस शताब्दी के अन्त तक नाभिकीय युद्ध रहित निरापद विश्व की स्थापना करें.

इंकलाब—जिन्दाबाद

समर मुखर्जी
महासचिव

विभिन्न राज्य कमेटियों/फेडरेशनों/अन्यों द्वारा एकजुटता कोष के लिए दिए गए अंशदान

States and Federations	Relief to J.K. Synthetics Workers	Relief to Modinagar Victims	Bangladesh Cyclone	Nicaragua	Gorkhaland
1. Andhra Pradesh	—	10.00	500.00	अलग से संगठित	1000.00
2. Assam State Committee	—	—	500.00	—	2050.00
3. Bihar	170.00	500.00	500.00	—	1750.00
4. Delhi	300.00	13125.70	500.00	—	4350.00
5. Goa State Committee	—	—	—	—	1000.00
6. Haryana State Committee	—	—	500.00	—	500.00
7. Karnataka	220.00	50.00	500.00	2706.00	850.00
8. Kerala	1250.00	1426.00	5455.50	12,690.00	8066.00
9. Madhya Pradesh	—	—	200.00	—	—
10. Maharashtra	1400.00	600.00	500.00	—	8500.00
11. Orissa	165.00	—	500.00	—	1000.00
12. Punjab	—	200.00	500.00	—	500.00
13. Rajasthan	A lot but details not known	—	—	—	—
14. Tamilnadu	3360.00	1222.50	2300.00	10030.00	1000.00
15. Uttar Pradesh	121.00	—	—	—	600.00
16. West Bengal	3600.00	2300.00	3000.00	5.41 Lakhs & One container full of articles	4.87 Lakhs
17. SWFI	500.00	—	—	—	1000.00
18. AIPWF	100.00	—	1000.00	—	5000.00
19. All India Coal Workers Federation	—	—	2000.00	—	1000.00
20. Water Transport Workers Federation of India	—	—	—	—	1000.00
21. All India Road Transport Workers Federation	—	—	—	—	1000.00
22. All India Jute Workers Federation	—	—	1000.00	—	—
23. Electricity Emp. Federation of India	—	—	—	—	2000.00
24. Other Fraternal Organisations	4251.00	—	—	—	—

9-5-1987 तक प्राप्त वार्षिक विवरणी के आधार पर सदस्यता का तुलनात्मक चित्र

State	No. of active Unions	No. of unions Submitting Annual Returns				Position of Membership According to Annual Returns			
		1983	1984	1985	1986	1983	1984	1985	1986
Andaman & Nicobar	5	2	3	3	—	530	597	521	—
Andhra Pradesh	207	86	127	196	35	43,641	50,882	61,661 (5184)	22,618 (1862)
Assam	52	29	35	46	16	18,054	24,454	26,558 (5684)	5,266 (200)
Bihar	42	22	16	31	—	36,508	25,643	62,801 (2859)	—
Delhi	50	38	45	43	41	30,568	33,155	27,575 (794)	27,669 (905)
Goa	7	7	7	7	—	2,982	2,893	3,450 (129)	—
Gujarat	27	20	18	25	2	19,545	20,383	15,301 (662)	539 (67)
Haryana	24	17	14	18	2	6,909	4,401	6,992 (10)	1,070 (—)
Himachal Pradesh	25	4	8	10	13	1,007	2,455	1,625 (55)	5,438 (1288)
Karnataka	75	30	53	69	26	34,111	42,085	54,777 (15,410)	13,184 (6551)
Kerala	567	482	428	438	7	3,10,109	2,27,090	2,92,876 (79,339)	8,032 (1805)
Madhya Pradesh	37	20	23	25	18	16,847	12,818	14,453 (476)	11,626 (186)
Maharashtra	45	21	30	33	4	33,368	35,674	30,191 (1584)	3,705 (240)
Orissa	34	15	27	33	30	23,790	26,754	31,669 (5266)	42,105 (5564)
Punjab	65	26	46	57	5	22,497	28,815	27,804 (1645)	6,486 (1168)
Rajasthan	78	44	53	54	28	11,770	15,949	15,042 (103)	7,983 (2)
Tamilnadu	273	175	151	174	44	1,02,792	1,13,017	1,08,506 (6079)	33,637 (1229)
Tripura	24	11	18	21	10	6,882	14,822	17,506 (4795)	12,499 (408)
Uttar Pradesh	80	20	40	43	4	5,018	10,053	9,313 (115)	733 (—)
West Bengal	1311	768	757	1185	2	6,60,881	7,39,950	7,45,558 (40561)	122 (43)
Total	3028	1837	1899	2511	292	13,87,809	15,01,890	15,50,839 (1,70,760)	2,02,712 (21,518)

(Figures in bracket indicate women members)

नोट : कई यूनियनों ने वार्षिक विवरण के बिना ही सम्बद्धता शुल्क भेजा है — इन यूनियनों की सदस्यता इसमें शामिल नहीं हैं।

सीटू के छठे सम्मेलन का आह्वान

* शांति के लिए संघर्ष तेज करो
* फूटपरस्त ताकतों का मुकाबला करो
* सार्वजनिकक्षेत्र विरोधी मुहिम को विफल करो
* बेकारी के खिलाफ लड़ो
* कामगार महिलाओं को संगठित करो
* ट्रेड यूनियन महासंघ के निर्माण के प्रयास तेज करो

लाल झण्डों तथा रंग-बिरंगी सजावट से जगमगाते बी पी चितन नगर में, क्रांतिकारी जोश से भरे माहौल में 18 मई को सेंटर आफ ट्रेड यूनियंस (सीटू) के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन का अविस्मरणीय शुभारम्भ हुआ. इस सम्मेलन को सीटू ही नहीं, देश के समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जायेगा.

कानपुर में संपन्न पांचवें सम्मेलन के चार साल बाद 18 से 22 मई तक बंबई में हुए इस सम्मेलन में 2500 से भी अधिक प्रतिनिधि, प्रेक्षक तथा बिरादराना प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे.

ऐतिहासिक छठा सम्मेलन

इस ऐतिहासिक सम्मेलन ने, दुनिया को नाभिकीय युद्ध की विभीषिका में झोंकने की सामराजी साजिशों की पृष्ठभूमि में, पिछले कुछ अर्से में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तेजी से घटी घटनाओं का विश्लेषण किया, शांति के लिए सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों द्वारा चलाये जा रहे अनवरत संघर्ष के महत्व को रेखांकित किया और सारी दुनिया पर हावी होने के अमरीकी मनसूबों के खिलाफ सभी महाद्वीपों की जनता के दुर्दम्य संघर्ष पर गौर किया.

सम्मेलन ने देश की जटिल आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया और लगातार गहराते पूंजीवादी संकट तथा उसके चलते बढ़ते तानाशाहीपूर्ण कदमों की सचाई, सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर बनाने की केन्द्र सरकार की नई आर्थिक नीति, साम्राज्यवादियों द्वारा समर्थित फूटपरस्त तथा पृथकतावादी ताकतों की गतिविधियों में खतरनाक बढ़ोतरी और बेरोजगारों की संख्या तथा कामगार महिलाओं की समस्याओं के लगातार बढ़ते जाने पर गौर किया.

सम्मेलन ने, इन हालात की पृष्ठभूमि में पिछले सम्मेलन के बाद के दौर में सीटू की गतिविधियों की आत्मालोचनात्मक समीक्षा की और नाभिकीय युद्ध की अमरीकी सामराजी मुहिम का मुकाबला करने तथा देश में शांति आंदोलन को एक जीवंत, जुझारू ता सर्वव्यापी आंदोलन में तब्दील करने का जोरदार आह्वान किया. सम्मेलन ने, क्षुद्र दलगत हितों के लिए फूटपरस्त तथा सांप्रदायिक ताकतों के प्रति समझौतावादी रुख अपनाने की पूंजीवादी-भूस्वामी सरकार की नीति की आलोचना की और मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि देश की एकता तथा अखण्डता की रक्षा करने और देश को अस्थिर करने की सामराजी साजिशों का मुकाबला करने की पहल अपने हाथों में संभाले.

सम्मेलन ने विश्व बैंक की मांगों के सामने घुटने टेककर सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किये जाने तथा उसकी कीमत पर देशी-विदेशी इजारेदारियों को बढ़ावा दिये जाने की नीति के खतरों की विस्तार से चर्चा की और ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि अपने जोरदार एकजुट संघर्ष के जरिये इस नीति को बदलने के लिए और आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय नियोजन के हित में सार्वजनिक क्षेत्र को सही माने में नेतृत्वकारी भूमिका दिलाने के लिए, सरकार को मजबूर कर दें.

सम्मेलन ने इस सचाई की ओर ध्यान खींचा कि बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा पूंजीवादी नियोजन ही जिम्मेदार है और इस संदर्भ में यूनियनों का आह्वान किया कि मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन की समस्याओं के अभिन्न हिस्से के रूप में बेरोजगारों का सवाल भी उठाएं और काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किये जाने तथा रोजगार न मिलने तक बेकारी भत्ता दिये जाने की सीधी मांग उठाते हुए, प्रत्यक्ष कार्रवाई में उतरें.

सम्मेलन ने, पूरा एक दिन लगाकर कामगार महिलाओं की समस्याओं पर विचार किया और संगठन की राज्य इकाइयों तथा यूनियनों का आह्वान किया कि कामगार महिलाओं के हितों के लिए संघर्ष करें, उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका में लायें और मजदूर वर्ग के अभिन्न हिस्से के रूप में, ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्य धारा में खींचे.

मजदूर वर्ग की एकता तथा एकजुट कार्रवाइयों की लगातार बढ़ती आकांक्षा की ओर इंगित करते हुए सम्मेलन ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा रष्ट्रीय फेडरेशनों का एक ऐसा महासंघ (कन्फेडरेशन) बनाने के सीटू के आह्वान को दुहराया, जहां श्रम तथा आर्थिक नीति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर मुक्त ढंग से विचार-विमर्श हो सके और सर्वसम्मति से फैसले लिए जा सकें.

सम्मेलन शुरू हुआ

सीटू के अखिल भारयीय अध्यक्ष, बी टी रणदिवे द्वारा कामरेड पी के कुर्णे नगर (राजा शिवाजी विद्यालय) में, जहां प्रतिनिधियों के आवास की व्यवस्था थी, सीटू का लाल झण्डा फहराये जाने के साथ सम्मेलन शुरू हुआ. बी टी आर, समर मुखर्जी तथा दूसरे नेताओं की अगुआई में, "सीटू करे पुकार, इंक्लाब जिंदाबाद" और "मजदूर वर्ग के शहीदों को लाल सलाम" के गगनभेदी नारों के बीच, प्रतिनिधियों ने शहीद स्तंभ

पर फूल चढ़ाकर शहीदों का स्मरण किया.

दोपहर बाद, 3 बजे से षणमुखानंद हाल में, जिसका नाम तमिलनाडु के विख्यात सीटू नेता का. चिंतन जिसका 8 मई को सोवियत संघ के वोलगाग्राद में निधन हो गया था, की स्मृति में वी पी चिंतन नगर रखा गया था, सम्मेलन का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ. हाथों में लाल झण्डे लिए तथा देश की विभिन्न भाषाओं में क्रांतिकारी नारे लगाते, प्रतिनिधियों के राज्यवार दस्तों ने कामरेड पी के कुर्ने नगर से कामरेड वी पी चिंतन नगर तक अनुशासित मार्च किया, तो दादर-माटुंगा स्टैण्ड की व्यस्त सड़कों पर दर्शकों की भीड़ जमा हो गयी.

लाल तोरणों, बैनरों तथा झण्डों से सजी बंबई की सडकें जैसे प्रतिनिधियों का स्वागत करने में एक-दूसरे से होड़ कर रही थीं. 400 से ज्यादा लाल वालंटियर स्त्री-पुरुषों ने, जिनमें खासी बड़ी संख्या एस एफ आइ तथा डी वाइ एफ आइ से संबद्ध युवाओं की थी, सम्मेलन की हर जरूरत पूरी करने तथा उसे सफल बनाने के लिए रात-दिन काम किया.

स्वागत समिति के अध्यक्ष, एस वाइ कोल्हाटकर के स्वागत भाषण के साथ उद्घाटन सत्र की कार्रवाई शुरू हुई. इसके बाद बी टी आर का अध्यक्षीय भाषण हुआ.

सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित कर इन दो सम्मेलनों के बीच की अवधि के दौरान दिवंगत का. पी सुन्दरैया, का. वी पी चिंतन तथा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के प्रमुख नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और सीटू तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन के उन शहीदों का गौरव के साथ स्मरण किया, जिन्होंने मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है.

बिरादराना प्रतिनिधि

सम्मेलन के लिए आए नौ देशों के बिरादराना प्रतिनिधि जब मंच पर पहुंचे, देर तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद जिंदाबाद'' के नारों से हाल गूंजता रहा. सम्मेलन में विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से संगठन के सचिव, सेवोलोद मोजाएव उपस्थित थे. सोवियत संघ की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, संगठन के अध्यक्षमण्डल के सदस्य, अल्बर्ट याकोवलेव और संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के अधिकारी, कोंस्तांतिन इल्यिच तुजिकोव. आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल में संगठन के सचिवमण्डल के सदस्य यू चिन हो, संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के उपविभाग के उपाध्यक्ष, झेन गाउशुन और संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के दुभाषिया चाऊ यांग शामिल थे. चेकोस्लोवाक सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस का प्रतिनिधित्व ज्देनेक मालेक कर रहे थे, तो अफगान ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व अफगानिस्तान की ट्रेड यूनियनों की केंद्रीय कमेटी के अध्यक्षमण्डल के सदस्य, फकीर मुहम्मद ज्वामरी. बल्गारियाई ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व दिमित्र मार्कोव गोस्पोदिनोव और इलियन इगनोव इग्नालोव ने किया और कन्फेडरेशन जनरल आफ इटेलियन लेबर (सी जी आई एल) का सुश्री सिल्विया बोबा तथा गिआनी सेलेटा ने. ब्रिटेन की कामनवेल्थ ट्रेड यूनियन काउंसिल का प्रतिनिधित्व स्टर्लिंग स्मिथ कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीकी ट्रेड यूनियनों की कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जस्टिस हलालेले, इयान विएर तथा जेकब माबेना.

विदेशी बिरादराना प्रतिनिधियों ने अपने संगठनों की ओर से सीटू को उपहार भेंट किए और सीटू की ओर से बी.टी. रणदिवे ने उन्हें उपहार दिए.

सम्मेलन को बंगला देश संयुक्त श्रमिक फेडरेशन, सी जी टी (फ्रांस), सोहयो (जापान), ट्रेड यूनियंस कांग्रेस आफ ग्रेट ब्रिटेन, एफ डी जी बी (जर्मन जनवादी गणराज्य), बंगला देश गणतांत्रिक श्रमिक आंदोलन और सीलोन फेडरेशन आफ लेबर से शुभकामना संदेश मिले थे.

भारतीय बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों ने भी सम्मेलन का अभिनन्दन किया. एटक की ओर से ए.बी. वर्द्धन, एच एम एस के शांति पटेल, बी एम एस के बी.एन साठे तथा यू टी यू सी की पुष्पा मेहता ने खुद सम्मेलन में उपस्थित रहकर अपनी शुभकामनाएं दीं, जबकि इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जे.एस. दारा ने सम्मेलन के लिए अपना शुभकामना संदेश भेजा था. अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्ष, गोदावरी पारुलेकर और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव पी के कुन्जच्चन ने अपने-अपने संगठनों की ओर से सम्मेलन का अभिनन्दन किया.

महासचिव की रिपोर्ट

सम्मेलन की कार्रवाई के संचालन के लिए उपसमितियों के चुनाव के साथ प्रतिनिधि सत्र शुरू हुआ. पी.के. गांगुली के संयोजकत्व में दस सदस्यीय प्रस्ताव उपसमिति बनायी गई जिसके अन्य सदस्य एम.के. पंधे, नृसिंह चक्रवर्ती, बिमल रणदिवे, एम.एम. लारेन्स, एन. प्रसाद राव, ए.के. पद्मनाभन, एस. सूर्यनारायण राव, अजेय राउत तथा बीरेन राय थे. पी. सत्यनारायण के संयोजकत्व में छः सदस्यीय परिचय (क्रेडेंशियल) उपसमिति में काली घोष, एन. पद्मलोचनन, चित्तव्रत मजुमदार, सी. गोबिन्दराजन तथा रणजीत बसु शामिल थे.

इसके बाद, समर मुखर्जी ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने युद्ध के खतरे को रेखांकित किया और शांति के पक्ष में संघर्ष तेज करने की जरूरत पर जोर दिया. शांति के लिए सोवियत संघ द्वारा रखे गए विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने इन

प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए मजदूरों को लामबंद करने और अमरीकी साम्राज्यवाद की हमलावर साजिशों को बेनकाब करने का आह्वान किया.

राष्ट्रीय स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने, फूटपरस्त तथा पृथकतावादी ताकतों को बढ़ावा देकर देश में अस्थिरता पैदा करने की सामराजी साजिश की ओर ध्यान खींचा और इस सिलसिले में केन्द्र की शासक पार्टी, कांग्रेस(आई) तथा उसकी सरकार की कड़ी आलोचना की, जो क्षुद्र चुनावी लाभों के लिए सांप्रदायिक तथा फूटपरस्त ताकतों को सहलाती है, उनके साथ समझौते करती है और इस प्रकार देश की एकता तथा अखंडता के साथ खिलवाड़ करती है

समर मुखर्जी ने राजीव सरकार की नयी आर्थिक नीति की भी चर्चा की और बताया कि किस प्रकार विश्व बैंक के दबाव में, सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किया जा रहा है और निजीकरण किया जा रहा है तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को न्यौता दिया जा रहा है. इस संदर्भ में उन्होंने प्रतिरक्षा उत्पादन तक का निजीकरण करने के सरकार के कदमों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि किस प्रकार नयी आर्थिक नीति, आत्मनिर्भरता तथा नियोजन की कल्पना को ही बेमानी बना देगी और अन्ततः हमारे देश की गुटनिर्पेक्षता की नीति के लिए ही खतरा पैदा कर देगी तथा देश को युद्धोन्मादी साम्राज्यवादियों के जाल में फंसा देगी. इसके अलावा इस नीति का तात्कालिक परिणाम यह होगा कि मजदूर वर्ग तथा जनता को विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों तथा देशी इजारेदारों के शोषण की भयानक मार झेलनी पड़ेगी.

का. समर मुखर्जी महासचिवीय रिपोर्ट पेश करते हुए

इसके साथ ही, नयी आर्थिक नीति के चलते सरकार की श्रम नीति में आये प्रतिगामी मोड़ की ओर भी समर मुखर्जी ने प्रतिनिधियों का ध्यान खींचा. औद्योगिक विवाद तथा ट्रेड यूनियन कानूनों में लाये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और सरकार की इन चालों को विफल करने के लिए प्रत्यक्ष कारवाई का आह्वान किया. सीटू महासचिव ने सरकार को मौजूदा नीतियां बदलने पर मजबूर करने के लिए एकजुट संघर्ष तथा कारवाईयां तेज करने का जोरदार आह्वान किया.

उन्होंने कामगार महिलाओं, असंगठित मजदूरों, ट्रेड यूनियन आंदोलन के अन्तर्गत आनेवाले अल्पसंख्यक तबकों आदि की विशेष समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा और राज्य कमेटियों तथा यूनियनों से जोरदार ढंग से आग्रह किया कि इन तबकों की विशेष समस्याओं को हाथ में लें, ताकि उन्हें साझा ट्रेड यूनियन आंदोलन में खींचा जा सके. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस काम में कोताही होती है, तो सरकार तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा इन तबकों को अपना मोहरा बनाने और उनका इस्तेमाल कर एकजुट मजदूर आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें की जाती रहेंगी. ट्रेड यूनियन आंदोलन की वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए, समर मुखर्जी ने ट्रेड यूनियन एकता पर जोर दिया और इस सिलसिले में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा राष्ट्रीय फेडरेशनों का एक महासंघ बनाने के सीटू के प्रस्ताव को आगे ले जाने का आग्रह किया, ताकि एकजुट संघर्षों को कारगर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके और सरकार की आर्थिक तथा श्रम नीति में मजदूरों का वास्तविक हस्तक्षेप हो सके.

विभिन्न राज्यों के अनुभव और सामान्य निष्कर्ष

19 मई से महासचिव की रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई. बहस में हिस्सा लेते हुए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने खास तौर पर एकजुट संघर्षों, शांति के लिए संघर्ष, फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष, बेकारी का सवाल, कामगार महिलाएं, असंगठित मजदूरों, मिलबन्दियों तथा तालाबन्दियों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति सरकार की नीति, मजदूरों पर दमन, यूनियनों के जनतांत्रिक ढंग से संचालन आदि के सिलसिले में अपने अनुभव रखे.

सीटू की हरियाणा राज्य इकाई के महासचिव, श्रद्धानंद सोलंकी ने बताया कि किस प्रकार पंजाब में उग्रवादियों की हरकतों का हरियाणा पर असर पड़ रहा है और पुलिस तथा प्रशासन समेत विभिन्न ताकतें सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने में लगी हुई हैं. फिर भी, सीटू यूनियनें सभी यूनियनों को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, ताकि मजदूरों तथा जनता की एकता को सुरक्षित रखा जा सके. उन्होंने राज्य सरकार कर्मचारियों के जुझारू संघर्ष, तालाबंदियों आदि के खिलाफ संघर्ष और राजकीय क्षेत्र के कुछ उद्यम निजी क्षेत्र के हाथों बेचने की राज्य सरकार की कोशिशों आदि के बारे में बताया.

पश्चिम बंगाल के बीरेन राय ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र की स्थिति और असंगठित मजदूरों को संगठित करने की दिशा में सीटू के प्रयासों के बारे में बताया.

केरल के एन पद्मलोचनन ने संयुक्त संघर्षों के सिलसिले में, कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ संघर्ष में और बिजली उद्योग में तथा परंपरागत व अन्य उद्योगों में एटक के असहयोगपूर्ण रुख की समस्याओं के बारे में बताया. बेरोजगारी के सिलसिले में उन्होंने बेरोजगारी विरोधी संघर्षों तथा कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिनके चलते पिछली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार को बेकारी भत्ते की घोषणा फिर शुरू करनी पड़ी थी, जिसे उसने बंद कर दिया था. उन्होंने, बहुत ही संक्षेप में सांप्रदायिक तथा जातिवादी ताकतों के खिलाफ अनथक संघर्ष का भी ब्योरा दिया जिसके फलस्वरूप आखिरकार पिछले विधान सभा चुनावों में वाम-जनतांत्रिक मोर्चे की जीत हुई. उन्होंने शांति के लिए संघर्ष, दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी निजाम के खिलाफ अभियान और केंद्र सरकार की नयी शिक्षा नीति के खिलाफ संघर्ष के अनुभवों को भी प्रस्तुत किया और केरल में चलाये गये जबर्दस्त संघर्षों का महासचिव की रिपोर्ट में शामिल किये जाने का आग्रह किया.

तमिलनाडु के डी जानकी रमण ने पहली सितंबर (अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस), हिरोशिमा दिवस, रंगभेद विरोधी दिवस आदि के पालन का ब्योरा दिया. संयुक्त संघर्षों के सिलसिले में उन्होंने बताया कि राज्य में व्यवहारिक अर्थों में दो ही ट्रेड यूनियन संगठन हैं: सीटू तथा एटक. डी एम के तथा ए आइ ए डी एम के यूनियनें भी कभी-कभी संयुक्त कार्रवाइयों में शामिल होती हैं, लेकिन ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति की कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेती हैं. और तो और, एटक भी कई कार्यक्रमों में ढुलमुलपना दिखाती है. फिर भी, परिवहन, कपड़ा आदि कुछ उद्योगों में संयुक्त कार्रवाइयों में सभी संगठनों की शिरकत रही है. बेरोजगारी, महंगाई आदि के सवालों पर सीटू ने स्वतंत्र रूप से कार्रवाइयां आयोजित की हैं.

सीटू की प. बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव मनोरंजन राय ने राज्य में लगातार तीसरी बार वाम मोर्चे की जीत के महत्व को रेखांकित किया और इसे आम जनता के हित में, मजदूर वर्ग तथा किसानों के हित में वाम मोर्चा सरकार द्वारा किये गये धनात्मक काम का परिणाम बताया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार जी एन एल एफ के हमलों के बावजूद, चाय बागान मजदूरों द्वारा लड़ी गयी लड़ाई के चलते वाम मोर्चा, चाय बागानों के इलाके में एक को छोड़कर, बाकी सभी सीटें जीत सका है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस (आइ), सभी बंद फैक्टरियां खुलवाने के अपने झूठे वादे से मजदूर वर्ग तथा राज्य की जनता को भरमा नहीं सकी है. उन्होंने असंगठित मजदूरों को संगठित करने, बेकारी के खिलाफ संघर्ष करने और यूनियनों का कामकाज जनतांत्रिक ढंग से चलाने की जरूरत पर जोर दिया.

भारी कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष जारी रहा है

असम राज्य कमेटी के महासचिव, अमल घोष दस्तीदार ने बताया कि किस प्रकार, असम गण परिषद सरकार की जनतंत्र-विरोधी मुहिम और अल्पसंख्यकों पर हमलों के बावजूद, सीटू यूनियनें अडिग रहकर अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं. बहरहाल, हर मसले पर संयुक्त कार्रवाई के लिए पहल सीटू को ही करनी पड़ती है. उन्होंने, शांति के लिए संघर्ष में सीटू यूनियनों की भूमिका पर प्रकाश डाला.

पंजाब के बलवन्त सिंह ने बताया कि किस प्रकार खालिस्तानी उग्रवादियों के हमलों तथा सुरक्षा बलों की पाबंदियों के चलते, बड़े ही कठिन हालात में सीटू को संघर्ष चलाना पड़ रहा है. लेकिन, पृथकतावादियों के हमलों तथा धमकियों के बावजूद पंजाब में सीटू ने जुझारू लड़ाइयां लड़ी हैं और फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ तथा देश की एकता व अखण्डता के हक में, अभियान चलाये हैं. राज्य में जत्थे निकाले गये हैं तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर संयुक्त रैलियां भी आयोजित की गयी हैं. 21 जनवरी की सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल राज्य में शानदार ढंग से सफल रही थी. इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर हड़ताल हुई है, तालाबंदी तथा मिलबंदियों के खिलाफ संघर्ष चलाया गया और शांति के लिए तथा युद्ध के खतरे के खिलाफ भी सफलता-पूर्वक कार्रवाइयां आयोजित की गयी हैं.

महाराष्ट्र के पी सांभगिरि ने महाराष्ट्र में बेरोजगारी की भयंकर समस्या की चर्चा की और बताया कि किस प्रकार 1986 में समाप्त सिर्फ पांच साल की अवधि में, बेरोजगारों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 28 लाख हो गयी. इस सिलसिले में उन्होंने कपड़ा मिलों के बन्द होने का भी जिक्र किया, जिसके चलते करीब एक लाख मजदूर बेरोजगार हुए हैं.

गुजरात के प्रतिनिधि ने बताया कि किस प्रकार सीटू जातिवादी तथा सांप्रदायिक विभाजनकारी शक्तियों का मुकाबला करने—जो राज्य में सैकड़ों जानें ले चुकी हैं—और मजदूर वर्ग को एकजुट करने की कोशिशें कर रही है.

महासचिव की रिपोर्ट पर तीन दिन तक चली बहस में सूरजभान भारद्वाज (दिल्ली), डी एन कपूर (हिमाचल), अजेय राउत (उड़ीसा), शैलेंद्र शैली (मध्य प्रदेश), चंडी प्रसाद (बिहार), दिलीवाल (राजस्थान), एस सूर्यनारायण राव (कर्नाटक), दौलतराम (उ. प्र.) पी सत्यनारायण (आंध्र प्रदेश), बी बी चेरियन (केरल), मुहम्मद अमीन, मुहम्मद इस्माइल, आनंद पाठक तथा सुनील बसुराय (सभी प. बंगाल), रामकृष्ण तथा वरदराजन (तमिलनाडु), के अनिरुद्धन तथा ए भारतन (केरल) और जी बालाजी दास (आंध्र प्रदेश) ने भी हिस्सा लिया और विभिन्न प्रश्नों पर अपने-अपने राज्यों के अनुभव प्रस्तुत किये.

अपनी रिपोर्ट पर बहस का जवाब देते हुये समर मुखर्जी ने, राजनीतिक मांगें उठाते हुए मजदूर वर्ग के लगातार बढ़ते तबकों को एकजुट संघर्षों में खींचने का आह्वान किया. इसी क्रम में उन्होंने महासंघ के गठन को मौजूदा स्थिति का तकाजा बताते

हुए इस दिशा में काम तेज करने का आह्वान किया.

ज्योति बसु का भाषण

पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री तथा सीटू उपाध्यक्ष, ज्योति बसु ने 21 मई के दोपहर बाद के सत्र को सम्बोधित किया. केन्द्र सरकार की नीतियों की दिशा ज्यादा से ज्यादा मजदूर वर्ग के खिलाफ होते जाने की स्थिति को रेखांकित करते हुए, ज्योति बसु ने प्रतिनिधियों से और ज्यादा संगठित, एकजुट तथा राजनीतिक रूप से सचेत होने का आह्वान किया. उन्होंने, सांप्रदायिक ताकतों के बढ़ने के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, जो इन फूटपरस्त ताकतों के प्रति समझौतावादी रूख अपनाकर, उन्हें बढ़ावा देती है. इस तरह वह, अपने क्षुद्र हितों के लिए मजदूर वर्ग की एकता तोड़ने में मदद करती है, लेकिन उसको इसका एहसास नहीं है कि इन ताकतों को हवा देना देश की एकता तथा अखंडता ही नहीं, खुद सरकार की स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा करता है.

देश में चौतरफा संकट का जिक्र करते हुए ज्योति बसु ने कहा कि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के सम्बन्धों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है. फेयरफैक्स, पनडुब्बी खरीद, बोफोर्स आदि, एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं मजदूर वर्ग भी इस सारे घटनाविकास की ओर से उदासीन नहीं रह सकता है. उसे, हर मसले पर राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मजदूर वर्ग के आंदोलन ने ऐसा नहीं किया, तो देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी ताकतें मजदूर वर्ग तथा जनता को गुमराह करने में कामयाब हो जायेंगी और स्थिति बहुत खराब शक्ल ले सकती है.

प. बंगाल में वाम मोर्चे तथा केरल में वाम-जनतांत्रिक मोर्चे की जीतों का जिक्र करते हुए, ज्योति बसु ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि इन जीतों के महत्व को आज मजदूरों तथा आम जनता के बीच ले जायेंगे. उन्होंने, केरल की जीत को खास तौर पर रेखांकित किया और उसे फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ जीत बताया. इसी क्रम में, प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार तथा मजदूर वर्ग के घनिष्ठ रिश्ते को स्पष्ट करते हुए ज्योति बसु ने कहा कि सरकार ने मालिकान से कहा है कि मजदूरों की जायज मांगें पूरी करें, वरना वे आंदोलन तथा हड़तालों का सहारा लेने पर मजबूर होंगे. उन्होंने याद दिलाया कि ट्रेड यूनियनों को भी समझौतों का पालन करना चाहिए और सहमत हुए उत्पादन मानकों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए.

चौतरफा आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए ज्योति बसु ने कहा कि देश की सरकार की इजारेदारपरस्त नीतियों के चलते, अकेले प. बंगाल में ही 20 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां बन्द हो गई हैं और देश भर में एक लाख से ज्यादा फैक्ट्रियां बन्द हैं. इस सिलसिले में एक ओर कांग्रेस(आई) की केन्द्र सरकार और दूसरी ओर प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार के नजरियों के अन्तर को रेखांकित करते हुए, प. बंगाल के मुख्यमन्त्री ने कहा कि एक ओर तो प. बंगाल सरकार ने अनेक फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया है और दूसरी ओर, केन्द्र सरकार ने नीतिगत प्रश्न बनाकर किसी भी फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने से इनकार कर दिया है. यही नहीं, वह राष्ट्रीयकृत कम्पनियों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने की भी कोशिशें कर रही है. ज्योति बसु ने याद दिलाया कि केन्द्र सरकार की इस नीति के चलते बेरोजगारों की संख्या और तेजी से बढ़ी है. अगर छठी योजना अवधि में रजिस्टरशुदा बेरोजगारों की संख्या डेढ़ करोड़ थी, तो अब यह संख्या बढ़कर तीन करोड़ पर पहुंच गयी है.

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का जिक्र करते हुए उन्होंने, राज्यों को और ज्यादा शक्तियां दिये जाने का पक्ष लिया, ताकि उनका विकास सुगम हो सके. अन्त में उन्होंने, एक बार फिर चौतरफा संकट की ओर ध्यान खींचा और ट्रेड यूनियन एकता को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिनिधियों का आह्वान किया, ताकि चुनौतियों का कारगर ढंग से मुकाबला किया सके.

कामगार महिलाओं के प्रश्नों पर विशेष सत्र

सीटू सम्मेलन में 20 मई का पूरा दिन कामगार महिलाओं की समस्याओं और ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के प्रश्नों पर विचार-विमर्श को दिया गया. कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव, विमल रणदिवे ने इस सत्र में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की. उन्होंने, रजिस्टरशुदा बेरोजगारों के नवीनतम आंकड़े देते हुए, महिलाओं की बढ़ती बेकारी की समस्या का विस्तार से जिक्र किया. इस सिलसिले में उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करने तथा कल्याणकारी कदम उठाने की सरकार की घोषणाओं और उसके वास्तविक आचरण के बीच जमीन-आसमान के अन्तर को रेखांकित किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि हर तरह के उद्योगों में रोजगार के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और उन्हें ही सबसे पहले विक्टिमाइ-जेशन, छंटनी आदि का निशाना बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योगों के मशीनीकरण, आधुनिकीकरण आदि की मार भी सबसे ज्यादा महिला मजदूरों पर ही पड़ती है.

इस रिपोर्ट पर हुई बहस में हिस्सा लेनेवालों में रमणिका गुप्त (बिहार), पुण्यवती (आंध्र प्रदेश), चन्द्रा (तमिलनाडु), गार्गी मुखर्जी (प. बंगाल), इंदुमति (उड़ीसा), मधु सेठिया (राजस्थान), लक्ष्मी सहगल (उत्तर प्रदेश), शिबानी (त्रिपुरा), सीमा (असम), अहिल्या रांगणेकर (महाराष्ट्र), शैली (मध्य प्रदेश), सुमति चटर्जी (प. बंगाल) निरुपमा चटर्जी (प. बंगाल), रंजना (दिल्ली), सरोज (आंध्र प्रदेश), पद्मावती (आंध्र प्रदेश) आदि के नाम प्रमुख हैं. तमिलनाडु के टी.के. त्यागराजन ने

भी बहस में हिस्सा लिया. विभिन्न वक्ताओं ने कामगार महिलाओं के बीच काम के अपने अनुभव रखे और उनके बहादुरीपूर्ण संघर्षों के बारे में बताया.

यह पहला मौका था, जब कामगार महिलाओं के प्रश्न पर विचार के लिए सम्मेलन का एक पूरा दिन दिया गया. एम.एम. लारेंस द्वारा प्रस्तुत तथा पी.के. गांगुली द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के साथ यह सत्र समाप्त हुआ. इस प्रस्ताव के जरिए सम्मेलन ने सीटू राज्य कमेटियों तथा यूनियनों को निर्देश दिया है कि कामगार महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन करें, यूनियनों में कामगार महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका दें, उनकी विशेष मांगों के लिए संघर्ष चलायें और इस तरह कामगार महिलाओं को ट्रेड यूनियन संघर्षों की मुख्य धारा में खींचें. बी.टी. रणदिवे ने इस सत्र की बहस का निचोड़ प्रस्तुत किया.

प्रस्ताव और संविधान संशोधन

सम्मेलन के दौरान अनेक प्रस्ताव भी विचार के लिए रखे गये और स्वीकार किये गये. 'युद्ध के खतरे तथा शांति के लिए संघर्ष पर ई. बालानंदन ने प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन किया मोहम्मद अमीन ने. आर उमानाथ ने ट्रेड यूनियन एकता पर प्रस्ताव रखा, जिसमें ट्रेड यूनियन महासंघ के गठन का आह्वान किया गया है. नीरेन घोष ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया. ट्रेड यूनियन तथा औद्योगिक विवाद कानूनों में मजदूरविरोधी संशोधनों तथा नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर एम के पंधे ने प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन किया एन प्रसाद राव ने. सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर करने की केन्द्र सरकार की नीति पर पी सांभागिरि ने प्रस्ताव और एस. सूर्यनारायण राव ने उसका समर्थन किया. समर मुखर्जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति पर प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन एन के शुक्ल ने किया. सम्मेलन के सामने दूसरे अनेक प्रस्ताव भी थे, जिनके सिलसिले में सेक्रेटेरियट को अधिकार दिया गया कि वह आवश्यक सुधार के बाद उन्हें स्वीकार कर ले.

सम्मेलन के दौरान ही, 19 मई को खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा पंजाब के सी पी आइ (एम) राज्य कमेटी सदस्य तथा खेतमजदूर यूनियन के नेता, कामरेड दीपक धवन की हत्या कर दिये जाने की खबर पहुंची. 20 मई का सत्र इस शहीद की स्मृति में शोक प्रस्ताव स्वीकार किये जाने से शुरू हुआ. समर मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा और सीटू की पंजाब राज्य कमेटी के महासचिव, मंगतराम पासला ने प्रस्ताव का समर्थन किया. इससे पहले, रेडियो पर खबर सुनते ही 19 मई की रात को ही प्रतिनिधियों ने शिवाजी विद्यालय में सभा की थी और जुलूस निकाला था.

सम्मेलन के सत्रों के बीच के अवकाश के दौरान अनेक उद्योगों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी होती रहीं.

सीटू महासचिव, समर मुखर्जी ने सम्मेलन के अनुमोदन के लिए सीटू संविधान में संशोधन के कुछ प्रस्ताव रखें, जिनका जनरल काउंसिल ने पहले ही अनुमोदन कर दिया था. सम्मेलन ने सभी संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिये. कर्नाटक राज्य कमेटी द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन भी स्वीकार कर लिया गया.

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से पदाधिकारियों, वर्किंग कमेटी और जनरल काउंसिल का चुनाव किया.

बी टी आर का समापन भाषण

सम्मेलन का समापन भाषण देते हुए बी टी रणदिवे ने कहा कि पांचवें सम्मेलन से छठे सम्मेलन तक की अवधि के दौरान पूंजीवादी व्यवस्था का संकट तेज होने के कारण समस्याएं कई गुनी बढ़ी हैं समस्याओं का ऐसा रूप ट्रेड यूनियन आंदोलन ने पहले नहीं देखा था. इस स्थिति में मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ अनेक मोर्चों पर संघर्ष चलाना पड़रहा है. इसके लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग में राजनीतिक दृष्टि का विकास किया जाय. आज के संदर्भ में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद की मांगों को पूरा कराने के लिए आवश्यक है कि सीटू की यूनियनें अमरीकी सामराजियों की युद्धविरोधी ताकत के रूप में सामने आ सकें. इसके साथ ही, ट्रेड यूनियनों को हमारे देश को अस्थिर करने की अमरीकी सामराजियों की साजिशों को भी बेनकाब करना होगा, जिसके लिए वे विघटनकारी और पृथकतावादी ताकतों को मदद दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब, असम, प. बंगाल और त्रिपुरा में सीटू कार्यकर्ता इन ताकतों के खिलाफ जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए. देश की एकता और अखंडता का झंडा ऊंचा रखते हुए सीटू को यह संघर्ष पूरे देश के पैमाने पर चलाना है.

बी टी आर ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के मजदूर वर्ग और यहां की जनता को पूंजीवादी व्यवस्था तथा सामंतशाही, दोनों के शोषण के खिलाफ संघर्ष करना है, क्योंकि सत्ता में दोनों का साझा उद्देश्य है. कांग्रेसी सरकार द्वारा अपनाये गए विकास के पूंजीवादी रास्ते ने सामराजियों को देश के भीतर प्रतिक्रियावाद को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक, तत्ववादी और विघटनकारी ताकतों को उकसावा देने में मदद दी है. सामंती चेतना से ग्रस्त मजदूर तबके सामराजियों की इसी मुहिम का शिकार बन जाते हैं और विनाशकारी धारा में बहने लगते हैं. ऐसे में सीटू पर एक भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है. उसे महिला कामगारों, अल्पसंख्यक मजदूरों, कमजोर तबकों, असंगठित मजदूरों और बेरोजगारों समेत मेहनतकशों के तमाम तबकों को लामबंद करना होगा और उन्हें संकीर्णताओं से ऊपर उठाते हुए आम संघर्ष में उतारना होगा. इसके साथ ही, मजदूरों, किसानों का एक मजबूत मोर्चा भी बनाना होगा. यदि

सीटू इस काम में विफल रहती है, तो मजदूर फिर परंपरागत धार्मिक जातिवादी, सांप्रदायिक और जातीय धाराओं की गिरफ्त में आ जायेंगे, जिसका फायदा भीतरी और बाहरी प्रतिक्रीयावादी ताकतों को मिलेगा और मजदूर वर्ग कभी अपना लक्ष्य हासिल नही कर सकेगा.

प. बंगाल और केरल के मजदूर वर्ग की परिपक्वता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस दिशा में अपनी गतिविधियां और तेज करते रहना होगा. ट्रेड यूनियन एकता के लिए अनवरत संघर्ष चलाते रहना होगा, ताकि समूचे मजदूर वर्ग को वर्ग संघर्ष के बिंदु पर लाना संभव हो सके.

नई आर्थिक नीति की चर्चा करते हुए बी टी आर ने कहा कि इस नीति के चलते मजदूर वर्ग पर इजारेदारों और विदेशी कंपनियों के हमले बढ़ गए हैं. ये देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी ताकतें किसी भी सूरत में संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं. वे पुरानी परम्पराओं की दुहाई देती हैं. कहती हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए. मजदूरों और मध्य-वर्गीय कर्मचारियों के बीच कोई तालमेल नहीं होना चाहिए. जाहिर है कि देशी-विदेशी इजारेदार यही चाहते हैं कि लोग बंटे रहें और मजदूर वर्ग की चेतना कुंद हो कर रह जाय. लेकिन, सीटू यूनियनों को समझना होगा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में सुधारवाद की यह चालाकी भरी कोशिश मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ है. उसका मक्सद सिर्फ यही है कि पुरानी प्रथा चलती रहे. सार्वजनिक क्षेत्र पर किया जा रहा हमला भी इसी मुहिम का हिस्सा हैं. इस तरह निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले श्रेष्ठ साबित करने कीं कोशिश की जा रही है. लेकिन, क्रांतिकारी दृष्टिकोण से सज्जित और राजनीतिक चेतना-संपन्न ट्रेड यूनियन आंदोलन को इस चुनौती का सामना करना होगा और बुर्जुआ विचारधारा के खिलाफ संघर्ष छेड़ना होगा. बदले हुए हालात में संघर्ष के नये तरीके अपनाने होंगे, ताकि मजदूरों की चेतना का और ज्यादा विकास किया जा सके. नये हालात में जरूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा की लड़ाई और नयी आर्थिक नीति के खिलाफ संघर्ष को ट्रेड यूनियन आंदोलन का अभिन्न हिस्सा मानकर चला जाय.

इसके साथ ही, नए हालात का सामना करने के लिए यह भी जरूरी है कि व्यापकतम ट्रेड यूनियन एकता का निर्माण किया जाय. इसके लिए कन्फेडरेशन के रूप में एक नए तथा उच्च सांगठनिक ढांचे की दरकार है. किंतु कन्फेडरेशन का निर्माण आसान नहीं है, उसके लिए अथक प्रयास करके उपयुक्त जमीन तैयार करनी होगी.

अपने भाषण के अन्त में बी.टी.आर. ने डेलीगेटों, मेजवान (सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी), लाल वालंटियरों और अन्य

का. बी. टी. आर समापन भाषण देते हुए

सम्बद्ध लोगों को उनके अथक परिश्रम के लिए बधाई दी.

विशाल जनसभा

22 मई की शाम अपूर्व जन सभा के साथ सीटू का छठा सम्मेलन सम्पन्न हुआ. सभा के लिए मुख्य जुलूस राजा शिवाजी विद्यालय से चला, जहांकि प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी. जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ शिवाजी पार्क पहुंचकर आम सभा में तब्दील हो गया. बम्बई के अलावा परभणी, औरंगाबाद, नासिक, मालेगांव, धुले, ठाणे, शोलापुर समेत राज्य के अनेक हिस्सों से आये मेहनतकश आम सभा में भाग ले रहे थे. उनमें मजदूर, किसान, आदिवासी, युवक, महिलाएं, छात्र सभी शामिल थे. वे हाथों में लाल झंडे और बैनर लिए नारे बुलंद करते हुए शिवाजी पार्क की ओर बढ़ रहे थे. जुलूस के मार्ग में ट्रेफिक रुका रहा. आम सभा में 50 हजार से ज्यादा लोग उपस्थित थे.

सभा मंच पर बी.टी.आर. समर मुखर्जी, ज्योति बसु और ई.के. नयनार को लाल पगड़ी से सम्मानित किया गया. मंच पर विदेशि डेलीगेट भी उपस्थित थे. सीटू की महाराष्ट्र राज्य कमेटी के महासचिव के.एल. बजाज के स्वागत भाषण के बाद बी.टी. रणदिवे, समर मुखर्जी, ई.के. नयनार और ज्योति बसु ने आम सभा को सम्बोधित किया. इंकलाब जिंदाबाद, सी आई टी यू जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद के पुरजोश नारों के साथ आम सभा सम्पन्न हुई.

त्रिपुरा में लघु उद्योग की स्थापना और विस्तार के लिए नए उद्यमियों को हमारा आमंत्रण

एस एस आई इकाइयों के लिए त्रिपुरा सरकार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करती है :

* पूंजी लागत में सहायता
* ट्रांस्पोर्ट सब्सीडी
* वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय रियायतें
* मशीनरी तथा कच्चे मालों का उदार आयात
* प्रोजेक्ट रिपोर्ट/सम्भावनाओं का अध्ययन के लिए सहयोग
* जमीन के किरायों में सब्सीडी
* प्लाट/जमीन के विकास के लिए सब्सीडी
* बिजली की खपत में सब्सीडी
* एच टी पावर लाइन, ट्रांस्फोरमर, पावर जेनरेटर आदि के खर्च में सब्सीडी
* फैक्ट्री शेडों के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण
* बातचीत के जरिए तय दरों में रायलटी
* सरकारी भंडारों से खरीद की सुविधाएं

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज
त्रिपुरा सरकार
असम राईफल्स काम्प्लेक्स
अगरतला

उद्योग विभाग, त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी

क्रेडेंशियल कमेटी का रिपोर्ट

सम्मेलन में स्वागत समिति द्वारा 2565 क्रेडेंशियल फार्म डेलिगेटों तथा प्रेक्षकों को दिया गया जिसमें से क्रेडेंशियल कमेटी को 2466 फार्म वापस मिलें. उसी पर आधारित यह रिपोर्ट पेश किया गया :

पदस्थिति :

डेलिगेट	2366	
प्रेक्षक	80	**2446**

उम्र :

20 साल तक	2	
20 से 30 साल	239	
30 से 50 साल	1573	
50 से 65 साल	464	
65 से 75 साल	59	
75 साल से ऊपर	8	
कोई उल्लेख नहीं	101	**2446**

नोट : सबसे अधिक उम्र के डेलिगेट : का. बी. टी. रणदिवे 83 साल
सबसे कम उम्र के डेलिगेट : का. वेदवती) का. पुत्रलक्ष्मी) दोनों कर्नाटक से और 20 साल के

लिंग :

पुरुष	2312	
महिला	134	**2446**

शिक्षा योग्यता:

अशिक्षित	31	
मैट्रीक से नीचे	808	
अन्डर ग्रेज्यूएट	988	
ग्रेजुएट	485	
पोस्ट ग्रेजुएट	134	**2446**

पेशा :

रोजगार प्राप्त	1478	
बेरोजगार	51	
होल टाइमर	891	
कोई उल्लेख नहीं	26	**2446**

ट्रेड यूनियन आंदोलन में सर्व प्रथम शामिल हुए

1930 से पहले	4	
1931 से 1947	111	
1948—1970	1125	
1971—1980	859	
1981 और उसके बाद	307	
कोई उल्लेख नहीं	40	**2446**

नोट : का. बी. टी. रणदिवे, का. मोहम्मद इसमाइल, का. जगत राम दत्त — 1928 में ट्रेड यूनियन आंदोलन में आयें.

नौकरी के दौरान विक्टिमाइज हुए 597

सी आई टी यू/यूनियन में स्थिति—

सर्वभारतीय कार्यकर्त्ता	17	
सर्वभारतीय कार्यकारिणी सदस्य	37	
राज्य कार्यकारिणी के सदस्य	374	
जनरल काउंसिल के सदस्य	73	
यूनियन स्तर के कार्यकर्त्ता	1695	
कोई उल्लेख नहीं	250	**2446**

पूर्ववर्त्ती सम्मेलन में योगदान—

एक बार	410	
दो बार	356	
तीन बार	203	
चार बार	154	
पांच बार	209	
पहली बार योगदान कर रहे	1114	**2446**

गिरफ्तार हुए और जेल में रहे—

एक साल तक	889
1 से 5 साल	183
6 से 10 साल	54
10 साल से ऊपर	6

नोट : का. विजय मोदक (प. बंगाल) को 14 साल जेल में बिताना पड़ा.

कोर्ट में चल रहे मामले 347

भूतिगत जीवन की अवधि—

एक साल तक	364
1 से 5 साल	188
6 से 10 साल	34
10 साल से ऊपर	1

नोट : का. गुरबक्स सिंह (बिहार) को 11 साल भूमिगत रहना पड़ा.

सदस्यता—

संसद	7
राज्य सभा	44
नगरपालिका/नगरनिगम	74
पंचायत	70

वितरित कुल फॉर्म की संख्या 2565 { डेलिगेट 2464, प्रेक्षक 101 }

प्राप्त कुल फार्म की संख्या 2446

इसके अलावा, सीटू से सम्बद्धता के लिए 135 नए आवेदन पत्र मिले हैं जिनकी कुल सदस्यता 54,296 है. काफी सावधानी से और जरूरी कागजातों के साथ आवेदन पत्रों को आगे बढ़ाया है. बहरहाल, कई यूनियनों के मामले में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है जिसे मिलने पर ये यूनियनें सहित सभी यूनियनों को सम्बद्ध किए जाने का हम सिफारिश करते हैं.

क्रेडेंशियल कमेटी के लिए
परसा सत्यनारायण — संयोजक
सी. गोबिंदराजन — सदस्य
एन. पद्मलोचनन — सदस्य
चित्तब्रत मजुमदार — सदस्य
रंजीत बसु — सदस्य

सीटू और ए यू सी सी टी यू की संयुक्त विज्ञप्ति

सीटू के निमन्त्रण पर ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधि-मण्डल सीटू के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन के मौके पर भारत में था इस दौरान दोनों संगठनों के प्रतिनिधि-मण्डलों के बीच बैठकें हुईं जिनमें हुए विचार-विमर्श के सिलसिले में बाद में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई. संयुक्त विज्ञप्ति पर ए यू सी सी टी यू की ओर से ए.एम. याकोवलेव तथा सीटू की ओर से सीटू के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, एस.वाई. कोल्हाटकर ने दस्तखत किए. विज्ञप्ति इस प्रकार है.

सीटू के निमन्त्रण पर, आल यूनियन काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस (सोवियत संघ) का एक प्रतिनिधिमण्डल 18 से 22 मई तक भारत में रहा. प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व, ए यू सी सी टी यू अध्यक्षमण्डल के सदस्य और निर्माण तथा भवन सामग्री उद्योग मजदूर यूनियन की केन्द्रीय कमेटी के अध्यक्ष, ए. एम. याकोवलेव कर रहे थे.

भारत प्रवास के दौरान ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधिमण्डल और सीटू प्रतिनिधिमण्डल की वार्ताएं हुयीं, जिसमें सीटू प्रति-निधिमण्डल का नेतृत्व एस.वाई. कोल्हाटकर ने किया.

वार्ताएं, बहुत ही मैत्रीपूर्ण तथा आपसी समझदारी के माहौल में हुयीं.

अपने भारत प्रवास के दौरान ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधि-मण्डल अनेक जगहों में गया और उसने देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की. प्रतिनिधिमण्डल ने भारत के मजदूरों, ट्रेड यूनियन नेताओं और सीटू कार्यकर्ताओं से मुलाकातें की तथा बातचीत की.

इन बैठकों के दौरान और प्रतिनिधिमण्डल के बीच वार्ताओं के दौरान, सीटू तथा ए यू सी सी टी यू के बीच भारत की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ, दोनों ट्रेड यूनियन केन्द्रों के आपसी रिश्तों से सम्बन्धित प्रश्नों का अध्ययन किया और परस्पर हित में, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन तथा मजदूर आंदोलन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ.

सीटू, कम्युनिस्ट निर्माण में सोवियत जनता की उपलब्धियों और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ताइसवीं कांग्रेस तथा सोवितत ट्रेड यूनियनों की 18वीं कांग्रेस के फैसलों को लागू करने में, मेहनतकश जनता तथा ट्रेड यूनियनों की सक्रिय हिस्सेदारी के बारे में बहुत अच्छी राय रखती है. सोवियत पार्टी तथा ट्रेड यूनियन कांग्रेसों के फैसलों की मुख्य दिशा है : सोवियत समाज के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को तेज करना, मेहनतकश जनता को और खुशहाल बनाना, देश में जीवन का और जनतंत्रीकरण करना; मेहनतकश जनता की श्रम सम्बन्धी तथा राजनीतिक गतिविधियों का विकास करना और ट्रेड यूनियनों के सांगठनिक काम का मूलगामी पुनर्गठन करना.

दोनों पक्षों ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तथा दुनिया भर में लगातार कायम तनाव पर, नाभिकीय तथा परंपरागत हथियारों की होड़ तेज होने पर तथा उसके अंतरिक्ष में भी फैल जाने के खतरे पर साम्राज्यवाद तथा खासकर अमरीकी साम्राज्यवाद की नव-विश्व प्रभुत्ववादी आकांक्षाओं के बढ़ने पर, पंजाब के उग्रवादियों के लिए उसके समर्थन पर, उनके द्वारा देश में अस्थिरता पैदा किए जाने और हिंद महासागर को अपने परीक्षण क्षेत्र में तब्दील करने की उनकी कोशिशों पर, दोनों पक्षों ने अपनी गहरी चिंता प्रकट की.

भारतीय पक्ष ने, सोवियत संघ की शांतिप्रिय विदेश नीति और दुनिया को इस सदी के आखिर तक नाभिकीय हथियारों से मुक्त कराने के उनके कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया. उसने, एशिया-प्रशांत क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चौतरफा प्रणाली के निर्माण की साझा प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, बड़े पैमाने पर सोवियत पहल को लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया. इससे, इस क्षेत्र के देशों के बीच परस्पर विश्वास, अच्छे पड़ोसीपन तथा सहयोग के संबन्धों के विकास, टकरावपूर्ण स्थितियों को समाप्त करने और चली आती समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान निकालने की ओर एक नए चरण के द्वार खुलेंगे. भारतीय पक्ष, यूरोप में मध्यम मार क्षमता के नाभिकीय हथियार घटाने तथा समाप्त करने के प्रश्न के सम्बन्ध में, सोवियत संघ की नयी शांति पहल का पूरी तरह से अनुमोदन करता है और इसे, आम नरसंहार के हर तरह के हथियारों के खात्मे की दिशा में, आगे की ओर बढ़ा हुआ एक कदम मानता है.

दोनों पक्षों ने नोट किया कि हथियारों की होड़ के समाप्त होने से, भारी परिमाण में साधन मुक्त हो सकेंगे, जिससे पिछड़ेपन, भूख तथा गरीबी से उबरने के लिए संघर्षरत जनगणों को कारगर मदद दी जा सकेगी और एक ऐसी नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली कायम की जा सकेगी, जो नव-उपनिवेशवाद, भेदभाव तथा दबाव से मुक्त हो.

ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधिमण्डल ने, सोवियत मेहनतकशों की ओर से भारत सरकार की शांतिप्रिय विदेश नीति का, हिंद महासागर क्षेत्र को शांति के क्षेत्र में तब्दील करने के लिए भारत के रचनात्मक प्रयासों का और दक्षिण एशिया में, अच्छे पड़ोसीपन तथा सहयोग के सच्चे सम्बन्ध कायम करने के उसके प्रयत्नों का स्वागत किया.

दोनों पक्षों ने, एशिया के क्षेत्र से सारे सैनिक अड्डों को समाप्त करने और हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने की

एशियाई देशों के मेहनतकशों की मांग का समर्थन किया और यह विचार व्यक्त किया कि वर्तमान नाभिकीय-अंतरिक्ष उड़ान युग में, नाभिकीय शस्त्र-मुक्त तथा अहिंसक दुनिया के सिद्धांतों पर आधारित दिल्ली घोषणा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

दोनों ओर के प्रतिनिधियों ने, जनगणों के स्वतंत्र विकास के अधिकार की आवाज बुलंद करते हुए अपनी राष्ट्रीय तथा सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्षरत मजदूरों तथा जनगणों के साथ अपनी एकजुटता दुहरायी. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद तथा नस्लभेद की प्रणाली की दृढ़ शब्दों में भर्त्सना की; औपनिवेशिक उत्पीड़न की शर्मनाक व्यवस्था के खात्मे के लिए तथा नामीबिया पर अवैध कब्जा खत्म करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जनगणों के साथ अपनी एकजुटता दुहरायी, और फिलिस्तीन की अरब जनता के न्यायोचित संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया. दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने, राष्ट्रीय सुलह-समझौते के लिए तथा देश में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफगान जनवादी गणराज्य की सरकार द्वारा अपनाये गये रास्ते का स्वागत किया और अफगानिस्तान तथा कम्पूचिया के गिर्द स्थिति का कोई राजनीतिक समाधान निकालने के लिए अपने समर्थन का इजहार किया.

अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन तथा मजदूर आंदोलन के सामने मौजूद महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार-विनिमय करते हुए सोवियत तथा भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्रों ने ट्रेड यूनियन सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर गौर किया. उन्होंने नोट किया कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में, हथियारों की होड़ के खिलाफ तथा शांति के लिए, ट्रेड यूनियन तथा जनतांत्रिक अधिकारों के लिए, मेहनतकश जनता के जीवन तथा काम के हालात में सुधार के लिए तथा बेरोजगारी के खिलाफ, संघर्ष के लिए मेहनतकश जनता की उद्देश्यपूर्ण, एकजुट कार्रवाइयों की संभावनाएं मौजूद हैं.

ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधिमंडल ने, ट्रेड यूनियन एकता के लिए सीटू तथा उससे सबन्ध यूनियनों द्वारा चलाये जा रहे संघर्ष को सराहा. उन्होंने, युद्ध के खिलाफ तथा विश्व शांति की रक्षा के लिए, और साम्राज्यवाद के इशारे पर देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रही फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ सीटू के संघर्ष की भी सराहना की. ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधिमंडल ने अपने जीवन स्तर में सुधार तथा ट्रेड यूनियन व जनतांत्रिक अधिकारों के विस्तार के लिए संघर्ष में लगे भारत के मजदूर वर्ग की आकांक्षाओं को समर्थन दिया.

द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर संतोष प्रकट करने के बाद, ए यू सी सी टी यू तथा सीटू प्रतिनिधियों ने नोट किया कि 1986 में 25 से 28 नवम्बर तक, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव की भारत यात्रा के परिणामों से सोवियत तथा भारतीय जनता के बीच सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में मदद मिली है और दोनों देशों की ट्रेड यूनियनों के बीच रिश्तों का खासा विस्तार करने तथा उन्हें प्रगाढ़ बनाने की नयी संभावनाओं के द्वार खुले हैं.

दोनों पक्षों की राय थी कि ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा तथा सीटू नेतृत्व के साथ उसकी बैठकें तथा वार्ताएं, फलप्रद तथा उपयोगी रही हैं और उन्होंने, सोवियत संघ तथा भारत के मजदूरों तथा जनगणों के बीच मैत्री व सहयोग को मजबूत बनाने में कारगर योग दिया है.

ए यू सी सी टी यू प्रतिनिधिमंडल ने, सीटू प्रतिनिधिमंडल को सोवियत संघ की यात्रा के लिए आमंत्रित किया और सीटू प्रतिनिधिमंडल ने साभार यह निमंत्रण स्वीकार किया.

छठे सम्मेलन में चुने गए

सीटू के नए पदाधिकारी

अध्यक्ष—	बी. टी. रणदिवे
महासचिव—	समर मुखर्जी
कोषाध्यक्ष—	ई. बालानंदन
उपाध्यक्ष—	पी. राममूर्ती
	ज्योति बसु
	मनोरंजन राय
	मुहम्मद इस्माइल
	एस. वाई. कोल्हातकर
	सुशीला गोपालन ‡
	सी. कन्नन
	एन. प्रसादराव
	पी. पी. संभगिरि
	एस. सूर्यनारायण राव
	अहिल्या रांगनेकर ‡
	आर उमानाथ
	चंडी प्रसाद
सचिव—	एम. के पंधे
	नृसिंह चक्रवर्ती
	कमल सरकार
	नीरेन घोष
	एम. एम. लारेंस
	पी. के. गांगुली
	मोहम्मद अमीन
	के. एन. रवीन्द्रनाथ
	विमल रणदिवे ‡
	रंजीत बसु

(चार स्थान रिक्त रखे गए हैं)

(‡) चिन्ह महिला सदस्य

'कविगुरु' के पदचिन्हों पर चलिए

हर घड़ी, हर पल

शान्तिनिकेतन

इस 'शन्ति-स्थल' में प्रवेश करते ही, नया होते हुए भी आपको सब कुछ जाना-पहचाना लगेगा और आप असमंजस में पड़ जायेंगे। यहां सम्पूर्ण वातावरण में कबि के विचारों और उदगारों की प्रतिध्वनि व्याप्त है। इस अन्नय ज्ञानकुंज में आप जहां-कही भी जायेंगे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये लौकिक और पारलौकिक कवि, शरीरी और अशरीरी तथा तात्कालिक एवं अनन्तकालिक रूप में कदम-कदम पर आपके साथ हैं। कविगुरु के आवास उत्तरायण के स्थापत्य सौंदर्य को देखकर आप आश्चर्य चकित रह जायेंगे — उदयन, श्यामली, पुनश्च उदीची और कोणार्क नामक कई भवनों का समूह है. रवीन्द्र भवन, कला भवन, नन्दन आर्ट गैलरी, संगीत भवन, पाठ भवन, चायना भवन, पुस्तकालय एवं पूर्वा चल सांस्कृतिक केन्द्र का परिदर्शन आपके लिए चिरस्मरणीय बन जायेगा।

शान्तिनिकेतन का भ्रमण करते समय आस-पास के दर्शनीय स्थानों को देखने का अवसर भी कदापि न खोइए— श्रीनिकेतन (3 कि. मी.), मृग उद्यान (3 कि. मी.), कंकालीतला (8 कि. मी.), बक्रेश्वर गर्म सोता (58 कि. मी) 'गीतगोविन्द' के रचयिता कवि जयदेव का जन्मस्थान केन्दुबिल्ब (42 कि. मी.), वैष्णव कवि चंड़ीदास का जन्मस्थान नानूर (23 कि. मी.) और तान्त्रिक सम्प्रदाय के हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल—तारापीठ (80 कि. मी.).

शान्तिनिकेतन, कलकत्ता से रेल द्वारा 161 कि. मी. एवं सड़क मार्ग से 201 कि. मी. दूर है। शान्तिनिकेतन में आरामदेह आवास के लिए टूरिस्ट लाज है।

अधिक जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कृपया सम्पर्क कीजिए :

टूरिस्ट ब्यूरो एंड रिजर्वेशन काउन्टर

वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन

3/2, विनय-बादल-दिनेश बाग (ईस्ट) कलकत्ता-700001 फोन : 28-8271, तार TRAVELTIPS;

1, नेहरू रोड, दार्जिलिंग फोन: 2050, तार : DARTOUR;

हिल कोर्ट रोड़, सिलीगुड़ी, फोन : 21632

वेस्ट बंगाल इन्फार्मेशन ब्यूरो

ए 12, स्टेट एम्पोरिया, बाबा खड्ग सिंह मार्ग नई दिल्ली-110001, फोन : 323840,

करीम मैन्शन, 787, अन्ना सलाई,

मद्रास-600002, फोन 87612

पश्चिम बंगाल सरकार

ICA 2/73/87

सीटू कार्यकारिणी और जनरल काउंसिल के सदस्यों की सूची

अंडमान निकोबार

1. बी. चन्द्रचूदन

आंध्र प्रदेश

* 1. परसा सत्यनारायण
* 2. जी.एस. बालाजीदास
* 3. बी. श्रीहरि
4. एम.ए. गफूर
5. अल्लुरी सत्यनारायण
6. के. वेंकटेश्वरलु
7. बी.भी. राघवलू
8. जी. रघुपति
9. एस. पुण्यवती‡
10. एम. पूर्णचंद्र राव
11. वी. उमामहेश्वरराव
12. के. जॉर्ज

असम

* 1. अमल घोषदस्तिदार
2. धनी राम खोसला
3. असित दत्ता
4. प्रकाश राजखोवा
5. स्वदेश देबराय

बिहार

* 1. योगेश्वर गोप
* 2. एस.के. बक्सी
* 3. के.के. त्रिपाठी
* 4. रमणिका गुप्त ‡
5. ए.के. राय
6. यमुना सहाय
7. नन्दजी पांडेय
8. नरेन्द्र मिश्र
9. जे.के. बोस
10. अमरेन्द्र प्रसाद मिश्र
11. नन्द किशोर शुक्ल
12. अब्दुल हाकिम
13. यादव प्रसाद

दिल्ली

* 1. सूरजभान भारद्वाज
* 2. मोहन लाल
3. चाचा शादीराम
4. भगवान प्रसाद
5. पूरन चन्द
6. के.एम. तिवारी
7. राम वृक्ष

गोवा

1. सीताराम मंजरेकर

गुजरात

* 1. सुबोध मेहता
2. हरिकृष्ण शाह
3. जी.के. पारमर

हरियाणा

* 1. श्रद्धानन्द सोलंकी
2. इन्द्रजीत सिंह

हिमाचल

1. डी.एन. कपूर

कर्नाटक

* 1. सी. नांजुनदप्पा
* 2. वी.जे.के. नायर
3. टी.एस. मणि
4. के मूसब्बा
5. वी. माधवा
6. के. शंकर
7. पद्मावती ‡
8. एम.एम. राजम्मा ‡
9. एम.बी. कट्टी
10. मोहम्मद दस्तगीर
11. } बाद में भरा जाएगा
*12. }

केरल

* 1. ओ.जे. जोसफ
* 2. पी.जी. भास्करन नायर
* 3. एन. पद्मलोचनन
* 4. ओ. भरथन
* 5. के.के. चेलप्पन
* 6. के.ओ. हबीब
* 7. बी. विश्वनाथ मेनन
* 8. ई.के. इम्बीचीबावा
* 9. पेरूरकादा सदाशिवन
*10. एम. वासु
*11. ए. अनिरूद्धन
*12. पी.आर. गोपालकृष्णन
*13. के.एम. अब्राहम
*14. सी.पी. करूनाकरन पिल्लै
*15. पी. केशवन नायर
*16. के. पद्मनावन
*17. सी.ओ. पोलूस
*18. वी.बी. चेरियन
*19. पी विजयन
*20. सी वी सी वारियर
*21. ई पद्मनावन
22. एम राजन
23. ए नजीमुन्निसा ‡
24. के के दिवाकरन
25. के अनिरूद्धन
26. आर परमेश्वरन नायर
27. एस एस पोट्टी
28. कहकादा शशि
29. ए के नारायणन
30. के मूसाकुट्टी
31. टी रामकृष्णन
32. बी एम श्रीधरन
33. आई एच के वारियर
34. देवदास पोट्टाकाडु
35. पी उन्नी
36. पी के रामचन्द्रन नायर
37. पी सरसप्पन
38. एम के कमलम्मा ‡
39. थोमस तयमकारी
40. ए के दामोदरन
41. के एस कृष्णन
42. एम जीनादेवन
43. भी आर भास्करन
44. भी एम वासवन
45. ओचिरा थंकप्पन
46. ई कासिम
47. एन सुन्दर्शन
48. पी विश्ववाल सालन
49. पी लालाजी बाबू
50. के तुलसीधरन

51. वी एस चन्द्रशेखरन पिल्लै
52. एम ए कृष्णन
53. एम ए कार्तिकेयन
54. टी एम मुहम्मद
55. के ए पुष्पाकरन
56. सी के वासु
57. पी रेथाम्मल ‡
58. के बी गंगाधरन
59. एस दामोदरन
60. के पी सहदेवन
61. पी वी बालगोपालन
62. सी कृष्णन
63. पी कुन्हीकानन
64. वाद में भरा जाएगा

मध्य प्रदेश

* 1. एस. कुमार
2. मोतीलाल शर्मा
3. शैलेन्द्र शैली
4. पी. के. मुखर्जी

महाराष्ट्र

* 1. वाई. कोली
* 2. के. एल. बजाज
* 3. के. एल. मालावाडे
4. सईद अहमद
5. पी. एम. वर्तक
6. एस. एल. पुरोहित
7. बी. पी. काश्यप
8. मदन फडनीस
9. ए. डी. शास्त्री
10. पी. आर. कृष्णन
11. दिनकर कादव
12. ऊधव भवालकर
13. जगदीश पांडे

उड़ीसा

* 1. अजेय राउत
* 2. लम्बोदर नायक
3. लक्ष्मीधर विश्वल
4. प्रदीप दास
5. जनार्दन पति
6. मनमोहन नायक

7. (राउरकेला इस्पात के लिए स्थान रिक्त)
8. जगजीवन दास
9. एस. एन. मुदाली

पंजाब

* 1. मंगत राम पासला
2. बलवंत सिंह
3. विजय मिश्र
4. भाग सिंह सज्जन
5. चन्द्रशेखर
6. मुल्ख राज

राजस्थान

* 1. हेतराम बेनीवाल
2. कृष्णकांत वर्मा
3. मंगीलाल

तामिल नाडु

* 1. के. रमनी
* 2. ए. के. पद्मनाभन
* 3. के. बैथीनाथन
* 4. डी. जानकीरमन
* 5. ए. सौंदराजन
* 6. टी. के. रंगराजन
7. डब्लू. आर. वरदराजन
8. जे. एल. विन्सेन्ट
9. एम. नांज्जाप्पन
10. भी. के. भेलियंगिरि
11. भी गणेशन
12. सी. गोविन्दराजन
13. जी. रामकृष्णन
14. पी. एम. कुमार
15. भी. बालाकृष्णन
16. एस. ए. यंगराजन
17. के. एम. हरिभाट्ट
18. भी. कान्नन
19. जे. हेमचंद्रन
20. पी. सम्पत
21. जी. रथनावेलु
22. एम. एस. रंगम
23. के. करूणाकरण
24. के. ढोराइराज
25. पी. बी. रामदास
26. पी. शंकरन
27. एस. चद्रशेखरन
28. कृष्णाबाई ‡

त्रिपुरा

* 1. विमल सिन्हा
* 2. चित्त चन्दा
3. सुदर्शन दास
4. शिव दास वैद्य
5. मानिक डे
6. सुधामय मजुमदार
7. एच. देवनाथ

उत्तर प्रदेश

* 1. हरसहाय सिंह
* 2. के. एन. भट्ट
3. लक्ष्मी सहगल ‡
4. गुलाब सिंह
5. अलबेल सिंह
6. रवि सिन्हा

पश्चिम बंगाल

* 1. कृष्णपद घोष
* 2. लक्ष्मी सेन
* 3. राजदेव गोवाला
* 4. रघुनाथ कुसारी
* 5. रवीन मुखर्जी
* 6. विमल चटर्जी
* 7. गोपाल बसु
* 8. शांति घटक
* 9. राधिका बनर्जी
*10. क्षिति वर्मन
*11. टी के तिवारी
*12. जामिनी साहा
*13. शिव प्रसाद भट्टाचार्या
*14. रविन सेन
*15. सुनिल बसुराय
*16. बामपद मुखर्जी
*17. प्रबीर सेन
*18. कमल भट्टाचार्या
*19. हरिसाधन मित्र
*20. चित्रब्रत मजुमदार
*21. मानिक सन्याल
*22. आनन्द पाठक

*23. सुभाष बोस
*24. बीरेन राय
*25. के के रायगांगुली
*26. सुखमय पाल
*27. हरिदास मालाकार
*28. श्यामल चक्रवर्ती
*29. एस पी लेपचा
*30. अजीत सरकार
*31. मन्टू बोस
*32. निखिल मुखर्जी
*33. सान्तश्री चटर्जी
*34. दिलीप चटर्जी
*35. हाराधन राय
*36. बिनय चक्रवर्ती
*37. काली घोष
*38. आरती दास गुप्त ‡
*39. तड़ित तोपदार
*40. अजीत चौधरी
*41. जगदीश दास
*42. अबूल बसर
*43. गोपाल भट्टाचार्या
*44. सुभाष चक्रवर्ती
*45. मृणाल बनर्जी
*46. मृणाल दास
47. जीवन बिहारी राय
48, जयगोपाल राय
49. भोला बसु
50. असीम बनर्जी
51. बादल कर
52. विजय भट्टाचार्या
53. निरंजन चटर्जी
54. रबीन चक्रवर्ती
55. सुधीर चटर्जी
56. बिजन साहा
57. प्रलय दास गुप्त
58. निर्मल राय
59. मोहम्मद निजामुद्दीन
60. रबीन मजुमदार
61. जयन्त दासगुप्त
62. विश्वनाथ सिंह
63. श्याम सुन्दर मिश्र
64. एच बी राई
65. बीरेन बोस
66. सुबोध सेन
67. मोहन लाल ओरांव
68. बाबु लाल गोप
69. बीर सेन कुजूर
70. किंकर पोसक
71. सुनील दास
72. जतीन मित्रा
73. सुबोध गांगुली
74. सैलेन चटर्जी
75. रवि सिन्हा
76. मोहम्मद इसराइल
77. अजीत भौमिक
78. सनातन मल्लिक
79. श्यामल भट्टाचार्या
80. विजय मोदक
81. प्रलय तालुकदार
82. शंकर चक्रवर्ती
83. कमल वक्सी
84. के के राय
85. निमाई सामन्त
86. एस के सुल्तान
87. बादल बोस
88. विजय पाल
89. विकास चौधरी
90. लक्ष्मण बागदी
91. अजीत चक्रवर्ती
92. धवलेन्दु भट्टाचार्या
93. संतोष दत्ता
94. हाराधन झा
95. सुखेन सरकार
96. दिलीप मजुमदार
97. अजित मुखर्जी
98. अर्धेन्दु दाक्षी
99. बीरेन चक्रवर्ती
100. एम ए सईद
101. मधु गुहा
102. सोमेन कुण्डु
103. शिबानी सेन गुप्त ‡
104. पी गंगाम्मा ‡
105. सीताराम गुप्त
106. बिशु दास
107. अजित बसु
108. लक्ष्मण भट्टाचार्जी
109. समीरन यादव
110. शांति चटर्जी
111. गोपाल विश्वास
112. सिराजु ीन मोल्लाह
113. ननी कर
114. बीरेन गुप्त
115. मोहम्मद समीउल्ला
116. डी के बसु
117. अमृतेन्दु मुखर्जी
118. लक्ष्मण सेठ
119. सुकुमार सेनगुप्त
120. दीपक सरकार
121. अबुल हसरत
122. अचिन्त्य घटक
123. प्रकाश मिज
124. दिवस चौके
125. मोहन महतो
126. गौरांग चटर्जी
127. निरूपम सेन
128. कालीशंकर पाल
129. सुशील गांगुली
130. गोविन्द गुहा
131. अमर गांगुली
132. ए बी झा
133. सचीन सेन
134. लक्ष्मी डे
135. शिशिर चक्रवर्ती
136. अतुल दत्ता
137. रथीन दास शर्मा
138. गोपाल विश्वास
139. पतित पावन पाठक
140. रमेन डे
141. टी के दत्त शर्मा
142. सुखेन्दु विश्वास
143. अशोक बनर्जी
144. सत्यनारायण सरकार
145. रंजीत कुण्डु
146. प्रदीप चक्रवर्ती
147. वासदेव मण्डल
148. अइनुल हक
149. जहर साउ
150. तारापद बसाक
151. वासदेव प्रसाद

152. शांति भट्टाचार्या
153. काशीनाथ आदक
154. दिलीप दासगुप्त
155. जहर चटर्जी
156. पल्टु भट्टाचार्याजी
157. निर्मल भण्डारी
158. निशा राय ‡
159. निरूपमा चटर्जी ‡
160. राधिका सिन्हा ‡
161. काला तामांग ‡
162. जेठीमाथु राइनी ‡
163. लीला दास ‡
164. दिपाली बोस ‡
165. गार्गी मुखर्जी ‡
166. हीरालाल मित्र
167. प्रशांत घोष
168. सौमित्र दास
169. प्रसांत नंदी चौधरी
170. समर भौमिक
171. नेपाल देव भट्टाचार्या
172. नारायण साहा
173. सुजीत दास
174. निरंजन मुखर्जी
175. निखिल चौधरी
176. रथीन सेन

[आठ रिक्त पदों को बाद में भरा जायगा]

सीटू केंद्र

* 1. कानाई बनर्जी

* 2. परमेश्वर सिंह

नोट : *चिन्ह—वर्किंग कमेटी के सदस्य
‡—महिला सदस्य

(पृष्ठ 79 का शेष)

पर विजय पा सके. पैसे के लिए तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता के लिए हमारे आह्वान का मजदूरों ने बहुत उत्साह वर्धक जवाब दिया. हमारे मजदूरों में सामूहिक जोश पैदा करने में, पश्चिम बंगाल और केरल के चुनावों की शानदार जीत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है.

साथियों, अधिवेशन के दौरान आपके बम्बई में रहने की व्यवस्था को हमने यथासम्भव आरामदेह बनाने की पूरी कोशिश की है. परन्तु हमारी सभी कोशिशों के बावजूद, कुछ कमियां तथा असुविधाएं हो सकती हैं जिन्हें हम दूर न कर सके हों. इसलिए मैं आप से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके, आप इनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करें ताकि हम तुरन्त सुधार कर सकें. मैं एकबार फिर सभी डेलीगेटों से, विशेषकर अपने विदेशी मेहमानों से, इस बात के लिए क्षमा याचना करता हूं कि हम अपने सीमित साधनों के कारण आपके ठहरने की व्यवस्था को और अधिक आरामदेह नहीं बना सके.

का. वी. पी. चिंतन का आखिरि खत

वोल्गांग्राद

प्रिय का० बी. टी. आर, 7.5.87.

ये लोग हमें 10 तारिख को मास्को अस्पताल में ले जाने के लिए राजी हुए हैं. अगर यह सिर्फ चेक-आप के लिए है तो मैं जरूर बम्बई कांग्रेस में उपस्तिथ रहूंगा. अगर मुझे इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया तो मेरी अनुपस्थिति को माफ कर देंगे.

अभिनंदन के साथ,

आपका

(हस्ता./वी. पी. चिंतन)

का. बी. टी. रणदिवे
अध्यक्ष, सी आई टी यू
6, तालकटोरा रोड,
नई-दिल्ली-110001.
भारत,

सीटू संविधान में संशोधन

बम्बई में, 18 से 22 मई 1987 तक सम्पन्न सीटू के छठे सम्मेलन द्वारा सीटू संविधान में निम्नलिखित संशोधन पारित किए गए :

धारा 5, उपधारा (ii)

शब्द 'द्वीवर्षीय' के स्थान पर 'त्रिवर्षीय' जोड़ना है.

धारा 6, उपधारा (i)

प्रथम पंक्ति में शब्द 'दो' के स्थान पर 'तीन' होगी.

धारा 15 अब इस तरह पढ़ा जायगा :

प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन सी आई टीयू को :

(a) प्रत्येक सदस्य के आधार पर सालाना 20 पैसे के हिसाब से सम्बद्धता-शुल्क देगी, बंधन यह होगा कि यह शुल्क 20 रु. से कम न होगा,

(b) सीटू मुखपत्र वर्किंग क्लास/सीटू मजदूर का वार्षिक चंदा

(c) कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनरल काउंसिल या/और राज्य कमेटियों द्वारा निर्धारित सभी लेवी देगी

(d) ऊपर के (a) (b) तथा (c) में देय तीनों रकम सम्बद्धता शुल्क का ही अभिन्न हिस्सा होगा.

धारा 10—(1), उपधारा (b) अब इस प्रकार पढ़ा जायगा "4 पैरा (d) के प्रतिबंधों सहित संचयी मतदान पद्धति पर आधारित जनरल काउंसिल द्वारा चुने गए सदस्य. सदस्यों की संख्या हर अधिवेशन में सम्मेलन द्वारा निर्धारित की जायगी."

कामरेड एस. वाई. कोल्हातकर का भाषण

अध्यक्ष, स्वागत समिति

साथियों, साथी प्रतिनिधियों तथा आदरणीय मेहमानो,

बाहर से आए हुए आदरणीय मेहमानों, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनन्ज के प्रतिनिधि तथा बिरादराना देशों के अन्य मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों, जिन्होंने हमारा निमन्त्रण स्वीकार किया और जो सीटू की इस छठी अखिल भारतीय कान्फ्रेंस में उपस्थित हैं, का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है. मैं सभी राज्यों से आए डेलीगेटों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं, विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा केरल के डेलीगेटों का, जिन्होंने हाल के विधान सभा चुनावों में अपनी शानदार जीत से भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास में एक शानदार अध्याय जोड़ दिया है. मेरा विश्वास है कि साम्प्रदायिक तथा विघटनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उनका मूल्यवान अनुभव दूसरे राज्यों में भी इन महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाने में हम सभी के लिए सहायक सिद्ध होगा.

यह दूसरा अवसर है जब सीटू अपना अखिल भारतीय अधिवेशन बम्बई में कर रहा है—पिछला अधिवेशन मई, 1975 में आपात्काल के लागू किए जाने से चंद दिन पहले यहां हुआ था. हमारे देश में, बम्बई, मजदूर वर्ग के आन्दोलन का जन्म स्थान है. आज से 62 वर्ष पहले 1925 में, पहली बार बम्बई के कपड़ा-मजदूरों ने लाल झंडा तब फहराया था जब उन्होंने मई दिवस मनाया था. इस शहर ने पूंजीपतियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध मजदूरों के कई वीरतापूर्ण व अडिग संघर्ष देखे हैं. अक्तूबर 1939 में, बम्बई के लगभग 80,000 मजदूरों ने सितम्बर 1939 में हिटलरवादियों द्वारा छेड़े गए साम्राज्यवादी युद्ध के विरोध में एक शानदार हड़ताल की थी. फरवरी1946 में भी जब रायल इंडियन नेवी के नौसेनानिओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलन्द किया, तो उस समय बम्बई के पूरे मजदूर वर्ग ने तीन दिन की हड़ताल की थी और नौसैनिकों की उन वीरतापूर्ण लड़ाइयों में सक्रिय सहायता की थी, जो गालियों में लड़ी गई और जिनमें सैंकड़ों मजदूर अंग्रेज सिपाहियों की गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गए थे. आजादी के बाद भी, गोवा के मुक्ति संघर्ष में और महाराष्ट्र को अलग राज्य बनाने के लिए मराठी-भाषी लोगों के जनवादी संघर्ष में, बम्बई के मजदूरों ने एक अगुआ भूमिका निभाई थी. बाद में, 1972 में राज्य के अकाल-पीड़ित किसानों के समर्थन में उन्होंने एक दिन की हड़ताल की थी और फिर 1974 में रेल-मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल को, कई एकजुटता-कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय समर्थन दिया था.

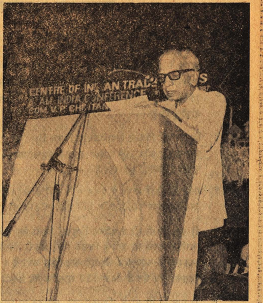

स्वागत भाषण करते हुए का. कोल्हातकर

बहरहाल, इस शानदार अतीत के बावजूद यह एक सच्चाई है कि आज बम्बई शहर में मजदूर आन्दोलन उतना संगठित तथा एकताबद्ध नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था. अवसरवादी नेताओं के उभरने के परिणाम-स्वरूप, कपड़ा-मजदूरों की 1983-84 की लम्बी हड़ताल असफल हुई जिसके नतीजे के तौर पर हजारों मजदूर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उनमें निराशा फैली. इसके अलावा, आपसी फूट के कारण संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन की जुझारू शक्ति को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है.

इस तात्कालिक पृष्ठभूमि के कारण ही, सीटू के छठे अधिवेशन के बम्बई में किए जाने के बारे में हम कुछ हिचकिचा रहे थे. परन्तु जब हमने पश्चिम बंगाल या केरल में, जहां पर कि विधान सभा चुनाव फरवरी या मार्च में होने वाले थे, अधिवेशन किए जाने की कठिनाइयों को समझा, तो सभी कमियों के बावजूद, जिनकी हमने चर्चा की है, हम अधिवेशन के बम्बई में ही किए जाने पर प्रसन्नतापूर्वक सहमत हो गए. अब हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि सीटू के झंडे के नीचे, मजदूरों की वफादारी और दृढ़संकल्प के कारण, हम उन बहुत-सी कठिनाइयों

(शेष पृष्ठ 78 पर)

त्रिपुरा में रबर बागान खेती-बाड़ी का उज्ज्वल आर्थिक सम्भावनाएं

* भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, रबर की खेती-बाड़ी में त्रिपुरा सबसे आगे है
* वर्त्तमान में, त्रिपुरा भारत का चौथा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है
* 1986 तक, त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लि० के अन्तर्गत 6,692.81 हे. क्षेत्र में रबर की खेती बाड़ी हुआ है
* त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लि० (टी एफ डी पी सी) वर्त्तमान में 200 मे. टन रबर का उत्पादन कर रहा है और 1987 तथा 1997 का उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 600 मे. टन तथा 5000 मे. टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है
* रबर की खेती बाड़ी में प्रथम सात वर्षों में अनुमानित लागत 20,000 रू की है और आठ वर्षों में अनुमानित आय सालाना 10,000 रू प्रति हेक्टेयर होने की है।
* टी एफ डी पी सी ने दक्षिण त्रिपुरा जिला के ताकमाचेरा में लैटेक्स सेंट्रीफ्यूजिंग फैक्ट्री तथा क्रेप मिल स्थापित करने जा रही है जिसके लिए जरूरी मशीनरी हासिल कर लिए गए है और 12.1.87 को इसकी स्थापना के कामकाज भी शुरू कर दिया गया है। सातवें योजना काल में ही फैक्ट्री बन कर तैयार हो जायगी जिसके लिए एन ई सी ने 137 लाख रू की मंजूरी दे दी है।
* टी एफ डी पी सी ने डिस्कोरिया फ्लरिबुंडा (एक मेडिसिनल प्लांट) की खेती बाड़ी का भी काम हाथ में लिया है जो राज्य में उसके बहुमुखी गतिविधियों का ही द्योतक है

टी एफ डी पी. सी :—

(1) 6,692.81 हे. क्षेत्र में रबर प्लांटेशन
(2) 450 हे. रबर प्लांटेशन का टैपिंग
(3) 1986-87 में वार्षिक उत्पादन 200 मे. टन
(4) वार्षिक रिटर्न 50 लाख रू
(5) हर वर्ष 1000 हे. नए रबर प्लांटेशन का लक्ष्य

त्रिपुरा वन विकास तथा बागान निगम लि०
(त्रिपुरा सरकार संस्थान)
आगरतला

बिरादराना संगठनों के नेताओं का भाषण

ग्राल इण्डिया किसान सभा के अध्यक्ष का. गोदावरी पारूलेकर का भाषण :

सी आई टी यू तथा आज के सभा के अध्यक्ष का. बी.टी. रणदिवे, सीटू के कार्यकारिणी तथा जनरल काउंसिल के के सदस्यगण, विदेशों से आए हमारे बिरादराना साथियो,

मैं अपना भाषण, पश्चिम बंगाल के मजदूरवर्ग, किसानों तथा धर्मनिरपेक्ष व जनवाद में विश्वास रखने वाले जनता को पिछले चुनावों में उनके शानदार जीत के लिए बधाई देकर शुरू करना चाहूंगी. इस सिलसिले में मैं किसान सभा का खास जिक्र करना चाहूंगी जिसका बंगाल के किसानों के बीच गहरा प्रभाव है. हमें इस बात का भी गर्व है कि अब पश्चिम बंगाल को लाल फौजों का गढ़ कहा जाने लगा है. मैं केरल की जनता को भी बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने कांग्रेस(आई) पार्टी की अगवानी में जातिवादी, सांप्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों के गठबंधन को शिकस्त दी है.

इस सम्मेलन का, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारी महत्व है क्योंकि दुनिया पिछले पचास सालों में सबसे भयंकर आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रही है.

हमारा कृषिप्रधान देश है. इसके 70 फीसद आबादी किसान है जिसका 50 प्रतिशत गरीबी सीमा रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनकी रोजाना आय सिर्फ 8-9 रु. है

हमने पटना में पिछले साल ऑल इण्डिया किसान सभा की स्वर्ण जयंती मनाया. उस समय इसकी सदस्यता 75 लाख के लगभग थी. अगले सम्मेलन तक हमें अपनी सदस्यता को एक करोड़ बनाने की उम्मीद है. भारत में किसानों का प्रमुख संगठन हमारा ही है. 1936 में शुरू हुई कई हजार सदस्यता वाले इस संगठन की सदस्यता आज 75 लाख की है.

ऑल इण्डिया किसान सभा का पचास सालों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लड़ाई में किसानों को लामबन्द करने में यह भारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सांमती-वाद, बड़े व्यापारियों तथा इजारेदारों के खिलाफ संघर्ष में मेहनतकश किसानों के हर तबके को लामबन्द करने में किसान सभा कामयाब रही. सामंती शोषण और बन्धनों को तोड़ने के संघर्ष में, जिसमें हजारों ने अपनी जानें दीं, किसान तबकों का नेतृत्व देने का श्रेय भी किसान सभा का ही है. किसान आंदोलन के इतिहास के किसी भी छात्र के लिए गुलामी और बन्धन से मुक्ति के लिए महाराष्ट्र के वर्ली किसानों के बहादुराना संघर्ष को भूला पाना मुश्किल है. पश्चिम बंगाल किसानों का तेभागा आंदोलन, अपने अधिकारों को रक्षा में त्रिपुरा के सुरमा तराई क्षेत्र जनजाति किसानों का शानदार अवरोध संघर्ष, तेलेंगना का वह शानदार संघर्ष जिसने अपने कुर्बानियों से सामन्ती ढांचा के बुनियाद को ही हिला दिया था—यह सभी, भूमि के लिए देश में हुए संघर्षों में प्रेरणा का स्रोत रहा है. पुन्नप्परा भायलर का संघर्ष, कय्यूर शहीदों की शानदार कुर्बानी, पंजाब की 'बेटरमेंट लेवी', तानजोर खेत मजदूरों का संघर्ष इसी से प्रेरित हुआ. जनवादी क्रांति को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि भूमि क्रांति को पूरा किया जाय—इस बात की ओर किसान सभा ने ही सबका केन्द्रीत ध्यान खींचने में कामयाब रही है. अपने पचास साल के लम्बे इतिहास में, ऑल इण्डिया किसान सभा को, ब्रिटिस प्रशासकों, राजा-महाराजाओं तथा जमींदारों का भारी दमन को झेलना पड़ा है.

आजादी के बाद भी, 'पूंजीपति-सामन्तियों का बुर्जुआ सरकार ने किसान आंदोलन के खिलाफ भयानक दमन चलाया है. फिरभी यह आंदोलन को कुचला नहीं जा सका बल्कि यह शक्तिशाली और प्रभावी रूप से आगे बढ़ती रही है. किसानों के दृढ़ संकल्प और भारी कुर्बानियों के बदौलत ही आज हमारा संगठन किसानों का एक प्रमुख संगठन है. ऐसा समय अब दूर नहीं है जब हम देशभर में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरेंगे.

किसानों को मुक्ति दिलाने और भूमि क्रांति को पूरा करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, मजदूरवर्ग—क्रांतिकारी वर्ग जो इस भूमि क्रांति को नेतृत्व देंगे—के साथ हमारा गठबन्धन लगातार रूप से बढ़ाते रहना है और तभी हमारी जनवादी क्रांति कामयाब हो सकती है. मजदूर वर्ग और किसानों का गठबन्धन, मजदूरवर्ग तथा किसान दोनों के संघर्ष के लिए गठबन्धन होना चाहिए ताकि किसानों के शोषकों के प्रतिरोधों को तोड़ दिया जा सके और इस तरह समाजवादी क्रांति के लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ किया जा सके. मजदूर वर्ग भी किसानों के बीच में से ही तैयार हुए हैं.

देहाती क्षेत्र में किसानों की हालात अत्यंत दयनीय है और उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. लोक सभा में दिए गए बयान के मुताबिक भारत में 1986 में 561 बलात्कार की घटनाएं, 44 हत्याएं और 863 हिंसक घटनाएं हुई हैं. इसके अलावा, हरिजन और आदिवासियों के खिलाफ भी लूटमार और हत्याएं आदि की घटनाएं रिपोर्ट की गई है.

ग्रामीण क्षेत्र में भयानक गरीबी है. बेरोजगारों की संख्या 4 करोड़ के लगभग हैं, बकाया कर्ज की रकम 13000 करोड़ है. किसानों, खासकर गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का तो अन्दाजा भी नहीं लगाया जा सकता.

मजदूर वर्ग, जो शहरी इलाकों में आ कर वसते हैं, इसकी अनसुना नहीं कर सकते. उन्हें अपने ऐतिहासिक जिम्मेदारी-किसानों को गुलामी और पीसते शोषण, गरीबी और तबाही के बंधन से मुक्ति दिलाने की क्रांतिकारी जिम्मेदारी—को पूरा

करना है. हमें यह पूरा विश्वास है कि वर्ग सचेत मजदूरवर्ग अपने जिम्मेदारियों को निभायेंगे.

जात-पात, सांप्रदायिकता, संकीर्ण क्षेत्रियतावादी प्रचारों से शोषित वर्ग की वर्ग एकता को तोड़ने की शत्रु वर्ग की जो हमेशा साजिश रहती है उसे मजदूरवर्ग को शिकस्त देना पड़ेगा.

आज मजदूरवर्ग का दूसरा महत्वपूर्ण काम है शांति के लिए संघर्ष. किसानों के विशाल तबके को नाभिकीय विनाश के खतरे के प्रति, जिसकी सचाई को वह अभीतक समझ नहीं पायें, जागरूक करना होगा. देहाती क्षेत्र में जन आंदोलन को विकसित करने के समय किसानों के मांगों के बैनर के साथ साथ शांति के लिए संघर्ष के बैनरों को भी हमें लेकर चलना होगा. उन्हें समझाना होगा कि अमरीकी साम्राज्यवाद और उनके सहयोगी समाजवाद को खत्म करने, समाजवादी देशों को ध्वंस करने तथा दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने के लिए सैनिक बढ़त हासिल करना चाहते और इसलिए हथियारों के होड़ में लगे हैं. इसमें मजदूरवर्ग का यह सबसे पहला काम है कि किसानों के व्यापक हिस्से को शांति आंदोलनों में लामबंद करें और शांति के संदेश को देश के हर कोने में पहुचाएं ताकि हमारे गुट निरपेक्षता की नीति और शांति की नीति में भटकाव न आने पाय.

यह सम्मेलन, मजदूरवर्ग आंदोलन के इतिहास में एक मील का पथ्थर बने मैं यही कामना करती हूं.

अंत में मैं, इस सम्मेलन के आयोजकों को, मुझे इस महान सम्मेलन में उपस्थित होने का सम्मान और मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी. साथियों ! आइयें हम एक साथ मिलकर दृढ़ता से आगे बढ़ें "जीत हमारी होगी".

अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री पी. के. कुंजचन का भाषण

प्रिय कामरेडों,

आपके समक्ष उपस्थित होने तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से आपको गर्मजोशि से क्रांतिकारी अभिनंदन देने में मुझे बेहद खुशी हो रही है.

आपका यह सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है जब हमारा देश एक गम्भीर संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रही है जिसका आजाद भारत की इतिहास में शायद ही कोई मिसाल हो. एक तरफ, यह गंभीर परिस्थिति राजीव सरकार की नई आर्थिक नीतिओं के कारण पैदा हुआ जिससे जनता भारी तबाही और बोझ तले पिसती जा रही है, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के हाल में उठ खड़े विवाद तथा अमरीकी खुफिया एजेंसी फेयरफैक्स की नियुक्ति, बोफोर्स कांड तथा जर्मन सबमेरिनों की खरीद में घोटाले-यह सभी सत्ताधारी पार्टी के गिरते साख और भ्रष्टाचार को ही उजागर करता है. और दूसरी ओर, फूटपरस्त, सांप्रदायिक और विघटनकारी ताकतों की हरकतें, जो साम्राज्यवादियों की शह और मदद से देश की एकता और अखंडता को ही बर्बाद करने पर तुली हुई है; और साम्राज्यवादी युद्ध साजिशें—यह तमाम चीजें, स्थिति को संकटपूर्ण बना दिया है जिसके बारे में आप विस्तार से विचार करेंगे.

इसके साथ ही, पश्चिम बंगाल चुनाव में बाम मोर्चे की सरकार की भारी बहुमत से तीसरीबार के लिए सत्ता में वापसी तथा केरल में कांग्रेस (आइ) के नेतृत्व में सांप्रदायिक तथा फूटपरस्त ताकतों की गठबंधन को शिकस्त देते हुए जनता द्वारा बाम जनवादी मोर्चे को सत्तासीन बनाना और इससे पहले आंध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा में कांग्रेस (आइ) की हार — यह सभी जनवादी ताकतों को आगे बढ़ते रहने के लिए सहायक स्थिति पैदा कर दिया है. अब हर तबके के लोग राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस (आइ) के विकल्प के बारे में सोचने लगे हैं और आप जानते हैं कि विकल्प के लिए हमारे विचार अन्य बुर्जुआ राजनीतिक पार्टिओं के विचार से अलग हैं.

सच्चा विकल्प तो मजदूरवर्ग की अगुवाई में किसान तथा खेतमजदूरों एवं देश के अन्य दलित तबकों के गठबंधन द्वारा कायम किया जाना है. हमारा रणनीति, भूमि क्रांति पर अधारित है और इसके लिए किसानों तथा खेत मजदूरों को एक शक्तिशाली ताकत के रूपमें लामबंद करना होगा. हम यह दावा कर सकते हैं कि हमारा संगठन, जिसकी सदस्यता 11.3 लाख की है, देश का सबसे बड़ा खेत मजदूर संगठन है. देश के कुल छह करोड़ खेत मजदूरों में से सिर्फ 20 लाख विभिन्न संगठनों में संगठित हैं. 1981 के सेंसस रिपोर्ट के आधार पर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के प्रमुख डा. पायस द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 6 करोड़ 55 लाख असंगठित क्षेत्र के दायरे में हैं. इसीसे आप इस समस्या की विशालता को भाप सकते हैं.

जब लोगों का मोह तेजी से कट रहा है और जब हम उन्हें संगठित करने के लिए मैदान में मौजूद नहीं हो पा रहे हैं तब यह सांप्रदायिक, जातिवादी तथा फूटपरस्त ताकतें उन्हें संगठित कर अपने हरकतों के लिए उन्हें इस्तेमाल करेंगे ही. खेत मजदूरों के मामले में ऐसा ही हो रहा है जैसा कि हम डी एस 4 एवं अन्य इस तरह के संगठनों की उभार से देख रहे है और यह अब किसी काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के नीचे एक राजनीतिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है. उनका एकमात्र लक्ष्य है सांप्रदायिक अपील और अन्य भावनाओं को उछालकर खेतमजदूरों को जनवादी आंदोलन की मुख्यधारा से अलग करना और उनकी एकता को विघटित करना. एकबार अगर ये खेतमजदूर जो अधिकतर हरिजन हैं, इस बहुजन समाज पार्टी के चंगुल में आ गए तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल काम है. उत्तर प्रदेश में, हाल के एक संसदीय तथा कुछ विधान सभा सीटों के चुनाव में, बहुजन समाज पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह हरिजननों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को

लामबन्द करने के काबिल है. अब यह सुना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा की सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी.

हम अपने सांगठनिक जिम्मेदारी को यहां कम करके आंकना नहीं चाहते. पर, हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश के देहाती इलाकों में खेतमजदूरों को संगठित करने में सीटू की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. इस संदर्भ में सीटू ने पहले ही फैसला ले चुकि है और मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में की गई प्रगति का जायजा लिया जायगा. तामिलनाडु सीटू राज्य कमेटी ने फैसला लिया है कि हर साल प्रत्येक औद्योगिक मजदूर से एक रुपया चंदा लिया जायगा और इस रकम को तमिलनाडु किसान सभा तथा खेतमजदूर यूनियन के गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्हें दिया जायगा. यह वाकई एक सराहनीय कदम है.

किसानों के सवाल पर अपने मशहूर लेख में कामरेड लेनिन ने किसानों को संगठित करने और मुक्ति संघर्ष में उन्हें मजदूर-वर्ग का सहयोगी बनाने के महत्व को स्पष्ट किया है. का. स्तालिन ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम भी उठाए थे. कुछ मजदूरों को, जो ट्रेड यूनियन फ्रण्ट में थे, समुचित प्रशिक्षण देकर रूस के ग्रामीण इलाकों में भेजा गया था किसानों को संगठित करने के लिए. इस तरह चीन में भी हुआ. आज की भारतीय परिस्थिति में, किसानों व खेत मजदूरों को संगठित करने के लिए प्रशिक्षित कैडरों को ग्रामीण इलाकों में भेजना और भी जरूरी हो गया है. देश के विशाल हिन्दी भाषी इलाकों में किसान व खेत मजदूरों का आंदोलन करीब-करीब न के बराबर है. इन इलाकों में, सीटू से सम्बद्ध यूनियनों को यह देखना होगा कि कम से कम आस-पास के औद्योगिक क्षेत्र में किसान व खेत मजदूरों के आंदोलन का कुछ आधार बने: हमें आशा है कि खेत मजदूरों व किसानों को संगठित करने के लिए देहाती इलाकों में कैडर भेजने की बात पर सीटू अमल करेगी:

हम अपनी ओर से यह आश्वासन देते हैं कि हम मजदूरवर्ग के तमाम संघर्षों में जरूरत के मुताबिक हिस्सा लेने और समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे:

इन्हीं शब्दों से, एक बार फिर आपको बधाई देते हुए, हम समाप्त करना चाहेंगे.

डी वाई एफ आई के महामन्त्री सांसद हन्नन मोल्लाह का संदेश

प्रिय कामरेडों, सी आई टी यू के छठे सम्मेलन को आमतौर से देश की जनता और खासकर मजदूरवर्ग, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देख रहे हैं. इसे, हमारी जनता की एकता तथा देश की अखण्डता के लिए बढ़ते खतरे के खिलाफ, भारी कठिनाइयों से हासिल हमारी स्वतन्त्रता के लिए खतरे के खिलाफ, हमारे जनतांत्रिक मूल्यों तथा बुर्जुवा जनवाद के इस ढांचे का टूट पड़ने के खतरे के खिलाफ, हमारी जनता की लगातार और तेजी से बिगड़ती आर्थिक स्थिति के खिलाफ, हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को गिराने की खतरनाक साजिश के खिलाफ तथा हमारे देश में निरक्षरता और गरीबी को जारी रखने के प्रयासों के खिलाफ एवं अमरीकी साम्राज्यवादियों के नाभिकीय विनाश की मुहिम के लिए हमारे देश की जनता के लिए भविष्य कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जा रहा है.

फूटपरस्त ताकतों के बढ़ते हमलों के खिलाफ मजदूरवर्ग की एकता और संघर्ष ही हमारी एकता का आधार है. हम, हमारे समाज के विभिन्न तबकों के बीच काम करने के दरमियान, हर स्तर पर मानव मूल्यों के पतन और गिरावट को देख रहे हैं. हम अपने संघर्ष में प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए मजदूर-वर्ग पर ही आंखें टिकाए बैठे हैं. हम अपनी सीमित क्षमता में अपने 40 लाख सदस्यों के साथ जनता के साझा संघर्षों में भागीदारी का प्रयास करते हैं. हम बेरोजगारी, निरक्षरता तथा फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस धरती को, अपने हमलावर और युद्ध की नीतियों से ध्वंस करने की साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ युवाओं को लामबन्द करने का भी प्रयास कर रहे हैं.

भारत की जनवादी नौजवान संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की ओर से मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूं. इस महान अवसर पर, हम अपने साझा संघर्षों में भविष्य के मार्गदर्शन के लिए आपके सम्मेलन के फैसलों पर आगे की ही तरह अमल करेंगे और तमाम साझा संघर्षों में शिरकत करने का भी आश्वासन देते हैं.

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ,

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सचिव ए.बी. बर्द्धन द्वारा दिए गए भाषण

सम्मानित कामरेड बी.टी. रणदिवे, अध्यक्षमण्डली के सदस्यगण, सम्मानित विदेशी प्रतितिनिधियों

प्रिय कामरेड प्रतिनिधियों,

हमारे देश के इस प्रमुख औद्योगिक केन्द्र में आयोजित सी आई टी यू के इस छठे सम्मेलन को ए आई टी यू सी की ओर से मैं गर्मजोशि से अभिनन्दन करता हूं. बम्बई ने मजदूरों के कई शानदार संघर्षों को देखा है, यहां मजदूरवर्ग इतिहास के कई पन्ने भी लिखे गए हैं. यहीं, आज से 67 साल पहले, भारतीय मजदूरों का पहला केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन, ए आई टी यू सी का जन्म हुआ. इसलिए, ए आई टी यू सी के प्रतिनिधि के रूप में इस शहर में आपके सम्मेलन को अभिनंदित करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं आशा करता हूं कि आपका यह सम्मेलन केवल आपके संगठन के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पथ्थर माना जायगा:

प्रिय कामरेडों !

आपका सम्मेलन एक ऐसे समय पर हो रहा है. जब साम्राज्यवादियों और उसके सहयोगियों हमारे देश और इस उपमहाद्वीप के देशों को विघटित करने की शरारतपूर्ण साजिश में लगी हुई है. वे संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं और हथियारों की होड़ को उकसा रहे हैं.

देश के अंदर के प्रतिक्रियावादी ताकतें भी अपनी हरकतें बढ़ा दी है. फूटपरस्त तथा पृथकतावादी तत्वों देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द्र को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं.

सत्ताधारी पार्टी भी दुविधा में है. उनकी अंदरूनी नीतिओं के कारण ही अस्थिरता के ताकतों को बल मिला है. हाल की घटनाएं एवं भ्रष्टाचार के भंडाफोर ने उनके वर्ग शासन के राजनीतिक और नैतिक संकट को सम्पूर्ण रूप से बेनकाब कर दिया है.

इस सबने हमारे देश की जनता की चिंता को काफी हद तक बढ़ा दिया है. बहरहाल, यह अच्छी शकुन है कि संगठित मजदूर एकबद्ध होने के लिए और एकजुट कार्रवाई के लिए अधिक से अधिक पहल दिखा रहे है ताकि बाहरी और भीतरी प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला कर सके और साथ ही साथ सरकार की जनविरोधी और मौका परस्त नीतियों को शिकस्त दे सकें. इसमें हमारे दोनों संगठन सबसे आगे है. पर अभी भी हमें बहुत कुछ करना है.

पश्चिम बंगाल और केरल में बाम तथा जनवादी ताकतों की जीत, मेहनत कशों के लिए एक आशा का किरण के समान है. यह जीत, आने वाले दिनों के लिए, एक राष्ट्रीय विकल्प की संभावनाओं को उजागर करता है जो व्यापक जन कार्रवाइयों से उभरा है.

भारत के मजदूर वर्ग अनेकों समस्याओं से ग्रस्त हैं. इसमें से हम केवल कुछ का ही जिक्र करेंगे:

— आर्थिक उदारवाद की नीति;

— निजीकरण की रूभान;

— बड़े पैमाने पर मिलबंदियां तथा व्यापक छंटनी;

— आधुनिकी करण और नई तकनीकी लागूकरने का बेहिसाब और अंधाधुंध प्रयास

— ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हमले तथ सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का हनन

ये नीतियां, बेरोजगारी, गरीबी तथा सामाजिक असुरक्षा के वर्त्तमान समस्याओं को और भी बिगाड़ दिया है. इन नीतियों और उसके परिणामों के खिलाफ मजदूर पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं. इन तीखे संघर्षों में, मजदूरों के सम्पूर्ण नए तबके भी शामिल हो रहे हैं. इस अवधि में, विभिन्न तबके के मजदूर एवं कर्मचारियों के एक के बाद एक जुभारू और लम्बी हड़तालें हुई हैं. इस संदर्भ में 21 जनवरी को 20 लाख से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर कर्मचारियों की हड़ताल को याद करना लाजिमि है.

इन कार्रवाइयों के जरिए, मजदूरों ने बार-बार अपने इस नए रूभान को ही स्पष्ट किया कि वह एकता और एकजुट कार्रवाइयों के पक्ष में हैं, और ट्रेड यूनियन, राजनीतिक तथा जनता के अन्य सवालों पर, जहां भी और जबभी ऐसी एकता कायम हो, वह भारी जुभारू और व्यापक कार्रवाइयों के लिए तैयार है. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सवालों पर एकता और एकजुट कार्रवाइयों की इस रूभान से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है. इन कार्रवाइयों के जरिए :

—राष्ट्रीय अभियान समिति, ट्रेड यूनियनों का एक व्यापक एकजुट मंच के रूप में उभरा है,

—शांति और निरस्त्रीकरण के सवाल पर, राष्ट्रीय अखण्डता के सवाल पर, पृथकतावाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ तथा रंग-भेद विरोधी संघर्ष के सवाल पर एक संयुक्त मंच का गठन किया गया है जिसमें इंटक भी शामिल है.

—सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों का एक संयुक्त समिति बना है जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा, कई स्वतन्त्र यूनियन तथा फेडरेशन भी शामिल हैं.

प्रिय कामरेडों !

इन तमाम घटना-विकास के पीछे पहल की भूमिका हमारे दो ट्रेड यूनियन केन्द्रों की है. हम, अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों के घनात्मक रवैये के महत्व को कम करके नहीं देख रहे हैं.

हमारे बीच मतभेद भी हैं और दुर्भाग्यवश कुछ कुछ मामले में तीव्र विरोध भी. पर हमारी समझ में, यह कोई मूल मत-भेद नहीं है. यह न तो हमारे दोनों संगठनों का एक साथ मिलकर काम करने के रास्ते में आड़े आती है और न ही आना चाहिए. स्थिति की यह मांग है कि अब तक स्थापित विभिन्न संयुक्त मंचों को हम और विकसित करें और मजबूत बनाएं. साथ साथ हमारे दोनों संगठनों पर तथा अन्य वामपंथी विचार वाले संगठनों पर भी यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांगठनिक एकता को मजबूत बनाएं जिससे कि अंततः एक मजबूत और एकताबद्ध ट्रेड यूनियन केन्द्र हम बना सकें.

एटक ने इस तरह के एकता का निर्माण के लिए कुछ सुझाव अपने हाल के बंगलौर तथा बरोदरा अधिवेशनों में पेश किया है. सीटू ने भी, अपनी ओर से एक महासंघ बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है. हम आपसे, हमारे इन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार करने का आग्रह करेंगे. हम आपके साथ बैठकर, आप द्वारा दिये गए प्रस्तावों पर एवं हमारे बीच एकता व एक हो जाने के सवालों पर विचार करने के लिए तैयार हैं. एकता की इस चाह में, हम समझते हैं कि कोई आखिरी बात नहीं कही जा सकती और न ही "स्वीकार करो या छोड़ दो"

का रवैया अपनाया जा सकता.

एकाधिक ट्रेड यूनियन केन्द्रों की मौजूदगी के कारण संगठित मजदूरों का एक काफी बड़ा सा हिस्सा इसके दायरे के बाहर हैं. तथाकथित स्वतंत्र औद्योगिक फेडरेशनों एवं यूनियनों से ट्रेड यूनियन सदस्यों का एक व्यापक हिस्सा जुड़े हुए हैं. एकता की प्रक्रिया में इस व्यापक हिस्से को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिए. ताकि हम गाड़ी को घोड़े के आगे न लगाए, हमारा मुख्य काम सबसे सम्भाव्य और हासिल योग्य कदमों के बारे में सहमति का होगा ताकि एकीकरण के प्रक्रिया को हम शुरू कर सकें, और इसके बाद हमें ट्रेड यूनियन आंदोलन की सदस्यता में जो सांगठनिक विभाजन है उसे समाप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा और इस दिशा में सबसे पहले वामपंथी अगुवाई वाले ट्रेड यूनियन केन्द्रों में और उसमें भी सबसे पहले सीटू और एटक में विभाजन को खत्म करना होगा, ताकि हम ट्रेड यूनियन आंदोलन में व्यापक एकता कायम कर सकें. बल्कि, हम यह समझते हैं कि इससे हम इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकेंगे और वामपंथियों का समुचित प्रभाव भी इस प्रक्रिया में डाल सकेंगे.

इस दिशा में, पहला कदम के रूप में हम यह विचार कर सकते हैं कि किस तरह हम कुछ औद्योगिक फेडरेशनों को जो आपस में एकदूसरे के विरोधी हैं, हम साझा कार्रवाइयों में लाएं और अंततः उनका एकीकरण करें. इसके लिए जो आसानी से हो सकता है, वैसे यूनियनों को ही हम चुनें. आज भी बहुसंख्यक ट्रेड यूनियन केन्द्रों के होने के बावजूद कई साझा औद्योगिक फेडरेशनों एवं यूनियनों में हम एक दूसरे से मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं. इस तरह हमें इस मसले पर काफी अनुभव भी है.

इसके अलावा प्रतिस्पर्धा के रूझानों को समाप्त करने और एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयासों को समाप्त करने के लिए हम कुछ आचार संहिता भी तैयार कर सकते हैं. एकसाथ काम करने में आड़े आ रहे बाधाओं को भी हम हटा सकते हैं.

साथियों !

मजदूर वर्ग एकता की अहमियत को, ताकि मजदूर वर्ग सामाजिक विकास और बदलाव के ताकत के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकें, हम सभी महसूस करते हैं. इसलिए विभाजन के इस वर्तमान रूझान को हम चलते रहने नहीं दे सकते.

आपके इस सम्मेलन में वर्ग संघर्ष के अनुभव से प्रेरित सैकड़ों सक्रिय और समर्पित सदस्य मौजूद हैं और मजदूर वर्ग आंदोलन के अनुभवी नेतागण भी उपस्थित हैं. इसलिए हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यहां लिए जाने वाले फैसले, ट्रेड यूनियन एकता को विकसित करने में, हमारे देश के मेहनतकशों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में, मददगार साबित होगा. हम एकबार फिर आपके सम्मेलन की सफलता की कामना करते हैं.

मजदूर एकता जिंदाबाद !

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि का. पुष्पा मेहता का भाषण

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई में 18 से 22 मई 1987 तक हो रही सी आई टी यू के इस छठे सम्मेलन का गर्मजोशि से अभिनंदन करता है.

सरकार एवं निजी प्रचार माध्यम जानबूझकर हमारे देश की आर्थिक स्थिति की सुनहरी तस्वीर पेश करने पर लगी है और देश को 21 वी. सदी में शानदार ढंग से ले जाने के सरकार के प्रयासों के प्रचार में लगी है. पर सचाई यह है कि यह शोषणकारी सरकार देश को सांप्रदायिकतावाद व धार्मिक कट्टरतावाद की आग में झकझोर रही है. आधुनिकीकरण के नाम पर उठाए जा रहे हर कदम से, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गुन्डागर्दी आदि बेपनाह रूप से बढ़ने लगी है. पूंजीवादी व्यवस्था में गहराते संकट और देश की एकता और अखंडता को कायम रखने में उसकी विफलता को देखते हुए मेहनतकशों को अपने जीवन स्तर और जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए एक देशव्यापी शक्तिशाली एकजुट आंदोलन छेड़ना होगा.

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इस राष्ट्रव्यापी तथा स्थानीय आंदोलनों के प्रति अपनी सम्पूर्ण एकजुटता का इजहार करती है.

सर्व श्रमिक संघ तथा सहयोगी संगठनों के अध्यक्ष यशवंत. भी. भवन का बधाई सन्देश

सी आई टी यू के छठे अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने आए आप प्रतिनिधियों को, इस प्रमुख सर्वहराओं के शहर में, जहां उस महान् देशभक्त तथा जनवादी नेता लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन हुआ, जहां लाल झंडे तले कपड़ा एवं अन्य मजदूरों की शानदार संघर्षों का मजदूरवर्ग आंदोलन की मिसालें कायम हुई, स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है.

दुर्भाग्यवश, आज बम्बई कपड़ा मजदूरों का आंदोलन, हमारे देश की जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन में जिनका नेतृत्वकारी भूमिका रहा है, मालिकान एवं उसके सरकार के हमले से तबाही झेल रहे हैं. 18 जनवरी 1982 के 2.5 लाख कपड़ा मजदूरों के उस ऐतिहासिक लम्बी हड़ताल के बाद एक लाख से भी अधिक मजदूर अभूतपूर्व हमले का निशाना बन गए. कपड़ा मजदूरों के संघर्ष की नाकामयाबी से राज्य के सारे जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा. स्थिति और भी दयनीय इस वजह से हुई है कि राज्य में लाल झंडा आंदोलन कपड़ा मजदूरों के व्यापक हिस्से के बारे में सोचने में कमी दिखाई और नतीजतन इन अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी अनुभव- वाले तथा शानदार संघर्ष के परंपरावाले झंडाबरदार और पूंजीवादी रास्ते के गहराते संकट के जटिल एवं कठिन स्थिति

आइए ! हम आगरतला को सुन्दर बनाएं

शहरी जीवन में, व्यापार का भी अन्त नहीं ! और न ही संघर्ष का ! हम शहरी जीवन को स्वस्थ्य और सुन्दर बना सकते हैं अगर हम सब मिलकर कम से कम कुछ क्षणों के लिए आगरतला के बारे में सोंचें !

आगरतला के पीड़ाओं को हम खुद ही दूर कर सकते हैं !

हम, शहर की क्षमता से, दस गुना अधिक लोग यहां रह रहे हैं !

शहर में वाहनों और दुकानों की संख्या भी दिन व दिन बढ़ रही है !

अगर हम चाहें तो रास्ते व फूटपाथों को हम स्वच्छ रख सकते हैं !

हम बिजली और पानी की बर्बादी को टाल सकते हैं !

हम कूड़े को कूड़ेदान के अलावा और कहीं न फेंके !

बहुत सारे छोटे-छोटे कार्यों के जरिए इस शहर के लिए हमारा प्यार का हम उजागर कर सकते हैं !

आगरतला नगरपालिका

त्रिपुरा

से जुझते रहे कपड़ा मजदूरों के व्यापक हिस्से के बीच बिल्कुल ही कोई सम्बन्ध नहीं रहा.

बी एम एस के का. बी. एन साठे का भाषण

भाइयों और बहनों !

हम यहां आपके छठे सम्मेलन के मौके पर उपस्थिति हुए है और मैं आप सबको बिरादराना बधाई देना चाहूंगा. ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए यह वर्त्तमान समय कठिनाइयों से भरा हुआ है. सरकार श्रमविरोधी कानूनों के जरिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को कमजोर करने की प्रयास कर रही है. पूंजीवादियों की यह सरकार, बहुराष्ट्रीय निगमों से जिसकी साठ गांठ है, राष्ट्रविरोधी और मजदूर विरोधी ताकतों को देश की गरीब जनता को लूटने की पूरी छूट दे रही है. उनके इसारों के आगे घुटने टेकते हुए सरकार ने तकनीकी और नए मशीनों को लाने की छूट देकर पहले से ही संकटपूर्ण बेरोजगारी की स्थिति को और बिगाड़ रही है. कंप्यूटरों और अति आधुनिक मशीनों के जरिए देश को इक्कीसवीं सदी की ओर ले जाने का नारा बढ़ते बेरोजगारी की स्थिति को बदतर बना देगा और मेहनतकश जनता की तबाही और भी बढ़ा देगा. समुचित नौकरी, अच्छे काम के वातावरण और उचित वेतन की गारन्टी के आभाव में हमारे देश के लोग विदेशों में काम करने जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. 'भेल' जैसा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को भी अपने उमदा और आधुनिक संयंत्रों को बनाने के लिए पर्याप्त आर्डर नहीं मिल रहा है. हमारे देश में घरेलु मालों से उमदा और अत्यन्त आधुनिक संयंत्र बनाने के काबलियत के बाबजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र के इकाइयों को भूखे रखकर विदेशों से उन्हीं सामानों का आयात किया जा रहा है. हमारे अर्थनीति में बहुराष्ट्रीय निगमों की पकड़ मजबूत हो रही है और सरकार अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए उसे बढ़ावा दे रही है. हाल के घोटालों से ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का भंडाफोर हुआ. यही वह लोग हैं जो संसद में बैठकर श्रम-विरोधी कानून लाने का प्रयास करते हैं.

बी एम एस यह महसूस करती है कि अब समय आ गया कि हम अपने मतभेदों को भूलाकर इन काले कानूनों और ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हो रहे सरकार के इन हमलों के खिलाफ एकबद्ध होकर खड़े हो जाये. हमारा यह विश्वास है कि केवल सच्चा ट्रेड यूनियनवाद ही राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन ताकत को एकजुट कर सकता है क्योंकि सिर्फ इस देश के मेहनतकश तबकों के हितों के प्रति सम्पूर्ण समर्पन ही सच्चा ट्रेड यूनियनवाद की बुनियादी जरूरतों में से है.

सच्चे ट्रेड यूनियन इस बात पर विश्वास करता है कि अगर देशभक्त मजदूर एकजुट होकर दृढ़ता से खड़े हो तो देश हर हमले और हर मुश्किलों को झेल सकता है. और शक्तिशाली ट्रेड यूनियनवाद के निर्माण में तीसरी जरूरी चीज है—कारगर सहयोग का रास्ता अख्तियार करने का उसका दृढ़ निश्चय. ट्रेड यूनियनवादी किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार का समर्थन कर सकती है बशर्तें कि वह मजदूरों के हितों के प्रति समर्पित हो. अन्यथा वह उस सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करेगी. अब देश के मजदूर मोर्चे पर राष्ट्रीय अभियान समिति के रूप में एक नई ताकत का उभार देखा जा रहा है जो आगे बताए गए सच्चे ट्रेड यूनियनवाद के तीन सिद्धांतों पर विश्वास रखता है. वह कारगर सहयोग का ही भावना है जो राष्ट्रीय अभियान समिति में हमें इतना करीब लाया है और सरकार की मजदूर विरोधी नीतिओं के खिलाफ एक शक्तिशाली मंच के निर्माण में मदद किया है. बहुत सारे मसले पर हम सरकार की साजिशों को नाकाम करने में सफल हुए हैं.

बी एम एस आपसे ऊपर दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करने और इसी दिशा में मेहनतकश तबके को शिक्षित और संगठित करने की अपील करती है. आम मजदूरों के बीच बिरादराना भावना को उत्पन्न करने का यही सबसे निश्चित तरीका है.

बी एम एस सभी प्रतिनिधियों को बिरादराना बधाई देती है और सम्मेलन की सफलता का कामना करती है.

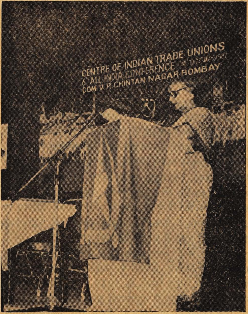

सम्मेलन में कामगार महिलाओं पर रिपोर्ट पेश करते हुए का. विमल रणदिवे

सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावें

कामरेड पी. सुन्दरैय्या

सीटू की यह छठी कॉन्फ्रेंस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व महासचिव, पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य तथा सीटू की वर्किंग कमेटी के भूतपूर्व सदस्य, कॉमरेड पी. सुन्दरैय्या के 19 मई, 1985 को मद्रास में निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है.

कॉमरेड सुन्दरैय्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नींव रखने वालों में एक थे और देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे. उन्होंने मार्क्सवाद-लेनिनवाद की सही समझ के आधार पर दायें और बायें भटकावों के विरुद्ध अविरत संघर्ष किया तथा सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को ऊंचा रखा.

क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन में योगदान देने के अलावा, वे अखिल भारतीय किसान सभा के नींव रखने वालों में से एक थे तथा उन्होंने मजदूर-किसान गठजोड़ के लिए अनवरत परिश्रम किया. वे तेलंगाना के किसानों के सशस्त्र संघर्ष के एक मुख्य नेता थे. उन्हें अंग्रेजी काल तथा स्वतन्त्रता के पश्चात कांग्रेसी राज में भी कई बार जेल काटनी पड़ी और भूमिगत होकर कार्य करना पड़ा.

यह सभा कॉमरेड पी. सुन्दरैया को श्रद्धांजलि देती है और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरणा लेते हुए, उस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है जिसके लिए उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया.

कामरेड बी.पी. चिन्तन

सीटू की यह छठी कांन्फ्रेंस 8 मई, 1987 को वोल्गाग्रॉद में सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा मार्क्सवादी पार्टी की तमिलनाडु राज्य कमेटी के सदस्य, कॉमरेड वी.पी. चिन्तन के अकस्मात निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है. कॉमरेड चिंतन सोवियत संघ की आल यूनियन सेन्ट्रल कांउसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के निमन्त्रण पर सीटू के प्रतिनिधि की हैसियत से मई दिवस उत्सव में भाग लेने सोवियत संघ गए थे जहां दिल का भारी दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया.

कॉमरेड चिन्तन एक अग्रणी ट्रेड यूनियन नेता थे और तामिलनाडु के विभिन्न उद्योगों में उन्होंने अनेक सीटू यूनियनों का संगठन और नेतृत्व किया. वे 1939 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और फिर 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने. उन्हें स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान तथा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी कई वर्ष जेलों में बिताने पड़े. उन्होंने दायें और बायें भटकावों के विरुद्ध अथक संघर्ष किया और मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सही सिद्धान्तों के आधार पर कार्य किया. तामिलनाडु विधान सभा के मार्क्सवादी सदस्य की हैसियत से उन्होंने मजदूर वर्ग तथा संघर्षशील जनता के हितों की दृढ़ता के साथ रक्षा की. मजदूर आन्दोलन का अथक नेतृत्व करने के कारण कुछ समय पहले मैनेजमेंट के भाड़े के गुंडों ने उनपर निर्दयता से आक्रमण किया और उन्हें मृत समझ कर छोड़ गए.

कान्फ्रेंस अपने लाल झंड़े को कॉमरेड चिन्तन की स्मृति में झुकाती है और उनकी पत्नी व पुत्र को अपनी हार्दिक संवेदना भेजती है.

श्रद्धांजलि पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस 1917 की अक्टूबर क्रान्ति के नेताओं में से एक कॉमरेड वी. एम. मोलोतोव, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और सुप्रीम सोवियत के प्रेजिडियम के अध्यक्ष कॉमरेड यूरी आन्द्रोपोव और कॉमरेड कान्सटैन्टिन चेरेनन्को, वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड ले डुआन तथा मोजम्बीक के राष्ट्रपति कॉमरेड समोरा माशेल को श्रद्धांजलि अर्पित करती है.

सीटू की यह कान्फ्रेंस पार्टी की सेन्ट्रल कमेटी के सदस्यों कॉ० एम. आर. वेंकटरमण, कॉ० देसराज चड्ढा कॉ० रामदास तथा कॉ० शान्तिमय घोष; सीटू की वर्किंग कमेटी के उपाध्यक्ष का० सुधीन कुमार और कमेटी के सदस्यों का० पी. के. कुराने, का० डी डी शिराली, का० परिमल मित्रा और का० एन, वी, भास्कर राव, मार्क्सवादी पार्टी समूह के लोक सभा के नेता का० सरदीश रॉय, राज्यसभा के मार्क्सवादी सदस्य का० अरविन्दो घोष को श्रद्धांजलि प्रदान करती है. कान्फ्रेंस का० चन्दूभाई पटेल को श्रद्धांजलि देती है जो पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के भूतपूर्व सदस्य थे और हृदयरोग से जिनका देहान्त हो गया.

शहीदों पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस पंजाब के मार्क्सवादी नेता का. चनन सिंह और का. हुक्मचन्द गुलशन तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का. दर्शनसिंह कनेडियन को, जो साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित खालिस्तानी अलगाववादियों की गोलियों के शिकार हुए, सादर श्रद्धांजलि देती है. कान्फ्रेंस इन शहीदों द्वारा छोड़े गए काम को आगे बढ़ाने तथा देश की एकता व अखंडता की रक्षा करने के लिए अलगाव वादियों के विरुद्ध वामपंथी जनवादी धर्मनिरपेक्ष देशभक्त ताकतों को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है.

कान्फ्रेंस उन सब कॉमरेडों को श्रद्धांजलि देती है जिनकी दार्जिलिंग में जी. एन एल एफ द्वारा तथा असम व त्रिपुरा में अलगाववादी उपद्रवियों द्वारा हत्या की गई. कान्फ्रेंस केरल के उन पांच कॉमरेडों को श्रद्धांजलि देती है जिनकी कांग्रेस (इ) के गुंडों द्वारा 23 मार्च, 1987 की पोलिंग के तत्काल बाद निर्दयतापूर्वक हत्या की गई.

कान्फ्रेंस पार्टी की बिहार राज्य कमेटी के सदस्य का. आनन्दी सिंह को श्रद्धांजलि प्रदान करती है जिनकी बिहार में जमींदारों के भाड़े के गुन्डों और नक्सलवादियों ने हत्या की.

कान्फ्रेंस सभी अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने इस अवधि में मजदूर वर्ग, किसानों व मेहनतकश जनता के हितों के प्रति अपनी निष्ठा की खातिर, पुलिस व गुन्डों द्वारा किए गए आक्रमणों में अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए.

शोक-सन्देश

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस मोदी नगर के उन पांच सीटू कार्यकर्त्ताओं के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करती है सीटू के विकास को रोकने के निष्फल प्रयास में, उनकी 9 जुलाई, 1983 को गुन्डों ने निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी—कान्फ्रेंस इन कॉमरेडों की स्मृति का सम्मान करती है जो दृढ़ता से सीटू के साथ खड़े रहे और जिन्होंने निर्दयतापूर्ण आक्रमण के बावजूद झुकने से इन्कार कर दिया. कान्फ्रेंस उड़ीसा राज्य कमेटी के सदस्य का. अनन्त राउत के पांच-वर्षीय पुत्र संजय के निधन पर संवेदना प्रकट करती है. 24 सितम्बर, 1983 को कालटा में जब गुन्डे का. आनन्त राउत को पाने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने संजय की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी.

कान्फ्रेंस इनके शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है.

युद्ध के खतरे और शान्ति के लिए संघर्ष पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस नाभिकीय युद्ध के उस बढ़ते हुए खतरे पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है जो 1983 में हुई पिछली कान्फ्रेंस के बाद से बढ़ा है. युद्ध का खतरा बढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी अमरीकन प्रशासन पर है जिसने सोवियत संघ के अनेक शान्ति-प्रस्तावों को ठुकरा दिया है तथा विश्व के जनमत की परवाह न करते हुए अपने उस 'स्टॉर वॉर' कार्यक्रम को चालू रखने की जिद पकड़ी हुई है जिसका उद्देश्य नाभिकीय युद्ध को बाह्य अन्तरिक्ष में ले जाना है.

कान्फ्रेंस सोवियत संघ द्वारा रखे गए अनेक प्रस्तावों की भारी सराहना करती है जिनके प्रत्युत्तर ने नाभिकीय हथियारों की होड़ को रोक कर उन हथियारों के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया होता. अमरीकन साम्राज्यवादियों द्वारा इस प्रस्ताव की अस्वीकृति ने अमरीका की युद्धोत्तेजक नीति तथा विश्व पर प्रभुत्त्व करने की उसकी उन योजनाओं को उघार कर रख दिया है जो उस देश के औद्योगिक-सैनिक ढाँचे के हितों को प्रत्यक्षतः परिलक्षित करती है.

कान्फ्रेंस यूरोप में मध्यम मार प्रक्षेपास्त्रों कोस मात्त करने की 28 फरवरी 1987 को सोवियत पहलकदमी का पूरा समर्थन करती है. यह नाभिकीय हथियारों में एक वास्तविक कटौती होगी जो यूरोप को जनता को सुरक्षा की भावना और शांति का आश्वासन देगी. यह एशिया में एम आर एम के फैलाव को भी रोकेगी जिससे इस क्षेत्र में शांति व सुरक्षा की रक्षा करने में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा. कांफ्रेंस नोट करती है कि रीगन प्रशासन विनाश की 'स्टार वार' परियोजना पर अड़े रहने के कारण नये प्रस्तावों का प्रत्युत्तर देने में असफल रहा है.

कांफ्रेंस विश्व शांति परिषद के तत्वावधान में विश्व शांति आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति को सन्तोष के साथ नोट करती है. शांति परिषद की व्यापक गतिविधियां, नाभिकीय युद्ध के विनाशक चरित्र का पहले से अधिक ज्ञान, हथियारों पर लगाये गये विशाल साधनों के कारण (लोगों पर) थोपी गई आर्थिक विपत्ति और बेरोजगारी—ये सब सभी देशों के मजदूर वर्ग और जनता के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को शांति के लिए संघर्ष में भागीदारी करने को प्रेरित कर रहे हैं. सोवियत संघ द्वारा दिए गये अनेक शांति प्रस्ताव इस संघर्ष में प्रायः केन्द्र बिन्दु का काम करते हैं.

सीटू भारत के शांति आंदोलन की कमजोरियों पर चिन्ता व्यक्त करती है. हमारी जनता का एक विशाल भाग, जिसमें मजदूर वर्ग भी शामिल है, युद्ध के खतरे और उसके पीछे के साम्राज्यवादी षड्यन्त्रों से बेखबर है. सीटू सम्बद्ध यूनियनों द्वारा शांति के लिए संघर्ष में किए गए कार्य की सराहना करती है और उन्हें अपना प्रयास दुगना करने का आह्वान करती है ताकि भारत का मजदूर वर्ग अपनी जनता तथा विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सके. सीटू सभी मजदूर संघ केन्द्रों को अपने प्रयास इकट्ठा करने के लिए अपील करती है ताकि मजदूर वर्ग की पहलकदमी में एक शक्तिशाली शान्ति आंदोलन का निर्माण किया जा सके.

पूंजीवादी देशों में मजदूर वर्ग संघर्ष पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस सभी पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्ग को हार्दिक बधाई देती है जो बहुराष्ट्रीय निगमों और इजारेदारियों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अपने जीवन-स्तर की रक्षा के अनवरत संघर्ष में रत हैं. पूंजीवादी संकट, अर्थ-व्यवस्था का सैन्यीकरण, एकाधिकारी लाभ—इन सबने मिलकर (लोगों पर) बेरोजगारी, मजदूरी में कटौतियों, सामाजिक कल्याण के उपायों तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर आक्रमणों को थोपा है जिससे मजदूर वर्ग को अपनी रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है.

इस स्थिति में, विकसित और विकासशील पूंजीवादी देशों के मजदूर संघ अपने हितों की रक्षा के लिए एकताबद्ध और लड़ाकू संघर्षों का निर्माण कर रहे हैं. मजदूर संघों में बढ़ती हुई एकता ने कार्यशील जनता के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को भारी विरोध के विन्दु तक पहुंचा दिया है. उन्होंने तात्कालिक आर्थिक व सामाजिक मांगों के अपने संघर्ष को, युद्ध के विरुद्ध व शांति के लिए और साम्राज्यवाद, नवसाम्राज्यवाद, जियोनवाद, नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष के साथ जोड़ दिया है. वे नौकरियों, शांति व सामाजिक प्रगति की मांग करते हुए, अपनी सरकारों की प्रतिक्रियावादी नीतियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं.

कांफ्रेंस मजदूरों के साथ बिरादराना एकजुटता व्यक्त करती है तथा उनके संघर्ष में पूर्ण समर्थन का आश्वासन देती है.

दक्षिण अफ्रीका तथा नामिबिया में संघर्ष पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस दक्षिण अफ्रीका व नामिबिया में स्वतंत्रता-सेनानियों पर लगातार दानवीय जुल्म करने और जातिसंहार करने के लिए प्रिटोरिया के नस्लवादी निजाम की भर्त्सना करती है. गोरों के इस दानवीय अल्पमत शासन ने औरतों व बच्चों को भी उत्पीड़न और हत्या से नहीं बख्शा. कांफ्रेंस अमरीकी और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भर्त्सना करती है जो अपने साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए, औपनिवेशिक दमन के स्थाईकरण में नस्लवादी शासन को समर्थन देते हैं और जिन्होंने इस शासन के विरुद्ध आदेशात्मक दण्डविधान के राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव को वीटो किया है. साम्राज्यवादी देशों द्वारा दिये गये समर्थन ने प्रिटोरिया शासन को आक्रमण करने और फ्रन्टलाइन राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का हौसला प्रदान किया है.

कांफ्रेंस ए एन सी व स्वापो के नेतृत्व में क्रमश: साम्राज्यवाद के विरुद्ध बहादुराना संघर्ष में तथा नस्लवादी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए संघर्ष में, दक्षिण अफ्रीका व नामिबिया के मजदूरों व जनता के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करती है. यह प्रिटोरिया शासन के विरुद्ध आदेशात्मक दण्डविधान की और नेल्सन मण्डेला तथा दक्षिण अफ्रीका के अन्य सभी राजनैतिक व ट्रेड यूनियन नेताओं की रिहाई की मांग करती है.

कांफ्रेंस, उनकी 75वीं वार्षिकी के अवसर पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बधाई देती है और अविरत रूप से स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने—(अपने ऊपर लगे) प्रतिबंध, उत्पीड़न तथा राजकीय आतंक जो आपात शासन में अपने चरम शिखर पर है, की उपेक्षा करने के लिए उन्हें बधाई देती है.

कान्फ्रेंस दक्षिण अफ्रिका के मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियनों को उनकी एकता तथा दृढ़ संघर्ष के लिए बधाई देती है जिसके कारण कांग्रेस आफ साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन्स (कोसाटू) का निर्माण हुआ. यह रंगभेदी व्यवस्था के विरुद्ध काले व गोरे मजदूरों को इकट्ठा करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

कांफ्रेंस भारत में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 'इंडियन ट्रेड यूनियन कमेटी अगेन्स्ट एपार्थेड' के गठन तथा दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के लिए पैसा इकट्ठा करने के इसके निर्णय का स्वागत करती है. यह कोयला मजदूरों को बधाई देती है जिन्होंने संघर्ष कोष में एक करोड़ रुपये के योगदान का निर्णय लिया है. यह इस कमेटी के सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने और संघर्ष कोष में उदारता पूर्वक योगदान करने के लिए, सम्बद्ध यूनियनों व मजदूर वर्ग से अपील करती है.

ईरान-ईराक युद्ध पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस ईरान-ईराक युद्ध, जो पिछले कई सालों से चल रहा है, पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है. इस युद्ध के कारण अब तक भारी जान-माल की हानि हो चुकी है, और वह भी एक ऐसे समय में, जब इस क्षेत्र में एकता की सख्त जरूरत है. यह केवल साम्राज्यवादियों व जियोनवादियों का उद्देश्य पूरा करता है. मध्यसागरीय क्षेत्र में अमरीकन बेड़े की उपस्थिति विश्व शान्ति के लिए खतरा है और इस नाजुक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की अमरीका की मंशा को ही स्पष्ट करता है.

कांफ्रेंस इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, दोनों देशों के मजदूर वर्ग, ट्रेड यूनियनों तथा जनवादी ताकतों के संघर्ष को पूरा समर्थन देती है तथा सभी शांतिप्रिय ताकतों को इस दिशा में अपना प्रयास बढ़ाने की अपील करती है.

मध्य अमरीकन देशों में संघर्ष पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस मध्य अमरीका में हस्तक्षेप करने की अपनी नीति को तीव्र करने के लिए अमरीकी साम्रीज्यवादियों की निंदा करती है. ग्रैनेडा पर आक्रमण के बाद, अमरीका निकरागुआ और क्यूबा के खिलाफ अपना मुहिम तेज कर दिया है और एल साल्वेडोर, होंडुरास, चिली आदि में फासीवादी तानाशाहों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्रामों को समाप्त करने का योजनाबद्ध प्रयास कर रहा है. अमरीका ग्वाटेमाला और कोस्टारीका की नवनिर्वाचित सरकारों पर भी दबाव डाल रहा है कि वे इसका प्रभुत्व स्वीकार करें और अपने मजदूर वर्ग व जनता का उत्पीड़न करें.

कांफ्रेंस मध्य अमरीकन देशों की जनता के संघर्ष के साथ अपनी पूरी एकजुटता प्रकट करती है और देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन से अपील करती है कि वह स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, जनवाद और शांति के लिए उनके संघर्ष को पूर्ण समर्थन दे.

निकारागुआ पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस, निकारागुआ की जनता तथा सैंडीनिस्टा सरकार के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता प्रकट करती

है जो अमरीकन साम्राज्यवादियों द्वारा उनके देश की प्रभुसत्ता विनष्ट करने के प्रयत्नों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं. ये कान्फ्रेंस सैंडीनिष्टा सरकार के विरुद्ध उस बहशियाना आक्रमण की निन्दा करती है जो अमरीका, प्रति क्रान्तिकारी कन्ट्राज को धन देकर तथा कोन्टाडोरा शांति वर्ता को विफल करने की कोशिश करके कर रहा है. कन्ट्राज को प्रत्यक्ष सहायता देने के अलावा अमरीका ने समुद्र पर निकारागुआ की नाकेबन्दी की है जिससे उसे अपनी अर्थव्यवस्था का पुननिमाण करने में भारी कठिनाई हो रही है. कान्फ्रेंस अमरीकी प्रशासन से मांग करती है कि वह निकारागुआ के विरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप की अपनी आक्रामक कुयोजना बन्द करे और इन्टरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के अनुसार इसे अपने द्वारा की गई क्षति का मुआवजा दे.

कान्फ्रेंस राज्य कमेटियों व सम्बद्ध यूनियनों को निकारागुआ कोष में अपना योगदान देने के लिए, बधाई देती है और इस आंदोलन को अपना समर्थन देते रहने की अपील करती है.

फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के साथ एकजुटता

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस लेबनॉन की स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है जहां पिछले कई महीनों से शिया अमॉल सैनिकों ने जो कि साम्राज्यवादियों और जियोनवादियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, फिलिस्तीनी कैम्पों पर घेरा डाला हुआ है. कान्फ्रेंस अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा फिलिस्तिनियों पर कैम्पडेविड जैसे आत्मसमर्पणात्मक समझौते थोपने की, पी. एल. ओ. की सेना को विभाजित करने की तथा अपना स्वदेश बनाने के अधिकार को छोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की निन्दा करती है. कान्फ्रेंस इजरायल द्वारा किए जाने वाले लगातार आक्रमणों और इसके द्वारा अरब क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की भी निन्दा करती है.

कान्फ्रेंस सभी अधिकृत अरब क्षेत्रों से इजरॉयली सेनाओं के हटने की मांग करती है और सोवियत यूनियन के इस प्रस्ताव का समर्थन करती है कि मध्यपूर्व की समस्याओं के न्यायपूर्ण हल के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें सोवियत संघ, अमरीका तथा अन्य सभी सम्बद्ध देश, जिनमें फिलिस्तिनी लोगों के एक मात्र उचित प्रतिनिधि के रूप में पी. एल. ओ. भी शामिल है, भाग लें.

कांफ्रेंस फिलिस्तीनी लोगों तथा मजदूरों के साथ, इजरॉयल व अमरीकी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में, अपनी एकजुटता प्रकट करती हैं. किन्तु इसका यह दृढ़ मत है कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने में, विभिन्न फिलिस्तिनी समूहों तथा अरब जनता व मजदूरों की एकता ही एक महत्वपूर्ण कारक होगी. यह यॉसर अरॉफात के नेतृत्व में बिभिन्न ग्रुपों की उस एकता का स्वागत करती है जिस पर वे हाल ही में हुई कान्फ्रेंस में पहुंचे हैं. कान्फ्रेंस को विश्वास है कि अमरीका द्वारा अपनाए गए हथकंडों को विफल करते हुए, फिलिस्तीन के एक स्वतन्त्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य के निर्माण के लिए, साम्राज्यवादविरोधी और जियोनवाद विरोधी एक सुदृढ़ गठजोड़ के आधार पर, यह एकता और भी दृढ़ होगी.

अफगानिस्तान पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा, पाकिस्तान में स्थित प्रति क्रान्तिकारियों की प्रत्यक्ष सहायता के माध्यम से अफगानिस्तान की क्रान्तिकारी सरकार को प्रभुसत्ता भंग करने के प्रयत्न की निन्दा करती है. कान्फ्रेंस अमरीकी साम्राज्यवादियों की साजिशों में सहायता करने के लिए, पाकिस्तान के सैनिक शासक की निन्दा करती है ।

कान्फ्रेंस कठिन परिस्थितियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों व आर्थिक पुनर्निर्माण की निरन्तर प्रगति के लिए आफगानिस्तान के मजदूर वर्ग, वहां की जनता तथा क्रान्तिकारी सरकार को बधाई देती है. इस क्रान्ति ने उत्पादन में तथा मजदूरों, किसानों व जनता के जीवन-स्तर में चहूंमुखी सुधार के माध्यम से एक सुदृढ़ जनवादी आधार की स्थापना की है. सभी जातियों व उपजातियों को समान अधिकार व विशेषाधिकार देने का आश्वासन दिया गया है तथा उन्हें देश के विकास में योगदान देने के लिए कहा गया है.

कान्फ्रेंस अफगानिस्तान के मजदूरवर्ग, जनता व क्रान्तिकारी सरकार के साथ, अमरिकी कुयोजनाओं के विरुद्ध उनके संघर्ष में, अपनी पूर्ण एकजुटता प्रकट करती है. यह खून-खराबे और भ्रातृसंहार को रोकने के उद्देश्य से अफगानिस्तान द्वारा घोषित राष्ट्रीय सुलह नीति की सराहना करती है और उसे अपना पूर्ण समर्थन देती है. कान्फ्रेंस सीटू तथा सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ आफगान ट्रेड यूनियनन्ज के बीच हुए सहयोग समझौते और संयुक्त घोषणापत्र की पुष्टि करती है और शन्ति व सुरक्षा कायम रखने के लिए तथा साम्राज्यवादी षड्यन्त्रों के विरुद्ध, दोनों संगठनों के बीच भातृत्वपूर्ण सम्बन्ध को आगे बढ़ाने का प्रण करती है.

पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस भारत और उसके दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान तथा श्रीलंका के बीच बिगड़ते हुए सम्बन्धों के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है. कान्फ्रेंस तीनों देशों के लोगों को सचेत करती है कि अमरीकी साम्राज्यवाद इस महाद्वीप के देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, स्थिति का फायदा उठाकर और अधिक विलगाव पैदा करना चाहता है. तीनों देशों के मजदूर वर्ग तथा जनसाधारण के संयुक्त प्रयास ही इस आक्रमण को विफल कर सकते हैं और उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकते हैं.

अमरीकी साम्राज्यवादी पाकिस्तान को अति आधुनिक हथियार देकर वहां के जन-विरोधी सैनिक प्रशासन की सहायता करते हैं जिससे भारत के लिए सुरक्षा की समस्या पैदा होती है.

त्रिपुरा हैण्डलूम तथा हैण्डिक्राफ्ट खरीदें

* अभूतपूर्व कारीगरी
* सुन्दर डिजाइन
* उचित मूल्य
* परम्पराओं का संमिश्रण
* मन मोहक रंगों में

प्रियदर्शिनी

1. 58/B चौरंगी रोड़
   कलकत्ता-700071
2. B-3/स्टेट एम्पोरिया बिल्डिग,
   बाबा खडग सिंह मार्ग,
   नई दिल्ली
3. ढाकुरिया पान शॉपिग काम्प्लेक्स,
   ढाकुरिया, कलकत्ता

पूर्णाशा

1. दक्षिणायन
   ढाकुरिया शॉपिग कॉम्प्लेक्स, कलकत्ता
2. मैनटन सुपर मार्केट,
   बेहला,
   कलकत्ता
3. हलदिया,
   प. बंगाल

अमरीकी सहायता के बलबूते पर, पाकिस्तान के सैनिक शासक, भारत की एकता के विरुद्ध षडयंत्र रचने के लिए खालिस्तानी तत्वों की सहायता करते हैं. दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ यह तनाव, युद्ध की शंका को और बढ़ाने में, अमरीकी एजेंसियों की सहायता करता है, जिस से झगड़े का डर पैदा होता है. मजदूरवर्ग को यह बात नोट करनी चाहिए कि पिछले गणतन्त्र दिवस पर दोनों देशों की सेनाएं अपनी सीमाओं पर एक दूसरे का सामना कर रहीं थीं.

इसी प्रकार की तनावपूर्ण तथा शत्रुता की स्थिति श्रीलंका और भारत के बीच भी उत्पन्न हो गई है. तमिल समस्या का सैनिक समाधान ढूंढ़ने की जयवर्द्धन सरकार की कोशिश के परिणाम स्वरूप न केवल तमिल सेनानियों पर अमानवीय अत्याचार हुए है, बल्कि दो पड़ोसियों और दोनों देशों की जनता के बीच एक दीवार भी खड़ी हो गई है. साम्राज्यवादी तथा उनके मित्र, इस प्रकार उत्पन्न हुए तनाव को श्रीलंका सरकार की सहायता के बहाने से श्रीलंका में अपने अड्डा जमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. यह श्रीलंका तथा भारत, दोनों ही देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है. इसलिए दोनों देशों के बीच मैत्री के बातावरण को बहाल करने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि तमिल समस्या का तुरत कोई राजनैतिक समाधान ढूंढा जाए.

यह कान्फ्रेंस सीटू की तमिल नाडु राज्य कमेटी तथा अपनी यूनियनों को इस बात के लिए बधाई देती है कि हालांकि उन्होंने अन्य राजनैतिक पार्टियों की प्रतिक्रियावादी तथा अंतर्राष्ट्रीयवादी अपीलों का विरोध किया, पर तमिल योद्धाओं के प्रयोजन को निर्भीक समर्थन दिया. सीटू श्रीलंका की अखंडता तथा प्रभुसत्ता के ढांचे के भीतर, तमिल समस्या के राजनैतिक समाधान का समर्थक है. सीटू की तामिलनाडु राज्य कमेटी ने इस मांग को अपना पूरा समर्थन दिया और साथ ही उन दुस्साहसी कदमों का सक्रिय विरोध किया जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी तत्त्व वकालत करते हैं. यह कान्फ्रेंस पाकिस्तान और श्रीलंका की जनता को अपनी उष्ण बिरादराना अभिनंदन भेजती है. कान्फ्रेंस अपना विश्वास व्यक्त करती है कि मजदूर वर्ग की एकता संयुक्त खतरे को रोकने में सफल होगी. यह कान्फ्रेंस श्रीलंका की कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी पार्टियों के दृष्टिकोण की सराहना करता है जो राष्ट्रीय शेवीवाद का मुकाबला कर रही हैं. और श्रीलंका की अखंडता तथा प्रभुसत्ता के ढांचे के भीतर तमिलों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

गुटनिरपेक्षता की नीति पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस मजदूर वर्ग और मजदूर आंदोलन को, अपने देश की गुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति को जोरदार समर्थन देने का आह्वान करती है. हालांकि भारत की सरकार गुटनिरपेक्षता से बचनबद्ध है, फिर भी देश के भीतर और बाहर की प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस बचनबद्धता को कमजोर करने और भारत को अमरीकी साम्राज्यवादी जाल में फंसाने के लिए सभी प्रयत्न कर रही हैं. इन हमलों को रोकने और जहां कहीं भी सरकारी नीति में ढुलमुलपन जाहिर है उसपर काबू पाने के लिए मजदूर वर्ग को भरसक प्रयत्न करना चाहिए. गुटनिरपेक्षता की नीति से देश की सरकार की बचनबद्धता के कारण, शांति के लिए और युद्ध के खिलाफ प्रचार करने, और अमरीकी साम्राज्यवाद की साजिशों का भंडाफोड़ करने के लिए काफी विस्तृत क्षेत्र मिलता है. मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन को, गुटनिरपेक्षता की नीति की रक्षा करने और इसे और सुदृढ़ बनाने में जनता के सक्रिय हिस्से को आकर्षित करने के लिए, इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहिए.

गुटनिरपेक्षता की नीति से पिछले चार दशकों में भारत के राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा का अच्छा पोषण हुआ है. यह नीति विश्व-शांति के लिए संघर्ष में तथा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध हुई है और इसने विश्व में शक्तियों के संतुलन को शांति के पक्ष में तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध झुका दिया है.

भारत-रूस मैत्री तथा सौहार्द्र सन्धि, जो कई वर्षों की गुटनिरपेक्षता में से उत्पन्न हुई, ने भारत की सुरक्षा और रक्षा-क्षमता को बहुत मजबूत किया है, जिसके कारण भारत साम्राज्यवादियों द्वारा प्रेरित साजिशों के विरुद्ध अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने में समर्थ हुआ है. मजदूर वर्ग को संधि तथा दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता को और मजबूत करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने चाहिए. यह कांफ्रेंस गोर्बाचोव-राजीव घोषणा का हार्दिक स्वागत करती है, जो विश्वशांति के लिए दोनों देशों की बचनबद्धता तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए रूसी सुझावों के प्रति भारत के समर्थन को रेखांकित करती है.

अमरीका की आक्रामक चालों का डटकर विरोध करने और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों तथा विश्व शांति को समर्थन देने के लिए, यह कांफ्रेंस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अभिनंदन करती है. गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी गतिविधियों के कारण और रंगभेदी शासन की भर्त्सना करने तथा मुक्ति आंदोलनों के खिलाफ अमरीकी साजिशों का भण्डाफोड़ करने के कारण, आज एक ऐसी सशक्त आवाज के रूप में स्थापित हो गया है, जो साम्राज्यवाद, साम्प्रदायिकता तथा जियोनवाद के खिलाफ और शांति व निःशस्त्रीकरण के पक्ष में विश्व जनमत को प्रभावित करती है.

ट्रेड यूनियन एकता पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस कानपुर कांफ्रेंस के समय से अब तक ट्रेड यूनियन एकता की प्राप्ति में हुई प्रगति को नोट करती है. नेशनल कैम्पेन कमेटी की अपील और इसके आह्वान पर आज पहले से अधिक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हो रही है. मजदूर वर्ग के अधिकाधिक हिस्सों द्वारा एकता की आवश्यकता को

आठ घंटे का काम,
आठ घंटे का विश्राम
और
आठ घंटे का मनोरंजन

यही थी वह मांग. सौ साल पहले, मई 1, 1886 को मजदूरों ने इसी मांग की पूर्ती के लिए अपना खून बहाया. मजदूरों के उन चार महान हस्ती — अगस्त स्पाइस, एलवर्ट पारसनस, एडोल्फ फिशर तथा जार्ज एंजेल्स — ने समूचे मजदूरवर्ग के कभी न खत्म होनेवाले संघर्ष के उस मंच से इस साशक्त आवाज को बुलंद किया था. मजदूरवर्ग की मुक्ति और उनके अधिकारों की स्थापना के लिए संघर्ष दुनिया भर में फैल गया.

एक शताब्दी गुजर गया

मजदूरवर्ग की लम्बी कतारें दुनिया भर में सर्वव्यापी है मजदूरों के खून, पसीना और देशभक्ति की भावना एक शोषणमुक्त नए समाज का जन्म देगा.

बाम मोर्चा सरकार, उस दुनियां की ओर देख रही है जिसमें केवल मजदूर वर्ग का राज होगा.

त्रिपुरा सरकार

पहले से अधिक महसूस किया जा रहा है. औद्योगिक स्तर पर मजदूरों का साझा कार्यक्रम प्रायः पहले से अधिक व्यापक होता है और उसमें ऐसे संगठन भी शामिल होते हैं जो सामान्यतः एन सी सी के साथ मिलकर काम नहीं करते.

यह कांफ्रेंस इस बात को नोट करती है कि ट्रेड यूनियन एकता के महत्वपूर्ण संघर्ष में, सीटू इसकी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों ने रुकावटों तथा मतभेदों पर काबू पाते हुए, और अधिक व्यापक एकता के उद्देश्य की दृढ़संकल्प के साथ पैरवी करने में एक प्रमुख भूमिका अदा की है. हमारी राज्य कमेटियों तथा यूनियनों द्वारा की गई पहलकदमी ने एकता के संघर्ष की लगातार प्रगति में बहुत योगदान किया है. सीटू, एन सी सी में शामिल अन्य यूनियनों का ट्रेड यूनियन एकता के संघर्ष में उनके सफल योगदान के लिए अभिनन्दन करता है.

इसके साथ इस कांफ्रेंस का यह मत है कि एकता के लिए किये गए संघर्ष की उपलब्धियां/आंदोलन की आवश्यकताओं से बहुत कम हैं. अभी तक ये उपलब्धियां सरकार तथा पूंजीपतियों की नीतियों पर कोई विशेष प्रभाव डालने में सफल नहीं हुई हैं. अभी तक ट्रेड यूनियनें, आर्थिक संकट के प्रभावों का सामना करने और मजदूर वर्ग के कंधों पर नये भार डालने से रोकने के लिए, आंदोलन की पूरी शक्ति को गतिशील करने में सफल नहीं हुई हैं. इसी लिए, यह कांफ्रेंस एकता के संघर्ष को और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का अपना दृढ़संकल्प दोहराती है.

यह छठी कांफ्रेंस यह भी नोट करती है कि ऐसे विशाल सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिनका एन सी सी के वर्तमान विधान का केन्द्र केवल चन्द केन्द्रीय संगठनें हैं. औद्योगिक तथा अन्य यूनियनों के लिए बराबरी और उनकी प्रभावी साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस विधान को बहुत अधिक विस्तृत करना अत्यावश्यक है ताकि विभिन्न उद्योगों में विभिन्न स्तरों पर सामूहिक कार्यक्रम समन्वित किए जा सकें.

आज संयुक्त कार्यक्रमों के लिए ट्रेड यूनियनों की एकता की आवश्यकता को, मजदूरों के उन उत्तरोत्तर बड़े भागों द्वारा महसूस किया जा रहा है जो एन सी सी के दायरे के बाहर हैं. यह आवश्यक है कि उन लोगों के ढुलमुल पन को दूर किया जाय, जो संयुक्त धारा में मिलने के लिए सहमत नहीं हैं, और निर्णय लेने तथा विचारों के आदानप्रदान के मामलों में समानता के आधार पर, सभी की साझेदारी को सुगम बनाया जाए.

सीटू सभी राष्ट्रीय तथा औद्योगिक संघों (फेडरेशनों) की यूनियनों का एक महासंघ बनाने के अपने आह्वान को दोहराता है, जिसमें श्रम तथा आर्थिक नीति सम्बन्धी सभी मामलों पर स्वतंत्रता के साथ बहस की जा सके और सर्वसम्मत रूप से निर्णय लिए जा सकें. बहस तथा विचार-विमर्श से, विभिन्न संस्थाओं की स्वायत्तता का उल्लंघन किए बिना, जहां तक संभव हो, एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करने में आंदोलन को सहायता मिलेगी. सीटू सभी ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों से इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता है. सीटू यह आशा करता है कि सभी लोग, जो ट्रेड यूनियनों की एकता को बढ़ावा देने में दिलचस्पी रखते हैं, सीटू के आह्वान का सकारात्मक जबाब देंगे.

फूटपरस्त ताकतों पर

सीटू की यह छठी कान्फ्रेंस देश में फूटपरस्त ताकतों, जिन्हें देश के टुकड़े करने के उद्देश्य से साम्राज्यवादी प्रत्यक्ष सहायता दे रहे हैं, के बढ़ते हुए खतरे पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है. खालिस्तानी अलगाववादियों की हिंसक गतिविधियां अविराम चल रही हैं. साम्प्रदायिकतावादी तथा रूढ़िवादी तत्त्वों ने, बाबरी मस्जिद: रामजन्मभूमि मसले पर अपनी ताकतें एकत्रित करके, देश की एकता और अखंडता को नई चुनौती दी है. दार्जिलिंग जिले में जी एन एल एफ की हिंसक व विघटनकारी गतिविधियां जारी हैं. त्रिपुरा में टी एन वी की अतिवादी गति-विधियां चल रही हैं. असम, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य स्थानों पर अन्य कई बिघटनकारी व साम्प्रदायिक ताकतें अपना सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं.

कांग्रेस (इ) सरकार की नीति इस चिन्ताजनक स्थिति को और बिगाड़ रही है. जबकि एक ओर यह देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वाले विदेशी हाथ की बात करती है और राजनीति को धर्म से अलग करने के लिए कहती है, दूसरी ओर यह साम्प्रदायिक ताकतों के साथ समझौता करती है और उनका साथ देती है.

कान्फ्रेंस पंजाब व असम की यूनियनों तथा दार्जिलिंग जिले के चाय बगान मजदूरों को, फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ आन्दोलन का निर्माण करने और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने के प्रयासों पर बधाई देती है.

यह त्रिपुरा राज्य कमेटी तथा वाममोर्चा सरकार का, टी. एन. वी. अतिवादियों के विरुद्ध, उपजाति और गैर उपजाति जनता के विशाल आन्दोलन सफलतापूर्वक संगठित करने के लिए, हार्दिक अभिवादन करती है.

कान्फ्रेंस केरल के मजदूरवर्ग और जनता का, मौके पर उठ खड़े हो, कांग्रेस (इ) और उसके साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी हिन्दु मुन्नानी के नेतृत्व में इकट्ठा हुई सामप्रदायिक व जातिवादी ताकतों को निर्णायक तौर पर हराने के लिए, विशेष अभिवादन करता है.

कान्फ्रेंस पश्चिम बंगाल की राज्य कमेटी, मजदूरवर्ग और वाम मोर्चा सरकार को, फूटपरस्त ताकतों के विरुद्ध लगातार राजनैतिक संघर्ष करने और इन ताकतों द्वारा मजदूर वर्ग के आंदोलनों तथा जनता की जनवादी आकांक्षाओं को भंग करने के प्रयत्नों को विफल करने के लिए, हार्दिक बधाई देती है.

देश जिस नाजुक स्थिति में से गुजर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, कान्फ्रेंस राज्य कमेटियों और यूनियनों का सुस्पष्ट

आश्चर्यों का आश्चर्य !

हाँ, आपने उस आश्चर्य के बारे में सुना है जो था भारत.
और अब समय आ गया है कि आप उस आश्चर्यों का आश्चय केरल के बारे में भी सुने.

* यह भारत का सबसे अधिक स्वाक्षरतावाली राज्य है.
  यहां के लोग मेहनति और बुद्धिमान है,
  और राजनीतिक रूप से भी जागरुक है ....

परिणाम स्वरूप,
केरल में निवेश के लिए बहुत ही फायदेमंद औद्योगिक वातावरण उपलब्ध है
केरल निवेशकारियों को हार्दिक स्वागत के लिए तैयार है.

केरल में औद्योगिक शांति सुरक्षित है
और कच्चेमालों की कोई कमी नहीं है

केरल आपके इंतजार में है :

उद्योगपतिओं, फैसला आपहीको लेना है...

जन संपर्क विभाग, केरल सरकार

ध्यान साम्राज्यवादी एजेंसियों की देश को तोड़ने वाली गतिविधियों की ओर दिलाती है और उन्हें अपील करती है कि वे फूटपरस्त ताकतों, साम्राज्यवादी षड्यन्त्रों और कांग्रेस (इ) सरकार की नीति के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक तेज करें. कान्फ्रेंस सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे अपनी एकता को और सुदृढ़ करें तथा मजदूरों के सभी वर्गों को जन-संघर्षों की ओर खींचें क्योंकि यही देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है.

केरल और पश्चिम बंगाल के चुनाव-परिणामों पर

सीटू की छठी कान्फ्रेंस केरल व पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग और जनता का, पिछले विधान सभा चुनावों में उन ताकतों पर, जिनकी अगुआई कांग्रेस (इ) ने की, शानदार विजय के लिए, हार्दिक अभिवादन करती है. पश्चिम बंगाल में जो विजय प्राप्त की गई, उसका कारण था, तानाशाही, साम्प्रदायिक और जातिवादी शक्तियों के विरुद्ध तथा जनता के हित में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वामपंथी व जनवादी ताकतों द्वारा अनवरत और दृढ़निश्चयी संघर्ष. वाममोर्चा सरकार द्वारा जनता के आर्थिक हितों की रक्षा ने मोर्चे की विजय को सुनिश्चित किया.

केरल में कांग्रेस (इ) मुस्लिम लीग-केरल कांग्रेस गठजोड़ के विरुद्ध वामपंथी जनवादी मोर्चे की जीत ने देश में उन देशभक्त ताकतों को मजबूत किया है जो देश में अस्थिरता पैदा करने की साम्राज्यवादी कुयोजना के विरुद्ध इसकी एकता व अखंडता की रक्षा करने का प्रयत्न कर रही है. यह विजय हिन्दू साम्प्रदायिकता की उन ताकतों को भी करारा जबाव थी जिनकी प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी है.

बंगाल में वाम मोर्चे द्वारा और केरल में वामपंथी जनवादी मोर्चे द्वारा बर्षों से किए जा रहे सिद्धान्तपूर्ण संघर्ष की सफलता ने सम्पूर्ण देश में वामपंथी व जनवादी ताकतों को इकट्ठा करने के संघर्ष को आगे बढ़ाने में मदद की है. इस ने यह भी दिखा दिया है कि साम्प्रदायिक और फूटपरस्त ताकतों का मुकाबला मजदूर वर्ग, मेहनतकश जनता तथा सभी देशभक्त ताकतों का एकतापूर्ण संघर्ष ही कर सकता है. कान्फ्रेंस राज्य कमेटियों और यूनियनों को अपील करती है कि पश्चिम बंगाल व केरल की विजयों के महत्व को लोगों तक पहुंचाएं और कांग्रेस (इ) सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों से लड़ने के लिए लोगों की एकता को विस्तृत करें.

प्रस्तावित ट्रेड यूनियन-विरोधी संशोधनों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की नई श्रृंखला लागू करने पर

सीटू की छठी कन्फ्रेंस संसद में औद्योगिक विवाद कानून तथा ट्रेड यूनियनज्ज ऐक्ट के प्रतिगामी संशोधनों को जिन्हें लगभग सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने एकमत से नामंजूर किया है, लाने के लिए भारत सरकार द्वारा की जा रही सजिश के खिलाफ अपना तीव्र विरोध दर्ज करती है.

इन संशोधों का उद्देश्य सनत मेहता कमिटी की इन सिफारिशों के अनुरूप, जिन्हें ट्रेड यूनियनों ने बहुत पहले अस्वीकार कर दिया था, एक बाहरी संस्था, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कमीशन, को थोप कर हड़ताल और सामूहिक सौदेवाजी के अधिकारों पर प्रहार करना है. ये संशोधन, यूनियनों को गुप्त मतदान के माध्यम से मान्यता दिए जाने की बात अस्वीकार करते हैं. और पिट्ठू यूनियनों को बढ़ावा देने के लिए तथा मजदूरों पर उनमें शामिल होने के लिए दबाव डालने के लिए 'चेक आफ' व्यवस्था को थोपते हैं.

ये संशोधन, विकास के पूंजीवादी रास्ते और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए द्वार खोलने की सरकार की आर्थिक नीतिओं के कारण उत्पन्न संकट के खिलाफ श्रमिकों के गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मंशा को ही प्रतिफलित करता है.

कान्फ्रेंस संशोधनों को एकमत से अस्वीकार करती है और सरकार से मांग करती है कि वह उन्हें संसद में लाने की अपनी सजिश से बाज आए.

कान्फ्रेंस रथ कमेटी की सिफारिश के अनुरूप, नई श्रृंखला आरम्भ करने से पहले 1960 की श्रृखला को ठीक करने की ट्रेड यूनियनों की मांग की उपेक्षा करने और 1982 के आधार पर उपभोक्ता कीमत सूचकांकों की नई श्रृंखला आरम्भ करने की चाल के लिए सरकार की निन्दा करती है. सरकार द्वारा 1960 की श्रृंखला को ठीक करने से इन्कार करने के कारण मजदूर महंगाई भत्ते की विशाल राशि से बंचित हुए जा रहे हैं. नई श्रृंखला का भारण रेखाचित्र भी मजदूरों के विरुद्ध है क्योंकि सूचकांक बनाने के लिए जो परिबारिक बजट अध्ययन किए गए हैं, वे अबैज्ञानिक हैं और इसके फलस्वरूप सूचकांक का मूल्य मनमाने ढंग से और भी नीचे रखा जाएगा.

कांफ्रेंस इन संशोधनों और नई श्रृंखला के विरुद्ध 16 अप्रैल को देशव्यापी विरोध कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मजदूर वर्ग और नेशनल कैम्पेन कमेटी को बधाई देती है. यह पालियामेंट के आने वाले मानसून सत्र के दौरान इस कमेटी के प्रदर्शन के कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करती है और सभी राज्य कमेटियों व यूनियनों को इस प्रोग्राम की सफलता के लिए पूरे मन से काम करने की अपील करती है.

बेरोजगारी पर

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में सरकार की असफलता की निंदा करती है. हर योजना के साथ बेरोजगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि से सरकारी दावों का दिवालियापन देखा जा सकता है. पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या प्रथम योजना के अन्त में 53 लाख से बढ़कर अब 3 करोड़ के चिन्ताजनक अंक तक पहुंच चुकी है.

याद रखिए,

आपके परिवार में हर जन्म या मृत्यु को रजिस्टर कराना आपके लिए फायदे मंद है

आपके जीवन के हर महत्व पूर्ण मोड़ पर आपको इसकी जरूरत पड़ती है

* जन्म प्रमाण-पत्र निम्न कार्यों के लिए अत्यन्त आवश्यक है—
बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए नौकरी पाने के लिए पासपोर्ट लेने तथा जीवन बीमा के लिए

* और मृत्यु प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए एकमात्र दस्तावेज है—
पेन्शन, बीमा राशि पाने के लिए तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए

* **अपने निकटतम रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में अपने परिवार के हर जन्म एवं मृत्यु को रजिस्टर करायें**

* जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण म्युनिसपल कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दर्ज कराये जा सकते हैं। नगरों एवं शहरों में जन्म को सात दिन के अन्दर तथा मृत्यु को तीन दिन के अन्दर दर्ज कराना आवश्यक है। ग्रामीण इलाकों में जन्म को 14 दिन के अन्दर और मृत्यु को 7 दिन के अंदर दर्ज कराना जरूरी है।

* **समय पर रजिस्टर करायें और निःशुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त कर**

पश्चिम बंगाल सरकार

ICA 2173/87

सरकार के पास शहरी रोजगार की कोई योजना नहीं है. देहाती रोजगार पैदा करने की इसकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं. ग्रामीण बेरोजगारी अब 5 करोड़ के कहीं आस-पास है.

पूंजीवादी आयोजन में बेरोजगारी की अनिवार्य वृद्धि और नौकरियों की असुरक्षा का लाखों-करोड़ों लोगों और उस प्रत्येक परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिसे बेरोजगार युवाओं का बोझ वहन करना पड़ता है. बढ़ती हुई उद्योग-बंदी और औद्योगिक रुग्णता, जिसने हजारों कर्मचारियों—जिनमें स्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं—को सड़क पर ला खड़ा किया है, से स्थिति और भी खराब हो गयी है. भर्ती पर सरकारी प्रतिबन्ध तथा 'गोल्डन हैंडशेक' की नीति से स्थिति और बदतर हुई है. इन सब के अलावा, निजीकरण, आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण की सरकार की नयी आर्थिक नीति के कारण कार्यशील जनसंख्या की नौकरियों पर आघात का खतरा और बढ़ गया है.

इस स्थिति में, ट्रेड यूनियनों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है बेरोजगार श्रमशक्ति, जो मजदूर वर्ग का एक हिस्सा है, को संगठित करना.

कान्फ्रेंस बेरोजगारी के विरुद्ध विशाल विरोध-कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए केरल की राज्य कमेटी को बधाई देती है. यह पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए और अपने सीमित अधिकारों और साधनों के बावजूद रोजगार उत्पन्न करने के लगातार प्रयासों के लिए बधाई देती है.

कांफ्रेंस शहरी और देहाती बेरोजगारों की फौज को विरोध कार्यक्रमों में गतिशील करने, जो कि संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक आवश्यक अंग है, की जरूरत की ओर राज्य कमेटियों और यूनियनों का ध्यान दिलाती है. संविधान में काम करने के अधिकार को एक मूलभूत अधिकार के रूप में जोड़ने की सीधी मांग करने से और बेरोजगारों को राहत देने से श्रमशक्ति के इस महत्वपूर्ण अंग में विश्वास उत्पन्न होगा जिससे वे ट्रेड यूनियन आंदोलन की मुख्य धारा में आकर रोजगार प्राप्त लोगों के साथ मिलकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे.

कांफ्रेंस राज्य कमेटियों को बेरोजगारों की कांफ्रेंस करने के लिए कहती है और बेरोजगारों की ओर से यथेष्ट बेरोजगारी राहत तथा संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में काम करने के अधिकार की मांग करती है. इसके अलावा कांफ्रेंस यूनियनों और राज्य कमेटियों को इन मांगों के समर्थन में रोजगारयुक्त तथा बेरोजगार मजदूरों के संयुक्त प्रदर्शन संगठित करने के लिए कहती है.

सम्मेलन में प्रतिनिधियों का एक अंश

सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को घटाने की सरकार की नीति पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र को नीचा गिराने की सरकार की नीति व निजीकरण तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आमन्त्रण की नीति के लिये सरकार की भर्त्सना करता है. इस नीति ने वस्तुतः 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को उलट दिया है. जो जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान किया गया और जो अब तक मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहा। यह पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं पर निभरता को घटाने व राष्ट्रीय योजना तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक था. इसलिए नौकरशाही के कुप्रबन्ध के बावजुद मजदूर वर्ग, ट्रेड, यूनियन आन्दोलन तथा प्रगतिशील शक्तियों ने सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन किया।

बहरहाल, अपने वित्तीय पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साम्राज्यवादी देशों व विश्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ दिया क्योंकि यह साम्राज्यवादी घुसपैठ में बाधक सिद्ध हो रहा था। भारत सरकार पर उन्होंने निरंतर दबाव डाला कि वह अपनी नीति में परिवर्तन करे ताकि उत्थान व विकास के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा मिल सके।

राजीव गांधी सरकार की नई आर्थिक नीति ने इस दबाव के समक्ष घुटने टेक दिये हैं व उसका लक्ष्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विघटन योजनाबद्ध तरीके से हो जाय तथा निजीकरण को प्राथमिकता मिले. सरकार द्वारा अर्जुन सेन गुप्त समिति के निर्देश कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को सरकार व संसद के नियन्त्रण से अधिकाधिक स्वतन्त्र कर दिया जाय, विश्व बैंक की मांगों को अधिक सुविधायें देने की ओर ही इशारा करता है तथा राष्ट्रीय योजना तथा आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है।

सम्मेलन इस बात पर विशेष चिन्ता व्यक्त करता हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की महत्व को गिराने का उद्देश्य सिर्फ भारतीय एकाधिकारियों को फायदा पहुंचना ही नहीं है अपितु उच्च तकनीक के नाम पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रण देना भी है. साम्राज्यवाद की घेराबन्दी से मुक्त रहने की प्रगतिशील प्रक्रिया को इस तरह छोड़ दी गई है व देश, जनसाधारण तथा मजदूर वर्ग को साम्राज्यियों के जाल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निष्ठुर शोषण हेतु छोड़ दिया गया है. इस तरह भारत की स्वतन्त्रता व आजादी को खतरा पैदा हो गया है।

अतः सार्वजनिक क्षेत्र से सबद्ध सरकारी नीति पतनोन्मुख व राष्ट्र विरोधी है. सम्मेलन इस बात पर सन्तोष व्यक्त करता है कि इस नीति का जनता के व्यापक हिस्से ने और विशेषतया मजदूर वर्ग द्वारा, जबर्दस्त विरोध किया क्या है 21. जनवरी को हुई सरकारी नीति के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों द्वारा विरोध हड़ताल के लिए सम्मेलन कर्मचारियों को बधाई देता है। सम्मेलन मजदूर वर्ग से आह्वान करता है और संयुक्त समिति व उन सभी ट्रेड युनियनों से जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया, अपील करता है कि वे इस राष्ट्रीय समस्या के समाधान हेतु एकताबद्ध होकर ऐसा आन्दोलन आयोजित करें जिससे बाध्य होकर सरकार को अपनी नीति में अमूल परिवर्तन करना पड़े।

असंगठित श्रमिकों पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन सरकार की भर्त्सना करता है कि वह असंगठित मजदूरों की अवस्था सुधारने में असफल रही है। असंगठित मजदूर जो देश की श्रमक्षमता का 90 प्रतिशत है, सर्वाधिक शोषित तबका है. ये सेवा या सामाजिक सुरक्षा से वंचित अपमानजनक व दुःखद परिस्थतियों में काम करने को विवस है. प्रवासी मजदूरों को लगभग बन्धुआ परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है. इस दिशा में जो भी कानून है वे पूर्णरूपेण अपर्याप्त, कमियों से भरपूर होने से भी लागू नहीं किये जाते। मालिक खुलेआम उन्हें सांविधिक श्रम कानूनों की विधाने, न्यूनतम वेतन व मंहगाई भत्ता देने से इन्कार करते हैं। इन सुविधाओं की मांग करने पर मालिकों के किराये के उनके टट्टूओं व सरकारी मशीनरी द्वारा उन पर बर्बर दमन चलाया जाता है।

सम्मेलन राज्य समितियों व यूनियनों का ध्यान उनके इस असफलता की ओर आकर्षित करता है कि श्रम शक्ति के इस बड़े भाग को ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाभबंद नहीं किया गया जो श्रमिकों की एकता को कमजोर करता है व उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है।

अतः सम्मेलन राज्य समितियों व यूनियनों को निर्देश देता है कि वे असंगठित मजदूरों को संगठित करने की दिशा में कार्य क्रम तैयार करें व उन्हें संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध करें।

किसानों व खेत मजदूरों के संघर्ष पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन किसानों व खेत मजदूरों के बहादुराना संघर्ष से एकटजुटता जाहिर करते हुए उनका हार्दिक अभिनन्दन करता है जो सरकारी मशीनरी के घोर उत्पीड़न से दो चार हैं व जमींदारों के टट्टूओं केडा कुआने आक्रमणों का

सामना कर रहे हैं। सम्मेलन सरकार के जमींदारों के साथ मिली भगत की भर्त्सना करता है, जिन्होंने खुले आम भूमि सेनाओं का गठन ही इसलिए किया है ताकि ग्रामीण मजदूरों, हरिजनों व उनकी स्त्री जातियों पर अत्याचार करें। यह सरकार की इसलिए भर्त्सना करता है कि उनके लिये घड़ियाली आंसू बहाते हुए जमींदार लाबी से सांठ गांठ करके उसने खेत मजदूरों के लिये कानून बनाने तक से इन्कार कर दिया है। सम्मेलन पुलिस की गोली व गुंडे हमले का शिकार किसानों व खेत मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

सम्मेलन संतोष के साथ नोट करता है कि देश के विघटनकारी शक्तियों से ग्रस्त होने के बावजूद जाति, सम्प्रदाय व जातीय वैभिन्न को भुलाकर, कई राज्यों में पंजाब से केरल व त्रिपुरा से महाराष्ट्र तक में, रोजगार, लाभप्रद मूल्य, भूमि सुधार न्यूनतम वेतन, सस्ते दामों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, ऋण व अनावृष्टि से राहत आदि माँगों को लेकर जबरदस्त संघर्षों का आयोजन हुआ है सम्मेलन दोनों किसान सभाओं व खेत मजदूर यूनियनों को बधाई देता है कि उन्होंने किसानों व खेत मजदूरों की मांगों के समर्थन में एकताबद्ध होकर संघर्ष छेड़ने में पहल की है।

सम्मेलन पश्चिमी बंगाल व त्रिपुरा की बाम मोर्चों की सरकारों को बधाई देता है कि उन्होंने किसानों व खेत मजदूरों की दशा सुधार में युक्ति पारत व सफलता पूर्वक कार्य किया है। यह विश्वास व्यक्त करता है कि वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे की वापसी से इन क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा व सभी सुविधाओं की पुर्नस्थापना होगी जो कांग्रेस (इ) की नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार द्वारा छीन ली गई थी.

सम्मेलन तमिलनाडु व कर्नाटक की राज्य समितियों को बधाई देती है कि उन्होंने किसानों खेत मजदूरों के संघर्ष में एकजुटता का प्रदर्शन किया तथापि यह स्पष्ट है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन अभी भी किसानों व खेत मजदूरों से अलग अलग है तथा एकजुटता की गतिविधियां मात्र सांकेतिक प्रकृति की ही रही हैं। अतः सम्मेलन राज्य समितियों से आह्वान करता हैं कि वे किसानों व खेत मजदूरों से और सन्नद्धता बढ़ायें तथा उनकी माँगों के समर्थन में होने वाले संघर्षों का नेतृत्व करें।

औद्योगिक बीमारी व मिलबंदियों पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन बढ़ती औद्योगिक रूग्णता व मिलबंदियों के विषय में गंभीर चिंता व्यक्त करता है जिसके कारण हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये है। छठी योजना के दौरान, जबकि सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण (1984-85) ने दावा किया था कि अर्थव्यवस्था का कार्य संतोषजनक रहा है, रुग्ण इकाइयों की संख्या 22,742 (1980 जून में) से बढ़कर (दिसबर 1985 में) 119606 हो गई। इस अवधि में रुग्ण इकाइयों की संख्या 372 से 637 तक बढ़ीं। बैंक की उधार राशि 1543 करोड़ से बढ़कर 4271.93 करोड़ रुपये हो गई। इस रूग्णता से केवल पारम्परिक उद्योग ही प्रभावित नहीं हुये बल्कि बड़े-बड़े उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र समेत, भी प्रभावित हुये। इनमें से लगभग एक लाख इकाइयों को सरकार के द्वारा अव्यवहार्य घोषित कर दिया गया है। इसके परिणति होगी कि 10 प्रतिशत मजदूर बेकार हो जायेंगे, फलतः पहले से ही बढ़ती संख्या और अधिक दुस्प्रभावित होगी।

सम्मेलन सरकार की इस समाज-विरोधी व राष्ट्र-विरोधी नीति की भर्त्सना करता है कि उसने एकाधिकार वादियों के हितों का संवर्धन किया है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति में इस दौरान दिन दूनी-रात चौगनी वृद्धि की है व मजदूरों व जन साधारण को औद्योगिक रूग्णता व क्लोजरों के द्वारा भयंकर दारिद्र की ओर धकेल दिया है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति ने, निजीकरण की नीति, आयात में उदारता व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नियंत्रण की नीति, आदि, ओद्योगिक रुग्णता व मिलबंदियों को और अधिक तीव्र कर दिया है। सरकार के लम्बे-चौड़े दावों व घोषणाओं का उद्देश्य जन साधारण की आंखों में धूल झोंकने के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंकों आई० आर० बी० आई० जिसकी स्थापना भारतीय ओद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) के स्थान पर हुई जो ओद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान से ओत-प्रोत है, स्वयं भ्रष्टाचार से ग्रसित है। एकाधिकारवादियों को यह अनुज्ञा प्रदान कर देता है कि वे संस्थानों से धन निकाल लें, इस तरह बैंकों व वित्तीय संस्थाओ से मिली भगत के द्वारा उन्हें रुग्ण कर देता है।

सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि वह मिलबंदियों व रूग्णता पर प्रतिबन्ध लगाये तथा उन व्यवस्थापक मण्डलों को कठोर दंड दे जो फंड हस्तातरण के जरिए संस्थाओं को रूग्ण होने पर बाध्य कर देते हैं व हस्तांतरित फंड को कहीं अन्यन्त्र तथा अधिक लाभप्रद मुकामों में लगाने का अवसर प्रदान करते हैं सम्मेलन मांग करता है कि मजदूरों के सहयोग से सभी रूग्ण संस्थानों को पुनर्जीवित किया जाय व उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तथा उनका संचालन मजदूरों के वास्तविक सहयोगिता के आधार पर हो.

बिगड़ती स्थिति की इस पृष्ठभूमि में, सम्मेलन राज्य समितियों व यूनियनों का आह्वान करता है व एन. सी. सी. से अपील करता है कि वे इस दिशा में अपने प्रयास दो गुना बढ़ायें तथा एकताबद्ध गतिविधि को तीव्रता कर सरकार को इन मांगों को मानने के लिए बाध्य कर दें.

कामकाजी महिलाओं के विषय में

सीटू का छठा सम्मेलन सरकार की भर्त्सना करता है कि उसने कामकाजी महिलाओं के विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया ताकि उनकी रोजगार की स्थिति में सुधार के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रोका जा सके।

विकृत आर्थिक अवस्था ने अधिकाधिक महिलाओं को मजबूर कर दिया है कि वे रोजगार प्राप्ति की चेष्टा करें जिसकी पुष्टि नौकरी प्राप्ति की इच्छुक महिलाओं के पंजीकरण को बढ़ती बृहत् संख्या से होती है जो 1980 में जहां 23.45 लाख थी 1986 के अंत में बढ़कर 50.98 लाख हो गई सरकार का यह दावा कि उसने महिलाओं को अधिक रोजगार देने की दिशा में कदम उठाये हैं, अपने ही आंकड़ों से मिथ्या सिद्ध हो जाता है जिनसे पता लगता है कि 1980-81 से 1984-85 कामकाजी महिलाओं की संख्या स्थिर रही जो रोजगार का 12 प्रतिशत है और वह भी सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर.

उनकी बेरोजगारी के बढ़ने के अतिरिक्त, महिलाओं को आधुनीकरण कम्पुटीकरण के कारण छंटनी का पहला शिकार होना पड़ता है समान मुआवजा अधिनियम पारित होने के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध होने वाला भेदभाव जारी है क्योंकि मालिक इसे लागू नहीं करते. उनकी विशेष मांगों की उपेक्षा कर दी जाती है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर दो बच्चों के बाद उनकी प्रसूति संबन्धी सुविधाएँ रोक दी जाती है। ठेके व आकस्मिक महिला मजदूरों को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है।

सम्मेलन उन महिला मजदूरों का गर्मजोशी से स्वागत करता है जो अपने हितों व अधिकारों के लिये जबरदस्त संघर्ष कर रही है। यह यूनियनों का ध्यान आकर्षित करता है कि महिला मजदूर सर्वहारा वर्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है व अत्यधिक शोषित अंश है लेकिन यूनियनें इसके प्रति उदासीन रहा है। यह इस बात पर चिन्ता व्यक्त करती हैं कि कई राज्यों में महिला मजदूरों के समन्वय समितियों का गठन नहीं हुआ है व जहाँ हुआ भी है वहाँ वे संतोषर्जनक रूप में कार्य नहीं कर रही। सम्मेलन समस्त राज्य व यूनियनों का निर्देश देता है कि वे ऐसी समितियों की स्थापना करें व यूनियन की गतिविधियों में सभी स्तरों पर उनकी सहयोगिता को सुनिश्चित करें व इस बात की अनिवार्यत मांग करें कि श्रमिक कानूनों के कार्यान्वित व सभी स्तरों पर नीति निर्धारण में समितियां महिला मजदूरों की समन्वय समितियों को संबद्ध करें।

जूट, कपड़ा व चीनी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन जूट, कपड़ा व चीनी उद्योगों में बढ़ते संकट के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करता है जो एकाधिकारियों प्रति सरकार की चापलूस नीतियों के कारण है व इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की अपनी मांग को पुनः दोहराता है।

एकाधिकार पटसन मिल मालिकों ने करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाया है व इस चेष्टा में हैं कि वे अपनी लूट में मजदूरों व उत्पादकों के निष्ठुर शोषण द्वारा और अधिकाधिक कृतिम बोरियों के उत्पादन से उद्योग घोर संकट से ग्रस्त है जो आँतरिक बाजार के 50 प्रतिशत बोरियों का स्थान ले लेगा। आधुनिकीकरण के निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा 250 करोड़ की राशि की घोषणा मात्र एक छलावा है जो आधुनिकीकरण के कारण मिलों के स्थाई बंदीकरण का कारण बनेगा जिसके फलस्वरूप हजारों की संख्या में मजदूर बेकार हो जायेंगे।

कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में बढ़ती संवृतियों के कारण लाखों मजदूर बेकार हो गये हैं। सरकार की नई कपड़ा नीति, जिसमें आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है, ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। इस नीति ने न केवल संगठित मिल क्षेत्रों को प्रभावित किया है बल्कि पावरलूम व हथकरघे दोनों पर भी दुस्प्रभाव डाला है। कृतिम कपड़ा उत्पादक निसंदेह कपास उत्पादकों पर भी गंभीर प्रहार करेगा।

चीनी उद्योग में बढ़ती रुग्णता व क्लजोर के कारण सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। मालिकों द्वारा लाभ का मूल्य देने से इन्कार के कारण गन्ना-उत्पादकों की स्थिति दयनीय जैसी हो गई है। इस स्थिति में सरकार की नई नीति के कारण चीनी उद्योग के सेठों को सैकड़ों करोड़ रुपयों का फायदा हुआ है। मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने उन पर वेजबोर्ड थोप दिया है। चीनी उद्योग के सामंतों के दबाब में आकर वेजबोर्ड पर जिनका नियंत्रण है, सरकार ने मजदूरों के प्रति कठोर रुख अपनाकर उन्हें आंदोलन के पथ को अपनाने के लिये मजबूर कर दिया है।

उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में जहां इस उद्योग में और अधिक गंभीर संकट की संभावना है, सम्मेलन राज्य कमेटियों व यूनियनों से आह्वान करता है कि वे इस उद्योग के

राष्ट्रीयकरण के मांग की दिशा में कदत उठायें व वास्तविक व्यवस्थापन में मजदूरों की सहभागिता को सुनिश्चित करें।

भवन निर्माण मजदूरों के लिये व्यापक केन्द्रीय विधेयक पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन भवन निर्माण उद्योगों से संबन्ध मजदूरों के प्रति भारत सरकार का कठोर रुख की भर्त्सना करता है जिसके तहत उसने इन मजदूरों के लिये व्यापक कानून बनाने से मना कर कर दिया है।

इस देश में भवन निर्माण उद्योग में सर्वाधिक मजदूर नौकरी करते हैं। इस क्षेत्र में विविध कार्य सन्निहित है जैसे, बांधों, बिजलीघरों, पुलों, बन्दरगाहों, सड़कों, रेलपथों व कारखानों के दौड़पथों और कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, होटलों व सामान्य निवास भवनों आदि का निर्माण, इनमें से अधिकांश जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है मौसमी हैं व समय-समय पर नौकरी की स्थिति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इन बृहत संख्यक मजदूरों की नौकरियों का कानूनी संरक्षण नहीं है, उनमें समानता नहीं है व सेवा शर्तों में समरूपता का अभाव है।

उद्योग में कार्यरत स्थाई मजदूरों में, बृहत्तर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान एच. एस. सी. एल. सहित, अतिशयता व छटनी का डर सदैव बना रहता है क्योंकि इस स्थाई रूपी नौकरी के क्षेत्र में ठेके व उपठेकों को कुत्सित प्रक्रियायें कार्यरत हैं।

सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि वह भवन निर्माण उद्योग के मजदूरों के विषय में केन्द्रीय कानून बनाये व उनकी नौकरी को सुरक्षा व समान सेवा शर्तों से सुनिश्चित करें यह यूनियनों व समन्वय समितियों से आहवान करता है कि वे अपने संघर्ष को तेज कर सरकार को मजबूर करें कि वह कानून बनाने के लिये बाध्य हो जाय।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघर्ष पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन सरकार की नवीन कम्प्यूटर नीति व अन्य आर्थिक कदमों, जैसे वाणिजीकरण व निजीकरण जिसके कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्थितियों में परिवर्तन हुआ है जबकि नौकरी साधारण व्यक्ति की पहुंच से अधिक दूर होती जा रही है, की भर्त्सना करता है। बहुत सी सेवाओं को फालतू घोषित कर दिया गया है जिसके कारण देश में रोजगार के अवसर और अधिक सिकुड़ते जा रहे हैं जबकि सरकार के प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों पर कार्यभार और बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, चौथे वेतन आयोग ने पाँच दिवसीय सप्ताह के नाम पर कार्य का बोझ और बढ़ा दिया है जिसे सरकार ने कर्मचारियों के विरोध के बावजूद व उसे नजरन्दाज करके लागू कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आशायें कि उनके वेतन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के समकक्ष कर दिये जायें, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा मिथ्या सिद्ध हो गई है। उसकी सिफारिशों को केन्द्रीय कर्मचारियों पर एक शरारत भरे प्रभाव की प्रस्थापना की है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभाजन हो गया है, आवास प्राप्त व आवास-विहीन कर्मचारियों में तथा अधिक व कम वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में रिक्त स्थानों पर भर्ती को रोककर सरकार ने इतना पैसा बचा लिया है कि वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये अन्य सुविधाओं की अदायगी वह आसानी से कर सके। महंगाई भत्ते की प्रणाली जो पहले से ही वेतन अबमननी थी, अब और अधिक अवमननी बना दी गई है। यूनियनों की एकता कार्यशैली की असमर्थतता ने सरकार को और अधिक सशक्त कर दिया है कि वह सरकारी कर्मचारियों को कार्य सुरक्षा के अपहरण की तैयारी कर रही है जैसे आत्म सुरक्षा का अधिकार, ताकि वह सभी तरह के संघर्षों के विरुद्ध उत्पीड़न व निर्दयी दमन की नीतियों को लागू कर सके।

यह सम्मेलन उस व्याप्त अनुकूल वातावरण की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करता है जो केन्द्रीय, राज्य सरकारों व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों में आंदोलन को विकसित करने में सहायक है. जो आवश्यकता पर आधारित वेतन व अन्य माँगों के अनुरूप है व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेताओं से अपील करता है कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर एक ऐसी शक्तिशाली एकता की स्थापना करें जो सरकार की वर्तमान श्रम-विरोधी नीतियों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष करें व उसे मजबूर कर दे कि वह निजीकरण की नीति व सार्वजनिक क्षेत्र के विषय में अपनी निन्दात्मक नीति का परित्याग करने के लिए बाध्य हो जाय। सीटू यह शपथ लेता है कि वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के न्याय संगत माँगों का समर्थन करेगा व उनके कार्यभार व कार्यालय कार्यविधि की वृद्धि के विरुद्ध होने वाले संघर्ष में उनका साथ देगा।

रेल कर्मचारियों के संघर्ष पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन रेल कर्मचारियों को वेतन में समानता के निरन्तर मनाही को गम्भीर चिन्ता के साथ नोट करता है जबकि तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादकता से संबंद्ध उनके दायित्व में बढ़ोतरी हो रही है। चौथे वेतन आयोग ने न केवल उनकी समान वेतन के माँग को मानने से इन्कार कर

दिया है अपितु मूल्य वृद्धि के कारण होने वाले वेतन अपरदन को पूर्ण रूपेण निष्प्रभावित कर पाने में भी असफल रहा है। आयोग द्वारा सिफारिश की गई मंहगाई भत्ते की प्रणाली पूर्व प्रणाली की अपेक्षा अधिक अवमननी सिद्ध होगी। पिछले डेढ़ दशकों के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद की बढ़ोतरी पर चिन्तन तक नहीं हुआ। रेलवे के हरेक विभाग में वेतन से संबंद्ध क्षितिज सापेक्षता में परिवर्तन की सिफारिश कर वेतन आयोग ने जो असंतुलन निर्धारण किया है, उससे रेलवे कर्मचारियों में घबराहट व उत्तेजना की भावना बढ़ी है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी रेलवे संगठनों ने कुछ सिफारिशों का विरोध किया है व उनमें सुधार की मांग की है, लेकिन एकताबद्ध होकर नहीं।

सम्मेलन रेलवे अधिकारियों की इस बात पर भर्त्सना करता है कि वे गाजर-चौंपन नीति के द्वारा रेलवे कर्मचारियों में विभाजन करना चाहते हैं। बैठकों, धरनों आदि कार्यक्रमों में भी भाग लेने पर कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने की उनकी नीति इस बात की सूचक है कि वे खुले रूप में रेलवे कर्मचारियों में आतंक का वातावरण फैलाना चाहते हैं ताकि लड़ाकू आंदोलनों की प्रवृति को रोका जा सके। रेलवे कर्मचारियों को डराने की दृष्टि से उन्होंने जुलाई 1985 में मोतीराम पटेल व सितम्बर '85 में सत्यवीर सिंह के मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को लागू नहीं किया है क्योंकि इनमें से किसी भी उत्पीड़ित कर्मचारी को न तो दुबारा नौकरी पर रखा गया है और न ही आदेश के अनुरूप पूर्ण छानबीन के आदेश जारी किये गये हैं।

दूसरी ओर पुनर्विचार हेतु दिये गये प्रतिवेदनों को उन्होंने रद्द कर दिया है। कर्मचारियों को मजबूर करने के लिये कि वे सर्वोच्च न्यायालय व अन्य अधिकारियों के दरवाजे खटखटायें। यह बैठक सरकार को चेतावनी देती है कि यदि वह इस संदर्भ में अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती तो औद्योगिक संबंधों की स्थिति के और अधिक बिगड़ने की सम्भावना है जिसके फलस्वरूप रेलवे सेवाओं का सुचारु ढ़ंग से कार्य करना दूभर हो सकता है।

यह बैठक अधिकारियों की विश्व बैंक के दबावों के समक्ष घुटना टेक नीति की भर्त्सना करती है कि हमारी अपनी क्षमताओं के विपरीत सम्पूर्णतः आयातित यंत्र रहित परिकलन किया जाय, जिसके फलस्वरूप नौकरियों की संख्या सीमित व संकुचित हो जाय, निजीकरण व स्थाई प्रकृति की नौकरियों के स्थान पर ठेका मजदूर से काम चलाया जाय। इंजन चालकों के साथ हुये 10 घन्टे के समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है, हालांकि यह समझौता हुए 14 वर्ष बीत गये हैं। इनसे रेलवे में नौकरियों की क्षमता में गिरावट आई है जो श्रम-बाजार के नवागन्तुकों के समक्ष भयावह काला चित्र प्रस्तुत करता है।

यह सम्मेलन भारतीय रेलवे के इंजन चालकों को बधाई देता है कि दण्डात्मक मानदण्डों के अन्तर्गत व्यथा से ग्रस्त होने के बावजूद दमनात्मक कार्य के घण्टों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

यह बैठक रेलवे कर्मचारियों के सभी संगठनों से अपील करती है, जिन्होंने अप्रैल 87 के अन्तिम सप्ताह में अपनी सभी शक्तियों को लामबंद किया था, कि वे एक जुट होकर इन माँगों के प्रति, नौकरी क्षमता के संरक्षण व रिक्त स्थानों की पूर्ति के माँगों सहित एक शक्तिशाली आवाज बुलन्द करें। सीटू रेलवे कर्मचारियों की सभी जायज माँगों के लिये होने वाले संघर्ष को अपना सम्पूर्ण समर्थन देता है व उनकी सफलता की कामना करता है।

सूखे की स्थिति पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन देश के अधिकांश भागों में हुई अभूतपूर्व सूखे की स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। कम से कम 13 राज्यों व दो संघ क्षेत्रों के हजारों गाँवों में से 109 शहरी क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। खेत में खड़ी फसलें या तो पूर्णतः विनष्ट हो गई हैं अथवा बुरी तरह प्रभावित हुई हैं जिसके कारण लाखों लोग, विशेषतया ग्रामीण गरीब, प्रभावित हुये हैं। उड़ीसा में अकाल से मरने वालों की खबर है. महाराष्ट्र में आत्म-हत्याओं व बच्चों के बिक्री की खबरें हैं। बहुत से क्षेत्रों में दरार पड़ी भूमि में कृषि करना असम्भव हो गया है जिसके कारण लोगों को अपने मवेशियों एवं अन्य घरेलू सामानों को बेचकर शहरों की ओर नौकरी की तलाश में भागने को बाध्य होना पड़ा है। अनावृष्टि की गंभीरता के कारण पीने के पानी का अभाव हो गया है, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी जैसे मद्रास, हैदराबाद, बम्बई व अन्य स्थानों पर नलों से पानी भरने वालों की लम्बी कतारें सामान्य बात हो गई हैं। गाँवों में घड़े भर पानी हेतु लोगों को 5-6 कि० मी० तक पैदल भागना पड़ता है।

सम्मेलन केन्द्रीय सरकार की इस बात के लिये भर्त्सना करता है कि वह अकाल की स्थिति को स्वीकार करने को तत्पर नहीं है व इस स्थिति से निबटने के लिये आपात् स्तरीय साधनों को नहीं अपना रही। लम्बे चौड़े दावों के बावजूद कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हैं, यह स्थिति की माँग के अनुरूप यथोचित मात्रा में इनकी पूर्ति नहीं कर रही। राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली अनावृष्टि सहायता मात्र

एक छलावा है जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस निमित्त जहाँ 494 करोड़ रुपयों की माँग की, केन्द्रीय सरकार ने 36·27 करोड़ की अल्प राशि दे छुट्टी पा ली। क्रमिक रूप में उसके द्वारा उद्घोषित तथाकथित मानदण्ड जैसे रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल, आपूर्ति कार्यक्रम आदि धोखा सिद्ध हुए हैं व किसानों तथा खेत मजदूरों को जमींदारों, बड़े व्यापारियों व बिचौलियों की कृपा दृष्टि पर छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में जल स्तर काफी नीचा चला गया है, क्योंकि जल स्रोतों पर पूंजीपति गन्ना उत्पादक किसानों का एकाधिकार है जिन्होंने गरीब किसानों व सामान्य लोगों को अकिंचन की स्थिति में धकेल दिया है.

इस तथ्य के बावजूद कि अनावृष्टि देश में स्थानीय प्रकृति के कारण है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष देश के लाखों लोग तबाही की ओर अग्रसित हो रहे हैं, केन्द्रीय सरकार जल-स्रोतों के नियमन हेतु वैज्ञानिक योजना को अपनाने से इन्कार करती है जिससे गरीब लोग लाभान्वित होते, इसके स्थान पर वह तदर्थतावाद की नीति का अनुकरण कर लोगों को अनिश्चित वर्षा के भरोसे छोड़ देती है इस दिशा में कांग्रेस (आई) शासित राज्यों ने भी आपराधिक उदासीनता का परिचय दिया है।

सम्मेलन केरल की वामपंथी सरकार को बधाई देता है कि सत्ता में आने के शीघ्र बाद उसने अपने सीमित साधनों के बावजूद लोगों के दुःखों को कम करने का प्रयास किया है। यह पश्चिमी बंगाल व त्रिपुरा की सरकारों को मुबारकबा ददेता है कि उन्होंने अपने समस्त संगठनात्मक मशीनरी को इस दिशा में लामबंद कर इस समस्या के समाधान का पुरजोर प्रयास किया है। राज्य समितियों, विशेषतया महाराष्ट्र व उड़ीसा की राज्य समितियों जिन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलनों की शुरूआत में पहल की, का सम्मान करते हुए सम्मेलन उनसे आह्वान करता है कि वे यथा-संभव प्रभावित लोगों की मदद करें व आंदोलन को तेज करें और केन्द्रीय सरकार से यह मांग करता है कि जल आपूर्ती की दिशा में वह सन्तोषजनक कदम उठाए, पर्याप्त धन राशि दे और स्थिति से निबटने के लिए खादान मुहैया करें।

नई दवा नीति पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन सरकार की नवीन औषधि नीति, जो उसकी नवीन आर्थिक नीति के अनुकूल ही है, के लिए उसकी भर्त्सना करता है. सरकार ने वस्तुत हाथी समिति की सिफारिशो को नकार दिया है जिसने औषधि उत्पादन से सम्बन्ध कई बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की राष्ट्र विरोधी भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए उनके राष्ट्रीयकरण का आह्वान किया था। इन सिफारिशों के ठीक विपरीत कि सार्वजनिक क्षेत्र को इस दिशा में नेतृत्व-कारी भूमिका दी जाय, नवीन औषधिनीति ने औषधि उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र को गौण बना दिया है। भारत, औषध उत्पादक संगठन जो बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों से सम्बद्ध है, के मांगों के समक्ष घुटना टेकते हुए सरकार ने न केवल औषधियों के मूल्यों में भारी वृद्धि की अनुज्ञा प्रदान की है बल्कि उसने औषधियों पर से कन्ट्रोल हटाना व लाइसेंस मुक्त करना तक स्वीकार कर लिया है उसने आयात को और अधिक उदार बना दिया है। एफ. इ. आर. ए. तथा एम. आर. टी. पी. कम्पनियों को किसी भी तरह की औषधि उत्पादन सम्बन्ध मामलों में सरकार की अनुमति के बिना भी पहल करने की अनुज्ञा दे दी है इस नीति ने वस्तुतः भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा झोंकी जा रही ऐसी औषधियो की भी छूट दे दी है जो अन्यथा प्रतिबन्धित है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है एवं असंगत है।

अत: नवीन औषधिनीति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व भारतीय एकाधिकार क्षेत्रों के हितों की पूर्ति में जहाँ सहायक है वहां मज-दूरों व लोगों के निष्ठुर शोषण के होते रहने के साथ-साथ इसका जबरदस्त दुस्प्रभाव लघु, मध्यम व सार्वजनिक क्षेत्रों पर पड़ेगा जो पहले से ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं. इससे आत्मनिर्भरता व देशीकरण की प्रक्रिया और अधिक क्षीण होगी।

सम्मेलन नई औषधि नीति को अस्वीकार करता है और सर-कार से मांग करता है कि वह बहुराष्ट्रीय औषध निर्माण कम्प-नियों का राष्ट्रीयकरण करे व जन साधारण के हितों को ध्यान में रखते हुये औषध उद्योग के ट्रेड यूनियनों व अन्य संगठनों जैसे डाक्टरों, वैज्ञानिकों आदि से मंत्रण कद एक वैकल्पिक औषधि नीति तैयार करे।

सम्मेलन अखिल भारतीय रासायनिक व औषध कर्मचारी संघ तथा भारत औषध प्रतिनिधि संघों व अन्य संघों को बधाई देती है जो औषधि उदयोग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के हस्तक्षेप के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष कर रहे हैं. यह औषधि नीति से संबंधित राष्ट्रीय प्रचार समिति के गठन का स्वागत करता है जो उस संघर्ष को बढाने को कृत संकल्प है तथा उसे अपना सम्पूर्ण समर्थन प्रदान करता है।

सुरक्षा, पेशेवर व्याधियों व पर्यावरण प्रदूषण के सवाल पर

सीटू का छठा सम्मेलन बढ़ते औद्योगिक दुर्घटनाओं, मृत्यु के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त करता है, केवल संगठित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 35 लाख दुर्घटनायें होती हैं जिनमें मरने वालों की संख्या लगभग 865 है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व भारतीय उदयोगपति अत्यधिक

मुनाफा कमाने की लोभ में मजदूरों को अस्वस्थकर वातावरण में व पुरानी व खतरनाक मशीनों के प्रयोग के लिए बाध्य करते हैं जिन में सुरक्षा नियमों का सर्वथा अभाव होता है। जब भी मजदूर व ट्रेड यूनियनें इस बात का विरोध करती हैं, उन्हें दण्ड का भागी बना दिया जाता है तथा इन दुर्घटनाओं के जिम्मेदार व्यवस्थापकों को सरकार साफ बचा ले जाती है।

असंगठित क्षेत्र में जहाँ बहुसंख्यक मजदूर कार्य करते हैं, होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या, मरने वालों की संख्या तथा स्वस्थ कार्य करने के वातावरण का कोई भी अधिकारिक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है।

दुर्घटनाओं के अतिरिक्त, पेशेवर व्याधियों की घटनायें काफी ऊँची हैं। पेशेवर व्याधियों की घटनाओं के विषय में अधिकारिक सेवा मात्र सतही है। बहुत से अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि फेफड़ों की बीमारियाँ, क्षयरोग एवं श्वास सम्बन्धी आदि व्याधियाँ बड़े पैमाने पर बढ़ रही हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व बड़े उद्योगपति पर्यावरण प्रदूषण के सबसे बड़े दोषी हैं जिनके छीजन आदि से वातावरण प्रदुषित होता है तथा जीवन को दुष्प्रभावित करता है।

बिगड़ते हालात के प्रति सरकार की उदासीनता के लिये सम्मेलन सरकार की भर्त्सना करता है। भोपाल गैस त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया गया. इस दुर्घटना के बाद सुरक्षा मानदण्डों के अभाव के कारण कई दुर्घटनायें हुई हैं जिनसे लोगों के जान माल की भयंकर हानि हुई है. सरकार द्वारा सुरक्षा माप दण्डों के कानूनों के कार्यान्वियन में उदासीनता बरती गई है। हालाकि आधुनिकीकरण पर वह विशेष जोर दे रही है, जिससे सेवायें कम होती जा रही, लेकिन वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व भारतीय एकाधिकारियों को आधुनिकतम सुरक्षा मापदण्ड को अपनाने के लिये बाध्य नहीं कर रही. कानूनी रूप से आवश्यक उसके पास निर्धारित फैक्टरी निरीक्षकों, डाक्टरों व मशीनों तक का अभाव है।

सम्मेलन ट्रेड यूनियनों व मजदूरों का ध्यान सुरक्षा के सभी मामलों के प्रति आकर्षित करता है कि वे इसमें हस्तक्षेप करें व उनका आह्वान करता है कि वे एकताबद्ध आंदोलन तैयार करें व सरकार को बाध्य कर दें कि वह इन मामलों को गम्भीरता से ले तथा ऐसे उपाय करें जिनसे दुर्घटनाओं, पेशेवर व्याधियों व प्रदूषण को रोका जा सके तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करे।

विद्युत उद्योग की अवस्था पर

सीटू का यह छठा सम्मेलन देश में विद्युत प्रदान करने के सुधार में असफल सरकार की भर्त्सना करता है। लम्बे-चौड़े दावों के बावजूद 40 प्रतिशत मकानों व लगभग दो लाख से भी अधिक गाँवों में बिजली आपूर्ति का अभाव है। निर्धारित विद्युत उत्पादन किसी भी पंच-वर्षीय योजना में पूरा नहीं हुआ जबकि आवश्यकता के अनुपात से काफी कम लक्ष्य रखा जाता है। जबकि देश का 80 प्रतिशत प्राकृतिक जलस्रोत उपयोग विहीन हैं, ऊष्मीय व नाभिकीय संयत्र देश की परिस्थियों को समझे-बुझे बिना लगाये जा रहे हैं व सरकार देश के अपने अन्वेषणों व विकास की कीमत पर आयातित विदेशी तकनीक पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही है इन सबके विद्युत बोर्डों के नौकरशाहों व भ्रष्ट प्रशासन ने स्थिति को और अधिक चौपट कर दिया है।

सम्मेलन सरकार की भर्त्सना करता है कि वह इस प्रमुख क्षेत्र में विवेक संगत नीति निर्धारण करने में असफल रही है व उसके इस मन्सूबे को, कि इस क्षेत्र में भी निजीकरण की आजादी दी जाय जो संकट को और अधिक बढ़ा देगी, के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त करता है जबकि ट्रेड यूनियने व कर्मचार समस्याओं को समझते हुये उनके समाधान की तत्पर हैं व्यवस्थापक मंडल के सहयोग द्वारा, व्वस्थापक मंडल उनकी रायों का निरंतर तिरस्कार कर रहे हैं. इसके विपरीत वे (व्यवस्थापक मंडल) उनके संघर्षों को जबरन दबाने की चेष्टा में रत हैं एवं उनके न्याय संगत मांगों तक को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं।

सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि वह विद्युत नीति में आमूल परिवर्तन करे, अन्वेषण, विकास व आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करे ताकि आगामी दस वर्षों में विद्युत उत्पाद कम से कम दुगना हो सके। राज्य सरकारों से मन्त्रणा करके राष्ट्रीय नीती का निर्माण होना चाहिये। वह माँग करता है कि बिद्युत प्रदाय अधिनियम में संशोधन हो व कर्मचारियों को आधिकारिक निकायों, राज्य विद्युत बोर्डों समेत; में यथेष्ट प्रतिनिधित्व दिया सम्मेलन आगे माँग करता है कि एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति की संस्थापना की जाय जो बिजली कर्मचारियों के वेतन व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर करें. सम्मेलन भारत की बिजली कर्मचारी संघ को बधाई देता है जो अपनी मांगों के लिये निरंतर संघर्षरत है विद्युत उद्योग की ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारियों से आह्वान करता है कि वे एकजुट होकर संघर्ष चलायें जिससे सरकार मांग मानने को मजबूर हो जाय।

विदेशी प्रतिनिधियों के भाषण

डब्लू एफ टी यू सचिव वी. मोजयेव का भाषण

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के 21 करोड़ 40 लाख सदस्यों की ओर से सीटू की इस छठे कांग्रेस के प्रति बिरादराना अभिनन्दन और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का इजहार करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है।

बम्बई शहर जो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है, में करीब-करीब भारत की 40वीं स्वतन्त्रता दिवस के पूर्वसन्ध्या पर आयोजित इस कांग्रेस में उपस्थित रह पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन के चंगुल से देश को आजाद कराने की लड़ाई में भारतीय मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ और राष्ट्रीय आजादी के लिए अपने संघर्ष में भारतीय जनता की महान् विजय से ही उपनिवेशवाद का खत्मा का प्रक्रिया शुरू हुआ और राष्ट्रीय मुक्ति, जनवाद तथा सामाजिक प्रगति की दिशा में शोषित जनता का अभियान का एक महत्वपूर्ण घड़ी की सूचना हुई।

डब्लू एफ टीयू, भारत के मजदूरवर्ग, ट्रेड यूनियनों तथा तमाम जनता द्वारा भारत की आजादी की 40वीं सालगिरह मनाने के लिए की जा रही तैयारी का साथ देती है।

इस महत्वपूर्ण वर्ष में, भारत के मजदूर वर्ग तथा ट्रेड यूनियनों को नए चुनौतियों और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है और आपके इस कांग्रेस पर इनका हल निकालने की दूभर जिम्मेदार आन पड़ी हैं।

इन नए चुनौतिओं और जिम्मेदारियों का सामना करने में हम आपके कांग्रेस की सफलता कामना करते हैं।

सीआईटीयू के साथ जो बिरादराना सम्बन्ध है तथा जो सहयोग दोनों संगठनों के बीच विकसित हो रही है, डब्लू एफ टी यू उसकी भारी सराहना करती है। डब्लू एफ टी यू, भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन की बढ़ती एकता तथा आपसी सहयोग एवं राष्ट्रीय अखंडता, विश्व शांति व निरस्त्रीकरण के लिए तथा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में मदद देने के लिए उनके द्वारा चलाई गई संयुक्त कार्रवाइयों की भी भारी सराहना करती है। आपके संगठन द्वारा तथा सी आई टी यू के सदस्यों द्वारा इस प्रक्रिया में की गई योगदान से डब्लू एफ टी यू भारी प्रभावित हुई है।

वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस् आपके संगठन के साथ मैत्री, सहयोग, गहरे समझदारी और विश्वास के सम्बन्धों से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस यह आश्वासन देती है कि अबसे इन संबन्धों को इसी दिशा में विकसित करने के वह हर सम्भव प्रयास करती रहेगी। हम यह विश्वास करते हैं कि डब्लू एफ टी यू तथा सीआईटीयू के संयुक्त प्रयास से भारत, एशिया तथा विश्व भर के ट्रेड यूनियन आंदोलन को और भी अधिक मजबूती प्रदान किया जा सकता है।

सितम्बर 1987 में, विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन की 11वीं कांग्रेस बर्लिन में सम्पन्न हुआ। इसके बारे में आपको प्रेस रिपोर्ट तथा सी आई टी यू प्रतिनिधि मंडल से जानकारी हासिल हुई होगी। अतः, मैं अपने बातों को इतना ही कहकर सीमित करना चाहूंगा कि वह कांग्रेस विभिन्न सम्बद्धताओं वाले ट्रेड यूनियनों द्वारा एकजुट कार्रवाइयों की दिशा में एक और सफल कदम का द्योतक था। और यह नोट करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस सफलता में आपके ट्रेड यूनियन संगठन का भी योगदान रहा है।

डब्लू एफ टी यू के सचिव वी. मोजयेव

इस तरह के कांग्रेसों के इतिहास में, यह पहला मौका था कि जब डब्लू एफ. टी यू से गैर-सम्बद्धता वाले संगठनों की संख्या, सम्बद्ध यूनियनों की संख्या से अधिक थी। उसमें शिरकत करने वाले सभी 1,014 प्रतिनिधियों तथा प्रेक्षकों, जो 147 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने एक स्वर में कांग्रेस के दस्तावेजों की स्वीकृति दी।

प्रिय भाईयो और बहिनों,

वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस को मजदूरों की जिन्दगी और गतिविधियों से सम्बन्धित बहुत सारे सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं से निपटना पड़ता हैं। बहरहाल, इनमें से एक समस्या ऐसी है जिसे अलग से बताए बिना हम नहीं रह सकते और वह मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि इस धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए भी तमाम समस्याओं का समाधान का जरिया है। शान्ति तथा निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष, विश्वभर के शांतिकामी इमानदार जनता के लिए आज सबसे अहम मुद्दा है।

इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है?

वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस् ने दृढ़तापूर्ण तरीके से दुनियाभर के मजदूरों का ध्यान मानव विनाश के इस भयानक खतरे की ओर खींचती रही है जो सैनिक कार्रवाई की तैयारियों विशेषकर बाह्य अंतरिक्ष का सैन्यीकरण के जरिए, 'स्टारवार' कार्यक्रम के जरिए तथा नाभिकीय परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने से अमरीका द्वारा इन्कार किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है।

जहाँ तक इस मुद्दे का सवाल है, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संबद्धताओं और समझ वाले ट्रेड यूनियनों द्वारा जो मांगें रखी जा रही है, वह एक जैसा ही है। इससे, नाभिकीय खतरे के खिलाफ संयुक्त संघर्ष छेड़ने का एक अच्छा मौका मिला है। इस क्षेत्र में हमारी मांगों की जानकारी आप सभी को है। इसलिए, हम संक्षेप में ही इसे दोहरायेंगे :

—नाभिकीय परीक्षण पर पूर्णप्रतिबन्ध, हथियारों की होड़ की समाप्ति तथा इस धरती पर से हर तरह के नाभिकीय अस्त्रों का सम्पूर्ण विनाश

—'तारक युद्ध पर रोक तथा हर तरह के व्यापक विनाश के हथियारों पर प्रतिबन्ध

—राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य का अंत की नीति में फिर से लौटना।

आप जानते है कि डब्लू एफ टी यू, जनवरी 1985 में छह राष्ट्रों की दिल्ली अपील के प्रति सबसे पहले समर्थन जताने वालों में से था। डब्लू एफ टी यू, "नाभिकीय अस्त्र रहित तथा हिंसा से मुक्त दुनिया" की हिंद-सोवियत संयुक्त घोषणा की सिद्धान्तों का, जिसे पिछले नवम्बर में मिखाइल गोर्वाचेव का आपके देश के दौरा के दौरान स्वीकार किया गया था, पूर्णतया समर्थन करता है। युद्ध और हिंसा से मुक्त दुनिया की यह विचार मानव जाति के सामने नाभिकीय हथियार व अन्य मानव विनाश के अस्त्रों से मुक्त 21वीं सदी के लिए संघर्ष में नए अंतहीन संभावनाओं को उजागर करता है।

राष्ट्रों के बीच संबन्ध सामान्य बनाने की दिशा में न्यायपूर्ण तथा समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक एवं वित्तीय सम्पर्क भारी महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, कच्चे माल तथा सामानों के बाजार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में अपने आधिपत्य का फायदा उठा कर विकसित पूंजीवादी देशों विकासशील देशों को तबाह करते हैं और उनके तमाम साधनों को लूटते हैं। यह समस्या गुट निरपेक्ष आंदोलन के ध्यान का केन्द्र बिंदु है जहां भारत का एक नेतृत्वकारी भूमिका है।

नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए, विकासशील देशों की आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा विदेशी कर्ज की वर्तमान समस्या का एक प्रगतिशील समाधान के लिए संघर्ष में सभी प्रगतिशील ताकतों की एकबद्ध कार्रवाई की भारी जरूरत है।

इस सन्दर्भ में डब्लू एफ टी यू, एशिया व ओसेनिया के ट्रेड यूनियन केन्द्रों के प्रयासों का समर्थन करता है जो अब विकास और क्षेत्रीय सहयोग पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का पहला सम्मेलन फरवरी 1985 में नई दिल्ली में हुई और इस क्षेत्र के ट्रेड यूनियन आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण घटना था। हम आशा करते हैं कि फिलिपन्स में होने जा रही यह दूसरा सम्मेलन इस जरूरी समस्या के प्रति अपना ध्यान तीव्र करेंगे।

पूंजीवाद का वर्तमान विकास और मजदूरों के जीवन स्तर पर इस तरह के विकास का प्रतिकूल प्रभाव विश्वभर के प्रगतिशील ताकतों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है।

बहुराष्ट्रीय बैंकों के हिदायत पर विकासशील देशों में सामाजिक विकास कार्यक्रमों में कटौती की जा रही है और पूंजी के

हित में तथा अधिक मुनाफे की हवस में उत्पादन व्यवस्था को सुधारने के नाम पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों का निजी-करण करने की साजिश के जरिए मजदूरों के सामाजिक उपलब्धियों को व्यापक रूप से छीन लिया जाने लगा।

हम जानते हैं कि भारत के मजदूरवर्ग इन नीतियों के खिलाफ एकबद्ध है तथा राष्ट्रीय अर्थनीति के हित में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा और उसे मजबूत बनाने एवं प्रबन्धन के हर स्तर पर उसका जनवादी करण के पक्ष में एकजुट होकर खड़े है। उत्पादन प्रबन्ध में मजदूरों की सही हिस्सेदारी ही आज पूंजी-वादी नीतियो का, जो कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को और उसके मानवीय और क्रांतिकारी परम्पराओं को कुचलना चाहती है, सही विकल्प है।

ट्रेड यूनियनें इस बात की इजाजत न देगी और न दे सकती है कि आर्थिक प्रबन्ध में सुधार और नई तकनालोजी तैयार किए जाने के नाम पर व्यापक छंटनी, वेतन में कटौती और मजदूरों के अधिकारों पर हमले हो। इसका पर्याप्त रूप से मुकाबला करने के लिए ट्रेड यूनियनों को, बाजार योजनाओं का पुर्नगठन के लिए गहरी समझ के जरिए, वार्त्ताओं में उच्च पेशेवर रवैये के जरिए तथा मजदूर वर्ग की एकता और जुझारूपन के जरिए पूंजी का विरोध करना होगा।

बढ़ते खतरे की पृष्ठभूमि में भिन्न-भिन्न समझवाले ट्रेड यूनियनों के बीच सहयोग का भी भारी व्यापक संभावनाएं हैं। आपसी समझदारी को बढ़ाने के रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए, विभाजन लाने वाला हर ऐसे चीज का सफाया करने के लिए तथा साझा संघर्ष में व्यापकतम एकता कायम करने वाले उन चीजों को खोज निकालने और इस्तेमाल करने के लिए आपसी बातचीत ही सबसे बेहतरीन रास्ता है। यह मजदूरों के लिए, निहायत ही जरूरी है, भारत के तमाम प्रगतिशील ताकतों के लिए जरूरी है, और इसलिए डब्लू एफ टी यू इसके पक्ष में है।

आइए! हम मजदूरों के हितों की रक्षा के संघर्ष में अपने प्रयासों को एक साथ मिला दें। हमारी भावनाओं, चिंताधाराओं और कार्रवाइयों में इस जीवन्त विचारधारा को अनन्तकाल के लिए समा जाने दीजिए।

आइए हम अपने हृदय को उदार बनाएं, हमारी आत्माएं दृढ़ निश्चय से भरा हो-हमारे संयुक्त कार्यों में यही प्रेरणा का स्रोत होगा।

आपसी बातचीत, सुझबुझ और समझदारी, साझा बातों की खोज, एकजुट कार्रवाई और आपसी सहयोग का बढ़ावा ही डब्लू एफ टी यू का मुख्य लक्ष्य है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ हम अपने सबन्धों को बढ़ाने की दिशा में इन्हीं भावनाओं से निर्देशित होते हैं।

बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सवालों पर डब्लू एफ टी यू, आई सी एफ टी यू तथा डब्लू सी एल का एकसा विचारधारा है। मिसाल के तौर पर, विदेशी कर्ज, ट्रेड यूनियन प्रशिक्षण, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष एवं अन्य बहुत सारे सवाल हैं। आई सी एफ टी यू तथा डब्लू सी एल द्वारा शाँति व निरस्त्रीकरण के लिए संघर्ष पर पारित प्रस्ताव हमें भी मंजूर है।

यह दुनिया विभाजनहीन और एक दूसरे पर आश्रित है। हमें इस धरती पर सहअस्तित्व के बारे में सीखना होगा। हमें एक साथ रहना सीखना होगा।

एयूसीसीटीयू, सोवियत संघ का बधाई संदेश

सोवियत संघ के संगठित मेहनतकश लोगों की ओर से आंल यूनियन सेन्ट्रल आउंसिल आंफ ट्रेड यूनियनस, सी आईटीयू के छठे सम्मेलन के प्रतिनिधियों को हार्दिक अभिनन्दन भेजता है और सम्मेलन की सफलता कामना करता हैं।

हम अपने इस विश्वास का इजहार करते है कि आपके कांग्रेस में होनेवाले विचार विमर्श आपके देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन को अधिक मजबूती से विकसित करने में और देश के व्यापकतम मेहनतकश तबकों के हित में उनके आर्थिक-सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में हिस्सेदारी को तेज करने में, मदद करेगा। हमारे दोनों देशों की जनता के हित में तथा साम्राज्य-वाद व प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के संयुक्त संघर्ष में एक जुट कार्रवाई को लामबंद करने में, तथा नाभिकीय हथियारों के दौड़ को समाप्त करने में, और एशिया, प्रशाँत महासागर क्षेत्र तथा विश्व भर में शाँति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में, आपके संगठन के साथ दोस्ताना और सहयोग की संबंध मजबूत और व्यापक बनाने की सोवियत ट्रेड यूनियनों की आकाक्षाओं को हम एक बार फिर दोहराते हैं।

सीटू के छठे सम्मेलन में एयूसीसीटीयू प्रतिनिधिमंडल के नेता एलबार्ट याकोवलेव का भाषण

सम्मानित अध्यक्ष महोदय,

सम्मेलन के सम्मानित प्रतिनिधियों,

सबसे पहले मैं, सेन्टर आंफ इंडियन ट्रेड यूनियनस के नेतृत्व को, आपके इस अत्यन्त सुन्दर देश में आने का और इस प्रतिनिधि सत्र में हिस्सा लेने का आमंत्रण दिए जाने लिए, धन्यवाद देना चाहूंगा।

सोवियत ट्रेड यूनियनों की ओर से मैं आपको उष्ण अभिनन्दन पेश करता हूं और मेहनतकश लोगों के अधिकार और हितों की रक्षा की दिशा में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में, आपके कामकाज की सफलता के लिए उनकी शुभकामनाएं पेश करता हूं।

हमारे दोनों देशों के ट्रेड यूनियनों के बीच गहरे दोस्ताना सम्बन्धों का हम भारी कद्र करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने में, इस धरती पर से हथियारों के दौड़ को समाप्त करने तथा इसे सुदूर अंतरिक्ष तक फैलने से रोकने के सघर्ष में, विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में, 'महत्व पूर्ण भूमिका निभा-रही है।

हमारे दोनों देशों के मजदूर एवं जनता के हित में तथा विश्व शांति को मजबूत बनाने एवं सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, परम्परागत हिन्द-सोवियत ट्रेड यूनियन बंधनों को और भी विकसित करते रहने का अपने स्पष्ट इरादों को हम फिर व्यक्त करते हैं।

सीपीएसयू केन्द्रीय कमेटी के महासचिव मिखाइल गोर्वाचेव का 25 से 28 नवम्बर 1986 तक भारत का दौरा, नाभिकीय हथियार मुक्त तथा हिंसा रहित विश्व के सिद्धांतों पर आधारित दिल्ली घोषणापन्त में उनके हस्ताक्षर, सोवियत संघ तथा भारत गणतंत्र के बीच वाणिज्य-दूतीय सम्मेलन, भारत में सोवियत उत्सव और 1987-88 में सोवियत संघ में भारत उत्सव का आयोजन के कार्यक्रम संम्बंधी समझौते, दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के बारे में समझौते--ये सारे कार्रवाई, सोवियत तथा भारतीय जनगण के बीच दोस्ताना संबंधों को मजबूती बनाया है और हमारे दोनों देशों के ट्रेड यूनियनों के बीच के संबंधों को अधिक गहरा बनाने और इसे

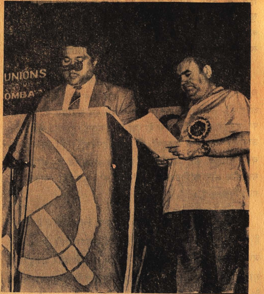

एयू सी सी टी यू के एलबार्ट याकोवलेव

व्यापक रूपसे विकसित करने के लिए नए संभावनाओं को उजागर करता है।

आपका यह सम्मेलन विश्व परिस्थिति का एक ऐसे जटिल और तनाव पूर्ण समय में हो रहा है जब समूचे मानव जाति के सामने, ताप नाभिकीय युद्ध के खतरे को टालना और इस धरती पर शांति और जीवन को सुरक्षित रखना ही मुख्य और फौरी काम है।

सोवियत संघ ने, इस सदी के अंत तक नाभिकीय हथियारों का उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार तथा इस धरती पर शांति कायम रखने संम्बंधी कुछ ठोस कार्यक्रम पेश किया है। पर शांति पर से खतरा टला नहीं। साम्राज्यवादी गठजोड़ अपने नए नए मुहिम के जरिए, साम्राज्यवादी नीतियों के जरिए, हथियारों की होड़ को तेज करने की नीति के जरिए, इसे सुदूर अंतरिक्ष तक फैलाने के जरिए तथा अन्य राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के जरिए अपने युद्धोंमादी साजिशों को तेज करने पर तुली हुई हैं।

दुनिया को नाभिकीय विनाश से बचाने के लिए, सभी शांति

कामी राष्ट्रों के एकजुट प्रयास, 'अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के हर दस्ते की एकजुट कार्रवाई और सारी जनता की सद्भावना, शायद इससे पहले इतना महत्वपूर्ण कभी न था।

एशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, एशिया के तमाम राष्ट्रों के प्रयासों को एकबद्ध करते हुए एक एशियाई मंच बनाने, एशिया की सुरक्षा के सवाल पर एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रदर्शन तथा भारत महासागर क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाने की राष्ट्रसंघ की घोषणा को तेजी से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए मिखाइल गोर्वाचेव के प्रस्तावों को लागू करने में सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनें सक्रीयरूप से भाग लेती है।

सोवियत ट्रेड यूनियनों का यह दृढ़ विश्वास है कि समान जनवादी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पुनर्गठन तथा नव उपनिवेशवाद, भेदभाव एवं दवाव रहित एक नए विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, एशिया के मजदूरवर्ग एवं जनता के बुनियादी हितों के पक्ष में ही होगा।

इस संदर्भ में, सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनें, विकास की समस्याएं और नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एशिया व आसेनिआ देशों का पहला ट्रेड यूनियन सम्मेलन (दिल्ली' 1985) के फैसलों का सम्पूर्ण समर्थन करती है, जिसमें एशियाई ट्रेड यूनियनों के बीच सहयोग विकसित करने के उपाय सुझाए गए हैं और यह विश्वास रखती है कि एसिया व ओसेनिया देशों के दूसरा ट्रेड यूनियन सम्मेलन, जो अगस्त में मनिला में होने जा रहा है, मेहनतकश लोगों के अधिकार और हितों की रक्षा के लिए तथा शांति को सुरक्षित रखने के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण घटना होगा।

सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनों का वर्तमान कार्रवाई अपने काम काज के तरीके और उपायों का व्यापक रूप से पुनर्गठन से सम्बंधित है और यह दृढ़ता से कहा जा सकता है कि इससे समाज में सोवियत ट्रेड यूनियनों की भूमिका को और भी मजबूती मिलेगा और उनके अधिकारों और संभावनाओं का विस्तार होगा। सोवियत ट्रेड यूनियनों का 18 वां कांग्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कांग्रेस में शिरकत करनेवाले अतिथियों में सीटू के महासचिव समर मुखर्जी भी शामिल थे।

सोवियत संघ के विकास की वर्त्तमान कड़ी की प्रमुख बात है उसके सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में बढ़ते गतिशीलता। हमारा देश प्रगति के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। हमारे उन्नयन का रणनीतिक लाइन सीपी एस यू कांग्रेस द्वारा 1986-1990 अवधि तक के लिए और 2000 ई० तक के अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। इस अवधि के लिए मुख्य लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक विकास को तेज रफ्तार प्रदान करना ताकि मेहनतकश लोगों की जरूरतों को पूर्णतया मिटाया जा सके और सोवियत जनता के जीवन स्तर को गुणात्मक रूप से सुधारा जा सके। अगले 15 वर्षों में सामाजिक जरूरतों पर खर्चे दुगना होना निश्चित है। मेहनतकश लोगों की सही आय 10-80 फीसद बढ़ेगी। हर परिवार के लिये आरामदेह आवास व्यवस्था का प्रावधान करने का घोषित सामाजिक लक्ष्य को हासिल करना निर्णायक कदम होगा। पेंशन प्रणाली में और सुधार का भी योजना बनाया गया है।

ये नए जिम्मेदारियां, ट्रेड यूनियनों से नये मांग कर रही है, समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास को त्वरान्वित करना, लोगों के जीवन को ऊँचा उठाना बहुत हद तक हम पर निर्भर है. किस मुस्तेदी, कारगरता और ठोस कार्यबाही से ट्रेड यूनियनें, मेहनतकश लोगों की जरूरतों और प्रस्तावों पर अमल करते हैं उस पर निर्भर है, उनके उत्साह और पहलकदमी को हम किस तरीके से बढ़ाते हैं उस पर निर्भर करता है।

हम यह सब अच्छी तरह से समझते हैं कि शाँतिपूर्ण निर्माण के लम्बे अवधि की योजनाओं को तभी पूरा किया जा सकता है अगर जल्द से जल्द हथियारों की दौड़ को समाप्त कर सकें, नाभिकीय हथियारों का परिसीमन और उसका पूर्णतया सफाया करने का समस्या का समाधान कर सके। साम्राज्यवादियों का रास्ता है "विकास के बदले में हथियार" और हम इसके विरोध में नारा लगाते हैं "हथियारों के बदले में विकास" और यही लोगों को लामबंद करने में मदद करता है।

सम्मानित अध्यक्ष महोदय !

सम्मेलन के सम्मानिम प्रतिनिधियों,

अंत में मै आपको यह विस्वास दिलाना चहूंगा कि सोवियत ट्रेड यूनियनें, भारतीय ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए, शाँति, जनवाद और सामाजिक प्रगति के हित में साम्राज्यवाद विरोधी वर्ग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के हर टुकड़ी को लामबंद करने के लिए अपने हर मुमकिन प्रयास करेंगे।

धन्यवाद—

सी. आई. टी. यू. के छठे सम्मेलन में ए.सी.एफ.टी.यू. चीन के प्रतिनिधिमंडल के नेता क्रू चिंग हे का भाषण

प्रिय कामरेडों एवं साथियों,

सेंटर ऑफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के छठे सम्मेलन के उद्घाटन के इस मौके पर, ऑल चायना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से, तथा चीन के तमाम मजदूरों की ओर से आपके इस सम्मेलन को गर्मजोशि से अभिनन्दन करने का और आपके जरिए भारत के तमाम मेहनतकश भाइयों और बहनों के प्रति हार्दिक बधाई और सम्मान का इजहार करने का हमें मौका दीजिए इस मौके पर, आपके इस शानदार सम्मेलन में चीन के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करने के लिए, ताकि हम देश भर से आए प्रतिनिधियों से मिल सकें, मैं सेन्टर ऑफ ट्रेड यूनियन्स को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा।

भारत के जुझारू और परिश्रमी मजदूरों एव जनता का एक शानदार क्राँतिकारी परंपरा रहा है। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ तथा राष्ट्रीय आजादी के लिए उसने कठिन और लम्बी लड़ाई लड़ी हैं। भारत की आजादी के बाद, औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए गरीवी और पिछड़ेपन को मिटाने के लिये आपने राष्ट्रीय अर्थ नीति को विकसित करने, मेहनतकशों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और बिश्व शाँति की रक्षा में अथक प्रयास करते रहे हैं। भारत के मजदूर वर्ग एवं जनता द्वारा हासिल जीत और सफलताओं के लिए हमारे दिल में भारी श्रद्धा है और हम उनके प्रगति के पथ पर नए-नए सफलताओं की कामना करते हैं।

वर्तमान में, चीन की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता और एकता है, उसकी अर्थ नीति में निरंतर और तेजी से सुधार जारी है और चीनी जनता के जीवन स्तर को शानदाररूप से ऊपर उठाया जा रहा है। चीन के मजदूर एवं जनता ने नवनिर्माण की नीतिओं को, बाहर विश्व के लिए खुले द्वार की नीतिओं को तथा देश की अर्थ नीति को चुस्त-दुरूस्त करने की नीतिओं को दृढ़ता से लागू कर रहे हैं। एक बद्ध होकर, वे चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद के निर्माण में जुटे हुए है और चीन को धीरे-धीरे एक ऊंचे स्तर के सभ्यता और जनवाद वाले आधुनिक समाजवादी देश बनाने का प्रयास कर रहें हैं। अपने देश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संगठन के नाते, चीन की ट्रेड यूनियनें, सरकार की कामकाज में, सामाजिक कार्यों तथा संस्थानों के कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। मजदूरों एवं कर्मचारियों के सैद्धांतिक, नैतिक, साँस्कृतिक तथा तकनीकी स्तर ऊपर उठाने में वह कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं ताकि मजदूर वर्ग जोकि चीन का मुख्य ताकत है—समाजवादी निर्माण में अच्छी भूमिका निभा सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, चीन की

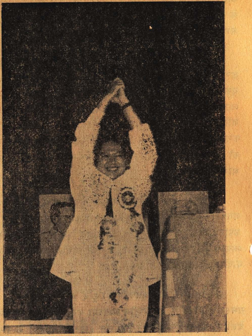

एसीएफटीयू के प्रतिनिधि

ट्रेड यूनियनें स्वतंत्रता की नीति को मानकर चलते हैं और स्वतंत्रता, समानता, पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे के अन्दरूनी मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति के आधार पर सभी देशों के ट्रेड यूनियनों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध विकसित करना चाहते हैं। चीन के मजदूरों के साथ मिलकर, विश्व शाँति की सुरक्षा के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए तथ मजदूरों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिए प्रयास चलाना चाहते हैं।

प्रिय कामरेडों, चीन और भारत, दोनों ही भारी जनसंख्या वाले विकासशील देश हैं। पिछले दो हजार से भी अधिक सालों से हमारे दोनों देशों की जनता के बीच गहरे पारम्परिक दोस्ताना संबन्ध रहा है। हमारी यातनाओं का इतिहास भी एक ही रहा है और आज भी हमारे सामने अपने अपने देश की अर्थ-नीति को विकसित करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की एक समान जिम्मेदारी आ पड़ी हैं. भारत और चीन के बीच दोस्ताना संबन्ध न केवल हमारे दोनों देशों की जनता और मजदूरों के साझा आकांक्षा तथा बुनियादी हित में है बल्कि एशिया व विश्व भर में स्थिरता और शाँति कायम रखने में भी इसका भारी महत्व है। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा हमारे

दोनों देशों की जनता की आँकाक्षाओं का गहरा इजहार है।

हिंदी-चीनी दोस्ताना संबंधों को विकसित करने में, सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड-यूनियन तथा भारत के मजदूरों ने हमेशा हिंद चीनी दोस्ती को ही सामने रखा, और चीन तथा भारत के मजदूरों एवं जनता के बीच आपसी समझदारी और मित्रता बढ़ाने के लिये काफी कुछ किया है। हम आप के इस कदम की सराहना करते हैं। चीन के मजदूर तथा जनता, सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन तथा भारत के मजदूर एवं जनता के साथ मिलकर, हिन्दी-चीनी दोस्ती को, जो कि हमारे दोनो देशों की जनता के दिलों के गहराई में बसी है, मजबूत बनायेंगे और हमारे दोनों देशों के मजदूरो एवं ट्रेड यूनियनों के बीच विरादराना सहयोग को आगे बढ़ायेंगे।

याँगसी और गंगा नदी की अनंतकाल से बहती धारा की तरह चीन तथा भारत के मजदूरों व ट्रेड यूनियनों के दोस्ताना सम्बन्ध सदा के लिए जारी रहे यही हमारी कामना है।

आपके इस सम्मेलन का सम्पूर्ण सफलता की हम कामना करते हैं।

सी. आई. टी. यू. छठें सम्मेलन में चेकोस्लोवाक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडल के नेता एडनेक मालेक का भाषण

प्रिय कामरेडों !
प्रिय दोस्तों !

आपके छठें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हमारे संगठन को आमंत्रित करने के लिए मैं सी. आई. टी. यू. को दिल से धन्यवाद देने का इजाजत चाहता हूं. साथ ही साथ, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ चेकोस्लोवाक ट्रेड यूनियनस और हमारे 75 लाख से भी अधिक सदस्यों तथा चेकोस्लोवाकयिा की मेहनतकश जनता की ओर से मुझे विरादराना अभिनंदन देने और इस सम्मेलन की सम्पूर्णन सफलता कामना करने की भी इजाजत दिजिए।

चेकोस्लोवाकियाई ट्रेड यूनियनें, भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ चिरस्थायी दोस्ती और जुझारू सहयोग के सूत से बंधा हुआ है। बीते वर्षों में, विभिन्न मौकों पर हमारे दोनों संगठनों के वरिष्ठ प्रतिरिधियों के साथ बात चीत हुई है, आपके कई सदस्य हमारे देश का दौरा कर चुके हैं और हम यह महसूस करते हैं कि हमारे इन संबंधों को मजबूत और विकसित करना हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

हमारे यहां के मेहनतकश जनता. आपके देश की प्रगति को भारी ध्यान लगाकर देखते है और उन प्रयासों की भारी सराहना

चकोस्लोवाक के एडनेक मालिक

करते हैं जिसके फलस्वरूप, मुख्यत: पिछले कुछ अर्से में, आपके तमाम प्रगतिशील देशभक्त ताकतों का संयुक्त मंच की स्थापना और लामबंदी सम्भव हुआ जो, आपके आजाद देश के अंदरूनी मामले में विश्व साम्राज्यवाद के लगातार हस्तक्षेप के खिलाफ, संघर्षरत है, जनवाद एवं सामाजिक विकास के लिए संघर्षरत है। मजदूरों एवं ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के लिए संघर्ष को हम एक अहम मुद्दा मानते हैं जो निरस्त्रीकरण और नाभिकीय युद्ध के खतरे को टालने, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मानव अधिकारों एवं ट्रेड यूनियन अधिकारों एवं आजादी की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवालों के सफल समाधान के लिए बुनियादी जरूरत हैं।

साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादी रुझानों के खिलाफ संघर्ष में, मेहनतकश आवाम के व्यापकतम हिस्से के फायदे के लिए लाए जाने वाले गहरे सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए संघर्ष में, फूटपरस्त, विघटनकारी और अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष में हम अपनी सम्पूर्ण समर्थन और एकजुटता का अश्वासन देते हैं।

प्रिय कामरेडों,

हम, बुनियादी मानव अधिकार के लिए संघर्ष को, शांतिपूर्ण

बातावरण में एक सम्मानजनक और मर्यादापूर्ण जीबन बिताने के अधिकार के लिए संघर्ष को प्रगतिशील ट्रेड यूनियन आंदोलन का ऐसे महत्वपूर्ण काम मानते हैं। और इसलिए हम सोबियत संघ, अन्य समाजवादी देशों तथा अन्य प्रगतिशील ताकतों की शाँतिपूर्ण नीतियों और लगातार की जा रही प्रयासों का भारी सराहना करते हैं जो हथियारों के सम्पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य लेकर तथा इसे सुदूर अन्तरिक्ष तक ले जाने जाने के प्रयासों के खिलाफ ठोस तथा कारगर तरीके सुझाए हैं। इस सिलसिले में हम खासकर दिल्ली घोषणा के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हैं ये सिद्धांत, नई तरह के अन्तराष्ट्रीय संबन्ध का एक नैतिक तथा राजनीतिक आधार का प्रतीक है और इसे लागू किये जाने से एशिया तथा आम तौर से विश्व सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली का गारंटी हो जायगा।

प्रिय कामरेडों,

पिछले महीने हमारे देश में ट्रेड यूनियनों का 11वाँ कांग्रेस सम्पन्न हुआ। यह हमारे मेहनतकश लोगों के दृढ़ संकल्प का एक शानदार प्रदर्शन था जो अपने देश को आर्थिक रूप से सम्पन्न, नवीनतम टैकनालाजी और आधुनिकतम तथा उच्चस्तरीय साँस्कृति और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के समाज के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश कराने के अपने इरादों का इजहार कर रहे थे। कांग्रेस ने, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के सिद्धांतों के प्रति, समानता और सहयोग पर आधारित संबन्धों के प्रति हमारी वफादारी को भी दृढ़िकृत किया। इसलिए हम आपके इस मंच से एशिया अफ्रीका तथा लातिन अमेरिका के उन क्रांतिकारी और जनवादी ताकतों के प्रति अपने सम्पूर्ण समर्थन और एकजुटता का इजहार करते हैं, जो विश्व साम्राज्यवाद नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद, जियनवाद, फासीवादी अधिनायकवाद के खिलाफ तथा बहुराष्ट्रीय इजारेदारो, आइ एम. एफ तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के ब्लैकमेल तथा शोषण एवं मनुष्य के हर तरह के शोषण के खिलाफ संघर्षरत हैं। हम उनके सम्पूर्ण राजनीतिक और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संघर्ष के साथ है। हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए, जनवाद, सामाजिक प्रगति और शांति की स्थापना के उनके संघर्ष के साथ है।

प्रिय कामरेडों

अन्त में मैं एक बार फिर आपके इस काँग्रेस की सफलता कामना करने तथा आपके आतिथ्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।

चेकोस्लोवाकिवा तथा भारत के ट्रेड यूनियनों व जनता के बीच दोस्ती और सहयोग अमर रहे।

सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद तथा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता अमर रहे।

सी जी आई एल – इटली के प्रतिनिधिमण्डल की ओर से सिलविया बोबा (अंतर्राष्ट्रीय विभाग) का भाषण

सम्मानित अध्यक्ष महोदय,

भाइयों और बहनों, प्रिय कामरेडों,

आपके छठे सम्मेलन में इटालियन जनरल कान्फेडरेशन आफ लेबर (सीजी आई एल) के नेताओं की ओर से तथा उसके 45 लाख सदस्यों की ओर से बिरादराना अभिनन्दन पेश करने का सम्मान हमें मिला है।

सी जी आई एल प्रतिनिधिमण्डल के लिए सी आई टी यू कान्फ्रेन्स में उपस्थित रहने का यह पहला मौका है, पर हम बड़ी खुशी के साथ हमारे दोनों संगठनों के बीच के दोस्ताना सम्बन्धों को याद करते हैं जिसकी शुरूआत आपके संगठन की स्थापना के समय से ही हुई और पिछले साल हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए आपके संगठन का एक प्रतिनिधिमण्डल भी आया था।

हमारे दोनों देशों के आर्थिक सामाजिक स्थिति में भिन्नता

इटली के सिलबिया बोबा

के कारण हमें अलग-अलग रास्ते अपनाने पड़ते हैं। पर इससे, हमारे मजदूरों के हालात में सुधार, बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ हमारे संघर्ष, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करना या फिर जनता के व्यापक हिस्से के खिलाफ खासतौर से महिलाओं के प्रति अन्याय के खिलाफ का हमारा साझा संकल्प में कोई बदलाव नहीं आता।

दरअसल, महज इस बात से कि हमारे दोनों देशों के आय स्तर में भारी अन्तर है, मजदूरों एवं समाज को विभाजित करने और दबाये रखने के प्रमुख आर्थिक ताकत वालों का मंसा बदल नहीं जाता।

तेजी से और बेहिसाब नई तकनीकी का लागू किया जाना, जो पुराने असमानताओं को और भी बदतर बना देता है, इसी बात को उजागर करता है। यह सच है कि कोई भी विज्ञान और तकनीकी को काम में लगाना बन्द करने की बात नहीं सोचेगा, पर इसे मजदूरों के जीवन और काम के स्तर को सुधारने और एक साम्यमूलक समाज के निर्माण में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

आप शायद जानते हैं कि सीजीआई एल एक स्वतन्त्र कन्फेडरेशन है; हम रीजिनल यूरोपियन कन्फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस् से सम्बद्ध हैं। जैसा कि यह बात आज स्पष्ट हो गया है आर्थिक ताकतों की गतिविधि राष्ट्र के पैमाने से भी व्यापक पैमाने पर जारी है और मजदूर वर्ग को आज उनका मुकाबला उसी स्तर पर करने के लिये तैयार होना पड़ेगा। इसलिए, समाज के अन्दर सांप्रदायिक तथा फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ आपका संघर्ष को हम समझते हैं और समर्थन करते हैं।

हमें, ट्रेड यूनियनों के कार्रवाई में एकता को बढ़ाना और मजबूत करना होगा और अपने रणनीति को तैयार करने के लिए एकजुट प्रयास करना होगा। इसके लिए ट्रेड यूनियन जनवाद और आम सदस्यों के बीच सही प्रतिनिधित्व निहायत ही जरूरी है।

बहरहाल अगर हम शांति की रक्षा न कर सके, हथियारों के होड़ रोक न सके, नाभिकीय अस्त्रों का उन्मूलन न कर सके, तो यह तमाम प्रयास व्यर्थ हो जायगा।

इसके अलावा, विश्व शांति के संघर्ष और उपनिवेशवाद और नस्लवाद से मुक्ति पाने के आंदोलनों के प्रति लड़ाकू समर्थन साथ-साथ जाता है। इस संदर्भ में हम दक्षिण अफ्रीका की काली जनता का नस्लवाद और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का मिसाल को याद करेंगे जहां हर रोज निर्दोष जानें जा रही है। यह दोनों ही हमारे लिए सबसे जरूरी काम है।

साथियों, अर्थनीति का बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीयकरण, ट्रेड्यूनियनों के बीच नजदीकी सम्बन्ध कायम करने की मांग को बढ़ाती है ताकि एक देश के मजदूर, रोजगार पाने के अपने जायज संघर्ष में, दूसरे देश के मजदूर के खिलाफ खड़े न किए जा सके।

हम, हमारे कन्फेडरेशन से सम्बद्ध इटली के दसियों लाख मजदूरों की ओर से आपके प्रति एकजुटता का आश्वासन देने के लिए यहां हाजिर हुए हैं।

सी आई टी यू जिंदाबाद

भारतीय मजदूरवर्ग जिंदाबाद

सेन्ट्रल काउंसिल आफ अफगानिस्तान ट्रेड यूनियनस् के प्रतिनिधि फकीर मोहम्मद जम्हरा[ई] का भाषण

सम्मानित अध्यक्ष,

कामरेडों एवं दोस्तों,

सबसे पहले मैं सेन्ट्रल काउंसिल आफ अफगानिस्थान ट्रेड यूनियनस् तथा अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य के तमाम मजदूरों एवं मेहनतकश लोगों की ओर से सी आई टी यू के इस आमन्त्रण और आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा और आपके इस छठे सम्मेलन के मौके पर आपको हार्दिक अभिनन्दन पेश करता हूं।

आपके इस सम्मेलन का, जिसमें आपके ट्रेड यूनियन गति-गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की भी समीक्षा की जायगी तथा शांति के पक्ष में एवं नाभिकीय युद्ध के खिलाफ संघर्ष को तीव्र करने के उपाय तैयार किये जायेंगे, बहुत बड़ा महत्व है और हमें यकीन है कि युद्ध विरोधी आंदोलन को शक्तिशाली रूप से लामबन्द करने की दिशा में, तथा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दुनिया को नाभिकीय विनाश की ओर ढकेलने की रीगन प्रशासन के पागलपन को शिकस्त देने की दिशा में, आप महत्वपूर्ण फैसले लेंगे।
साथियों!

विश्व साम्राज्यवाद, खासकर अमरीकी साम्राज्यवादियों के युद्धोन्मादी हरकतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ती जा रही है और मानवजाति के सामने नाभिकीय विनाश के काले साये मंडरा रही हैं। युद्धोंमादियों तथा साम्राज्यवादियों द्वारा चलाई जा रही हथियारों की होड़ खतरनाक बिन्दु पर पहुंच गया है। प्रतिक्रियावादियों तथा फासिस्ट हुकूमतों को आधुनिक हथियारों से लैस कर वाशिंगटन हथियारों के होड़ को व्यापक बनाने पर लगी हुई है। यह होड़, इस्राइल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरियाई निजाम तथा पाकिस्तान जैसे अमरीका के प्रति

क्रियावादी तथा फासिस्ट सहयोगियों को हिम्मत जुटा रही है जिससे अब वह नाभिकीय हथियार तक से अपने को लैस करने लगी है.

इस्लामाबाद-वाशिंगटन के इस सैनिक गठबंधन, जिसने पाकिस्तान को पड़ोसी देशों के खिलाफ हमले चलाने का एक अड्डा में तब्दील कर दिया, का एक लक्ष्य एशिया को अस्थिर करने और अंततः उस पर कब्जा जमाने की अमरीकी साजिशों को परोक्ष रूप से मदद जुटाना भी है।

साम्राजियों के इस तरह के दुःसाहसवादी नीति, अफगानिस्तान की जनता और क्रांति के खिलाफ अघोषित युद्ध के आकार को और भी व्यापक बना दिया हैं। पाकिस्तान और इरान की भूमि से चलाई गई वाशिंगटन की अफगान-विरोधी मुहिम हमारे इस क्षेत्र की शांति के लिए एक गंभीर खतरा है। हमारी जनता पर साम्राज्यवादियों द्वारा थोपी गई इस अघोषित युद्ध के कारण अफगान जनता को भारी तबाही और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन वहशी दरिंदों द्वारा महिला, बच्चे-बुड़े सहित हमारे हजारों निर्दोष देशवासियों की हत्या की गई और हमारे देश की सार्वजनिक सेवा संस्थानें जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन प्रणाली आदि तथा बड़ी इमारतें, पुले, रास्ते आदि ध्वस्त कर दिए गए। राष्ट्रीय अर्थ नीति के लिए नुक्सान का अंक खरबों में बैठेगा। अगर हमारे खिलाफ यह अघोषित युद्ध नहीं होता। तो अब तक क्रांति के उपलब्धियाँ कई गुना ज्यादा हुआ होता।

जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की क्रांति और जनता के खिलाफ, साम्राज्यवादियों ने करीब-करीब नौ साल तक यह अघोषित युद्ध चलाया। साम्राज्यवादियों द्वारा थोपे गए उस अघोषित युद्ध को समाप्त करने, देश भर में शांति कायम करने, तथा देश में शांतिपूर्ण निर्माण का वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पार्टी तथा अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य ने लगातार प्रयास चलाती रही है इस युद्ध और भ्रातृहत्या के समाप्त करने के लिए अफगानिस्तान के पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDPA) तथा अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य ने राष्ट्रीय सुलह की नीति की घोषणा की है जिससे कि युद्ध और खून खरावा बंद हो, अफगान द्वारा अफगान की हत्या बंद हो तथा देशव्यापी

अफगानिस्तान, बुलगारिया, चेकोस्लोवाकिया, एयूसीसीटीयू और डब्लू एफ टीयू के प्रतिनिधि

एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के जरिये देश भर में शांति की स्थापना सुनिश्चित की जा सके और इस घोषणा का अधिकतर अफगान लोगो ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। अब तक विरोधी हथियारबंद ग्रुपों के 3000 से अधिक सदस्यों ने अपना हथियार डाल दिया है और राष्ट्रीय सुलह कि इस प्रकिया में शामिल हो गये हैं। 1100 अन्य गिरोह, जिनकी सदस्स संख्या करीब एक लाख है, से भी बातचीत जारी है। पाकिस्तान तथा ईरानी अधिकारियों तथा अफगान-विरोधी सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा तरह-तरह के अवरोध के बावजूद अब तक 50,000 से अधिक बिस्थापित अफगान अपने देश में लौट आए हैं। राष्ट्र-विरोधी गतिबिधियों के इल्जाम में रोके गये 5600 व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य तथा पार्टी के मानविक कार्रवाई के बावजूद, अमरीकी प्रशासन तथा पाकिस्तान ने आतंकवादी गिरोहों को स्विटजर मिसाइल सहित अन्य हथियार मुहैया कराते रहे और इस तरह उन्हें युद्ध और खून-खराबे को जारी रखने के लिए उकसाते रहे और अफगानिस्तान समस्या के राजनीतिक समाधान के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे। जैसा कि वाशिंगटन में घोषणा किया गया, अमरीकी प्रशासन ने आंतकवादियों को 600 स्विटजर मिसाइल देने का फैसला किया और इसके इस्तेमाल से दो अफगान यात्रीवाही हवाई जहाज मार गिराये गये जिसमें महिलाएँ और बच्चे समेत कुल 76 यात्री मारे गये। पाकिस्तानी एफ-16 द्वारा भी अफगानिस्तान भूमि के अंदर एक और यात्रीवाही विमान मार गिराया गया। अब बेहिचक यह कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान के चारों ओर तनाव पूर्ण स्थिति का मुख्य कारण, अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य के खिलाफ विदेशों से संगठित किए जा रहे हमले और हस्तक्षेप है।

अफगानिस्तान की जनता, अपने देश की प्रभुसत्ता, क्षेत्रिय अखंडता और सामाजिक-आर्थिक विकास की रक्षा में अपने दोस्त और भाई-सा देश सोवियत संघ के निस्वार्थ मदद के लिये उनके प्रति गहरे आभार का इजहार करती है।

अफगानिस्तान की जनता, अपनी राष्ट्रीय सुलह की नीति तथा अफगानिस्तान की समस्याओ को सुलझाने के लिये अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों के प्रति समर्थन के लिये महान भारत की जनता को हार्दिक रूप से धन्यवाद जताती है। हम अफगान-भारत मैत्री का भारी कद्र करते हैं और काफी महत्व देते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने का यह एक महत्वपूर्ण साधन है।

कामरेडों और दोस्तों !

हमारे देश के खिलाफ साम्राज्यवादियों के थ्रोपित युद्ध जारी रहने के बावजूद, जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के कदमों को प्राथमिकता दी जा रही है। अफगानिस्तान के ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के जीवन में सुधार लाने और देश में शांति कायम करने के लिए काफी कुछ किया है। मजदूरों के वेतन में दो बार बढ़ोतरी हुई है। मजदूरों के लिए उनके कार्यक्षेत्र के आस पास ही आवास व्यवस्था का इन्तजाम किया गया है और यह प्रक्रिया जारी है। मजदूरों और उनके परिवारों के निःशुल्क सेवा के लिए स्वास्थ्य केन्द्र और शिशु बिहार खोले गए हैं। मजदूरों के लिए उपभोक्ता सामानों के दुकान खोले गए हैं उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए और इसकी योजना में मजदूर वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। निरक्षरता दूर करने में ट्रेड यूनियनों का भारी योगदान रहा है।

राष्ट्रीय जनवादी अप्रैल क्रांति की सच्चाई को महसूस करते हुए, कार्यरत मजदूर, प्रतिक्रांतिकारियों के तोड़फोड़ के खिलाफ स्वतः सजग हैं और अपने संस्थानों की रक्षा करते हैं।

कामरेडें एवं साथियो !

वर्तमान जटिल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, हर प्रगतिशील तथा शांतिकामी ताकतों का लामबंदी और संयुक्त प्रयास की मांग करती है। हम इस बात को विश्वास करते हैं कि मानव जाति के लिए शांति का लक्ष्य तभी सुनिश्चित किया जा सकता है अगर हम एक साथ कार्रवाई करें। सी० पी० एस० यू० केन्द्रीय कमेटी के महासचिव मिखाइल गोर्वाचेव तथा भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी के बीच हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणा, विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्व व्यापी संघर्ष को मजबूत बनाने में नई दिशा का उन्मोचन किया है। दिल्ली घोषणा जो वर्तमान समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान का जमीन तैयार करता है, को व्यवहारिक रूप से हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए।

अन्त में, मैं महान भारत के भ्रातृतुल्य जनता के शांति पूर्ण भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत के शांतिप्रिय जनता का कल्याण और समृद्धि के रास्ते में और भी कामयाबी हासिल हो यही दुआ करता हूँ।

अफगान-भारत मैत्री अमर रहे.

बिश्व शांति अमर रहे.

बुल्गारियाई प्रतिनिधिमण्डल के नेता का० गोस्पादिनोव का भाषण

प्रिय कामरेडो,

सैन्ट्रल काउंसिल ऑफ बुल्गारियन ट्रेड यूनियन्स की ओर से मैं आपको बुल्गारिया की मेहनत कश जनता का बिरादराना बधाई पेश करता हूं और इस छठे सम्मेलन की सफलता कामना करता हूं। आपके संगठन के इस महत्वपूर्ण मौके पर उपस्थित रहने के लिए आमंत्रण के लिए मैं सैन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के नेतृत्व के प्रति और खास कर महासचिव समर मुखर्जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

हाल ही में बुल्गारिआई ट्रेड यूनियन का 10 वाँ कांग्रेस में प्रतिनिधि के रूप में सीटू सचिव साथी पंधे को स्वागत करने में

हमें भारी खुशी मिली। इस तरह के दौरे का आदान-प्रदान को हम आपसी सम्बन्धों को आगे बढ़ाने का जरिया मानते हैं और यही हमारा ध्येय भी है। हमारे लिए यही हमारे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के प्रति नए रूप से समर्थन का भी इजहार है जिसे हमने अपने नेता और शिक्षक—अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आन्दोलन के महान् हस्ति जार्जी दिमित्रोव से विरासत में पाया है।

भारत तथा बुल्गारिया के बीच सक्रिय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध है। हमारे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच मेल मिलाप और ज्यादा फलप्रद इसलिए होता है क्योंकि यह हमारे सामाजिक प्रणालियों की भिन्नता के बावजूद, हमारे कार्रवाइयों में प्रगतिशील सिद्धान्तों की समझदारी पर आधारित है।

हम भारतीय मजदूर वर्ग आन्दोलन के तमाम इतिहास से वाकिफ हैं और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा में आपकी गतिविधियों में हम भारी दिलचस्पी रखते हैं।

बुल्गारियाई ट्रेड यूनियनों का दसवाँ कांग्रेस में हमारे भविष्य के कामकाजों का मुख्य दिशा का निर्देश दिया गया है। स्वप्रबंधित संगठन, जिसका श्रम-सामूहिकों का उत्पादन तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने का अधिकार और उनका कर्त्तव्य भी है, हमारी जिन्दगी की एक नई सच्चाई बन गया है। वह निजी, सामूहिक, सार्वजनिक आदि सभी हितों की अभिव्यक्ति है। अर्थव्यवस्था के तकनीकी पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा प्रबंधन के नए ढाँचों की स्थापना और स्वप्रबंध की दिशा में संक्रमण का ठोस रूप दिया जा रहा है।

इस वर्ष के शुरू से ही हमारे देश में श्रम सामूहिकों से चर्चा कर तथा ट्रेड यूनियनों की सक्रीय भागीदारी के जरिए तैयार नए श्रम कानूनों को लागू किया गया जो इस नए बदले हुए स्थिति में ट्रेड यूनियनों को हिस्सेदारी का व्यापक मौका दिलाता है। मजदूर वर्ग के इन उपलब्धियों के नतीजे के रूप में पड़ता कदम हमारे संसद द्वारा सामाजिक सम्पत्ति को श्रमिकों के दलों के हाथों में सौंपने की घोषणा है।

साथियों,

बढ़ें हुए कामकाज एवं राजनीतिक गतिविधियों की इस स्थिति में, हालांकि यह समाजवादी देशों की ट्रेड यूनियनों का चरित्र ही है, हम यह कभी नहीं भूलते कि हम, साम्राज्यवाद विरोधी, बहुराष्ट्रीय निगम विरोधी तथा युद्ध के खतरे से लड़ने वाले दुनिया के मेहनतकशों के उस विशाल मंच का ही हिस्सा है। बुल्गारिआई ट्रेड यूनियनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का एक अहम सिद्धान्त यह है कि हम मेहनतकश लोगों के हितों की रक्षा में लगे हैं। उनकी माँग है कि हम विश्व शांति की रक्षा करने और उसे मजबूत बनाने तथा राष्ट्रों के बीच समझदारी और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करें। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि मेहनतकश अवाम, वे जहाँ कहींभी हों, का भी यही ध्येय है। और इसलिए ट्रेड यूनियन कार्रवाई में एकता के लिए हम दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध हैं, चाहे उनकी सम्बद्धता व विचार भिन्न ही क्यों न हो। 120 देशों के ट्रेड यूनियन संगठनों से हम सम्बन्ध रखते हैं और हमने हमेशा धनात्मक बातचीत और संयुक्त कार्रवाई के अपने इरादों को उनके पास स्पष्ट रूप से रखा।

मई दिवस समारोहों के तुरन्त बाद ही हमने शांति व निरस्त्रीकरण संबन्धी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कमेटी (डबलिन कमेटी) द्वारा संगठित "नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र, ट्रेड यूनियन तथा मेहनतकश लोग" के सवाल पर बैठक की मेजबानी की जिसमें 26 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक द्वारा पारित निर्णायक घोषणा पत्र में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के इस दृढ़ समझदारी को व्यक्त किया गया है कि नाभिकीय अस्त्र रहित क्षेत्र ही राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा का गारन्टी है तथा मजदूरों के समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण जरिया है।

साथियों, हम अपने साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस कठिन एवं उलझनभरी हालत में हम काम करते हैं, उसके बावजूद हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हम आपसी सहयोग के दीर्घकालीक तथा स्थिर रास्ता ढूढ़ निकालने में कामयाब होंगे।

हमें यह विश्वास है कि आपके सम्मेलन के फैसले मजदूर वर्ग के लिए फायदेमन्द होगा, उनके उद्देश्यों को लागू करने में और एक सुन्दर जीवन के उनकी आकाँक्षाओं को पूरा करने में मददगार होगा।

भारतीय मजदूर वर्ग अमर रहे

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग एकजुटता अमर रहे

विश्व शाँति अमर रहे।

कामरेड दीपक धवन

सीटू की यह छठी कांफ्रेंस, सी पी आइ (एम) पंजाब राज्य कमेटी के सदस्य तथा राज्य देहाती मजदूर सभा के संयुक्त सचिव का. दीपक धवन की खालिस्तानी उग्रवादियों द्वारा 19 मई को अमृतसर के संधा गांव में नृशंस हत्या की तीव्र भर्त्सना करती है. का. दीपक धवन उग्रवादियों और उनके सामराजी आकाओ के खिलाफ निरंतर लड़नेवाले योद्धाओं में से थे और पृथकतावादियों के खिलाफ आंदोलन को संगठित किया और नेतृत्व दिया. कामरेड धवन की याद में सम्मेलन लाल झंडे को झुकाती है. सम्मेलन उनके शोक संतृप्त परिवारजनों के साथ हार्दिक संवेदना प्रकट करती है और पृथकतावादी तत्वों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का शपथ लेती है.

बिरादराना संगठनों से बधाई संदेश

का. निर्मल सेन, महासचिव, बाग्ला देश सयुक्त श्रमिक फेडरेशन, ढाका, 20 अप्रैल 1987

प्रिय कामरेड,

आपके दिनांक 14 अप्रैल 1987 के पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यह जानकर खुशी हुई कि आप 18-22 मई 1987 को अपना छठा सम्मेलन करने जा रहे हैं।

हमें आशा है कि आपका सम्मेलन उन तमाम मुद्दों पर विचार करेगा जो आज समूचे मजदूर-वर्ग के सामने हैं।

हम, भारत के मजदूर वर्गद्वारा अपने देश में सामाजिक बदलाव लाने के काम में और ज्यादा सफलता कामना करतेहैं. भारत के मजदूर वर्ग के साथ हमारी मैत्री की बुनियाद और मजबूत हो, एक साथ मिलकर हम शोषण के खिलाफ मजदूर-वर्ग की दुनिया के पैमाने पर कार्यकारी एकता बनाने में अपना योगदान दे, हम यही दोहराते हैं.

हार्दिक बधाई सहित

सी०जी०टी०, फ्रांस, मांत्रोयल, 24 अप्रैल 1987

सी०जी०टी० और उसका समर्थन करने वाले दसियों लाख फ्रांसीसी मजदूरों की ओर से हम सी०आई०टी०यू० के छठे सम्मेलन को अपनी गर्मदिल और बिरादराना बधाई पेश करते हैं.

आपका सम्मेलन एक ऐसे समय पर होने जा रहा है जब सी०आई०टी०यू० और भारत का ट्रेड यूनियन आँदोलन मजदूरों के अधिकारों पर हमले, व्यापक बेरोजगारी, और बिगड़ती हुई आर्थिक व सामाजिक परिस्थिति. के कई समस्याओं का सामना कर रहा है.

इन पेचीदा सवालों का जबाव देने के लिए, भारतीय यूनियनें एकजुट हुई हैं. खासतौर पर एन०सी०सी० के तहत, और खास तौर पर, पिछले एक साल में अपनी मांगों को लेकर कई शक्तिशाला संघर्ष लड़ चुकी हैं.

फ्रांस में यह समय मजदूरों के, सी०जी०टी० के समर्थन से, सरकार और मालिको की इन नीतियों के खिलाफ जिनसे सामाजिक मंदी बढ़ती है, बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर हमला, खासकर ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला बढ़ता है —जोरदार संघर्षों का समय रहा है.

इस संदर्भ में, सी०जी०टी० फ्रांस के मजदूरों के संघर्षों और उनके ट्रेड यूनियन केन्द्र सी०जी०टी० को भारतीय मजदूरों द्वारा दिये जा रहे समर्थन और भाईचारे की हम सराहना करते हैं.

सी०आई०टी०यू० की तरह ही सी०जी०टी० भी मानती है कि मानवता के लिए शांति से ज्यादा जरुरी और कुछ भी नहीं है. इसीलिए वह भी शांति की रक्षा और निरस्त्रीकरण के लिए हो रहे आंदोलनों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे है. और खास तौर पर प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी न्यूक्लियाई परीक्षण बंद करने की मांग करती है. सी०जी०टी० की राय में हाल ही में सोवियत यूनियन द्वारा यूरोप में न्यूक्लियाई हथियार कम करने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए हैं वह नई सम्भावनाये पैदा कर रही हैं और नई आशाये जगा रही हैं.

भारत उन देशों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सी.आई. टी०यू० और अन्य भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र इस संघर्ष की अगली कतारों में हैं और उन्होंने राजनैतिक मतभेदों के बावजूद सन् 1986 में संयुक्त संघर्ष चलाये हैं.

साम्प्रदायिक झगड़ों के खिलाफ भी उन्होंने एक विशाल अभियान शुरु किया है—जो साम्प्रदायिकता देश के लिये एक गंभीर खतरा है मगर उसे यूनियनों ने अपनी कतारों में निषिद्ध कर दिया है.

सी०जी०टी० की तरह ही आप भी रंगभेद की भर्त्सना करते हैं और भारत की अन्य यूनियनों के साथ एक स्वर में दक्षिण अफ्रीका की जनता और मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करते हैं.

इन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर हम और आप एकमत हैं.

सी०जी०टी०, सी०आई०टी०यू० के साथ अपने गहरे बिरादराना जज्बे का इजहार करती है और आपके छठे सम्मेलन को पूरी कामयाबी मिलने की कामना करती है जो अपने बहसों और प्रस्तावों के जरिए मजदूरों के हितों और शांति के लिए आपके प्रयासों को और बढ़ायेगा.

कार्ल राइट, डायरेक्टर, कामनवेल्थ ट्रेड यूनियन काउंसिल,

कामनवेल्थ ट्रेड यूनियन काउंसिल, सी०टी०यूसी०, की स्थापना 1979/80 में, विकासशील देशों के ट्रेड यूनियनों में व्यावहारिक भाईचारा कायम करने के लिए बनाया गया था. 40 कामनवेल्थ देशों के लगभग 3 करोड़ संगठित मजदूरों को यह एक साथ लाया है.

अन्य देशों की तरह भारत में भी सी०टी०यू०सी० का भाईचारे का काम मुख्यतः स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मामलों में शिक्षा और प्रशिक्षण देने का ही रहा है। इस क्षेत्र में सी०आई० टी०यू० के साथ हमारी नजदीकी सहकारिता रही है और हमार वर्तमान संयुक्त काम फिलहाल हमारे बम्बई-स्थित कोऑर्डिनेटर की मदद से और ठोस रूप ले रहा है.

पिछले एक साल के दौरान खास तौर पर सी०टी०यू०सी०- की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी नस्ल वादी सरकार के खिलाफ कारवाई और अपने उन भाइयों बहनों के प्रति समर्थन का रहा है, है, जो अपनी बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए लड़ रहे हैं। इस संदर्भ में, प्रिटोरिया के खिलाफ पाबंदियों के पक्ष में हम सभी सदस्य संगठनों का पूरा समर्थन हासिल कर आए हैं अपने दक्षिण अफ्रीकी साथियों के

साथ ट्रेड यूनियन सहयोग का एक कार्यक्रम भी तय हुआ है और देख रहे हैं कि भारतका ट्रेड यूनियन आंदोलन इस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी ले रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर भाईचारा लगातार मजबूत हो रहा हैं. सी०आई०टी०यू० के साथ काम करने के नजदीकी रिश्ते कायम होने पर सी०टी०यू०सी को खुशी है. सी०आई०टी०यू० के छठे सम्मेलन के इस मौके पर हम सी०आई०टी०यू० का बिरादराना अभिनन्दन करते हैं और सम्मेलन की सफल कार्रवाई के लिए हिस्सा लेरहे साथियों को शुभकामनायें पेश कर रहे हैं.

श्री ताकोशी कुरोकावा, अध्यक्ष सोहियो —जापान

18 से 22 मई तक बम्बई में होने जा रहे सी० आई० टी० यू० के छठे सम्मेलन के अध्यक्ष मण्डल और प्रतिनिधियों को बिरादराना अभिनन्दन भेजते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज मेहनतकश लोगों को दुनियां भर में बिगड़ती हुई राजनैतिक व आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके जीवन और रोजगार पर न्यूक्लियाई जंग का खतरा मंडरा रहा है। आपका सम्मेलन ऐसे ही स्थिति में होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सम्मेलन से भारत और एशिया के मेहनत कश लोगों की तमाम समस्याओं से निबटने के लिए कार्यकारी व गतिशील काम की नीति तय करेंगे। आपके सम्मेलन को हर सफलता की कामना करते हुए—

ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ग्रेड ब्रिटेन से का समर मुखर्जी महासचिव सी आई टी यू को, लन्दन, 12 मई 1987

आपके छठे सम्मेलन के अवसर पर हम 90 लाख से ज्यादा ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं के बिरादराना बधाई संदेश भेज रहे हैं। सभी प्रतिनिधियों को इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की कार्रवाई सफल बनाने के लिए हम शुभकामनायें भेज रहे हैं और हमें यकीन है कि वे काम की सकारात्मक योजना बना सकेंगे जो भारत के मेहनतकश लोगों के हितों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगी.

भविष्य में भी हम लगातार सहयोग की उम्मीद करते हैं.

का० हैरीटिश, अध्यक्ष एफ डी जी बी, जी डी आर से बर्लिन, 12 मई 1987

प्यारे भाइयोंसेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियनस के छठे सम्मेलन के मौके पर हमारा बधाई संदेश, ग्रहण कीजिए। जर्मन जनवादी गणराज्य के कन्फेडरेशन ऑफ फ्री जर्मन ट्रेड यूनियनस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपको और आपके संगठन के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनन्दन और सफल कार्रवाई के लिए शुभकामनाये भेज रही है। बिरादराना एकजुटता की भावना से जी० डी० आर० के० ट्रेड यूनियन कर्त्ता अपने भारतीय भाईयों की देश की स्वतन्त्रता मजबूत करने, शान्ति बनाये रखने व भारतीय उप महाद्वीप में सुरक्षा मजबुत करने की लड़ाई से मजबूती से बँधे हैं। हम बड़ी दिलचस्पी और ध्यानपूर्वक सी० आई० टी० यू० द्वारा जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा के लिए की जा रही कोशिशें और भारतीय मजदूरों के रहन-सहन व काम की शर्तों की बेहतरी व सामाजिक प्रगति के हित में की जा रही कोशिशों का अनुसरण कर रहे हैं।

हमें यकीन है कि दोस्ती के वह रिश्ते जो हमारे दोनों ट्रेड यूनियन संगठनों के दर्मयान कई सालों से चले आ रहे हैं अब और भी मजबूत होंगे ताकि हमारी दोनों देशों की जनता के हितों और दुनिया भर में शांति और निरस्त्रीकरण के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाया जा सके। भारत की तमाम मेहनतकश जनता के हितों के लिए आपके संगठन के भविष्य के कामों के लिए और भी महान सफलताओं की कामना करते हुए.

का० सफिउद्दीन अहमद, महासचिव, बांगलादेश गणतांत्रिक श्रमिक आन्दोलन, ढाका, 4 मई 1987

प्रिय कॉमरेड,

हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सी० आई० टी० यू० का छठा सम्मेलन 18 से 22 मई 1987 को होने जा रहा है।

हमें यकीन है कि सी० आई० टी० यू० का यह सम्मेलन परमाणु युद्ध के खतरे के खिलाफ, शांति गारंटी करने और दुनिया भर के मजदूर वर्ग के जीवन स्तर की बेहतरी के लिए चल रहे महान संघर्ष को आगे बढ़ाने में अपना उल्लेखनीय योगदान रखेगा।

भारतीय मजदूर वर्ग के अगुआ दस्ता की हैसियत से भारत में ट्रेड यूनियन आँदोलन में तमाम लड़ाकू व साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को एकाजुट करने और खास तौर पर इस महाद्वीप में तमाम मेहनतकश जनता के व्यापक जनवादी संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका है।

इसमें आपकी सफलता हमारे देश की ट्रेड यूनियन आँदोलन को प्रेरणा देगा।

बाँगलादेश गणतांत्रिक श्रमिक आँदोलन की ओर से और खुद अपनी ओर से मैं भारत के लड़ाकू मजदूर वर्ग के साथ अपने गहरे भाई चारे का इजहार करता हूँ और आपके छठे सम्मेलन को हर दिशा में सर्वोच्च सफलता मिले यह कामना करता हूँ.

हमें जरा भी सन्देह नहीं कि हमारे दोनों संगठनों के बीच भाई चारे के बन्धन भविष्य में और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होंगे—

संग्रामी अभिनन्दन सहित.

हमें कुछ और बधाई सन्देश मिले हैं जिसे हम अगले अंक में छापेंगे

संपादक मंडल

पी. राममूर्ति (चेयरमेन)

मनोरंजन राय, नीरेन घोष,

एम. एम. लारेंस, पी. के. गांगुली

एम. के. पंधे (सम्पादक)

अध्यक्षीय भाषण देते हुए का. बी. टी. रणदिवे

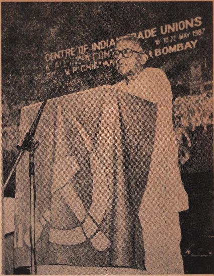

प्रतिनिधि सत्र को सम्बोधित करते हुए ज्योति बसु

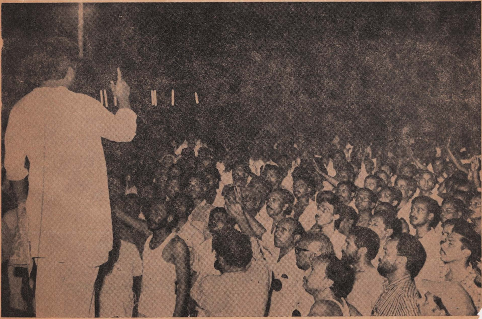

का. दीपक धवन की हत्या पर डेलिगेट कैम्प में आयोजित शोक सभा

Regd. No. D(C) 833 RN/34666/79

मेहनतकश लोगों के प्रति
वचनबद्धता का एक दशक
मई-दिवस पर प्रतिज्ञा का नवीकरण

1977 में सत्तारूढ़ होने के समय से ही वाम मोर्चा सरकार मेहनतकश लोगों के अधिकारों की लगातार रक्षा करती आ रही है. पश्चिम बंगाल के श्रमिक वर्ग को एक नई आशा एवं विश्वास की अनुभूति हुई है. और इससे श्रमिकों के विभिन्न वर्गो में एकता एवं अखण्डता आई है—यही है ऐतिहासिक मई-दिवस का सशक्त आह्वान श्रमिकों के ट्रेड-यूनियन अधिकारों एवं मर्यादा की रक्षा, अनेक बड़े उद्योगों में द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समझौते, श्रमिकों के लाभ के लिए निम्नतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना और कृषि-मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं — इस दशक में श्रम मोर्चे पर प्राप्त कुछ सफलताएं हैं. एक नए औद्योगिक परिवेश की सृष्टि से भविष्य में पश्चिम बंगाल की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है.

वाम मोर्चा सरकार भविष्य में ऐसे जन-हितैषी रचनात्मक कार्य सम्पन्न करने की कामना करती है जिससे श्रमिक वर्ग का आने वाला कल अधिक सुखमय हो.

पश्चिम बंगाल सरकार

ICA 2173/87

पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071)
ओखला फेज-I, नईदिल्ली- 110020 से मुद्रित.